लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 45 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 45, चौदहवां सत्र, 1984/1905 (शक)

अंक 13, शुक्रवार, 9 मार्च, 1984/19 फाल्गुन, 1905 (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 182, 199, और 184 से 188,	...	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 183, 189 से 198 200 और 201	...	22-30
अतारांकित, प्रश्न संख्या : 2097 से 2098, 2100, 2102 से 2132, 2134 से 2244, 2246 से 2253, 2255 से 2258 और 2260 से 2331	...	30-227
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	228-232
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1983-84		
विवरण प्रस्तुत किया गया	...	232
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1981-82		
विवरण प्रस्तुत किया गया	...	232
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
देश के विभिन्न भागों में किसानों को उर्वरकों की कम सप्लाई होने के समाचार से उत्पन्न स्थिति		
श्री एम एम. रामगोपाल रेड्डी	...	232-235

---

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

राव बीरेन्द्र सिंह ... 236-249
श्री हरीश रावत ... 237-294
श्री रामावतार शास्त्री, ... 241-294
श्री ए. नीलालोहित दसन नाडार 245-248
सभा का कार्य ... 249-254
सामान्य बजट 1984-85 सामान्य चर्चा
श्री सुनील मैत्रा ... 255-267
विधेयक पुरःस्थापित
श्री अनवर अहमद का प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक
(धारा 8 का संशोधन आदि) 267-268
श्री के. टी. कोशलराम का संविधान (संशोधन) विधेयक
(सप्तम अनुसूची में संशोधन) ... 268
श्री मूलचन्द डागा का मंत्री वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 का प्रतिस्थापन) ... 268-269
श्री चित्त बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक
अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन) ... 269
श्री बी. वी. देशाई का विदेशी अभिदाय (विनियमन)
संशोधन विधेयक 1984 (नई धारा 6 का अंतःस्थापन) ... 269
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री का हिन्दू धर्मग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण तथा संशोधन) विधेयक
बिचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री सुन्दर सिंह ... 270-271
श्री हीरालाल आर. परमार ... 272-273
श्री जगपाल सिंह ... 273-282
श्री राम प्यारे पनिका ... 277-287
श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम् 287-289
श्री चन्द्रपाल शैलानी 289-293
श्री हरीश कुमार गंगवार ... 282-300
श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी ... 301-302
श्री रामावतार शास्त्री ... 302-304

लोक सभा

शुक्रवार, 9 मार्च 1984/19 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री राजदेव सिंह के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है । श्री राजदेव सिंह उत्तर-प्रदेश से 1963-77 तक तीसरी, चौथी और पांचवी लोक-सभा के सदस्य रहे थे ।

श्री राजदेव सिंह पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे तथा वह स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई वर्षों तक जेल में रहे ।

श्री राजदेव सिंह एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने पददलितों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा वह कई वर्षों तक जिला सहकारी बैंक, जौनपुर से भी सम्बद्ध रहे ।

उन्होंने 1934 में बिहार में आए भूकंम्प के दौरान राहत कार्य भी आयोजित किया ।

श्री राजदेव सिंह का 25 फरवरी, 1984 को उत्तर-प्रदेश में जौनपुर में 75 वर्ष की आयु में देहान्त हुआ ।

इस मित्र की मृत्यु पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा संतप्त परिवार के प्रति अपनी समवेदनायें व्यक्त करने में मेरे साथ शामिल होगी ।

दिवगंत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सभा कुछ क्षण मौन खड़ी रहेगी ।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

बकाया विदेशी ऋण

*182 **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर जनवरी, 1984 तक कुल कितना विदेशी ऋण बकाया है, और

(ख) भारत को पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष विदेशों को ब्याज के रूप में कितनी धन राशि देना पड़ी है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पहली जनवरी, 1884 को देश के सरकारी खाते के विदेशी ऋणों की कुल बकाया रकम 19019,64 करोड़ रुपए थी ।

(ख) वर्ष 1980.81, 1981-82 और 1982-83 में सरकारी खाते में अदा की गई ब्याज की रकम क्रमश: 252. 24 करोड़ रुपए, 276. 14 करोड़ रुपए और 319.85 करोड़ रुपए थी ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 1921 श्री हरिकेश बहादुर ।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे प्रश्न सं० 199 मिला है। कृपया इसको भी साथ मिला लीजिए ।

श्री मुखर्जी क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने प्रश्न सं० 199 नहीं देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे नहीं देखा है ।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्होंने इसे नहीं देखा क्योंकि उनको इस प्रश्न तक पहुंचने की आशा नहीं थी ।

श्री प्रणव मुकर्जी : प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ही सम्बन्धित होना चाहिए मुझे । कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं है । इन दोनों प्रश्नों को साथ मिलाने से मैं भी आपको नहीं रोकूगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय प्रश्न को देखे बिना ही उसका उत्तर देने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, वह ऐसा करने में समक्ष हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह इसलिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण और विदेशी ऋण की कुल राशि

199. श्री सतीश अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी डालर की तुलना में, भारतीय रुपये का क्रमशः 10 जनवरी, 1980, 1981 1982, 1983 और 1984 को मूल्य क्या था ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण की कुल कितनी राशि आगामी कुछ वर्ष के दौरान अमरीकी डालरों में वापस की जानी है और भारतीय रुपये की तुलना में अमरीकी डालर के पुर्नमूल्यांकन के परिणामस्वरूप जिसके कारण अदा किये जाने वाले ऋण का रुपयों में मूल्य वास्तव में लिये गये ऋण के मूल्य से बढ़ गया है, कितना अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा; और

(ग) भारत के विदेशी ऋण को कुल कितनी राशि अमरीकी डालरों में वापस की जानी है और इसमें से कितनी राशि 1984, 1985 और 1986 में वापस की जानी है तथा इन तीन वर्ष में मुद्रा विनियम की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कितना अधिक भार वहन करना पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

निम्नलिखित संबंद्ध तारीखों को भारतीय रुपए का मूल्य नीचे सारणी में दिखाया गया है :

तारीख	1 संयुक्त राज्य = रुपए अमेरिकी डालर
10. 1. 1980	7.9400
10. 1. 1981	7.9650
10. 1. 1982	9.0980
10. 1. 1983	9.7190
10. 1. 1984	10.6633

भारतीय रुपए की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर का कोई 'पुनर्मूल्यांकन' नहीं हुआ है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का उल्लेख एस० डी० आर० में किया जाता है और उसकी वापसी

अदायगी एस० डी० आर० में अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों संहित मिली-जुली करेंसियों में की जाती है। भारत के विदेशी ऋण की कुल राशि, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में चुकाया जाना है, 31 दिसम्बर, 1983 को 1109.3 करोड़ डालर थी। इस राशि में लगभग 119.3 करोड़ अमेरिकी डालर की राशि के अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के वे बकाया ऋण शामिल नहीं हैं जिन्हें मिली-जुली करेंसियों में अदा किया जाना है। इन ऋणों की डालरों में की जाने वाली अदायगी की राशि का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वर्ष, 1984, 1985 तथा 1986 के दौरान क्रमशः लगभग 28·6 करोड़ 28.0 करोड़ और 29.2 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की राशि की वापसी अदायगियां किए जाने का अनुमान है। क्योंकि ऋण डालरों में चुकाए जाते हैं, इसलिए डालर और रुपए के बीच विनियम दर में होने वाले परिवर्तनों से ऋण वापसी अदायगी की विदेशी मुद्रा राशि पर जो डालरों में अंकित होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु, इन परिवर्तनों से रुपए में व्यक्त वापसी अदायगियों की राशि बदल सकती है जो विदेशी मुद्रा दर में होने वाली भावी घटबढ़ पर निर्भर करती है तथा जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, माननीय मंत्री ने कहा है कि 1. 1. 1984 को देश के सरकारी खाते में विदेशी ऋणों की कुल बकाया रकम 19019.64 करोड़ रुपए है। में जानना चाहता हूं कि :

(क) क्या दी गयी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण भी सम्मिलित है; और

(ख) जब आप इस ऋण का पुर्नभुगतान करने जा रहे हैं तो क्या आप यह अदायगी उस समय अथवा आजकल के रुपया बनाम डालर के मूल्य के आधार पर करेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : उस समय के मूल्य के आधार पर इसको चुकाना होगा।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिए गए ऋण भी सम्मिलित हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी नहीं। मैंने आपको बताया, यह सरकारी ऋण है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक विस्तारित कोष सुविधा है। वास्तव में यह सरकारी ऋण नहीं है : इसीलिए मैंने "सरकारी ऋण" शब्दावली का प्रयोग किया है। और सारा ब्यौरा 'आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। आपको यह ब्यौरा प्रति वर्ष मिलेगा कि आप कितना दे रहे हैं और आपने कितना उधार लिया है। ये सभी ब्यौरे वहां हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रश्न काफी समय पहले पूछा गया था।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, वास्तव में इस प्रश्न में मंत्री महोदय को पूरी जानकारी देनी चाहिए। वह कहते हैं कि वास्तव में उस समय डालर का जो मूल्य था उसी आधार पर डालरों में

अदायगी की जायेगी। क्योंकि रुपये का मूल्य गिर रहा है, अतः उस समय के डालर के मूल्य के अनुसार रुपयों में अदा की जाने वाली राशि में वृद्धि हो जायेगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप कैसे जानते हैं कि यह कम होगा या अधिक ?

श्री हरिकेश मुखर्जी : उत्तर के अनुसार, यह स्पष्ट है। रुपए का मूल्य गिर रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : रुपए के मूल्य से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। आप यह जानना चाहते थे। हमने डालरों में ऋण लिया और डालरों में ही इसका पुर्नभुगतान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यापार है।

श्री हरिकेश बहादुर : इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि यह डालरों में दिया जाना है, तो देश दिवालिया होने जा रहा है। यह देश के साथ एक प्रकार का षड्यन्त्र है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे 1985 में जा रहे हैं।

श्री के० महातेवर : यही राजाजी ने काफी समय पहले कहा था।

श्री हरिकेश बहादुर : लिया गया धन एशियाड, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, पंचतारा होटलों के निर्माण और अन्य बातों में खर्च किया जा रहा है। मैं अनुभव करता हूं कि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार ने क्यों धन का दुरुपयोग किया ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पहले जनता की प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों न कि विदेशों से लिया गया धन इस प्रकार की बातों में बर्बाद किया जाए ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य का इस प्रश्न को पूछने के पीछे एक विशेष प्रयोजन है। वह कोई स्पष्टीकरण और कोई जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं।

जहां तक इस देश के दिवालिएपन का सम्बन्ध है वे इस बात को गत 30 वर्षों से कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसी दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं, श्रीमन्।

दिवालिएपन के बारे में वे गत 30 वर्षों से कह रहे हैं। किन्तु देश दिवालिया नहीं हुआ है। वरन् देश आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 1.1 मिलियन डालर के ऋण का परित्याग इसका संकेत है।

उधार लिए गए धन को एशियाड और अन्य बातों में व्यय करने के सम्बन्ध में, इस मामले पर इस सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है। सर्वप्रथम, उन्हें जानना चाहिए कि विस्तारित

कोष सुविधा (इ० एफ० एफ०) क्या है ? विस्तारित कोष सुविधा, जो हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली थी का किसी परियोजना या किसी विकास के साथ कोई लेना-देना नहीं है। विस्तारित कोष सुविधा विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने अथवा हमारी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान शेष की समस्या पर काबू पाने के लिए ली गई थी।

जहां तक अन्य प्रकार के ऋणों का सम्बन्ध है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से पैसा उधार लेते हैं, तो हम ऋण द्विपक्षीय आधार पर लेते हैं तथा इनमें से अधिकांश वाणिज्यिक ऋण परियोजना-बद्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में, हम अनुदारवाद तक की सीमा तक अत्यधिक सतर्क रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रायः हमें यह कहा गया है कि हमें अधिक से अधिक वाणिज्यिक ऋण लेने चाहिए जो कि हम नहीं करते हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपकी वसातत से मैं मिनिस्टर साहब से कुछ पूछना चाहूंगा ? अव्वल तो मुझे लगता यह है कि यह हमारी गवर्नमेंट के लिये स्टिगमा बनता है क्योंकि पिछले दिनों यहां पर फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो भाषण दिया, उसमें कहा कि हम सैल्फ सफीशियेंट हो रहे हैं, खासतौर से जो फारेन कट्रीज हैं जो अन-डैवलप्ड हैं या डैवलपिंग कन्ट्रीज़ हैं, उनको हम फीड करेंगे, उनकी मदद करेंगे लेकिन जब हम दूसरी तरफ यह देख रहे हैं कि 19.64 करोड रुपये गवर्नमेंट आफ इंडिया के बकायाजात हैं तो हम इसको किसी भी ढंग से समझने की कोशिश करें लेकिन यह लग रहा है कि हम मकरूज हैं। फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्ज जो फारेन कंट्रीज के हैं उनकी तरफ से हम कर्जाकवार हैं जो हमें अदा करना है।

इस पसे-मंजर मैं चाहूंगा कि जब हम इतने मकरूज हो रहे हैं जो नान-प्रोढक्टिव एन्टर-प्राइजेज के लिये हम रुपया ले रहे हैं मुल्क को प्रैस्टिज बढ़ाने की खातिर या यह दिखाने की खातिर कि यह मुल्क बड़ा अजीम है, हम एशियाड और बाकी चीजों पर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसका इसके साथ मुवाजना किया जाये तो मैं समझता हूं कि यह हमारी एतरामी शिकस्त है। यह इस बात की जाहिर करती है कि हम एक तरफ मकरूज हैं, दूसरी तरफ हम दुनिया में झूठी शान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये यह जो सारी बात कही गई है, मेरे दूसरे क्वश्चन में इन्होंने बताया है—वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में सरकारी खाते में अदा की गई व्याज की रकम क्रमशः 252.24 करोड़ रु०, 276.14 करोड़ रु० और 319.85 करोड़ रु० थी। यह बढ़ता जा रहा है। आने वाले सालों में इसमें बहुत इजाफा होगा। इन्ट्रेस्ट पे करना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम फारेन इंस्टीट्यूशन्ज को दें तो यह साल-हा-साल ये कैसे अदा करेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का वास्तव में प्रश्न क्या है।

यह 1-1-84 को कुल बकाया ऋण 19,000 करोड़ रुपये था। यह एक या दो वर्षों में नहीं है। यदि आप देश के आकार को देखे तो जी० डी० पी०' यदि आप इसकी प्रतिशत में गणना करें मेरे विचार में कोई भी माननीय सदस्य से सहमत नहीं होगा कि यह बहुत अधिक है। एशियाड और

अन्य बातों पर व्यय के सम्बन्ध में मैं कई अवसरों पर उत्तर दे चुका हूं। मुझे इस सम्बन्ध में ओर कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य पर निर्भर करता है कि वह इसे अधिक समझते हैं या कम।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरे प्रश्न सं० 199 के उत्तर में **वित्त मंत्री** ने प्रश्न के सभी भागों (क), (ख) और (ग) के उत्तर में सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

सभापटल पर रखे गये इस विवरण के अनुसार 10 जनवरी, 1980 को डालर की तुलना में रुपये की कीमत 7.9 थी जबकि 10 जनवरी, 1984 को यह 10.66 थी जो कि व्यवहार में 3 अंक अधिक है। यह 40 प्रतिशत अधिक हो जाती है। मैं इसे अवमूल्यन नहीं कहूंगा। पिछले चार वर्षों के दौरान यह वास्तव में डालर की तुलना में रुपये का मूल्यह्रास ही है 7.9 से यह 10.66 हो गया है।

अमरीकी डालर में अदा किए जाने वाला ऋण **वित्त मंत्री** ने 31-12-83 को 1109.3 करोड़ रुपये बताया था। इस राशि में 119.3 करोड़ अमरीकी डालर की राशि के अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) के वे बकाया ऋण शामिल नहीं हैं।

इस विशेष संदर्भ में क्या मैं माननीय **वित्त मंत्री** से यह पूछ सकता हूं कि क्या अमरीकी डालर में अदा किए जाने वाला यह ऋण जिसे निर्यात योग्य अधिशेष से चुकाया जा सकता है जहां तक निर्यात की मात्रा का संबंध है, जनवरी, 1980 में रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए, इसमें रुपयों में 40% की वृद्धि नहीं हई है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक ऋण सेवा की गणना का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम निर्यात से प्राप्त आय से ऐसा करते हैं और हम हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि यह उस सीमा तक रहे जिसमें हम संभाल सकें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते है, कि विवेकपूर्ण सीमा हमेशा 20 प्रतिशत तक दर्शाई जाती है और जहां तक हमारे अनुपात का सम्बन्ध है, यह उससे काफी कम है।

परन्तु जहां तक डालर की तुलना में रुपये की वर्तमान प्रवृत्ति संबंधी प्रश्न का संबंध है और रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में वृद्धि का संबंध है, निस्सन्देह इससे कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है परन्तु यह स्वीकृत प्रवृत्ति है कि न केवल रुपये की तुलना में बल्कि लगभग सभी मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

परन्तु मैं यह नहीं समझता कि इससे हमारी गणना पर कोई प्रभाव पड़ेगा। विवरण में ही मैंने विस्तार में 1984-85, और 1986 के संबंध में आंकड़े दिए हैं। विवरण के मध्य में आप स्वयं इसे डालरों में देखेंगे। परन्तु किसी समय विशेष पर रुपये और डालर के बीच क्या सम्बन्ध होगा, यह भविष्यवाणी करना कठिन है।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

इस प्रश्न के उत्तर के अन्त में आपने कहा है :

"किन्तु इन परिवर्तनों से रुपये में व्यक्त वापसी अदायगियों की राशि बदल सकती है जो विदेशी मुद्रा दर में होने वाली भावी घट-बढ़ पर निर्भर करती है तथा जिसका अनुमान लगाना संभव नही है।

यह सच है कि 1984-85 और 1986 के लिए अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु अब आपके पास उपलब्ध अनुमानों के अनुसार क्या आप 1980 में प्रचलित दर के हिसाब से देय अतिरिक्त राशि का रुपयों में अनुमान बता सकते हैं ? जहां तक अमरीकी डालर ऋण के भुगतान का संबंध है, यह 40 प्रतिशत अधिक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जी हां। वह मेरा मुद्दा भी है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि डालर का मूल्य 17.....था ।

श्री प्रणव मुखर्जी : कृपया मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : वर्ष 1984-85 के अनुमानों में आपने उल्लेख किया है कि 2262 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण हो।

क्या आप यह ऋण वाणिज्य बाजार से लेंगे ? यदि हां, तो किस दर पर ? जैसा कि आपने कहा है कि यह विवेक पूर्ण सीमा में है, तब चूंकि आप पहले वाणिज्य मंत्री रहे है और अब वित्त मंत्री हैं और कम से कम इस वर्ष तक और बने रहेंगे, क्या आप कृपया सभा को यह बताएंगे कि इस दशक अर्थात 1980 तक के लिए आयात और निर्यात का अनुमान बताएंगे जो कि मेरे पास हैं ? आयात और निर्यात के अनुमान के अनुसार वर्ष 1989-90 तक हमारा व्यापार सन्तुलन 1400 करोड़ रुपये तक प्रतिकूल रहेगा आज तक यह लगभग 5000 करोड़ रुपए है। आप इस सबकी कैसे व्यवस्था करेंगे क्योंकि रुपयों के हिसाब से हमें ये सभी भुगतान करने के लिए ओर अधिक निर्यात करना पड़ेगा ? कृपया इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए क्योंकि कहीं कोई आशंका न रहे मुझे स्पष्टीकरण में दिलचस्पी है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूँ और स्वयं माननीय सदस्य महोदय ने इसे स्वीकार किया है। यह 1980 में 7.9 से 1984 में 10.66 तक है, मैंने स्वयं यह आंकड़े दिए हैं। यह प्रतिशत के संदर्भ में 40 प्रतिशत है या 35 प्रतिशत इसका हिसाब वह स्वयं लगा सकते हैं।

अन्तिम पैरा में अनुमानों के संबंध में मैंने जैसा कहा है कि मेरे लिए यह बताना कि 1984 अथवा 1985 या 1986 में क्या स्थिति होगी संभव नहीं है क्योंकि हमने नोटिस किया है की जहां तक रुपए का संबंध है, डालर और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय में मुद्राओं में पारस्पर चलता उतार-चढ़ाव चलता रहता है। किसी अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया है कि कुछ मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और कुछ मुद्राओं की तुलना में जैसा कि अमरीकी डालर की तुलना में इसका मूल्य घटा है।

अनुमानित निर्यात वृद्धि का जहां तक संबंध है यदि हम दिए गए आंकड़ों में से तेल को भी निकाल दें तो क्योंकि हमारा देश विशुद्ध रूप से तेल निर्यातक देश नहीं है, हमें कुछ तेल किन्हीं कारणों से निर्यात करना पड़ता है जैसा कि हमारा कच्चा तेल भारी (हैवी) होता है और उसे यहां शोधित नहीं किया जा सकता उसे निकालने के बाद भी मेरे विचार में प्रतिशत में ये हतोत्साहित करने वाले नहीं है बल्कि ये प्रोत्साहित करने वाले हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण, जो कि अभी हाल में लिया जाना था न लेने के वर्तमान निर्णय से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है और क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीयों की विवेश करने की योजना से, जो कि एक स्वागत योग्य बात है, भविष्य में हमारी विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरे विचार में मैं एन० आर० आई० को इस योजना से नहीं जोड़ सकता परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 101 बिलियन एस० डी० आर० की अन्तिम किस्त न लेने के निर्णय से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में निश्चय ही भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और यहां तक लन्दन से प्रकाशित "**इकोनोमिस्ट**" के नवीनतय अंक में भारतीय अर्थ व्यवस्था की काफी सराहना की गई है यहां तक कि शीर्षक भी अत्यन्त रूचिकर है, माननीय सदस्यों की भी इसे जानने में दिलचस्पी होगी यह है "फूड प्लस आयल माइनस आई० एम० एफ० इज इकवल टू इंडिया।"

श्री सुनील मैत्रा : वित्त मंत्री द्वारा श्री हरिकेश बहादुर के मूल प्रश्न का दिया गया उत्तर अत्यन्त बुद्धिमता पूर्ण हैं। परन्तु इसमें केवल एक त्रुटि रह गई है कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया है। मूल प्रश्न भारत पर विदेशी ऋण की बकाया राशि के बारे में था और उन्होंने बताया कि सरकारी में कितना ऋण है। यदि आप विश्व बैंक के प्रतिबेदन को देखो मेरे पास विश्व बैंक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन है, तो जहां तक भारत पर बकाया सरकारी ऋण का संबंध है, 31 दिसम्बर, 1980 तक यह 25,000 मिलियन डालर से कुछ अधिक था अर्थात् 25,000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक। यह द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थागत ऋण और अन्य स्रोतों के शीर्षों के अन्तर्गत दिया गया है। 31 दिसम्बर, 1980 तक भारत पर विदेशी ऋण 25.000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक था। और मान लो पिछले चार वर्षों में वाणिज्यिक ऋण 3000 करोड़ रुपए लिया गया और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 4000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया तो यह ऋण 7000 करोड़ रुपये का हो गया।

4000 करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के रूप में है । अत: यह 7000 करोड़ रुपये बनते हैं । तब यह 32,000 रुपये बनते हैं और यह मानते हुए कि इस बीच 4000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, तब यह राशि 28,000-29,000 करोड़ रुपये बनती है न कि 19,000 करोड़ रुपये। 19,000 करोड़ रुपये सरकारी ऋण खाते में हो सकता है किन्तु इन स्रोतों से भारत का ऋण नहीं हो सकता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या मन्त्री महोदय इन आंकड़ों की पुष्टि करेंगे ? यदि वह ऐसा करते हैं तब उनका इन्हें वापस करने का क्या प्रस्ताव है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने विश्व बैंक का प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदन पढ़ने का इतना कष्ट किया हालांकि यही आंकड़े वह **'इकनोमिक सर्वे'** (आर्थिक समीक्षा) के पृष्ठ पलट आसानी से प्राप्त कर सकते थे···

श्री सुशील मैंगा : यह आंकड़े उसमें नहीं हैं ।

श्री प्रणब मुखर्जी : आप क्या बात कर रहे हैं ? यदि आपने मेरे से यही प्रश्न पूछा होता तो मैं आपको यह आँकड़े दे देता ।

बकाया राशि और सभी प्रकार के आंकड़ें परिशिष्ट में दिए गए हैं—आप उन्हें वह देख सकते हैं ।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : 25 मिनट का समय बीत चुका है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री मोहम्मद असरार अहमद···इसके बाद श्री जैनुल बशर।

सूत की कीमतों में वृद्धि

*184. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी है कि 'जनता धोती' की हथकरघा पर बुनाई में प्रयोग होने वाले सूत की कीमतों में बराबर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा बुनकरों को रियायती दामों पर सूत उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय कर रही है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बुनकरों को 'जनता धोती' के लिये उचित दिया जाये ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) जनता वस्त्रों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले यार्न की कीमतों में परिवर्तन पर बराबर निगरानी रखी जाती है । जुलाई, 1981 से यार्न की कीमतों में वृद्धि की प्रतिशतता विभिन्न काउन्टों में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच बनती है ।

(ग) राज्य सरकारों से सहकारी समितियों तथा निगमों द्वारा निजी प्रयोग के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम और सहकारी कताई मिलों से सम्बन्धित मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न को पूल करने का अनुरोध किया गया है । इसके अलावा संकट के मौकों पर सरकार वार्ताओं के जरिये विशेषत: जनता उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथकरघा उद्योग को रियायती दरों पर यार्न की सप्लाई के लिए प्रबन्ध करती रही है ।

(घ) अन्तर्विनिष्ट साधनों की लागत पर आधारित जनता कपड़े की कीमतों तथा उपदान में परिवर्तन का पहलू पहले ही प्रणाली के अन्तर्गत विद्यमान है । इसका अभिप्राय बुनकरों को न्यायोचित कीमतें सुनिश्चित करने का है ।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, इस देश के बुनकर, विशेषकर जनता कपड़ा बनाने वाले बुनकर बहुत संकट से गुजर रहे हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूत के दाम बढ़ते जा रहे हैं । स्वयं माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि जुलाई 1981 से अब तक 12 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक दाम बढ़े हैं । सवाल के जवाब में ही मन्त्री जी ने यह भी बताया है कि सब्सीडी देने और दाम बढ़ाने का एक सिस्टम है, उसमें दाम अपने आप बढ़ सकता है लेकिन पिछले तीन वर्षों में खासकर जुलाई, 1981 से अबतक जनता धोती और साड़ी के कोई दाम नहीं बढ़े हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस बीच में दाम बढ़ाने की कोई खबर उनको है, कोई दाम बढ़े हैं या नहीं ? अगर नहीं बढ़े हैं तो सूत के 12 से लेकर 18 परसेन्ट दाम जो बढ़े हैं उसको देखते हुए जनता धोती और साड़ी के कितने दाम बढ़ाने जा रहे हैं ? दूसरे क्या वे जनता धोती और साड़ी की वेरायटीज़ भी हैंडलूम के जरिए से ज्यादा बनवाकर मार्केट में इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह बात मैं पहले ही मुख्य वक्तव्य में बता चुका हूं । यह सच है कि सूत की कीमतों में वृद्धि के कारण 1977 में जनता कपड़े का अधिकतम मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ गया था और उसके बाद 1981 में इसमें और वृद्धि हो गई थी । इसके बाद यह भी सत्य है कि इस जनता कपड़े के मूल्य में और वृद्धि नहीं की गई है ।

सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और मैं अपने मित्र को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि पूरा मामला विचाराधीन है और हम उसकी जांच कर रहे हैं । किन्तु राजसहायता से इस

समूचे प्रश्न को कुल संसाधनों को ध्यान में रखकर देखना होगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है।

श्री जैनुल बशर : यह नहीं बताया कि ज्यादा वेरायटीज भी बकवा रहे हैं या नहीं।

श्री निहार रंजन लास्कर : इस जनता कपड़ा योजना में अप्रैल 1981 में कपड़े सम्बन्धी नीति की घोषणा करने तथा कमीजों और लट्ठे के कपड़े को सम्मिलित नहीं किया गया था। कमीजों के कपड़े को इस योजना में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में कुछ अन्य मदों तथा कुछ ऊनी मदें तथा मकलाचादर, जोकि उन क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, पर भी विचार किया जा रहा है और हम उन्हें इस योजना में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष जी, बुनकरों को सबसे बड़ी दिक्कत सूत मिलने में होती है। जो भी सिस्टम अभी तक राज्य सरकारों ने कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये से सूत बटवाने का इन्ट्रोड्यूस किया है वह कामयाब नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की दुकानें विभिन्न क्षेत्रों में खोली जायेंगी, ताकि सस्ते दर पर सूद बुनकरों को दिलवाया जा सके ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, सरकार का इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दें और मेरे मित्र ने भी यही कहा है। हम बुनकरों को लागत मूल्य पर नियमित रूप से सूत उपलब्ध करने के लिए कदम उठा रहे हैं और स्वयं निगम को भी इसका अवसर दिया जाता है।

श्री अशफाक हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जनता धोती जो हैंडलूम में तैयार होती है और जो मिल में तैयार की जाती है, उनमें एक बुनियादी सवाल कास्टिंग का होता है। इसके बाद दूसरा अहम सवाल सब्सिडी का आता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वही धोती जो हैंडलूम पर तैयार की जाती है, तो डेढ़ रुपया पर-स्क्वायर मीटर की सब्सिडी दी जाती है, जबकि एनटीसी मिल में तैयार होती है तो दो रु० सब्सिडी दी जाती है। हैंडलूम को रियायत देने के बजाय हैंडलूम को और सब्सिडी कम दी जाती है। मेरा पहला सवाल यह है कि सूत का दाम और मजदूरी के दाम को देखते हुए कास्टिंग बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है ? दूसरे हैंडलूम को एन० टी० सी० के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए, वह क्यों नहीं मिलती है ? इन दोनों बातों का जवाब माननीय मंत्री जी साफ-साफ दें।

श्री निहार रंजन लास्कर : मेरा विचार है कि यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और हम इसे सम्भव बनाने के लिये इसकी जांच कर रहे हैं। अतः मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है और सारा मामला विचाराधीन है।

श्री एम० एम० लारेंस : महोदय, ऊंचे दामों के कारण लाखों रुपये का हथकरघा कपड़ा

और धोतियां केरल राज्य में सहकारी समितियों के भंडारों में जमा हो रही हैं। लाखों श्रमिक सूत के उपलब्ध न होने तथा उसके ऊंचे दामों के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। केरल के हथकरघा श्रमिकों तथा केरल सरकार की ओर से अनेकबार भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि सूत को रियायती दरों पर उपलब्ध किया जाए तथा उसे अधिकाधिक मात्रा में भी दिया जाए ताकि हथकरघा बुनकरों को रोजगार देकर उनकी हालत सुधारी जाए और जमा हुए हथकरघा कपड़े के भंडारों को बेचा जा सके। सरकार इस सम्बन्ध में यथा सम्भव शीघ्र क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि समस्त केरल हथकरघा उद्योग को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

तथापि महोदय, सरकार ने बुनकरों की दशा में सुधार करने तथा आमतौर पर हथकरघा उद्योग की प्रगति के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक हथकरघा सहकारी समीतियों तथा राज्य समीतियों के लिए शेयर पूंजी सहायता योजना भी शामिल है यह योजनाएं केरल राज्य सहित सभी राज्यों में लागू हैं। 1980-81, 1981-82 और 1982-83 की अवधि के दौरान शीर्ष समिति को प्रत्येक वर्ष 700 लाख रुपये तक की शेयर पूंजी सहायता दी गई और जिसके बराबर की धनराशि राज्य सरकार ने सहकारी ओर नियमित क्षेत्रों में फुटकर बिक्री पर 20 प्रतिशत की रियायती दर पर हथकरघा कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिए दी है। हमने इस प्रकार के सभी उपाय किए हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर

*185. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित विकास दर का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या विकास के इस लक्ष्य के पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) : चालू वित्तीय वर्ष के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए विकास दर का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। छटी पंचवर्षीय आयोजना 1980-85 में आयोजना अवधि के दौरान 5.2 प्रतिशत का वार्षिक औसत विकास दर का विचार था। अनुमान लगाया गया है कि

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में चालू वर्ष में वास्तविक रूप में 6 से 7 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। इसके साथ छठी आयोजना के पहले चार वर्षों में औसत वार्षिक दर लगभग 5.4 प्रतिशत बैठेगी।

श्री उत्तम राठौर : मैं यह जानना चाहता हूं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी विकास दर की अन्य विकासशील देशों की तुलना में क्या स्थिति है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे इसके लिए एक नोटिस दीजिए। किन्तु कुछ विकासशील देशों की विकास दर 6 से 7 प्रतिशत बनती है। यदि वे किसी देश विदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे नोटिस देना होगा।

वर्ष 1990 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन का संशोधित लक्ष्य

*186. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पर्यटन और विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1984 के दैनिक "नवभारत टाइम्स" में "हिन्दुस्तान आने का शौक घट रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा पहले 1990 तक 35 लाख विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत भ्रमण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो अब घटाकर 25 लाख कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि होने की संभावना है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के 70 प्रतिशत होटल खाली पड़े हुए हैं और इन 24 होटलों में से 21 होटल अभी भी घाटे में चल रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) देश की यात्रा के लिए आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में प्रत्येक वर्ष निरपेक्ष रूप में वृद्धि होती रही हैं, इसलिए राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : डागा जी, इन्होंने डबल-येस में जवाब दे दिया है, फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने उत्तर तो बड़े ढंग से दिया है, पर्यटन मन्त्री जी। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं—पहले तो आपने यह घोषणा की थी कि 1990 तक कुल 50 अरब की आमदनी होगी और 35 लाख यात्री आयेंगे। लेकिन उसके बाद आप ने उस संख्या को घटा कर 25 लाख कर दिया। 25 लाख करने के बाद जो विश्व पर्यटन में .066 परसेंट पर्यटक हमारे यहां आते थे, वे अब घटकर .046 परसेन्ट रह गये। एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों का हिन्दुस्तान आने का शौक कम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप की फिगर्स गिर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यात्रियों के कम संख्या में आने का क्या कारण है और आपने जो इरादा बनाया था, जो स्वप्न देखा था कि इतने यात्री आयेंगे और 25 अरब की आमदनी होगी, वह आमदनी तो दूर रही, यात्रियों की संख्या क्यों घट रही है, जब कि लंका और दूसरे देशों के अन्दर, मैं थाईलैंड की बात नहीं करता हूं, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जो इतना सुहावना और सुन्दर मुल्क है, वहां घट रही है।

अध्यक्ष महोदय : डागा जी, आप आंकड़ों में ज्यादा विश्वास करते हैं या मिनिस्टर साहब पर ज्यादा विश्वास करते हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य को यह निश्चित आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में विशेषकर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी के बारे में हमें कोई भय नहीं है। किन्तु समूचे विश्व में पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आ रही है। और इसके कारण इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्ता में भी कमी आई है। यह सही है कि उस समय जब 1990 तक के लिये 35 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया था ऐसा उस समय के कारणों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था। तब से उनमें कतिपय परिवर्तन आये हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समूचे विश्व में व्यापक स्तर पर मंदी की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों में कुछ अशान्ति की स्थिति के कारण भी पर्यटकों की संख्या प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त ईंधन की कीमतों में वृद्धि से भी पर्यटक यातायात प्रभावित हुआ है। इन कारणों से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। किन्तु लक्ष्य को 30 लाख से घटाकर 25 लाख करना मात्र अनुमान ही है। इससे राजस्व की हानि नही होगी। यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि इससे राजस्व की हानि होगी तो यह हानि नकारात्मक हानि होगी।

श्री मूल चन्द डागा : एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि यात्रियों की संख्या कम हो रही है और आपने खुद इस बात को माना है। मैं जानना चाहता हूं कि 1983 में आपका टारगेट क्या था और आप के यहां कितने यात्री आये ? क्या यह सही है कि आइ० टी० डी० सी० के जो चोआएसेस्ट होटल—21 हैं उनमें 70 परसैन्ट कमरे खाली रहते हैं ?

आई० टी० डी० सी० के होटलों पर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका आपको कितना रिटर्न मिलता है और फिर भी आप कहते हैं कि घाटा नहीं है। तो यह तो एक जादूगर की सी बात हुई। या तो आप कहिये कि घाटा हुआ है या कहिये कि यात्री कम आ रहे हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं और आप का कहने का तरीका बड़ा खूबसूरत है, मगर आप फैक्ट्स पर आइए। आप आकाश पर मत घूमिये और जमीन की बात कीजिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं हमेशा अपने पांव धरती पर टिकाने में ही विश्वास करता हूं । मैं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता हूं । मैं यह माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और वास्तव में माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि 1951 में केवल 16829 पर्यटक इस देश में आये थे जिससे हम केवल 77 करोड़ रुपये ही कमा सके थे। अब वर्ष 1982 में 13 लाख के लगभग पर्यटक भारत आये हैं और हमने 825 करोड़ रुपये कमाये हैं । अतः दोनों में वृद्धि हुई है। अब मेरे विचार से धन की हानि अथवा पर्यटक यातायात की हानि का कोई भय नहीं क्योंकि अब हमारे देश में पर्यटकों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधायें तथा अन्य आकर्षण उपलब्ध हैं । किन्तु पर्यटन सदा से विश्व की आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होता आया है और यह स्वाभाविक ही है कि हम विश्व के वर्तमान परिस्थितियों से भारत को पृथक नहीं कर सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे प्रश्न के उत्तर का क्या हुआ ? आई. टी. जी. सी. के 74 होटल हैं और इन होटलों में 70 प्रतिशत कमरे खाली रहते हैं।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने बताया है कि विश्व के विभिन्न भागों में अभी हाल की मन्दी के कारण इस देश में आने वाले पर्यटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और मैं उनसे इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं । किन्तु इस सम्बन्ध में प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी था कि विदेशों में पर्यटक यातायात के लिए एक संवर्द्धानात्मक नीति अपनाई गई और एयर इन्डिया कार्यालय और पर्यटन कार्यालयों में सम्पर्क स्थापित किया गया । एक नई संवर्द्धनात्मक नीति अपनाने के लिए क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस संवर्द्धनात्मक नीति के अपनाये जाने के रास्ते में कुछ कठिनाईयां हैं क्योंकि हमने कुछ चिन्ता-जनक समाचार पढ़े हैं ? आपरेशन यूरोप और आपरेशन अमरीका के पीछे निहित समूची नीति विश्व में 100 से भी अधिक स्थानों में निर्मित हमारे एयर इंडिया के कार्यालयों के आधार पर बनाई गई थी और उन्हें पर्यटन विकास के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है और क्या मंदी पर काबू पाने के लिए, मन्त्रालय इस देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और विदेशी मुद्रा की भारी राशि अर्जित करने के लिये कतिपय अन्वेषणात्मक और रचनात्मक कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य ने इस मन्त्रालय का कार्यभार काफी लम्बी अवधि तक संभाले रखा है और वह इस मन्त्रालय के कार्य के बारे में शायद मुझ से भी अधिक जानते हैं । किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कार्यपरक योजनाएं आरम्भ से ही कार्यान्वित की जा रही हैं । किन्तु इन्हें लागू किए जाने के

15 वर्ष के बाद, मैं केवल यह प्रयास कर रहा हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना को लागू किया गया था, क्या वह पूरा हुआ है अथवा नहीं।

इसलिए मैंने एक समिति को यह जांच करने के लिए नियुक्त किया है कि हम इस योजना को किस प्रकार अधिक प्रभावी तथा अधिक लाभकारी बना सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिपोर्ट प्राप्त कराने के बाद मैं परिचालन योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन अगर आवश्यक समझे गये करने में समर्थ हूंगा।

माननीय सदस्य का अन्य प्रश्न है देश में अधिक संख्या में पर्यटक आयें इसके लिए अन्य क्या कदम हमने उठाये हैं ? एक बड़ी चीज जो मैंने की है—जो मुझसे पहले वाले लोग करने में असफल रहे हैं—वह थी चार्टरों का लाना। पिछले वर्ष पहली बार चार्टर आये। पिछले वर्ष लगभग 19 चार्टर आये तथा इस वर्ष लगभग 40 चार्टरों के आने की आशा करते हैं और बाद में मेरे विचार से लगभग 100 चार्टरों के संचालित होने की संभावना है जिससे काफी हद तक पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा, बाजार नीति भी विचाराधीन है। यह एक प्रकार की निरन्तर प्रक्रिया है ओर इस संबंध में जो कुछ आवश्यक संयुक्त प्रयास है हम उन्हें जारी रखेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत आने वाले अधिकतर पर्यटक अधिक धनी नहीं हैं किन्तु हमारे बनाये गये होटल बहुत ही सुविधाजनक होटल हैं अत: कभी-कभी पर्यटक निजी क्षेत्र के होटलों तथा अन्य जगहों पर जाते हैं तथा फलस्वरूप सुख-सुविधा सम्पन्न होटल रिक्त रहते हैं। इस को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार मध्य वर्ग के लोगों के लिये जो कि यहां आते हैं होटलों का निर्माण करने की कोशिश करेगी, ताकि वे इन होटलों में ठहर सकें, जो कि सुख-सुविधा सम्पन्न नहीं है ओर जिनका खर्च वे आशानी से वहन कर सकते हैं। इसमें कोईशंका नहीं है कि उनके लिये यह एक आकर्षण होगा तथा सरकार के लिए भी यह लाभदायक होगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने इस सदन में कई बार बताया है कि हमारे देश में पर्यटन की पांच-तारा संस्कृति नहीं है। पांच-तारा होटलों के कमरे देश में स्थित होटलों के कुल कमरों के 20 प्रतिशत हैं। स्वीकृति क्षेत्रों में कुल कमरों की संख्या लगभग 30,000 है। इसके अलावा गैर-स्वीकृत क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कमरे हैं। स्वीकृत क्षेत्र में कमरे एक तारा से पांच तारा होटल की श्रेणी में हैं। अत: सीमित बजट के पर्यटकों के लिये देश में उचित मूल्य के होटल कमरों की कोई कमीं नहीं है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1983 हमारे भारतवर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का वर्ष रहा है। हमारे यहां गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ, फिर राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ और तत्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास के सम्बन्ध में सम्मेलन हुआ। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन सब घटनाओं को देखते हुए, हम पर्यटन के विकास के लिए कौन-कौन सी नई सुविधाएं अपने देश में प्रदान करने वाले हैं ? क्या सभी गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन विभाग कुछ कार्यवाही कर रहा है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने कई कदम उठाये हैं। सबसे पहले, हम नये क्षेत्रों की खोज

कर रहे हैं जैसे कि पश्चिम एशिया के देश जहां पर अभूतपूर्व समृद्धि है। हम उन देशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आमन्त्रित करना चाहते हैं।

इसके अलावा, देश में उपलब्ध पर्यटकों की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि आवास, हवाई परिवहन, भूमि परिवहन, देश के अन्य जीव जन्तुओं को देखने की सुविधायें आदि, को सुलभ कराने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे बनाये जा रहे हैं।

अहमदाबाद में काला धन संबंधी गिरोह

*187. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान अहमदाबाद में विदेशों से स्वदेश भेजे जाने वाले धन की आड़ में काले धन का सफेद धन में परिवर्तन करने वाले गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) : आयकर विभाग ने 3 और 4 फरवरी, 1984 को अहमदाबाद के श्री अम्बा लाल ठेकेदार के परिसरों की तलाशी ली और यह नोट किया कि उन्होंने अत्यन्त शानदार बंगले में पर्याप्त पूंजी लगाई हुई हैं। इस पूंजी निवेश के स्रोत के संबंध में यह दावा किया गया है कि ये कर निर्धारित के पुत्र द्वारा भेजी गयी लगभग 200,000 अमरीकी डालर की रकमें हैं। विभाग इस दावे की वास्तविकता की जांच कर रहा है।

(ग) : जब कभी, विभाग को ऐसे कार्यकलाप के बारे में सूचना मिलती है, तो आवश्यक जांच-पड़ताल करके समुचित कार्यवाही की जाती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अहमदाबाद एक बड़ा नगर है और उस नगर में सिर्फ एक ही व्यक्ति आयकर विभाग के जाल में फंसा है।

मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए और प्रयत्न कर रही है।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह श्री अम्बालाल ठेकेदार था एक विशिष्ट प्रश्न का अगर माननीय सदस्य अहमदाबाद से सम्बन्धित अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं पूर्व सूचना प्राप्त होते ही निश्चितरूप में जानकारी दे सकता हूं।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : मंत्री जी एक जानकार व्यक्ति हैं। श्री अम्बालाल के पुत्र ने इस देश में 20 लाख से अधिक रुपये भेजे। क्या मंत्री जी हमें बताएंगे अथवा पता लगायेंगे कि कितने समय से उनका पुत्र अमेरिका में रह रहा है, उसका व्यवसाय क्या है क्या उसकी भेजी हुई रकम वहां उसकी आय के अनुरूप है, और सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? इस बीच अगर वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम जायदाद हस्तांतरित करता है तो सरकार उस परिसम्पत्ति को किस प्रकार जब्त करेगी जो कि अवैध रूप में प्राप्त की गई है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : श्री अम्बा लाल और उनके पुत्र के बारे में जो कि अमेरिका में रह रहे हैं कुछ । छानबीन की गई है । हमारे पास श्री कुलदीप ठेकेदार के निवास का जो कि अमेरिका में रह रहे हैं पता है । किन्तु धनराशियां 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के वित्तीय वर्षों के दौरान भेजी गई हैं । अधिकतम रकम 1981-82 में भेजी गई थी और यह रकम श्री अम्बा लाल ठेकेदार के परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर भेजी गई थी । उन्होंने इस बंगले के निर्माण में इसका निवेश करने का दावा किया है । प्रेषित रकम बैंक आफ बड़ौदा गांधी रोड़ शाखा तथा बैंक आफ इन्डिया, अहमदाबाद मुख्य शाखा के द्वारा प्राप्त की गई थी ।

श्री के० मामातेवर : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के भाग (ग) में पूछा है "देश में ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है"—यह सिर्फ उस एकाधिकारी घराने विशेष तक ही सीमित नहीं है। इस संदर्भ में मैं देश में काले धन का पता लगाने के लिये इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को जानना चाहता हूँ । सभी व्यक्ति, विशेष रूप में इस देश के सदस्यगण, मंत्रीगण तथा विशिष्ट व्यक्ति जानते हैं कि काला-धन रखने वाले व्यक्ति समान्तर सरकार चला रहे हैं । वे हमारी अर्थव्यवस्था को विफल करने जा रहे हैं । काले-धन के कारण मूल्य स्तर बढ़ रहा है । इसलिये यह जीवन और मरण की समस्या है । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ (क) काले-धन का पता लगाने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं, और (ख) अमेरिका तथा सिंगापुर भेजे जा रहे कालेधन को रोकने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं । मैं व्यक्तियों के नाम नहीं बताना चाहता । आप जानते हैं हमने बहुत-सी शिकायतें उन्हें बताई तथा इसे संसद में उठाया । 200 करोड़ रुपये का काला धन सिंगापुर भेजा गया है । अगर मैं नाम लूंगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे ऐसा करने के लिये मना करेंगे । वह मुझे चुप करवा देंगे । इसलिये इस देश से काले धन को समाप्त करने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है । इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ? (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० कृष्ण : सिंगापुर तथा हांगकांग आदि के बारे में माननीय सदस्य की चिंता का मैं समर्थन कर सकता हूँ । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि काला धन बरबादी कर रहा है, और काले धन की उस प्रकृति को खत्म करने के सरकार प्रयास करती रही है । (**व्यवधान**) जी हां, सरकार प्रयास कर रही है । बहुत से कदम उठाये गये हैं ।

श्री के० मामातेवर : 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या स्थिति है ? मैं काले-धन को उजागर करने के लिए उठाये गए कदमों का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : वह हमेशा से ही 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते आये हैं । इसके बारे में कोई विवाद नहीं है ।

श्री के० मामातेवर : किन्तु निम्नतम स्तर पर इसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मुझे विश्वास है यदि वह पहले जैसी अपनी स्थिति के अनुरूप हना चाहते हैं तो अभी भी वह 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते रहेंगे ।

काले-धन के बारे में, यह सही है कि काला धन है, और प्रत्यक्ष कर अधिकारी तथा अप्रत्यक्ष कर अधिकारी इसे निकाल बाहर करने के लिये पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि यह देश की अर्थ-व्यवस्था को विकृत न करे। न सिर्फ इस विशेष मामले में बल्कि जब कभी भी काले-धन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी सरकार को दी जाती है, तो सरकार बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती है। वे काले-धन की उत्पत्ति पर ही आघात करना चाहते हैं।

श्री ए० के० बालन : क्या सरकार इस समय चलन में विद्यमान काले-धन की राशि का अनुमान लगाने की स्थिति में है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या मैं इससे संबंधित अगले प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ ?

काला धन के संबंध में अध्ययन

*188. **श्री के० प्रधानी :**

डा० कृपा सिंधु भोई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व काला धन के संबंध में कोई अध्ययन कराया था;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन किस एजेंसी द्वारा कराया गया था;

(ग) काले धन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए क्या तकनीक अपनाई गई थी, कितना काला-धन होने का अनुमान लगाया गया है और इससे पहले की समितियों और अर्थ-शास्त्रियों द्वारा लगाये गए खोजपूर्ण अनुमानों की तुलना में यह कितना है; और

(घ) कालेधन का उत्पत्ति को रोकने और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) : जी, हां। सरकार ने जुलाई, 1982 में काले धन का अध्ययन करने संबंधी कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा है। इस संस्थान से रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।

(घ) लगातार पुनरीक्षा के बाद, प्रशासनिक, वैधानिक और संस्थागत उपायों के साथ काले धन के प्रसार और आगे तेजी से होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सभी संभव उपाय समय-समय पर किए जाते है।

डा० कृपा सिंधु भोई : उन्होंने (क), (ख), (ग), तथा (घ), किसी का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वित्त मंत्री जी ने काले धन का अध्ययन करने का काम पहले ही राष्ट्रीय

लोकवित्त संस्थान के सुपुर्द किया है । पिछले तीन वर्षों में जो सोने की बढ़ती हुई काले-धन की बड़ी भारी राशि तथा सम्पत्ति का पता लगाया गया उसके आधार पर यह पता चलता है कि यह निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिसे उन्होंने स्वीकार किया है । साथ ही काले-धन का पता लगाने के लिए बांड जारी किए गए हैं, किन्तु इससे अधिक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । शादी के समारोहों पर छोटे व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गए खर्च को ध्यान में रखते हुए कितने काले-धन की उत्पत्ति हो रही है । इसके आधार पर, राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान को काले-धन का अध्ययन करने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ? एक साल और 8 महिने पहले ही खत्म हो चुके हैं । क्या उन्होंने कोई अन्तरीम रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की है अथवा नहीं; यदि नहीं तो कितने समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ? इस कार्य को राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान को सौंपने के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री एस० एम कृष्ण : प्राकलन समिति ने वित्त मंत्रालय के संबंध में अपने 9 वें प्रतिवेदन में (सांतवी लोकसभा) सिफारिश की है कि सरकार को काले-धन के आंकलन का प्रयास करना चाहिए जिससे सरकार को और अधिक उपयुक्त नीति बनाने में समर्थ होगी । 6 जुलाई, 1182 को की गई सिफारीश के निष्पादन में संस्थान को यह अध्ययन करने के लिए सूचित किया गया था, संस्थान के विचाराधीन विषय है : (क) अर्थ-व्यवस्था के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर काला-धन उत्पन्न हो रहा है, (ख) काले-धन के उत्पादन में सहायक कारणों तथा स्थितियों की जांच करना; (ग) काले-धन को कमाने के लिए काम में लिए जा रहे तरीकों का अध्ययन करना तथा उन माध्यमों का पता लगाना जिनके द्वारा गुप्त आय का निवेश किया जाता है । तथा अन्त रूप में खर्च किया जाता है; (घ) काले-धन को सफेद-धन में परिवर्तित करने के लिए काम में लाये जा रहे तरीकों का अध्ययन करना; (ड़) उत्पन्न काले-धन की मात्रा का मोटे रूप में आंकलन करने का प्रयास तथा (च) उपरोक्त बातों के संबंध में आवश्यक प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना उन्होंने आंकलन किया है कि वे लगभग दो वर्षों में रिपोर्ट देने में समर्थ होंगे । इसलिए हम आशा करते हैं कि वे समय की इस सीमा का अनुपालन करेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्तीम रिर्पोट के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री एस० एम कृष्ण० : कोई अंतरिम रिपोर्ट नहीं ।

डा० कृपा सिंधु भोई : कई अवसरों पर उत्पाद तथा सीमा शुल्क विभागों ने बताया कि उनके अधिकारीगण बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में संकेन्द्रित किए जा रहे हैं । छोटे बन्दरगाहों के समीप के क्षेत्रों में तस्करी का सामान आयात किया जा रहा है तथा ऐसे सामान का स्टाक अन्य क्षेत्रों में बहुत ही कम है । मैं जानना चाहता हूं । क्या सरकार स्टाक स्थिति में वृद्धि करने की कोशीश कर रही है, और क्या उन क्षेत्रों में इन विभागों को मजबूत किया जायेगा ताकि तस्करी को रोका जा सके ।

साथ ही, जैसा कि आपात स्थिति के समय किया गया था, मैं जानना चाहता हूँ क्या, सरकार काला-बाजारीयों को जिनके पास काला-धन है अवसर देने के बारे में सोच रही है कि वे अपने लेखे प्रस्तुत करें और इस प्रकार से काले-धन को निकालने की कोशिश करे ।

दूसरा मुद्दा है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार रुपये का वि-मुद्रीकरण करने पर विचार कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का निर्यात

*183. **श्री मौहम्मद असरार अहमद** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने चीनी के निर्यात के लिए टैंडर आमंत्रित किए थे;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका चीनी के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या वर्ष 1984 के लिए चीनी निर्यात का कोटा निर्धारित कर दिया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क)

जी हां ।

(ख) 1983 में राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न अवसरों पर 23 खुली निविदाएं आमन्त्रित कीं । इन निविदाओं से निर्यात के लिए संविदाकृत मात्रा लगभग 4.5 लाख मेट्रिक टन थी।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 1984 के लिए आइ० एस० ओ० कोटा अभी निर्धारित नहीं किया गया है :

लड़ाकू विमानों के निर्माण के बजट प्राक्कलनों में संशोधन

*189. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु क्षेत्र में दूर तक प्रवेश कर मार करने वाले जगुआर विमानों के उत्पादन और मिग-21 बी-1 की उत्पादन योजनाओं के बजट प्रावकलन में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षामंत्री श्री आर. वेंकटरामन (क) **और** (ख) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिग-21 बी-1 एस की उत्पादन योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया है । शत्रु क्षेत्र में दूर तक प्रवेश कर मार करने वाले जगुवार विमान के निर्माण में आई कतिपय तकनीकी समस्याओं के कारण उसमें मामूली संशोधन किया गया है ।

पर्यटकों के आकर्षण के लिए उड़ीसा में चिलका झील का स्थल-सर्वेक्षण

*190 **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के आकर्षण की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से उड़ीसा के पुरी जिले की चिलका झील का स्थल पर जाकर कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या झील के पक्षियों के अभ्यारण्य और ध्रुवीय क्षेत्र से यहाँ आने वाले पक्षियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिये इसका एक सर्वाधिक आकर्षक स्थल के रूप में विकास करने की कोई योजना सरकार के पास है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) से (ग) : चिलका झील की पर्यटन संभाव्यता को देखते हुए, पर्यटन विभाग ने इसे उड़ीसा के लिए निर्धारित यात्रा परिपथों में पहले ही शामिल कर लिया है और राज्य सरकार से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने ध्रुवीय-क्षेत्र से यहाँ आने वाले पक्षियों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा स्कार्ट को निदेशकों को बदलने के निदेश

*191 **प्रो० मधु दंडवते :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 फरवरी, 1984 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने एस्कार्टस, उसके चेयरमैन और सचिव को नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे कम्पनी की एक असाधारण आम सभा बुलाने को कहा है और उन्हें एस्कार्टस के नौ निदेशकों के स्थान पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से सम्बद्ध अधिकारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने किन परिस्थितियों में यह नया दृष्टिकोण अपनाया है;

(ग) क्या जिन कंपनियों में जीवन बीमा निगम के इक्विटी शेयर हैं उन सब के प्रति यही समान दृष्टिकोण अपनाया जायेगा;

(घ) क्या एस्कार्टस ने इस पर कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) ऐसी अन्य कम्पनियाँ कौन सी हैं जिनको इसी प्रकार के नोटिस जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिनांक 11 फरवरी, 1984 को, कम्पनी-अधिनियम 1956 की धारा, 169 के अन्तर्गत मैसर्स एस्कार्टस लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया है, जिसके द्वारा कम्पनी से अपेक्षा की गई है कि वह उन संकल्पों पर विचार करने तथा उनको पारित करने के निमित्त अपनी असाधारण सामान्य बैठक बुलाए जाने का आयोजन करें जिनके द्वारा कम्पनी के नौ निदेशकों को प्रति स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस नोटिस के बारे में प्रतिक्रिया प्रकट करना या इसके अन्य पहलुओं के बारे में कुछ कहना व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि एक तो नोटिस को स्वयं न्यायालय के समक्ष चुनौती दे दी गई है और मामला न्याय निर्णयाधीन है और दूसरे भारतीय मूल राष्ट्रीयता के अनिवासियों को निवेश की सुविधाएँ देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र की वैधता को मैसर्स एस्कोर्टस ने, जिस रिट-याचिका में चुनौती दी है, उस रिट में जीवन बीमा निगम को प्रति-वादी (रिस्पांडैंट) की हैसियत से शामिल किया गया है।

कपड़ा उद्योग में संकट

*192. **श्री मनोहर लाल सैनी**

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास की फसल के नष्ट हो जाने के कारण कपड़ा उद्योग में संकट आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग को इस संकट से बचाने के लिये क्या उपाय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री श्री निहार रंजन लास्कर (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

दार्जिलिंग चाय की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाना

*193 **श्री चित्त वसु** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग चाय की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस किस्म की चाय की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दार्जिलिंग चाय की खेती का विस्तार करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी हां।

(ख) दार्जिलिंग चाय के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त करने के उद्देश्य से दार्जिलिंग जिले के प्रमुख उत्पादक इस समय चाय बोर्ड की सहायता से विपणन सोसाइटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। एक दार्जिलिंग चाय प्लान्टर्स संघ ने कार्य करना पहले ही शुरू कर दिया है।

(ग) यह देखते हुए कि दार्जिलिंग में चाय उद्योग को पुनरुद्धार के लिए विशेष सहायता की जरूरत है, सरकार ने दार्जिलिंग चाय बागों के पुनरुत्थापना के लिए ब्याज उपदान की एक विशेष स्कीम स्वीकृत की है। स्कीम के अन्तर्गत 10 वर्षों की अवधि में दार्जिलिंग में अनेक विकासपरक कार्यक्रम शामिल हैं जिनमें 2000 हैक्टेयर का विस्तार, रोपण, 4500 हैक्टेयर का प्रतिस्थापन रोपण और 3000 हैक्टेयर के पुनर्नवीकरण शामिल हैं। स्कीम के अन्तर्गत नवार्ड पुनर्वित्तपोषण पर 5.1 प्रतिशत प्रति वर्ष तक ब्याज उपदान दिये जाने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड का दार्जिलिंग जिले में अपना निजी अनुसंधान केन्द्र है जिसका आधारभूत उद्देश्य चाय की खेती के समुन्नत तरीके अपनाकर दार्जिलिंग चाय की उत्पादकता बढ़ाने का है।

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना

*194. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1983 के दौरान कितनी कपड़ा मिलें बन्द हुईं और इससे कितने मजदूर बेरोजगार हो गए;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) मजदूरों के लाभ के लिए इन मिलों को चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) अब तक सरकार ने गुजरात में कितनी कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया है;

(ङ) वे मिलें किस तरह कार्य कर रही हैं; और

(च) क्या सरकार इन बन्द मिलों के अधिग्रहण करने पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)

(क) 31-1-1984 को गुजरात की 12 सूती वस्त्र मिलों में से पांच मिलें 1983 में बन्द हुई थीं। रजिस्टर में दर्ज कामगारों की संख्या लगभग 8,000 है।

(ख) बन्द होने के मुख्य कारण हैं : वित्तीय संकट और कामगारों द्वारा हड़ताल।

(ग) तथा (च) : एक अधिकारी दल इन मिलों की समस्याओं की जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट मिलने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(घ) इस समय गुजरात में तीन वस्त्र मिलें हैं जिन्हें सरकार ने हाथ में लिया है। इसके अलावा, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गुजरात के 12 एककों का पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था।

(ङ) फाइन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद (कताई विभाग) के अलावा ये सभी एकक निरन्तर उत्पादन करने तथा कामगारों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कार्यशील है।

हथकरघा क्षेत्र द्वारा अधिक राज सहायता के लिए अभ्यावेदन

*195. **श्री हीतूभाई गामित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क)

क्या हथकरघा क्षेत्र से केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सस्ते कपड़े के उत्पादन के लिए उसे भी अधिक राज सहायता प्रदान की जाए जैसा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन.टी.सी.) को मंजूर की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्याप्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज सहायता में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के संबन्ध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मार्ग निदेश

*196. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नेबार्ड) को राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यक बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को करघे खरीदने और उनका आधुकीनिकरण करने और कार्यस्थलों के निर्माण के लिये दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के संबंध में मार्ग निदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए क्या शर्तें और प्रक्रिया निर्धारित की गई है : और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) ने करघों की खरीद तथा कार्य स्थलों के निर्माण के आधुनिकीकरण के वास्ते हथकरघा बुनकरों को दिए जाने वाले अपने अग्रिमों के सम्बन्ध में राज्य सहकारी बैंकों और बाणिज्यक बैंकों को पुनवित्त सुविधाएं उपलब्धि कराने का निर्णय किया है ।

वित्तपोषण कर्ता बैंक नाबार्ड से (ऋणों के 90 प्रतिशत तक) प्रतिवर्ष 6½ प्रतिशत की रियायती से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र लोग जिनकी वापसी-अदायगी करघों के अर्जन अथवा आधुनिकीकरण के मामले में 3 से 5 वर्षों तक तथा कार्य स्थलों के निर्माण तथा नये करघों की स्थापना के मामले में 8 से 10 वर्षों तक करनी होगी। अन्तिम हिताधिकारी से वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर 78 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत बुनकरों को सहायता राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक बुनकर समितियों के माध्यम से दी जाएगी । जो बुनकर सहकारी क्षेत्र से बाहर हैं लेकिन हथकरघा विकास निगम के पास सदस्यों के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ।

शत प्रतिशत निर्यात एककों के भारतीय बन्दरगाहों पर इकट्ठे हुए अस्वीकृत सामानों का निपटान

*197. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत निर्यात एककों की उन अस्वीकृत मदों का जो भारतीय बन्दरगाहों पर इकट्ठी कर दी जाती हैं, निपटान किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार इन अस्वीकृत मदों पर, जिसके लिए इनके निर्माताओं को सरकार द्वारा काफी सुविधाएं दी जाती हैं, कोई निगरानी रखती है;

(ग) क्या इन निर्माताओं के लिए कोई दण्डात्मक उपबन्ध हैं;

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री श्री निहार रंजन लास्कर : (क) से (ङ) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा भारतीय पन्नों में अस्वीकृत मदों का ढेर लगाये जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक सीमा शुल्क के समग्र पर्यवेक्षण के अन्तर्गत बार्ड के अनुसार कार्य करते हैं सीमा शुल्क प्राधिकारी अस्वीकृत माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति इस बारे में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के सम्बन्ध में, अपनी तसल्ली करने के बाद देते हैं ।

आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम और आयात नियन्त्रण आदेश सरकार को ये अधिकार प्रदान करते हैं, (1) अन्य व्यक्ति अथवा वास्तविक प्रयोक्ता को अयातित माल (चाहे पूंजीगत माल हो अथवा कच्चा माल) के दिशान्तरण का आदेश देना; (2) 100 प्रतिशत नि० अ० ए० के पास आयातित माल अथवा सामग्री को जब्त करना; (3) वित्तीय शक्तियां लगाना; (4) एकक को माल का आयात करने अथवा लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित करना; (5) चूककर्ता एकक से सरकार को देय सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क की वसूली करना ।

लाइसेंस की किसी शर्त का उपबन्धन भी 1955 के आयात नियन्त्रण आदेश के खण्ड 5 (4) के उपबन्धों का उल्लंघन है और चूककर्ता के विरुद्ध आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत पर न्यायालय से आपराधिक अभियोजन कार्रवाही की जा सकती है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा एस्कोर्टस को अपने निदेशक हटाने के निदेश

*198. **श्री के. लकप्पा श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आयी है कि जीवन बीमा निगम ने हाल ही में मैसर्स एस्कोट्स लिमिटेड के प्रबन्धक मण्डल को निदेश दिए हैं कि वह अपने नौ निदेशकों को हटा दें;

(ख) यदि हां, तो मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड में जीवन बीमा निगम के शेयरों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है। और उक्त स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ग) तथा (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) 30 प्रतिशत ।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिनांक 11 फरवरी, 1984 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 169 के अन्तर्गत मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया है, जिसके द्वारा कम्पनी से अपेक्षा की गई है कि वह उन संकल्पों पर विचार करने तथा उनको पारित करने के निमित्त अपनी असाधारण सामान्य बैठक बुलाए जाने का आयोजन करे जिनके द्वारा कम्पनी के नौ निदेशकों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस नोटिस के बारे में प्रतिक्रिया प्रकट करना या इसके अन्य पहलुओं के बारे में कुछ कहना व्यवहार्य नहीं होगा, क्योंकि एक तो नोटिस को स्वयं न्यायालय के समक्ष चुनौती दे दी गई है और मामला न्याय निर्णयाधीन है और दूसरे भारतीय मूल राष्ट्रीकता के अनिवासियों को निवेश की सुविधाएं देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र की वैधता की मैसर्स एस्कोर्टस ने जिस रिट-याचिका में चुनौती दी है, उस रिट में जीवन बीमा निगम को प्रतिवादी (रिस्पोडेंट) की हैसियत से शामिल किया गया है।

बैंक आफ बरौदा की बरौत शाखा से धन का कथित गबन

***200· श्री रामजी भाई मावणि : श्रीराम प्यारे पिनका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक औफ बड़ौदा की बरौत शाखा (इलाहाबाद) से लाखों रुपये का गोल-माल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने तथा इस मामले में अंतर्ग्रस्त अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने/निलम्बित करने/स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यह कार्यवाही कब तक किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उसकी बरौत शाखा के शाखा प्रबन्धक ने प्रक्रिया संबन्धी अनियमितताये बरती हैं और अपने विवेकाधिकारों का अतिक्रमण किया है। संबन्धित अधिकारी का तबादला कर दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासनिक की जा रही है।

ग्रामीण महाजनों का स्था लेने के लिए राष्ट्रीतकृत बैंकों के कार्यकरण का मूल्यांकन

*201. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर :**
श्री अजित कुमार साहा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महाजनों का स्थान लेने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन का मूल्याँकन किया है और इसे संतोषजनक पाया है :

(ख) यदि हां तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक भी सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारणों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन, एक निरन्तर प्रक्रिया है ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के तेजी से विस्तार के साथ-साथ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के वास्ते जोर दिये जाने से ऋणकर्ताओं का झुकाव धीरे-धीरे साहूकारों से हटकर बैंकों की ओर बढ़ रहा है।

पाकिस्तान को अमरीका से प्राप्त हुई सैनिक सहायता

2097. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को वर्ष 1985 के लिए अमीरीका से सैनिक सहायता के रूप में कितनी धनराशी प्राप्ति हुई है; और

(ख) इस पर सरकार की प्रति क्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1984-85 के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से 630 करोड़ अमरीकी डालर की आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त करनी है।

(ख) रक्षा तैयारी के लिए योजनाएं समय-समय पर अघतन करते समय सरकार ऐसी सभी गतिविधियों को ध्यान में रखती है।

सेना सांख्यिकी संगठन (आर्मी स्टेटिस्टीकल आर्गेनाइजेशन) में सरकारी वस्तुओं का दुरूपयोग

2098. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पूर्व सेना सांख्यिकी संगठन आर्मी स्टेटिस्टीकल आर्गेनाइजेशन) से दो पंचिग मशीनें एक निजी संस्थान में प्रयोग के लिए ले जाई गई थीं :

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों को कौन, कैसे और किन परिस्थतियों में बाहर ले गया तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसंधान और विकास संगठन के संगणक केन्द्र में बाहरी व्यक्तियों को "प्रोग्रामिंग" में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया था निर्धारित फीस नहीं ली गई और उन्हें फोटो लगे हुए पहचान-पत्र तथा प्रमाण पत्र जारी किए गये थे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार हुआ और सुरक्षा व्यवस्था के उल्लंघन और सरकारी वस्तुओं के दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेवार हैं तथा क्या इस मामले में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (के, पी. सिंह देव) : (क) से (घ) 14 सितम्बर, 1979 को थलसेना मुख्यालय के तत्कालीन थल सेना सांख्यिकीय संगठन का एक अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालय के गेट पर कार्यालय में चोरी-छिपे दो पंचिंग/बेरीफायर मशीनें लाने के लिए प्रयत्न करता हुआ पकड़ा गया था। इस सम्बन्ध में की गई जांच से पता चला है कि वह अधिकारी इन मशीनों को किसी गैर-सरकारी फर्म से मरम्मत करवाने के लिए उन्हें दिखाने के लिए ले गया था। उक्त कर्मचारी और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी जो अधिकारी मशीनें बाहर ले गया था उस पर बड़ी शास्ति आरोपित की गई थी और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों पर लघु शास्ति।

(ग) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन संगणक केन्द्र सामान्यत: शैक्षणिक संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों को ही प्रशिक्षण के लिए प्रवेश देता है। एसे प्रशिक्षार्थियों को किसी भी ऐसे औपचारिक पाठ्यक्रम के लिए नहीं भेजा जाता है जिसके लिए शुल्क लिया जाता है प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। इन प्रशिक्षार्थियों पर भी प्रवेश संबन्धी सामान्य सुरक्षा विनिमय लागू किए जाते हैं।

50 प्रतिशत साम्य पूंजी विदेशी कम्पनियों के पास होना

2100. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके 50 प्रतिशत अथवा अधिक सामान्य शेयर विदेशी निगमित निकायों के पास हैं और उन विदेशी नियंत्रक कंपनियों के नाम क्या हैं; उनके

मूल देश का नाम क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी राशि के सामान्य शेयर उनके पास हैं; और

(ख) ऐसी प्रत्येक कंपनी का व्यवसाय क्या है और उनके उच्चतम अधिकारियों के नाम तथा प्रत्येक कंपनी के व्यवसायिक मुख्यालयों के पते क्या हैं ?

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें धारित सामान्य शेयरों, धारक (होल्डिंग) कम्पनी के नाम, उसके मूल देश तथा कारबार के स्वरूप आदि जैसी बातों का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 7883/84**] मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नामों का ब्यौरा तथा कारबार के प्रधान स्थान का पता प्रत्येक वर्ष कम्पनियों के तुलन-पत्रों में नियमित रूप से दिया जाता है। यह सब जानकारी कम्पनी विधि बोर्ड के प्रादेशिक निदेशकों से भी प्राप्त की जा सकती है।

लघु तथा मध्यम समाचार पत्रों को राज्य व्यापार निगम से अखबारी कागज का कोटा न मिलना

2102. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र महासंघ के अध्यक्ष ने कहा है कि बहुत से लघु और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को राज्य व्यापार निगम ने उनका अखबारी कागज का कोटा नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और उन्हें अपना काम चलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) लघु और मध्यम समाचार पत्र उद्योग को बंद होने से बचाने के लिये उनको अखबारी कागज की सप्लाई विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जी हाँ।

एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। 1983-84 की आयात योजना के अनुसरण में लघु तथा मध्यम समाचारपत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एस० टी० सी० द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

महाराष्ट्र लघु क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले "निकिल" निर्माताओं का अभ्यावेदन

2103. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग नई दिल्ली को महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 'निकिल' के निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम उन्हें पर्याप्त मात्रा में निकिल की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वे निशेधात्मक (प्रोहिबिटिव) मूल्य पर खुले बाजार से इस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य हो रहे हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय को निकल की सप्लाई के लिये केवल एक अभ्यावेदन महाराष्ट्र स्थित एक एकक से प्राप्त हुआ है इस एकक को समय समय पर हकदारी के अनुसार निकल रिलीज कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) खनिज व धातु व्यापार निगम वास्तविक प्रयोक्ताओं की, जिन्होंने उनके साथ अपनी जरूरतें पंजीकृत कर ली हैं, वास्तविक जरूरतें पूरी करने के लिये नियमित रूप से निकल खनिज व धातु व्यापार निगम के सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को उनकी हकदारी के अनुसार और क्रमबद्ध रूप से निकल रिलीज कर रहा है जैसा कि पंजीकरण के समय पार्टियों ने बताया था।

विभिन्न राज्यों में हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण और उत्पादन के लिये केन्द्रों की स्थापना

2104. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा ऐसे अन्य संस्थानों ने हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण तथा उत्पादन के लिये विभिन्न राज्यों में केन्द्र स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और काश्मीर में स्थापित किये गये केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम निम्नलिखित अनुसार हैं :—

नाम	सं०
1. कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	119
2. कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम	56

सोवियत-भारत संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान

2105. **श्री नवीन रावणी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : आगामी भारत सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सोवियत संघ में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण संतोषजनक और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान अप्रैल, 1984 में होने की संभावना है।

प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना के लिये इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद का प्रस्ताव

2106. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद एक ऐसे प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना करने की योजना बना रही हैं, जो विशेष रूप से लघु क्षेत्र से संबंधित निर्यात के प्रयोजन से आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करेगा तथा समय-समय पर उसे अद्यतन भी करता रहेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैंक की रूप-रेखा सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दी गई हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रारम्भ में यह बैंक किन क्षेत्रों में कार्य करना शुरू करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के पास एक प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना करने की योजना है जिसमें विभिन्न बाजारों की प्रौद्योगिकी जरूरतों के लिये एक प्रणाली तैयार करने तथा उपयुक्त ढंग से प्रौद्योगिकी यन्तरण करने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) प्रस्तावित बैंक की रूपरेखा अभी ई० ई० पी० सी० द्वारा तैयार की जा रही है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद

2107. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में श्रेणी-वार कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या तथा प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद पिछले अनेक वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो श्रेणी-वार ऐसे पदों की संख्या कितनी है और ये कितनी अवधि से रिक्त पड़े हुए हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) 1-1-1984 को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 1278 तथा 153 थी जो कुल संख्या का क्रमश: 27·34% तथा 3.27% है ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद खाली पड़े हुए हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं—

वर्ष	आरक्षण	वर्ग				
		'क'	'ख'	'ग'	'घ' (स्वीपरों को छोड़कर)	'ङ' स्वीपर
1983	अनु० जा०	2	2	20	3	—
	अनु० जन० जा०	3	3	21	1	—
1982	अनु० जा०	—	—	2	—	—
	अनु० जन० जा०	—	2	25	—	7
1981	अनु० जा०	—	—	3	—	—
	अनु० जन० जा०	—	—	6	—	—

1	2	3				
1980	अनु० जा०	—	—	1	—	—
	अनु० जन० जा०	1	—	1	1	—
1979	अनु० जा०	—	—	—	—	—
	अनु० जन० जा०	—	—	1	—	—
1978	अनु० जा०	—	—	—	—	—
	अनु० जन० जा०	1	—	2	—	—
1977	अनु० जा०	—	—	—	—	—
	अनु० जन० जा०	—	—	1	—	—

(घ) आरक्षित पदों की रिक्तियां मुख्यत: उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण तथा कुछ श्रेणियों का पुनर्गठन किए जाने के परिणामस्वरूप कुछ पदों को आस्थगित रखे जाने के कारण उन पर भर्ती/पदोन्नति की वजह से भी खाली रहे।

रक्षा कार्मिकों और 'ग्रेफ' के सिविलियन कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों, ऊँचाइयों पर दिये जाने वाले राशन और वर्दियों का ब्यौरा

2108. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'ग्रेफ' के सिविलियन कर्मचारियों को ऐसे सभी कठिन शून्य से 30 से 40 सेंटीग्रेड नीचे बर्फीले क्षेत्रों और अत्यधिक ऊँचे क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है जहां कि रक्षा कर्मचारियों को देश की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है :

(ख) यदि हां तो 'ग्रेफ' के सिविलिनों को उन्हीं क्षेत्रों में 'ग्रेफ' में प्रति नियुक्ति पर काम करने वाले रक्षा कार्मिकों की ही तरह राशन, गरम कपड़ें और बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े आदि उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों, ऊँचाइयों आदि पर 'ग्रेफ' के सिविलियनों और रक्षा कार्मिकों को इस समय दिए जाने वाले राशन और कपड़ों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) जनरल रिजर्व

इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिक सड़कों के निर्माता और उनकी देखभाल करने के लिए मुख्यत: उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं। उनकी तैनाती के कुछ क्षेत्र अधिक ऊंचाई वाले और बर्फीले हैं। सीमा सड़क संगठन में जनरल रिजर्व इंजीनियरी फ़ोर्स और सेना के कार्मिक होते हैं जिन्हें राशन और वस्त्र मुहैया किए जाते हैं। जो कार्मिक जिस सेवा का होता है उसे सुसंगत समय में लागू प्राधिकरण की प्रमात्रा के अनुसार राशन और वस्त्र दिए जाते हैं।

2. सीमा सड़क संगठन में मुख्यत: जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स और सेना के ही कार्मिक होते हैं। इसलिये सेना और जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिकों को मौजूदा समय में मिलने वाली राशन और वस्त्रों की प्रमात्रा के प्राधिकरण के विवरण संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया . देखिये संख्या एल० टी० 7884/84] सेना कार्मिकों को तैनाती के स्थान की ऊंचाई और क्षेत्र के आधार पर अधिक ऊंचाई के लिए अधिक वस्त्र प्राधिकृत किये जाते हैं। ऐसे प्राधिकरण का ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

"ग्रेफ" में कर्मकार प्रतिकार अधिनियम

2109. **श्री एम०एम० लारेंस** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मकार की परिभाषा की (कर्मकार प्रतिकार अधिनियम में अधिनियम के अनुसार है) सशस्त्र सेनाओं के सदस्य जिसके अन्तर्गत नहीं आते, दिनांक 6 मई, 1983 को उच्चतम न्यायालय के इस फैसले की दृष्टि से कि "ग्रेफ" के सिविलियन कर्मचारी सशस्त्र सेनाओं के सदस्य हैं जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6 मई, 1983 के निर्णय के बावजूद "ग्रेफ" के सिविलियन कर्मचारियों की सेवा नियमों और शर्तों के अनुसार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम उन पर अभी भी लागू है; और

(ग) यदि नहीं, तो वैकल्पिक उपबंध क्या होंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आय पर अधिकतम कर का प्रतिशत

2110. **श्री ए.के. राय** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आय पर अधिकतम कितने प्रतिशत कर लिया जाता है और इस वर्ग में आने वाले आयकर दाताओं की संख्या कितनी है और 1983-84 और 1982-83 में कितनी धनराशि इस कर के रूप में प्राप्त हुई;

(ख) अन्य आयकर वर्गों से 1983-84 और 1982-83 में कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या भारत में आय पर भारी कर लगाया जाता है; यदि हाँ, तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे दूसरे देशों में आयकर से प्राप्त होने वाली सर्वाधिक धनराशि क्या है और इस बारे में विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० ए० कृष्णा) : (क) और (ख) प्रत्येक श्रेणी के कर-निर्धारितियों, उदाहरणार्थ व्यष्टियों (जिसमें अविभक्त हिन्दू परिवार, अपंजीकृत फर्म, व्यक्तियों के अन्य संगम अथवा व्यष्टियों के निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति शामिल हैं) निगमित कर-निर्धारितियों, पंजीकृत फर्मों और सहकारी सोसाइटियों आदि के सम्बन्ध में आय के विभिन्न खण्डों के लिए आयकर की दरें संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम में प्रति वर्ष निर्दिष्ट की जाती हैं जिन्हें वहाँ से देखा जा सकता है ।

जैसा कि वित्त अधिनियमों में दिखाया गया है, आय के विभिन्न खण्डों में कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में आंकड़े, और उनसे वसूल की गई कर की रकम के आंकड़े विभाग में नहीं रखे जाते । फिर भी, वित्तीय वर्ष 1982-83 में आय के विभिन्न खण्डों में आयकर निर्धारितियों की संख्या, जैसाकि आयकर आयुक्तों से एकत्र की गई है और तत्काल उपलब्ध है निम्न प्रकार से है :

आय खण्ड (रुपयों में)	आयकर निर्धारितियों की संख्या
कर लगने योग्य सीमा से नीचे	11,84,320
कर लगने योग्य सीमा से अधिक परन्तु 25,000/- तक	22,65,888
25,001/- से 5,00,000/- तक	9,74,628
50,001/-से 1,00,000/- तक	3,05,737
1,00,001 से 5,00,000/- तक	61,437
5,00,000/- से अधिक	5,250

वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान सभी श्रेणियों के कर-निर्धारितियों से वसूल की गई कर की रकम 3754.23 करोड़ रु० थी ।

(ग) प्रत्येक देश की कर-संरचना भिन्न है, क्योंकि आय पर की दरें, विभिन्न प्रकार की कर-रियायतें मंजूर करने के बाद लागू होती हैं । अत: विभिन्न देशों में कर की मूल दरों की तुलना करना पूर्णत: ठीक नहीं हो सकता । आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन निगमित और गैर-निगमित, दोनों कर-निर्धारितियों को अनुमत्य बहुत अधिक संख्या में दी जा रही रियायतों

को ध्यान में रखते हुए शायद यह कहना सही नहीं है कि भारतीय आय पर भारी कर लगाया जाता है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा चीन को लौह अयस्क का निर्यात

2111. **श्री डी० एस0 ए0 शिव प्रकाशम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने चीन को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने बेजिंग का दौरा किया और चीनी संगठन को दीर्घावधि आधार पर लौह अयस्क की आफर दी। यह आफर चीनी पक्ष के विचाराधीन है। इस बीच निगम ने चीनी क्रेताओं के साथ लौह अयस्क के 30,000 मे० टन के परीक्षण लदान के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि 1984 की अन्तिम तिमाही में पारादीप पत्तन से किया जायेगा।

विद्युत करघा वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

2112. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत करघा वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो हथकरघा उद्योग की अन्य समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) : जी नहीं।

(ग) हथकरघा उद्योग के सम्मुख आने वाली मुख्य समस्यायें हैं नियमित तथा समय पर कच्चे माल की सप्लाई, पर्याप्त ऋण सुविधाओं का अभाव और विपणन जहाँ तक यार्न का सम्बन्ध है, भारत सरकार हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए वित्तीय

सहायता देने की एक योजना चल रही है ताकि हथकरघा की सहकारी समितियों तथा निगमों की सप्लाई का नियमित साधन उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त, ऐसी आशा है कि राष्ट्रीय हथकरघा बुनकरों को अन्तर्निविष्ट साधनों, विशेष रूप से यार्न की अधिप्राप्ति तथा सप्लाई में भी सहायता करेगा । जहां तक विपणन का सम्बन्ध है, हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों द्वारा उत्पादित हथकरघा कपड़े की खुदरा बिक्री पर एक वर्ष में 60 दिन 20 प्रतिशत की दर से विशेष छूट दी जाती है जिसको केन्द्र तथा राज्य सरकारें बराबर वहन करेंगी । पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों के लिए विशेष छूट की दर चालू वित्तीय वर्ष से 25 प्रतिशत कर दी गई है । इसके अलावा 15 प्रतिशत की छूट, जो कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से ही वहन की जाती हैं, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाली थोक बिक्रियों पर देने की अनुमति है ।

विदेश यात्रा के लिए "वायर न्यूज" एजेंसियों प्रतिनिधियों को दी गई विदेशी मुद्रा

2113. **श्री सूरजभान** क्या **वित्त मन्त्री** विदेशी यात्रा के लिए "वायर न्यूज" एजेंसियों । प्रतिनिधियों को दी गई विदेशी मुद्रा के बारे में 2 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1641 के ऊपर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में तैनाती को छोड़ कर अन्य कार्यों के लिए यात्रा करने वाले "वायर न्यूज" एजेंसियों के प्रतिनिधियों चाहे वह पत्रकार हों अथवा गैर-पत्रकार, को विदेशी मुद्रा देने सम्बन्धी नियम क्या हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में "वायर न्यूज" एजेंसियों के प्रतिनिधियों को ऐसी यात्राओं के लिए कोई विदेशी मुद्रा दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में किस-किस एजेंसी के किन-किन प्रतिनिधियों ने कब कौन से देशों की यात्रा की तथा प्रत्येक मामले में कितनी और विदेशी मुद्रा दी गई; और

(घ) निम्नलिखित न्यूज एजेंसियों के प्रतिनिधियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: कुल कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गई :

(1) यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया ।

(2) प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया

(3) समाचार भारतीय और

(4) हिन्दुस्तान समाचार ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक आदि घटनाओं के बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए अथवा इसी तरह के अन्य विशिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में विदेश

जाने के लिए विदेशी मुद्रा जार करने के प्रयोजन के सम्बन्ध में तार समाचार एजेंसियों अर्थात् यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के प्रतिनिधियों को समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के पत्रकारों के समान सुविधा दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक जब इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि समाचार एजेंसी के प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा आवश्यक है। और विदेश में पहले से नियुक्त समाचार एजेंसी का प्रतिनिधि स्वयं इन घटनाओं के बारे में रिपोर्ट भेजने की स्थिति में नहीं है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे प्रत्येक मामले में गुणावगुण को ध्यान में रख कर विदेशी मुद्रा जारी कर दी जाती है। पत्रकारों की विदेश यात्राओं को अब व्यवसायिक यात्राओं के रूप में माना जाता है और अभ्यार्थी की उस संगठन में स्थिति के अनुसार विशेष मानदण्ड/सामान्य मानदण्ड के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7885/84]

(घ) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के प्रतिनिधियों की यात्राओं के सम्बन्ध में जारी की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया	समाचार भारती	हिन्दुस्तान समाचार
1980-81 अमेरिकी डालर 23,522 रुपए 66,250 रुपए=अमे० डालर 60	अमेरिकी डालर 10,915 रुपये 6,800	अमे० 1300 डालर	—
1981-82 अमे० डालर 26,721 रुपए 35,050 अमे डालर=रुपए 525 अमे० डालर=आस्ट्रेलियाई डालर 237.5 फीजी डालर 58	अमे०डालर 15,427 रुपए 750 अमे० डालर= आस्ट्रे० डालर 237.5 फीजी डालर 58	अमे० 1450 डालर	—
1982-83 अमे० डालर 18,685.5 रुपए 18,800 अमे० डालर=रुपए 54,000	अमे० डालर 6,720	अमे० डालर 550	—

पेंशन-भोगियों द्वारा बम्बई से दिल्ली तक पद यात्रा

2114 **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी पेंशन-भोगियों द्वारा बम्बई से नई दिल्ली तक "पद यात्रा करने और प्रधान मंत्री को इस आशय का ज्ञापन देने की मुद्रास्फीति के कारण उनकी पेंशन इतनी कम रह गई है कि वह सड़क अथवा रेल से यात्रा का किराया तक नहीं दे सकते, के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम० कृष्णा) : (क) और (ख) इस प्रकार की एक पद यात्रा के बारे में प्रेस की सूचनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। जब भी कोई ज्ञापन प्राप्त होगा तो उसमें उठाए गए प्रश्नों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

होटल कनिष्क के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को आवास सुविधा

2115. **श्री जी० त्राई कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल और जन पथ होटल जैसे भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों, विशेष रूप से हाउस मैन, रूम अटेंडेंट, रसोइये आदि को आवास दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि होटल कनिष्क में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) होटल कनिष्क के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने और उनके लिए आवास व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि उन्हें रात में देर तक ड्यूटी देनी पड़ती है; सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के बहुत से होटलों में, अनिवार्य और परिचालन स्टाफ को रिहायसी आवास को अलाटमेंट उसकी उपलब्धता के आधार पर की जाती है। स्थान के अभाव और वाणिज्यिक अपेक्षाओं के कारण भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कनिष्क सहित नए निर्मित होटलों में कोई स्टाफ क्वार्टर प्रदान करना संभव नहीं हो सका है। जिन कर्मचारियों को आवास नहीं दिया गया है, उन्हें निगम के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

एक रुपये और दो रुपये मूल्य के नए नोटों की छपाई

2116. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक रुपए और दो रुपये मूल्य के नए नोट छापने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मूल्य के कितने नोट छापने का विचार है; और

(ग) कम मूल्य वाले नोटों की वर्तमान कमी कब तक दूर हो जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) और (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य एक रुपए और दो रुपए के काम में न आ सकने वाले नोटों के बदले में नए करेंसी नोट छापने का उल्लेख कर रहे हैं। कतिपय नोटों को आगे परिचालन के लिए अयोग्य घोषित करने और उनको बदलने के लिए नए करेंसी नोट छापना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया जाता है। मुद्रण क्षमता पर दबाव के बावजूद, जहां तक सम्भव है कम मूल्य वर्ग के नोटों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का यह भी विचार है कि जनता को असुविधा पहुंचाए बिना इन नोटों को क्रमिक रूप में हटाकर सिक्कों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

आधार वर्ष में परिवर्तन

2117. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंग कि : क्या रुपए का मूल्य निम्नतम स्तर पर पहुंचने से पूर्व सरकार का विचार इसके आधार वर्ष में परिवर्तन करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : रुपए की क्रय शक्ति अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता औसत मूल्य सूचक अंक के व्युत्क्रम में मापी जाती है। श्रम मंत्रालय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक की संशोधित श्रृंखला जारी करने के प्रश्न की जाँच कर रहा है।

उत्पादन कराधान ढांचे में परिवर्तन के लिए फेडरेशन आफ एशोसिएशन्स आफ स्माल इंडस्ट्रीज इन इंडिया का अभ्यावेदन

2118. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को "फैडरेशन आफ एशोशिएशन आफ स्माल इन्डस्ट्रीज इन इण्डिया की ओर से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें लघु उद्योगों की तुलनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादन कराधान ढांचे में परिवर्तन करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) (क) और (ख) : फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया ने बजट से पहले भेजे गए अपने ज्ञापन में लघु क्षेत्र को दी गई छूट संबन्धी मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ उच्चतर उत्पादन प्रोत्साहन योजना में भी संशोधन किए जाने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं।

(i) विनिर्दिष्ट माल के बारे में मौजूदा सामान्य योजना छुट को और लघु क्षेत्र केलिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की पद 68 के बारे में योजना को उदार बनाना;

(ii) लघु क्षेत्र के लिए जिस विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में सामान्य छूट योजना लागू है उसकी सूची में "एअर कूलरों और रेफ्रिजरेशन मशीनरी, डाई-स्टफ और कास-मेटिक्स. को और नौ अन्य मदों को शामिल करना; और

(iii) इकतीस नई मदों पर उच्चतर उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू करना।

महासंघ ने वाष्प (इवैपोरेटिव) कूलरों सहित कुछ विशिष्ट जिंसों की शुल्क संरचना के बारे में कुछ सुझाव भी दिए हैं।

सरकार ने महासंघ की मांगों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया है कि लघु क्षेत्र के लिए मौजूदा छूट-सीमाओं में फेर-बदल नहीं किया जाए और लघु एककों के लिए छूट-योजनाओं ओर उच्चतर उत्पादन प्रोत्साहन योजना के निमित्त विनिर्दिष्ट उपयुक्त माल-सूची में किसी भी नई मद को शामिल नहीं किया जाए। दिनांक 1 मार्च, 1984 से वाष्प कूलरों पर मूल उत्पादन शुल्क को मूल्यानुसार 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है।

सीमा सड़क संगठन में उचित रसीद और प्राधिकार के बिना विभिन्न राशियां एकत्रित किया जाना।

2119. **श्री अजित बाग** : क्या रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन में उचित रसीद और प्राधिकार के बिना विभिन्न राशियां एकत्रित किए जाने के बारे में 18 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) "ग्रेफ', के गैर-सैनिक कर्मचारियों पर किस सांविधिक प्राधिकार के अन्तर्गत रक्षा सेवा विनियमों को लागू किया जा रहा है तथा विभिन्न राशियां एकत्रित की जा रही है;

(ख) प्रत्येक निर्माण/परियोजना, कृत्य बल, यूनिट और सब यूनिट आदि सहित अब तक विभिन्न राशियों को ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों को उचित रसीद दी जा रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या धनराशियों का उचित रख रखाव किया जा रहा है और उसे लेखा बद्ध किया जा रहा है;

(च) क्या ये विभिन्न रेजीमेंट राशियां "ग्रेफ" में ऋण पर लिए गए तथा वहां कार्य कर रहे रक्षा कार्मिकों से एकत्रित की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) महानिदेशक सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन विभिन्न निधियां एकत्रित की जाती हैं।

(ख) 30 सितम्बर, 1983 को स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०7886/84]

(ग) से (ङ) : वसूल किए गए अंशदान का रोकड़ बही/रजिस्टर में लेखा रखा जाता है और अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उसका लेखा-परीक्षा किया जाता है। प्रत्येक अंशदाता को रशीद जारी करना प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(च) जी हां।

(छ) सेना कार्मिकों से वसूल की गई राशि भी ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित विवरण में शामिल की गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोला जाना

2120. **श्री रेणुपद दास : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण, बैंक की शाखाओं पर नियन्त्रण रखने संबंधी समिति ने जनशक्ति, योजना, पदोन्नति सम्बन्धी पदों का सृजन, भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण और शाखाओं के ग्रेडेशन के मामले में क्या सिफारशें की हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अब तक क्या कार्यवाही की है कि 150 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 7,000 शाखाओं के कार्यकारण में सुधार करना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों का

सम्बन्ध इन बैंकों की शाखाओं के नियन्त्रण के विभिन्न पहलुओं से है । इन सिफारिशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं से कुछ प्रकार की विवरणियां/विवरण मंगाये जाने, विवरणियों के प्रारूप और उनकी आवर्तता ऋण मंजूर करने के मामले में शाखा प्रबन्धकों के विवेकाधिआरों के निर्धारण, रोकड़ की सुरक्षा रोकड़ तथा मूल्यवान वस्तुओं के बीमे के सम्बन्ध में समान विधियों, बैंकरों की क्षति पूर्ति पालिसी आदि और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे तथा स्टाफ के ढांचे की बात कही है ।

भारतीय रिजर्व बैंक/ राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और सरकार ने इस समिति की बहुत-सी छोटी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं जिनका सम्बन्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के परिचालनों के नियंत्रण से है ।

संगठनात्मक और स्टाफ के ढांचे के सम्बन्ध में समिति ने प्रधान कार्यालय के स्टाफ के लिए दो प्रकार के ढांचों की सिफारिश की है । एक प्रकार का सम्बन्ध उन बैंकों से है जिनकी शाखाएं 50 तक हैं और दूसरे का सम्बन्ध 50 से अधिक शाखाओं वाले बैंकों से है । समिति ने नियंत्रण और प्रशासनिक सुविधा के विचार से क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की भी सिफारिश की है । जहां तक शाखाओं में स्टाफ के ढाँचे का सम्बन्ध है समिति ने बकाया जमा राशियों और अग्रिमों की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण का सुझाव दिया है । समिति ने बड़ी शाखाओं के शाखा प्रबन्धकों के लिए विशेष भत्ते की भी सिफारिश की है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक और स्टाफ के ढांचे के बारे में सरकार ने समिति की सिफारिशें अभी स्वीकार नहीं की - क्योंकि इनका और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थ-क्षमता के प्रश्न के बीच गहरा सम्बन्ध है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशों से पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने और आन्तरिक पर्यटन के संवर्धन के लिए विशेष अध्ययन

2121. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने आवास, खाद्य और यात्रा के मामले में विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं पर कोई विशेष अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन यातायात को बढ़ाने के लिए देश के पर्यटन उद्योग में संवर्धन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) आंतरिक पर्यटन के विकास के लिए सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) **और** (ख) : अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के ठहरने की अवधि और उनके द्वारा इस देश के जिन-जिन स्थानों की यात्रा की जाती है उनका पता लगाने के लिए पर्यटन विभाग आवधिक रूप से विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण करता है। इन सर्वेक्षणों क दौरान विदेशी पर्यटकों से साक्षातकार किया जाता है, जिसमें आवास, भोजन और यात्रा सहित हमारी आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया/अनुक्रिया और भारत में पर्यटक के रूप में उनके रवैयों तथा प्रेरक-प्रयोजनों के बारे में पूछताछ की जाती है। देश के ऐसे विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के लिए जिनकी विदेशी पर्यटक अक्सर यात्रा करते हैं, पर्यटक सुविधाओं का आयोजन करते समय इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है।

(ग) पर्यटन का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में किए गए उपायों में ये शामिल हैं—आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास, पर्यटक आवर्षणों का विस्तार, समुद्र-तट विहार-स्थलों, वन्यजीव विहार-स्थलों, आदि का विकास राष्ट्रीय विरासत के क्षेत्रों का सुधार और संरक्षण, आदि। चार्टर ट्रैफिक का संवर्धन करने, सेवाओं और मार्गों दोनों दृष्टियों से वायु-परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समागमों की मेजबानी करने आदि के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौनान शुरू किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों को इसी उद्देश्य से गठित एक वर्किंग ग्रुप द्वारा, अंतिम रूप दिया गया जा रहा है।

(घ) जबकि अंतरिक यात्रा का संवर्धन करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है, फिर भी संसाधनों पर प्रतिबंध और परस्पर प्राथमिकताओं की शर्तों पर निर्भर करते हुए, जब कभी भी जरूरी होता है केन्द्रीय सहायता दी जाती हे।

निर्यातकों द्वारा शत-प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध

2122· **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों के एक समूह द्वारा सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि आर्डरों को पूरा करने के लिए उनको 100 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, निर्यात ऋणों की व्यवस्था करने वाले सम्बद्ध में सरकारी प्रशासनिक विभागों को निर्यातकों के किसी ग्रुप से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) और (घ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

पोलीथीन, पोली प्रेपलीन कम्पाउन्ड्स का आयात

2123· **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान "लो डेनसिटी पोलीथीन" हाईडेनसिटी पोलीथीन" तथा पी वी सी पोलो प्रेपलीन कम्पाउन्डस की कितनी कितनी मात्रा का आयात किया गया था ।

(ख) क्या आयात बंद करके इन कम्पाउन्ड्स का निर्माण देश में ही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) 1981-82 के आयात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । 1981-82 से बाद के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) :—इन कम्पाउन्डों का देश में उत्पादन होता है। तथापि स्वदेशी उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 1984-85 के दौरान पी वी सने उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है क्योंकि इन्डियन पैट्रो-कैमिकल्स लि० का एक संयत्र आरम्भ होने वाला है। 1984-85 के दोरान एल डी पी ई, एच डी पी ई और पोली प्रोपीलीन के स्वदेशी उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी क्योंकि कोई नये संयत्र स्थापित नहीं हो जा रहे हैं।

विवरण

क्रमांक	मदों का विवरण	मात्रा में० टन में 1981-82
1.	**पोलीयथीलीन**	
(1)	पालिथीलीन रीजन तथा कम्पाउन्ड्स हाई प्रैशर (लो डेन्सिटी)	2121
(2)	पोलीथीलीन रेजिन तथा कम्पाउन्ड्स लो प्रेशर (हाई डेन्सिटी)	25963

(3) अन्य सभी	1618
(4) पोलिथीलीन की छड़े तथा ट्यूबें	1
(5) अन्य	61
(6) पोलिथीलीन की चादरें	6
(7) अन्य	237
(8) वेस्ट तथा कतरनों की शक्ल में पोलिथीलीन	10
योग	30017

2. **पोलीप्रोफिलीन**

(1) प्रारम्भिक रूप में पोलिप्रोफिलीन	1694
(2) प्लेटों, चादरों, फिल्म फोयल अथवा स्ट्रिप के रूप में पोलिप्रोफिलीन	662
(3) अन्य रूपों में पोलिप्रोफिलीन (वेस्ट तथा करतनें शामिल हैं)	229
योग	2585

3. **पोलिविनाइल क्लोराइड**

(1) पोलिविनाइल क्लोराइड (पी वी सी) कम्पाउन्ड	2464
(2) पोलिविनाइल क्लोराइड (पी वी सी) रेजिन अमलशन मैथड़ द्वारा	62766
योग	66954

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टक्स आफ दि फारन ट्रेड आफ इंडिया खण्ड-2 आयात ।

नया रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय खोलने पर किया गया व्यय

2124· **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में गत तीन वर्षों के दौरान नये रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय खोलने पर कितना व्यय किया है;

(ख) क्या शिकायतें कम कर दी गई हैं जिसके लिए ये नये कार्यालय खोले गए हैं;

(ग) क्या आई डी ए के अधिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बनाने हेतु ऐसे कार्यालय खोले जा रहे हैं;

(घ) क्या सभी स्थानों पर कर्मचारियों द्वारा ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध रोष व्यक्त किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार कर्मचारियों में रोष, गड़बड़ी करने और निराशा की भावना को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए नियंत्रक रक्षा लेखा के नए कार्यालयों में से केवल एक कार्यालय किराये पर लिए गए आवास में कार्य कर रहा है जिस पर करीब 14,000/= प्रतिमास खर्च हो रहा है। इसके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था आन्तरिक व्यवस्था से की गई है। जहां तक इस कार्यालय को चलाने से सम्बन्धित अन्य खर्चों का सम्बन्ध है, ये खर्चे स्वीकृत बजट से ही पूरे किए जाते हैं। इसके लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : ये कार्यालय रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले गए थे क्योंकि रक्षा लेखा विभाग एक सर्विस विभाग है।

(घ) और (ङ) : अत्यधिक कार्य और कार्मिकों के स्थानान्तरण के भय के आधार पर इन कार्यालयों में से केवल एक कार्यालय खोलने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक कार्मिकों का काम का बृहत रूप में कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ है।

पी० एन्ड० ओ० स्टीम नैविगेशन कम्पनी लिमिटेड, लन्दन द्वारा शेयरों की बिक्री

2125. **श्री मोती भाई आर० चधौरी** : क्या वित्त मंत्री पी० एंड ओ. नैविगेशन कम्पनी लिमिटेड, लन्दन द्वारा शेयरों की बिक्री के बारे में 26 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मैकनिन मैकेन्जी एण्ड रनदीप कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामलों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने कम्पनियों के अधिग्रहण के बारे में श्रमिकों की मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या इन कम्पनियों का कार्यभार भारतीय नौविहन निगम को सौप दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) मैकिनन मैकैन्जी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध जो पड़ताल चल रही थी, वह पूरी हो चुकी है और विदेशी मुद्रा विनियनन अधिनियम 1973 के उपबंधों के अन्तर्गत निर्णय प्रयोजन सम्बन्धी कार्यवाही होने के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों त्याग दिया गया है । शिपिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेट के विरुद्ध पड़ताल आंशिक रूप में पूरी कर ली गई है और दो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं । इन दोनों नोटिसों के सम्बन्ध में निर्णय प्रयोजन मूलक कार्रवाही होगी ।

(ख) से (घ) : नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कम्पनी के कार्मिकों की ओर से, इसे हस्तगत (टेक ओवर) कराये जाने के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । और भारतीय नौवहन निगम को इस कम्पनी का कारबार नहीं सौपा गया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम्प्यूटरों का प्रयोग

2126. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में इस समय कितने और किस प्रकार के कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है और आगामी दो-तीन वर्षों के दौरान उनके प्रयोग का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है :

(ख) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने और किस प्रकार के कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है ।

(ग) क्या नवम्बर, 1983 में बैंक कर्मचारी संघ और उनके मंत्रालय के बीच कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी एक करार पर हस्ताक्षर किए गये थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यदि नहीं, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) भारतीय रिजर्व बैंक में इस समय प्रयोग में आ रहे कम्प्यूटरों तथा अगले 2-3 वर्षों के दौरान उनके प्रस्तावित विस्तार के ब्यौरे विवरण-I में दिए गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 788/84**] ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा कारपोरेशन बैंक जैसे कुछ ही बैंकों ने परिसरों के अन्दर कम्प्यूटर लगाएं हैं । ऐसे कम्प्यूटरों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं

है । कुछ बैंकों द्वारा इस समय माइक्रो प्रौसैसिंग मिनी कम्प्यूटर लगाए गए हैं । विभिन्न बैंक वेतन चिट्ठे, भविष्यनिधि, अन्त: शाखा समाधान, तुलनापत्र आदि से संबंधित अपने कार्य के वास्ते बाहरी एजेंसियों से कम्पयूटर टाइम खरीद रहे हैं ।

(ग) और (घ) 8 सितम्बर, 1983 को 58 बैंकों के प्रबंधकों ने जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय बैंक संघ करता है तथा कर्मकारों के तीन बड़े संघों अर्थात् आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, नेशनल कन्फैडरेशन आफ बैंक एम्प्लाइज और इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लाइज कांग्रेस के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों में कम्प्यूटरीकरण तथा यंत्रीकरण का विषय भी शामिल है । करार के सम्बन्ध उद्धरण विवरण-II में दिए गये हैं । [**ग्रंथालय में रखे गए । देखिए एल० टी० 7837/84**] बैंकों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटरों को निर्धारित करने लगाने के वास्ते कार्रवाई आरम्भ की है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रतिरक्षा

2127. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंकिंग सेवा में दिनांक 1 मार्च, 1984 को वास्तविक रूप से भरे हुए पदों की प्रतिशतता की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) इन श्रेणियों में आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं तथा क्या क्या नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में 40-पोइंट रोस्टर प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के संवर्ग में भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाते हैं । लिपिकीय और अधीनस्थ संवर्गोंके लिए आरक्षण का प्रतिशत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किए गये प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है । बैंक इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रोस्टर रखते हैं ।

1 जनवरी, 1983 को, बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रतिशत के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

पद-वर्ग	कुल कर्मचारी	अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के कुल कर्मचारी	अनु० जातियों/अनु०-जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत
अधिकारी	107971	7133	6.6%
क्लर्क	227671	33762	14.8%
सब-स्टाफ	88917	24094	27.1%

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इन प्रत्याशियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं, अधिकतम आयु सीमा और आवेदन-शुल्क में छूट जैसी रियायतें दी जाती है। इन प्रत्याशियों के संबंध में निर्णय रियायती मानकों के आधार पर किया जाता है और इंटरव्यू बोर्डों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों का एक प्रतिनिधि होता है। बैंक और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड बकाया आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए और जहां आवश्यक हो, वहां केवल अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए विशेष भर्ती परीक्षा करने के लिए ठोस उपाय कर रहे हैं।

पाकिस्तान-सउदी अरब संयुक्त रक्षा समझौता

2128· **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब तथा खाड़ी देशों के मित्र राष्ट्रों के साथ एक संयुक्त रक्षा समझौता किया है, जिसमें पाकिस्तान को सामरिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार के अत्यधिक लाभ देने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत की सुरक्षा तथा रक्षा तैयारी विशेषत: राजस्थान की सीमा वाले पश्चिमी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराया है; और

(ग) सीमा के इस भाग को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) से (ग) सरकार ने कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं। लेकिन इस बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं हैं। रक्षा तैयारियों के लिए योजनाएं अध्यन करते समय देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर समुचित कर्रवाई करने के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण करती है।

प्रशीतित तूना मछली का निर्यात

2129· **श्री मनमोहन टुडू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रशीतित तूना मछली का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1984-85 में इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम क्रियान्वित करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) से (ग) :—राज्य व्यापार निगम ने वाणिज्यिक मात्स्की के लिये एक संयुक्त उद्यम और बाद में ट्यूना मछली के निर्यातों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में मुख्यतः भारतीय जलाशयों में अनन्य आर्थिक श्रेत्र में ट्यूना मछली के संसाधनों का पता लगाने के लिए एक प्रयोगिक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है इस प्रस्ताव को सहायता संबन्धी सभी बातों को अन्तिम रूप दिये जाने की शर्त के अध्ययधीन सिद्धान्त मान लिया गया है।

एक रुपये के नोटों की क़मी

2130· **श्री राम लाल राही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रुपये मूल्य के नोटों की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली तथा अन्य शहरों में आम आदमी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एक ही खिड़की से नए नोट बदल कर दिए जाते हैं; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है और क्या उन्हें अलग अलग खिड़कियों से करेंसी नोट देने की कोई सुविधा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)

(क) और (ख) : कुछ समय से एक रुपये के नोटों की पूर्ति सरकार द्वारा अपैल 1982 में इन्हें क्रमिक रूप में एक रुपये के सिक्कों से प्रतिस्थापित करने के निश्चय के सन्दर्भ में सीमित कर दी गई है। कमी को पूरा करने के लिए एक रुपये के सिक्कों और इसी के साथ दो रुपये के सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कर्यवाही शुरू की जा चुकी है। जनता की सुविधा न होने देने के लिए क्रमिक रूप में एक रुपये के नोटों को हटाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली कार्यालय में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एक रुपये के नोट जारी करने के लिए एक अलग खिड़की (काउन्टर) की व्यवस्था की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य किसी कार्यालय में इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं किया जाता क्योंकि

इस संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तियोंसे प्राय: कोई अनुरोध नहीं किया जाता । तथापि जब कभी ऐसा अनुरोध किया जाता है, तब सम्बद्ध महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विषयांन्तरगत नोट जारी करने के लिए प्रबन्ध किए जाते हैं ।

फाल्टा में मुक्त व्यापार क्षेत्र

2131. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाल्टा में एक बहु-उत्पाद मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो फाल्टा में किन-किन उत्पादों का व्यापार होगा और

(ग) इसे प्रारम्भ करने में कितना समय लगेगा और इसे सफल उद्यम बनाने के लिए अन्य संबंधित प्राधिकारियों उदाहरणार्थ कलकत्ता कलकत्ता पत्तन, न्यास, नौवहन कम्पनियों, सीमा शुल्क और बैंकों के परामर्श से क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार ने फालटा में पहले ही एक बहु-उत्पाद निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का निश्चय किया है । चूंकि यह एक बहुउत्पाद क्षेत्र होगा अत: इसमें इन्जीनियरी/रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, वसा, चमड़ा, इलैक्ट्रोनिकी जैसे अनेक निर्यात उत्पाद उत्पादित किये जायेंगे । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों के अनुसरण में साइट स्लैक्शन तथा एप्रूवल कमेटी ने फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थान को पहले ही अनुमोदित कर दिया है । उपरोक्त जोन में उद्योग लगाने के लिये सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के वास्ते फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के नाम से सरकार ने एक अन्त:मंत्रालय निकाय गठित किया है । इसके अलावा, फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना में गति लाने के लिए सभी प्रमुख नीति संबंधी विषयों को निपटाने के वास्ते वाणिज्य राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में सरकार ने फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण भी गठित किया है । इस उच्च स्तरीय प्राधिकरण में उद्योग मन्त्री, प० बंगाल, आर्थिक कार्य, व्यय, औद्योगिक विकास, इलैक्ट्रानिकी, नागर विमानन तथा जहाजरानी तथा परिवहन विभागों के सचिवों और साथ ही रेलवे बोर्ड, पी० एण्ड टी० बोर्ड, केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा-शुल्क बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि आदि हैं ।

एयर इन्डिया को किराये पर आवास देने वाले मकान मालिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा

2132. **श्री बिगम्बर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** 19 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4214 का उत्तर देते समय दिए गए आश्वासन की पूर्ति में

21 नवम्बर, 1983 को सभा पटल पर रखे गए विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया द्वारा किराए पर लिए गए आवासों और उनके बाजार किराये तथा प्रथम श्रेणी के मानार्थ टिकटों सहित एयर इंडिया द्वारा अदा किए गए किराए का ब्यौरा क्या है और इन टिकटों की कीमत क्या है और क्या यह टिकट प्रत्येक वर्ष दिये जाते हैं अथवा दो वर्षों के कालान्तर पर दिए जाते हैं या लीज की अवधि में केवल एक बार दिए जाते हैं; और

(ख) 1983-84 के दौरान एयर इंडिया द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा के प्रावधान सहित किराए पर लिए गए और स्थान, इसके बाजार किराये तथा मानार्थ टिकटों के साथ एयर इन्डिया द्वारा अदा किए जाने वाले किराए तथा उन टिकटों की कीमत का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एयर इन्डिया द्वारा किराये पर लिए गए आवास के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है, जिसमें आवास के मालिक को किराए के एक अंश के रूप में प्रथम श्रेणी की टिकटें देनी होती हैं :—

आवास के मालिक का नाम	: श्री डी० आर० वडेरा
आवास ब्यौरा	: सफदरजंग एन्क्लेव में 4 फ्लैट
दिया गया किराया	: 4,000 रुपये प्रति मास
मौजूदा मार्केट किराया	: 16,000 रुपये प्रति मास

करार के अनुसार एयर इन्डिया द्वारा आवास के मालिक को दिल्ली/लंदन/दिल्ली क्षेत्रक पर प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी की तीन टिकटें तक देनी होती हैं। दिल्ली/लंदन/दिल्ली के लिये प्रथम श्रेणी के एक टिकट का मौजूदा मूल्य 28,168 रुपये है।

(ख) वर्ष 1983-84 में एयर इन्डिया ने अपने पालन के उप-प्रबन्धक के लिए रिहायशी आवास किराये पर लिया, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है—

आवास का ब्यौरा	: गुलमोहर पार्क में फ्लैट
प्रतिमास किराया	: 1,375 रुपये प्रतिमास
मौजूदा मार्किट किराया	: 2,500 रुपये प्रतिमास
परिवहन	: माट्रियल/भारत/माट्रियाल क्षेत्रक पर इकानमी क्लास का एक टिकट प्रति वर्ष। माट्रियाल/भारत/माट्रियाल क्षेत्रक पर मौजूदा 'इकानमी क्लास' किराया' 18,484 रुपये है।

वेलिंगटन छावनी बोर्ड में कुप्रबन्ध तथा दुराचार

2134. **श्री ए० नीलालोहियापुसन नाडार** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विलिंगटन छावनी बोर्ड में कुप्रबन्ध तथा दुराचार सहित विभिन्न मामलों पर शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं जिससे निवासियों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) रक्षा भूमि और छावनी प्राधिकारी शिकायतों/सुझावों की जाँच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आवश्यकता होने पर, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोला जाना

2135. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 में मध्य प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएँ खोलने का विचार किया गया है;

(ख) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में किन-किन स्थानों पर नई शाखाएं खोलने का विचार किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहयोगी बैंकों और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कार्यालय खोलने के वास्ते 121 प्राधिकार-पत्र हैं। मार्च, 1985 की समाप्ति से पहले इनका प्राधिकार पत्रों का क्रमबद्ध उपयोग कर लिया जायेगा। केन्द्रवार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में कार्यालय खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहयोगी बैंकों और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास पड़े प्राधिकार पत्रों का विस्तृत विवरण

जिला	केन्द्र	जिला	केन्द्र
1. बालाघाट	1. भोरगढ़	2. बस्तर	2. बोधघाट एल० पी० ई० बी० कालोनी

3. बेतुल	3. खामरिया	7. छिदवाड़ा	27. डोंगरिया
	4. रानीपुर		28. पेंचलसुपर पावर थर्माल प्रोजेक्ट सिंहोर
	5. सारणी		
	6. सोल्हापुर (पठाखोरा)		29. उछ
		8. दतिया	30. सिंघाना
	7. मन्दिर		31. आड
	8. चिरापतला		32. नालचा
	9. बिरजदेही	9. धार	33. भिलाई फैक्ट्रीरी क्षेत्र .के अन्दर
4. भिंड	10. मन्हट		
	11. अक्लोनी	10.दुर्ग	34. भिलाई सैक्टर-6
5. भोपाल	12. भोपाल विश्व विद्यालय का नया क्षेत्र होशांगलाड रोड		35. दुर्ग
			36. देवकार
			37. भिलाई नेहरूनगर
	13. भोपाल एल. एच. ओ.	11. पूर्वी निमाड़ क्षेत्र	38. सिहाडा
	14. भोपाल-एरिया हिल्स		39. खंडवा-बम्बई बाजार,
	15. मेजर शापिंग सेंटर हबीबगंज एरिया भोपाल		40. बुरहानपुर गांधी चौक
			41. ग्वालियर मयूर मार्किट
	16.भोपाल हबीबगंज	12. ग्वालियर	42. भाल्का
	17.भोपाल प्रो० कालोनी		43. ग्वालियरस्टेशन रोड
	18. भोपाल कस्तूरबानगर		
	19. भोपाल हबीबगंज		44. ग्वालियर छतरी बाजार
	20. भोपाल-गौतमनगर		
	21 भोपाल शाहजांबाद		45. सुखलहरी
	22भोपाल-रायल मार्किट हमीदा रोड	13. इंदौर	46. इन्दौर पालसिया
			47. सेमलिया चाउ
6. बिलासपुर	23. लखरन		48. इंदौर परिवहन नगर
	24. होस्टदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा	14. जबलपुर	49. इंदौर कनाडिया रोड
	25. कारकोम		50. भाजिया
	26. बिलासपुर बुधवारी मार्किट		51. इमराय
			52. चोरई

	53. जबलपुर नया गांव		79. रायपुर औद्योगिक क्षेत्र
	54. कन्वाड़ा		
14. जबलपुर	55. दियौरीहाटी		80. रायपुर बायरन बाजार
	56. कोदिया		
	57. जबलपुर-मिलोंनगंज		81. रायपुर सिविल लाईन
	58. केलवास		
	59. केलवारा क्लान	19. राजगढ़	82. सलादिया
	60. जबलपुर-फोरहासा मार्किट	20. रतलाम	83. रतलाम-मनेक चौक
		21. रेवा	84. सागारा
	61. लम्काना		85. कटरा
	62. जबलपुर-बखतीपुर		86. रेवा मैन बाजार
	63. जबलपुर-क्यंगा		87. रेवा-एपी एस
15. मुरैना	64. बडखेड़ा		विश्वविद्यालय (वि-निमय काउंटर उच्च वर्गीकरण)
	65. किचेंल		
	66. इक्लोड		
	67. बाईचोला	22. सागर	88. सागर
	68. नियोती		89. चूला
	69. नूराबाद औद्योगिक क्षेत्र	23. सतना	90. सतना
		24. सिहोर	91. दोडी
16. नरसिंहपुर	70. सरसाला		92. बयान
	71. ब्रीजपुर		93. नैंदनेर
	72. वीक्रमपुर स्टेशन		94. भानवाड़ा
	73. बनवारी		95. सिंदिकगंज
	74. भाभा		96. निपानिया कलां
17. रायगढ़	75. मुदुमकेला		97. खेड़ी
	76. विजयनगर		98. चेतानेर
18. रायपुर	77. खोरपा		99. नपला खेड़ी
	78. धामतरी	25. सियौनी	100. गणेश गंज

	101. धपोड़ा		112. खर्गापुर
26. सहदौल	102. रसमोहनी	30. टिकमगढ़	113. उज्जैन-अरविंदनगर
	103. प्यारी		आगरा रोड़
	104. अमलई कोयला खान	31. उज्जेन	114. मोलाना
	105. सहदौल-सोहागपुर		115. एटावा
27. शिवपुरी	106. बगीचा करेनी	32. विदिशा	116. हैदरगढ़
28. सिद्धी	107. हनुमानगढ़		117. वधा
	108. कामरजी		118. खादेह
	109. जयनगर-विंधाचल		119. मुगलसराय
	सुपर थर्मल पावर		120. शहरखेड़ा
	110. अमलौरी		121. बारवई
29. सुरगूजा	111. खडगावन		

विशेष धारक बांड के बाजार मूल्य में गिरावट

2136. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष धारक बांडों के बाजार मूल्य में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है 'इन्डियन एक्सप्रेस' 12 फरवरी, 1984;

(ख) क्या यह सच है कि जैसा कि आरोप है यह गिरावट आयकर छापों को रोके जाने के कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक नई धारक बांड योजना लाने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विशेष धारक बाण्डों का बम्बई शेयर बाजार में अधिकृत रूप में व्यापार नहीं होता इसलिए इनकी दैनिक मूल्य-दरों मेंइनका उल्लेख नहीं होता।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देने की उदार नीति संबंधी मार्ग निदेश

2137. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को केन्द्र तथा राज्यों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण उपलब्ध ऋण कराने के लिए देने की उदार नीति अपनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो नए मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने के मानदण्ड और नई प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या ये मार्गनिर्देश बैंकों द्वारा ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित उनकी शाखा कार्यालयों में परिचालित किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो शाखाओं द्वारा ऋण मंजूर करने और देने में विलंब के क्या कारण हैं; यद्यपि इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश हैं; और

(ङ) इस प्रकार का विलंब न होने देने के लिए उन्हें मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं की सहायता करने के प्रस्तावों के अलबा सरकारी क्षेत्र के बैंक शिथिल बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को गरीबी की रेखा से उपर उठाने के लिए सहायता प्रदान करने तथा छोटे और सीमांतिक किसानों को लघु सिंचाई, कृषि सम्बन्धी निविष्टियों आदि में सुधार करने के मामले में सहायता करने के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं ।

समाज के कमजोर वर्गों के हिताधिकारियों की सहायता करते समय बैंक मुख्य रूप से प्रस्तावित धंधों की अर्धक्षमता तथा साख पर विचार करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे ऋणकर्ताओं के आवेदन जल्द निपटा दिये जाएं; बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शाखा प्रबन्धकों को ऋण मंजूर करने के पर्याप्त अधिकार हों और 10 हजार रुपए से कम के छोटे ऋणों के आवेदन 3/4 सप्ताह के अंदर निपटा दिए जाएं। लेकिन कई बार आवेदनों के इकट्ठा हो जाने, स्टाफ की कमी होने के कारण आवेदनों के निपटाने का काम बच जाता है। बैंकों से ऐसी समस्या-मूलक शाखाओं/क्षेत्रों की जाँच करने और इस प्रकार इकट्ठे हो गए। बकाया काम को निपटाने के लिए विशेष दस्ते नियुक्त करने के लिए कहा गया है ।

हिमालय चाय अनुसंधान केन्द्र का खोला जाना

2139. **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पास हिमालय चाय अनुसन्धान केन्द्र खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव और सुझाव विचाराधीन था;

(ख) यदि हां तो उक्त केन्द्र के कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त केन्द्र को स्थापित करने हेतु स्थानों के चयन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पिथौरागढ़ के बेरीनाग अथवा चम्पावत को चुनने पर विचार करने का है।

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एल्यूमिनियम का आयात

2139. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष से देश में एल्यूमिनियम की भारी कमी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप हजारों उपभोक्ता उद्योग घाटा उठा रहे हैं और प्रिमीयम 7000 रुपए तक प्रतिटन बढ़ गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर/नवम्बर 1983 में खान और वित्त मंत्रालयों ने 24,000 टन एल्यूमिनियम का तत्काल आयात करने की स्वीकृति दी थी;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक है तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इतना समय क्यों लिया है जिससे देश के विकास को सामान्य रूप से और अनेक संकटग्रस्त उद्योगों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा की है जिन्हें रोजगार से वंचित किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति बिठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एल्यूमीनितम स्कैल्टरों पर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की कटौती से एल्यूमीनियम के उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप घरेलू उपयोग के लिए एल्यूमीनियम की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है। ई० सी० किस्म के एल्यूमीनियम की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आई है जबकि सी जी किस्म के एल्यूमीनियम की उपलब्धता तथा मांग में कुछ कमी आई है।

(ख) अल्यूमीनियम की मांग और उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिए एम० एम० टी० सी० जो सारणीकरण अभिकरण है, को 1983-84 के दौरान 30,000 मे० टन अल्यूमीनियम आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ग) आयात की व्यवस्था करने के लिए एम० एम० टी० सी० की ओर से कोई विलम्ब नहीं था। आवश्यक क्लियरेंस स्वीकृति मिलने पर तत्काल एम० एम० टी० सी० ने आयात करने

के लिए कदम उठाया। एम० एम० टी० सी० को प्राधिकृत करने की तारीख तथा भारतीय पत्तन पर माल पहुंचाने के बीच लगभग 3 से 31/$\frac{1}{2}$ महीने का सामान्य समय था। एम० एम० टी० सी० द्वारा दिए गए आर्डरों पर निर्दिष्ट समय पर पहुँचा रहा है और वास्तविक प्रयोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हुबली (कर्नाटक) में हवाई अड्डे का निर्माण

2140. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुबली में हवाई अड्डा बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया है;

(ख) क्या हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आकलन तैयार करने हेतु एक सरकारी दल को कर्नाटक भेजा गया है और;

(ग) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे के निर्माण में कितना समय लगेगा और भारतीय विमान कम्पनियों में से किस कम्पनी का विमान इस हवाई अड्डे में उड़ान भरेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) इंडियन एयरलाइन्स की सिफारिश पर, एच० एस० 748 के सम्भावित प्रचालन के लिए हुबली में एक विमान क्षेत्र के निर्माण को 1974 में स्वीकृति दी गई थी। बाद में ईंधन की कीमतों के बहुत अधिक बढ़ने के कारण जिससे प्रचालन अविकासक्षम हो सकते थे, इण्डियन एयरलाइन्स ने हुबली के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार न करने का निर्णय किया था। इसलिए इस परियोजना को छोड़ दिया गया। यह छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। कर्नाटक के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के साथ दिनांक 21.12.1983 को हुई बैठक में यह बताया था कि तकनीकी परिमापक तथा प्राक्कलन तैयार हो जाते ही राज्य सरकार अपने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इस हवाई अड्डे का विकास करने के लिए तैयार होगी। केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री इस स्थल के निरीक्षण तथा आवश्यक योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजने को सहमत हो गए।

(ख) स्थल का सर्वेक्षण करने तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिए अधिकारियों का एक दल इस मास हुबली जाएगा।

(ग) वित्तीय स्वीकृति तथा नियम सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद हवाई अड्डे के निर्माण पर लगभग 12 से 18 मास का समय लगेगा। हुबली को वायुदूत सेवा से जोड़ना अपेक्षित आधार संरचनात्मक सुविधाओं, हल्के परिवहन विमान की उपलब्धता तथा प्रचलनों की साध्यता पर निर्भर करेगा।

बिहार में पर्यटन के स्थलों का विकास

2141. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में और विशेष रूप से उत्तर बिहार में पर्यटन हेतु किन-किन स्थलों का विकास किया जा रहा है;

(ख) क्या बिहार सरकार इस बात के लिए जोर दे रही है अथवा केन्द्रीय सरकार के प्रयास से बलिराजगढ़ में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल की आगे खुदाई करने का काम तथा डाक बंगले का थोड़ा बचा हुआ कार्य पूरा करना शुरू किया गया हैं;

(ग) क्या पुण्यारण्य (सीतामढ़ी) अहिल्या स्थान, कल्याणेश्वर, असेरागढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की जाएगी तथा उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नगर बिमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) (क) छठी पंचवर्षीय योजना में विभाग ने बिहार में निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की हैं :

(i) तिलैया बांध में 5.12 लाख रु० की लागत पर नौकाओं की व्यवस्था ।

(ii) बेतला में 1.35 लाख रु० की लागत पर प्रशिक्षित हाथियों की व्यवस्था ।

(iii) हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में 2.40 लाख रु० की लागत पर एक मिनी बस की व्यवस्था ।

(iv) बोधगया में 0.67 लाख रु० की लागत पर भूमि की फेंसिंग ।

(v) बक्सर में 30.69 लाख रु० की अनुमानित लागत पर ध्वनि व प्रकाश शो की व्यवस्था ।

(vi) पटना में 33.15 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक यूथ होस्टल का निर्माण ।

(vii) बेतला में 46.76 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक वन गृह का निर्माण ।

(viii) बोधगया में 20 लाख रु० की अनुमानित लागत पर भारत पर्यटन विकास निगम के यात्री गृह का विस्तार और महोबोधि मन्दिर के आसपास एक मेडिटेशन पार्क का विस्तार ।

(ix) हजारीबाग में 2.40 लाख रुपए की लागत पर एक पर्यटक कोच की व्यवस्था ।

(x) भारतीय यात्री-आवास विकास समिति जो पर्यटन मन्त्रालय से अनुदान प्राप्त करती है, के माध्यम से बिहार शरीफ में एक मुसाफिर खाना ।

(xi) भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 141 लाख रु० की अनुमानित लागत पर राँची में संयुक्त होटल ।

(xvi) भारतीय होटल निगम और होक्के क्लब आफ जापान द्वारा राजगीर में जापानी ढंग का सराय ।

(ख) से (ङ) बलिराजगढ़, पुण्यारण्य (सीतामढ़ी), अहिल्यास्थान, कल्याणेश्वर और उसेरागढ़ में सुविधाओं की व्यवस्था करने के वास्ते और स्थलों की खुदाई करने केलिए विभाग अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तीसरे विश्व के देशों में परियोजनाओं के लिए भारत पश्चिमी जर्मनी सहयोग

2142. **श्री एन०के० शेजबलकर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 के 'इक्नामिक टाइम्स' में 'इण्डो एफ० आर० जी० टाई अप फार थर्ड वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स' शीर्षक से छपे समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत की यात्रा पर आए पश्चिमी जर्मनी के प्रतिनिधि मण्डल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और पदों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रतिनिधिमंडल का भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले और भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता व अन्य सदयों के नाम और पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार विशेषकर कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्योगों के बारे में सोवियत संघ पर निर्भरता के बारे में उक्त प्रतिनिधिमण्डल के नेता के विचारों से कहां तक सहमत है;

(घ) इस क्षेत्र का और आगे विकास करने तथा सोवियत संघ पर निर्भरता समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ.) तीसरे विश्व के उन देशों के क्या नाम हैं जहां परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं तथा उक्त प्रत्येक देश द्वारा क्या सहयोग दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी हाँ ।

(ख) जैसाकि समाचार की रिपोर्ट में कहा गया है कि, 10. 1. 1984 को कोई संयुक्त भारत-जर्मन विचार गोष्ठी नहीं हुई । तथापि, औद्योगिक और आर्थिक सहयोग के लिए भारत-जर्मन संघीय गणराज्य के संयुक्त आयोग की एक पृथक संस्था ने आर्थिक मामलों के लिए संघीय मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों की महानिदेशक श्रीमती फू हेल्गा स्टीग और आर्थिक कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री जे० एस० बैजल की संयुक्त अध्यक्षता में 11 और 12

जनवरी, 1984 की अपनी एक बैठक आयोजित की थी। चर्चा में द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों से संबंधित व्यापक क्षेत्रों और विषयों पर बातचीत हुई। तथापि जैसाकि समाचार रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें तीसरे विश्व की परियोजनाओं और कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भारत-जर्मनी संघीय गणराज्य के संबंधों की कोई बाचतीत नहीं हुई।

(ग) से (ङ) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण बैंकों की स्थापना

2143. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार और राज्य-वार कितने ग्रामीण बैंक खोलने की आशा है;

(ख) क्या यह बात सच है कि राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) गरीब लोगों के विकास के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान कुल कितनी ऋण राशि वितरित की गई ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) सातवीं पंचवर्षीय आयोजन के दौरान खोले जाने वाले नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वानुमान अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) संभवतः आशय राष्ट्रीयकृत तथा ग्रामिण विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट से है। 1982-83 की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसे सभा पटल पर रखने के लिए की व्यगस्था जा रही है।

(ग) प्राप्त अन्तिम आँकड़ों के अनुसार, 1982-83 के दौरान वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के अन्तर्गत 35.8 लाख हिताधिकारियों को 714 करोड़ रुपये के सावधि ऋण दिए गये।

विश्व बैंक द्वारा नवार्ड परियोजना के लिए आगे सहायता न देना

2144. **श्री बी०वी०** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कृषि संबंधी पुनर्वित्त संबंधी सुविधा और आगे न देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने नवार्ड के लिये दो करोड़ पचास लाख का ऋण मांगा है क्योंकि मार्च 1984 में कृषि पुनर्निर्माण विकास निगम समाप्त हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है और क्या भारत विश्व बैंक से ऋण लेने का बहुत इच्छुक था ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) कृषि पुनर्निर्माण विकास निगम-IV के लिए विश्व बैंक ऋण की अवधि 30 जून, 1984 को समाप्त हो जाएगी। 40 करोड़ डालर की सहायता दिए जाने के लिये नवार्ड-I परियोजना विश्व बैंक के सामने रखी गई है।

(घ) विश्व बैंक परियोजना का मूल्यांकन कर रहा है।

"बादल सम्प्रेषण योजना" का विस्तार

2145. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या : **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार ने आकाश में बादल भेजने और वर्षा कराने की योजना पर लाखों रुपये खर्च किये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस अभियान के परिणामों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी बादल संप्रेषण योजना का विस्तार करने की कोई योजना केन्द्र सरकार के पास है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) जी, हाँ। तमिलनाडु सरकार ने 1983 के ग्रीष्मकालीन मानसून मौसम में मेघवपन कार्य किए है।

(ख) वर्षा सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण ऐसे संकेत मिलते हैं कि इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्षा में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) किसी अन्य राज्य में मेघवपन प्रयोग करनें की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

नवार्ड परियोजना को विश्व बैंक की सहायता

2146. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्तमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की परियोजनाओं (नबार्ड-1 प्रोजैक्ट) में से एक के क्रियान्वयन के लिए उनके मन्त्रालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो मना करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या विश्व बैंक ने ऐसी कोई शर्तें अथवा सुझाव दिए हैं जिनके पूरा करने पर उस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर दी जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) परियोजना के ब्यौरे पर विश्व बैंक के साथ सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर निर्णय

2147 **श्री जगपाल सिंह** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगातार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार सम्बन्धी उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०एम कृष्ण) (क) इसका आशय संभवतः भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ सदुपायों की सिफारिश करने के लिए तत्कालीन सचिव (तकनीकी विकास) की अध्यक्षता में गठित समिति से है।

(ख) समिति के कुछ उपक्रमों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वित्तीय सहायता देना,

(2) कुछ एककों का पुनर्गठन करना, तथा

(3) एककों के आन्तरिक कार्यचालन को सुदृढ़ बनाना। इस विभाग को सरकार के विचारार्थ अभी पूर्ण प्रस्ताव तैयार करना है, क्योंकि शेष रिपोर्टें अभी प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

योजना व्यय में बचत

2148. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 18 जनवरी, 1984 के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि केन्द्रीय सरकार के योजना व्यय में इस वर्ष एक हजार करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है, और

(ख) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास सम्बन्धी कार्यों पर इसका असर नहीं पड़ेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) मुद्रा-स्फीति के दबाव का सामना करने के कुछ उपायों के एक भाग के रूप में सरकार ने वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय क्षेत्र में आयोजनागत व्यय में कुछ कटौतियां की हैं। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप होने वाली बचतों की मात्रा को बताना कठिन है, फिर भी 1983-84 के संशोधित अनुमानों में आयोजनागत व्यय में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की सम्भावित बचत को हिसाब में लिया गया है। चूंकि कटौतियां परियोजना-वार समीक्षा करने के बाद की गई है और न कि सामूहिक आधार पर, इसलिये विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर इसका अनुचित प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

कुशल दस्तकारों को पुरस्कार

2149. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों से पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने वाले कुशल दस्तकारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुशल दस्तकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) इस समय स्वीकृत राष्ट्रीयकृत पुरस्कारों की संख्या प्रतिवर्ष 15 हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2150. **श्री कमलनाथ** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमी का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई नये उद्योग स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० कृष्ण) : (क) 31-3-1983 को मध्य प्रदेश में परियोजनायें रखने तथा सेवाप्रदायी कार्य करने वाले उपक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं, अवस्थापना एवं सहायक सेवाओं जैसे बिजली, कच्चे माल आदि की उपलब्धि के अनुसार नये उद्योगों की स्थापना करने अथवा वर्तमान उद्योगों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना, एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की समग्रता का ध्यान रखते हुए उचित समय पर निर्णय किया जाता है।

विवरण

1. इस्को स्टेन्टन पाइप एण्ड फाऊण्ड्री कम्पनी लि०
2. फेरो स्क्रेप निगम लि०
3. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
4. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
5. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
6. मैंगनीज और (इण्डिया) लि०

7. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
8. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०
9. कोल इण्डिया लि०
10. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
11. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
12. भारतीय तेल निगम लि०
13. आई० बी० पी० कम्पनी लि०
14. भारतीय सीमेंट निगम लि०
15. भारतीय उर्वरक निगम लि०
16. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०
17. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
18. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०
19. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
20. हिन्दुस्तान फोटो-फिलम्स मैन्यु० कम्पनी लि०
21. माडर्न फूड़ इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लि०
22. नेशनल न्यूज प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०
23. राष्ट्रीय बीज निगम लि०
24. ने० टे० का० (मध्यप्रदेश) लि०
25. भारतीय रूई निगम लि०
26. भारतीय खाद्य निगम लि०
27. इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०
28. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
29. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०
30. केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्प संस्थान लि०
31. मेटलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इण्डिया) लि०

32. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०

33. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

34. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन कारपो० लि०

35. नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०

86. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में मजूरी से सम्बन्धित नीति

2151. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मन्त्रालय और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो देश में अन्य सरकारी क्षेत्र की यूनिटों की मजूरी, महंगाई भत्ता और अन्य आनुषंगिक लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक अलग नीति लागू करता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से मजूरी परिशोधन के लिये प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव पर वर्तमान मजूरी स्तरों, अनुषंगी लाभों आदि को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर उचित तथा निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाता है ।

सरकारी रुग्ण सम्बन्धी समिति

2152. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री डी० एम० पुत्तेगौडा :

श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में रुग्ण औद्योगिक एककों का अध्ययन करने और उन्हें स्वालंबी बनाने के उपाय सुझाने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उसने क्या सिफारिशें की हैं; और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवत: प्रश्न का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टी० तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति से है । समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

(ख) समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष/सिफारिशें हैं—

(i) रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित करने तथा उनका पुनरुद्धार करने के लिये विभिन्न वर्तमान कानूनों के अधीन उपलब्ध उपचार अपर्याप्त और विलम्भकारी हैं। अतः मौजूदा कानूनी ढाँचे की तुलना में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुद्धार को देखते हुए रुग्ण एककों की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक विशेष विधान की जरूरत है।

(ii) केवल मात्र रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार से संबंधित मामलों से अविलंब निपटने के लिए विशेष विधान के अधीन औद्योगिक पुनरुज्जीवन बोर्ड नामक एक अर्ध न्यायिक निकाय की स्थापना की जाए।

(iii) संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया रकमों की वसूली मात्र के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अर्ध-न्यायिक, निकायों के रूप में विशेष अधिकरण स्थापित किये जाएं।

(iv) भाग लेने वाली एजेंसियों के बीच एक मिलाजुला समान वचनबद्धता कार्यक्रम तय करने में, होने वाली देरी से बचने के लिए एक एजेंसी या एक 'स्थायी मंच' (कार्यकारी दल) बनाया जिसका निर्णय सभी के लिये बाध्य हो।

सरकार ने तिवारी समिति की विभिन्न सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

क्षमता के कम उपयोग के कारण सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को उत्पादन घाटा

2153. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री दोलत राम सारण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या क्षमता के कम उपयोग के कारण सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को उत्पादन घाटा हो रहा है,

(ख) परियोजनाओं का निर्माण 1982 के स्थान पर 1983 में होने के कारण हुए विलंब से परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई,

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के खराब कार्य-निष्पादन के लिए अकुशल तथा खराब प्रबन्ध कहां तक उत्तरदायी है, और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) 28 फरवरी, 1984 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1982-83 के खण्ड-1 में 20वें अध्याय के अन्तर्गत पृष्ठ 276 से 304 तक क्षमता तथा उसके उपयोग के विस्तृत विश्लेषण और पृष्ठ 148 से 152 तक सरकारी क्षेत्र की चुनींदा परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि सम्बन्धी जानकारी की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

यह बताना सम्भव नहीं है कि विलम्ब अथवा प्रबन्धकीय खामियों के कारण कार्य-निष्पादन अच्छा न रहने के परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

(घ) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को समुन्नत बनाने के लिये किये गये/किये जा रहे प्रमुख सदुपायों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--

(1) जहाँ कहीं क्षमता के उपयोग में निरन्तर कमी दिखलाई पड़े तो उसके विशिष्ट कारणों की जाँच के लिये विशेष अध्ययन दल गठित करना तथा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक सुधारात्मक उपाय सुझाना।

(2) अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने वाले उद्यमों के कार्य-निष्पादन का निरन्तर परिवीक्षण करने तथा उनके कार्यचालन को बेहतर बनाने के लिए उपाय करने का कार्य अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति को सौंपा गया है।

(3) जहाँ कहीं औचित्यपूर्ण हो तो संतोलक सुविधाओं एवं निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था के लिये अतिरिक्त पूंजी-निवेश किया जाता है।

(4) प्रत्येक उद्यम के बारे में तिमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से परिवीक्षण किया जाना।

(5) शीर्ष-स्तरीय प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन और मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष-स्तरीय रिक्तियों का यथासमय भरा जाना।

(6) उत्पादकता में वृद्धि के साथ जोड़ी गई प्रोत्साहन योजनाओं की स्वीकृति देना।

(7) प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन एवं शीघ्र समापन के परिवीक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा कर रही है।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, विदेश दौरों किराये आदि पर किया गया व्यय

2154. **श्री छांगुर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों के दौरान घाटे पर चल रहे सब से बड़े 10 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और कर्म-

चारियों के वेतन, विदेश दौरों, बंगलो के रखरखाव और टेलीफोन आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० कृष्ण) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

पान के पत्तों का निर्यात

2155. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों को पान के पत्तों के निर्यात की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा अन्य देशों को पान के पत्तों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान हुआ पान के पत्तों का निर्यात नीचे दिया गया है—

वर्ष	मात्रा (एम० टी०)	मूल्य (लाख रु०)
1980-81	435	40.02
1981-82	574	61.62
1982-83	366	39.60

(अनन्तिम)

मुख्य आयात करने वाले देश हैं, साऊदी अरब, ओमान, कुवैत, ब्रिटेन तथा बहरीन । संसाधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यातकों को पान के पत्तों के निर्यात में विकास, विस्तार तथा विविधिता के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान करती है ।

भोपाल में भारत पर्यटन विकास निगम का होटल

2156. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में भारत पर्यटन विकास निगम का होटल कब शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोपाल में भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम होटल परियोजना हेतु स्थान उपलब्ध कराने के लिए और इस भूखंड से होकर जाने वाली अनाधिकृत सड़क को मोड़ने के लिए अपनी सहमति दी है। निर्माण कार्य 3-4 महीनों के अन्दर शुरू हो जाने की सम्भावना है।

अमरीका को तैयार वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगना

2157. **श्री पी० एम०सईद, श्री बी० बी० देसाई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अमरीका को तैयार वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यहां हां तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या इस बारे में एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमरीरा की यात्रा की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिनिधिमंडल ने अमरीका सरकार के साथ कोई विचार-विमर्श किया।

(ङ) यदि हां, तो उक्त वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(च) उक्त प्रतिबन्ध कितने समय लागू रहेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) से (च) भारत और सयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय वस्त्र करार, जो चार श्रेणियों अर्थात् श्रेणी 641 (मैन मेड फइबर ब्लाडज) श्रेणी 334 (मैन्स एण्ड ब्वाएज कोट) क्षेणी 445 (मैन्स एण्ड ब्वाएज स्वेटर) तथा श्रेणी 446 (वी मैन्स एण्ड गर्ल्स स्वटरस) से सम्बन्धित था, के उपसंघों के अन्तर्गत दिसम्बर, 1983 तथा जनवरी, 1984 के दौरान भारत सरकार को मंत्रणा के लिए अमरीका सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ इन श्रेणियों के एक विशेष सीमा में लाने के लिए मंत्रालय के अनुरोध में भारत से इन क्षेणियों के निर्यात 90 दिन की विशेष सीमावधि करने का अनुरोध भी शामिल था तदनुसार, भारत सरकार ने द्विपक्षीय करार के उपबन्धों के अनुसार मंत्रालय अवधि में निर्यात सीमित करने के लिए कदम उठाये।

भारत तथा अमरीका के प्रतिनिधियों के बीच 22-24 फरवरी, 1984 को वाशिंगटन में मंत्रणायें हुई। यद्यपि अमरीकी प्रतिनिधि मंडल ने इन 4 श्रेणियों के लिए विशिष्ट सीमा स्वीकार करने पर जोर दिया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का यह मत था कि उपलब्ध जानकारी के आधार

पर भारत से निर्यातों द्वारा बाजार बिघटन अथवा विघटन की आशंका के एक मामले के कारण यह संभव नहीं हो सका ।

दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति को मजबूत रखा । श्रेणी 641 के मामले में 90 दिन की अवधि 28 मार्च, 1984 को तथा शेष श्रेणियों की अवधि 25 अप्रैल, 1984 को समाप्त हो रही हैं ।

मद्रास स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक, ह्यात-नगर और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का लूटा जाना

2158· **श्री रतन सिंह राजदा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकुओं ने इंडियन ओवरसीज बैंक वैन को 21.72 लाख रुपये ले जाते समय ह्यात नगर के पास लूट लिया ओर मद्रास में ओरियन्टल कॉमर्शियल बैंक (गबाठबा शाखा) के भी लगभग 50,000 रुपये तथा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की सांय शाखा के 2 लाख रुपये लूट लिए (हिन्दुस्तान टाइम्स, 9 फरवरी, 1984);

(ख) गत चार वर्षों के दौरान बैंकों में लूटपाट के कितने मामले हुए हैं और उनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) इस लूटपाट के सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें सजा दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी (क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, 8 फरवरी 1984 को एक गाड़ी से 21·72 लाख रुपये की रकम उस समय लूट ली गई थी जब उसमें बेगम बाजार (हैदराबाद) शाखा मे नकदी ले जाई जा रही थी और 59,190 रुपए की रकम गबाढबा शाखा (मेरठ जिला) से लूटी गई थी ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, मद्रास में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की सांयकालीन शाखा में कोई डकैती नहीं हुई । लेकिन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 8 फरवरी, 1984 की रात को उसकी कनाट सर्कस (नई दिल्ली) शाखा के साथ संलग्न कनाट सर्कस मुद्रा परिवर्तन काउंटर से 1, 24, 913 रुपये और कुछ विदेशी मुद्रा लूट ली गई थी ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में बैंक लूटमार/डकैतियों की संख्या, अंतर्ग्रस्त राशि और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है । बैंक लूटमार/डकैतियों के इन मामलों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों में सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में हुई बैंक डकैतियों/लूटमारों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	कुलडकैतियां/लूटमार	अंतर्ग्रस्त राशि	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1980	24	35·60 लाख रुपए (लगभग)	90
1981	40	लगभग 83.56 लाख रुपये लगभग 58·5 लाख रुपये का सोना	121
1982	77	लगभग 140·48 लाख रुपए लगभग 16·36 लाख रुपए का सोना	172
1983	97	लगभग 126·02 लाख रुपये +लगभग 43·04 लाख रुपए का सोना/सोने के गहने+लगभग 1492·5 ग्राम/ सोने के गहने	99

विभिन्न कराधान क्षेत्रों में लंवित पड़ा संपदा शुल्क आकलन

2159· **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न कराधान क्षेत्रों में संपदा में शुल्क आकलन पिछले दस वर्षों से लंवित पड़ा है :,

(ख) यहां हां, तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद और बंगलौर से (एक) चार वर्ष और अधिक (दो) पांच वर्ष और अधिक (तीन) दस वर्ष और अधिक से कितने संपदा शुल्क आकलन लंबित पड़े हैं अथवा अधूरे पड़े हैं अथवा अंतिम रूप दिए जाने के लिए पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने सम्पदा शुल्क प्राधिकारियों को आकलनों को चार वर्ष में अंतिम रूप देने के आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो लंबो अवधि से लंबित पड़े मामलों को जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को परेशानी हो रही है और राजस्व की हानि हो रही है, शीघ्र निपटाने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की योजना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) (क) सामान्यतः संपदा शुल्क निर्धारणों को पूरा करने के लिए 10 वर्ष से काफी कम समय लगता है। तथापि संपदा शुल्क निर्धारणों के कुछ ऐसे मामले हैं, जो विभिन्न कारणों से दस वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़ें हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है, उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बकाया पड़े पुराने संपदा शुल्क निर्धारण के मामलों को निपटाने के लिए, मंत्रालय सभी आयकर आयुक्तों/संपदा शुल्क नियंत्रकों को अनुदेश/पत्र जारी करता रहा है तथा प्रगति पर भी नजर रखता रहा है।

कांचीपुरम में कताई मिल शुरू करने का प्रस्ताव

2160· **श्री ईरा अनबारासु:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कांचीपूरम में, जो कि रेशम और जरी की साड़ियों के लिए देश का प्रमुख शहर माना जाता है, एक कताई मिल शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन लास्कर) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आय-कर छूट का दावा करने के लिए अन्तराष्ट्रीय बैंकों में जाली खाते खोलने की रोकथाम के उपाय

2161. **श्रीवी०डी० सिंह:**

प्रो० अजित कुमार मेहता क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं, ताकि व्यापारिक समुदाय/उद्योगपतियों को विभिन्न ट्रस्टों के नाम से बैंक

कर्मचारियों की साँठ-गांठ से ऐसे जाली खाते खोलने से रोका जा सके, जिसके जरिये वे जाली दान राशियों पर आयकर छूट का दावा करते हैं तथा प्रतिवर्ष आयकर सम्बन्धी भारी-धनराशि का राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं; और

(ख) इन उपायों के क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सभी नये खाते खोलने से पूर्व, जिनमें ट्रस्टों के नाम खोले जाने वाले खाते भी शामिल हैं, परिचय प्राप्त करने के लिए पहले से ही परामर्श दिया है । लेकिन बैंकों से यह अपेक्षा यह नहीं की जाती कि वह पूछे कि क्या उनके पास खोले जाने वाला खाता ट्रस्ट का खाता है या नहीं । लेकिन यदि कोई खाता किसी ट्रस्ट के नाम से खोला जाता है या परिस्थितियों द्वारा, जिस प्रकार खाता रखा जा रहा है, पता चल जाता है, तो ऐसे ट्रस्ट खातों के लिए बैंकों में सामान्यतः विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

जैसाकि वित्त मन्त्री के 1984 के बजट भाषण में बताया गया है सरकार करों की अदायगी की चोरी को रोकने के लिये ट्रस्टों की धनराशियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के वास्ते राजकोषीय उपाय करने पर विचार कर रही है ।

विशेष धारक बांडों का बाजार मूल्य

2162. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बम्बई में विशेष धारक बांडों का बाजार मूल्य कम हो रहा है;

(ख) क्या यह आशंका है कि आने वाले महीनों में ऐसे बाँडों के मूल्य में और कमी आएगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (ग) बिशेष धारक बांडों का बम्बई शेयर बाजार में अधिकृत रूप से व्यापार नहीं होता इसलिए दैनिक मूल्य-दरों में इनका उल्लेख नहीं होता ।

सरकार ने विशेष धारक बाण्ड सममूल्य पर जारी किए थे और ये परिपक्व होने पर 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सममूल्य पर मोचित किए जाएंगे । मध्यवर्ती अवधि में बाण्डों का एक धारक से दूसरे धारक की हस्तांतरण, जो केवल सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है, सरकारी खाते में दर्ज नहीं होता ।

अमरीकी युद्धपोतों का लेबनान के तट से हिन्द महासागर की ओर बढ़ना

2163. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मेरिनो से लैस अमरीकी युद्ध पोतों के अक्तूबर, 1983 में लेबनान के तट से हिन्दमहासागर की ओर बढ़ने के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की सूचना अनुसार अमरीकी जल, स्थानीय हिन्द महासागर की ओर बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी सूत्रों के अनुसार हिन्द महासागर में अमरीका नौसेना की उपस्थिति को नवीनतम और उसकी गतिविधियों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) (क) और (ख) जी हां। ईरान द्वारा होरमुज के जलडमरू मध्य की नाकेबंदी करने की धमकी देने के बाद अमरीकी युद्धपोतों के लेबनान से हिन्द महासागर की ओर आने की कथित गतिविधि के समाचार की सरकार को जानकारी है।

(ग) अमेरिका के कई युद्ध पोत हिन्द महासागर में मौजूद रहत हैं।

सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी एजेंसियों में रोजगार स्वीकार करना

2164 **० के०कोडियन :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों द्वारा सेनाओं से सेवानिवृत्ति के पश्चात् हथियारों की खरीद करने वाली निजी एजेंसियों में रोजगार स्वीकार करने के संबंध में कोई नए मांग निर्देश जारी किए है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) और (ख) जी नहीं। मौजूदा अनुदेश पर्याप्त समझे जाते हैं जिनके अनुसार थल सेना में कर्नल और इससे उच्च रैंक के अफसरों तथा नौसेना एवं वायु सेना में इसके समकक्ष अफसरों को अपनी सेवानिवृत्ति के दो वर्षों के भीतर किसी भी गैर-सरकारी फर्म में नियोजित होने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उन फर्मों में नौकरी करने की इजाजत नहीं है जिनका रक्षा मंत्रालय या इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ किसी भी प्रकार का करार हुआ हो। अगर उनके कार्य में सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखने संबंधी अपेक्षा है तो उन्हें सेनानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी फर्मों के साथ कोई भी नौकरी करने की अनुमति नहीं है। सेना अफसरों को सेनानिवृत्ति के बाद सेवाओं/सरकार के सेवारत अफसरों के साथ सम्पर्क चाहने वाली स्थापनाओं में भी आवासीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने/नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों को बन्द करने का निर्णय

2165. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों को, घाटे को राज सहायता द्वारा पूरा करने के बढ़ते हुए भार उन्हें सामान्य स्थिति में लाने की समस्था को हल करने के उद्देश्य से बन्द करने का निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का कार्यान्वयन आरम्भ हो गया है और सरकारी क्षेत्र के ऐसे एककों के नाम बता हैं, जिन्हें अब तक बन्द किया जा चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धनों को ऋण देने में अनिमितताएं

2166. **श्री मंगल राम प्रेमी** :

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :

श्री जगपाल सिंह : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 फरवरी, 1984 के 'जनसत्ता' में यूनियन के 'मारे रिक्शा वाले बेचारे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनों तथा कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को सेंट्रल बैंक द्वारा ऋण दिए जाने में कथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उच्च स्तर पर कोई कार्यवाही की गई है,

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो खाली नामों पर ऋण देते हैं और खोगों को ऋणदेना रोककर तब तक परेशान करते हैं जब तक उन्हें घूस नहीं मिलती, और

(घ) उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उनके पदनाम क्या हैं जिन्हें 1982-83 के दौरान और 15 फरवरी, 1984 तक के दौरान दंडित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से इस समाचार को देखने और भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध, यदि कोई हों, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ।

(घ) मांगी सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1981 और 1982 के दौरान क्रमशः 450 और 608 बैंक कर्मचारी, बैंकों को धोखा देने और धोखाधड़ी के अन्य मामलों ने भागीदार होने पर दण्डित किए गये।

विश्व बैंक द्वारा भारत को निम्न दर्जे पर रखा जाना

2167. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक में भारत की स्थिति का मूल्यांकन किया था और उसको कम दर्जे पर रखा था,

(ख) क्या सरकार ने विश्व बैंक से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की थी;

(ग) क्या विश्व बैंक ने शिकायत स्वीकार कर ली है और उसने भारत को फिर से नया दर्जा दिया है, और

(घ) यदि हाँ, तो उस ऊंचे दर्जे को देने के क्या प्रभाव होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटों की आठवीं सामान्य समीक्षा के बाद विश्व बैंक की पूंजी में चयनात्मक आधार पर वृद्धि करने के एक प्रस्ताव को विश्व बैंक प्रबन्धमण्डल द्वारा परिचालित किया गया था। इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप भारत की मतदान शक्ति में कमी हो सकती है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर चिन्ता व्यक्त की है और वह इस संबंध में विश्व बैंक के प्रबन्धकों और अन्य सदस्य देशों से विचार-विमर्श कर रही है ताकि ऐसी व्यवस्था की जा सके जिसमें यथासंभव भारत की मतदान शक्ति की सुरक्षा हो सके। बातचीत अभी चल रही है।

विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

2168. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा उत्पाद-शुल्क का बड़े पैमाने पर अपवंचन किया जा रहा है, और सरकार उसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है,

(ख) क्या इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है क्योंकि इससे जहां एक तरफ राष्ट्रीय राजकोष को भारी हानि हो रही है वहाँ दूसरी तरफ परि-योजनाओं को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयों के कारण संगठित क्षेत्र की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं,

(ग) क्या निहित स्वार्थों द्वारा उत्पाद-शुल्क अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से तैयार माल पर शुल्क न लगाकर सूत/रेशे पर लगाने के लिये जोरदार माँग की जा रही है, और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) संगठित और असंगठित सेक्टरों, दोनों द्वारा उत्पादन-शुल्क के अपवंचन के मामले का पता चलता है। ऐसे अपवंचन को रोकने के लिए लगातार समुचित उपाय किये जाते रहे हैं।

(ग) और (घ) उत्पादन शुल्क को फैब्रिक पर लगाए जाने की बजाय सूत/तन्तु स्तर पर लगाए जाने के बारे में व्यापारी वर्ग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर ध्यान-पूर्वक विचार किया गया है किन्तु सुझाव को ग्राह्य नहीं पाया गया है.

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य रोजगार कार्यक्रमों के लिए ऋणों पर दी गई राज सहायता का दुरुपयोग

2169. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिये दिये गए ऋणों पर राजसहायता की अनुमति के दुरुपयोगों की ओर आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जहाँ कहीं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वित के बारे मे कोई खास शिकायत प्राप्त होती है, उसके सम्बद्ध में उचित अनुवर्ती कार्यवाई करने के लिये जाँच की जाती है। अभी हाल में राज्य सरकारों से खंड स्तर पर सलाहाकार समितियों का गठन करने के लिये कहा गया है ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन में राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहा-यता की जा सके। इसके अलावा राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे जिला स्तर पर उप-समूहों का गठन करें, जिनका मुख्य कार्य ऋणकर्ताओं की शिकायतों को देखना हो।

स्वदेशी (डुमेस्टिक) विमानन उद्योग का विकास

2170. **श्री आर० पी० गायकवाड़**; क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स ने 1953 से, जब इसकी स्थापना हुई थी, अब तक के पिछले 30 वर्षों के दौरान अपने स्टेशनों में केवल 19 स्टेशन, जोड़े हैं और अब इसके स्टेशनों की संख्या 53 है :

(ख) क्या यह सच है कि ये केन्द्र पिछले कुछ बर्षों के दौरान ही शुरू किए गये और ये मुख्य सड़कों के आसपास हैं, और

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी (डुमेस्टिक) विमानन उद्योग का विकास करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है क्योंकि पिछले 30 वर्षों के दौरान हुआ विकास अत्यंत असंतोषजनक लगता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं । इन्डियन एयरलाइन्स ने इलाहाबाद, दीनापुर, जबलपुर, खजुराहो, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, उदयपुर, बड़ोदरा, विजयावाड़ा, कोटा और नासिक जैसे स्टेशनों के लिए, जो कि मुख्य मार्ग के इर्दगिर्द स्थित नही हैं, अपनी सेवाओं का विस्तार किया है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने 1953-54 में, जो कि इसके प्रचालन का पहला वर्ष था, 4,00,000 से कुछ ही अधिक यात्रियों का वहन किया । चालू वर्ष में इंडियन एयरलाइन्स का अनुमानित यात्री यातायात 75 लाख है । इंडियन एयरलाइन्स धीरे-धीरे अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिये भी अपनी सेवाओं का विस्तार करेंगे । वायुदूत का गठन पूर्वोत्तर के अगम्य क्षेत्रों तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों, जिनके लिए इंडियन एयरलाइन्स प्रचालन नहीं करती, को विमान सेवा से जोड़ने के लिए 1981 में किया गया । वायुदूत इस समय 18 स्टेशनों के लिए प्रचालन कर रही है तथा 1984 के उत्तरार्द्ध में अपने विमान बेड़े में डोरनियर विमान सम्मिलित कर लिए जाने के बाद वह अपने प्रचालनों का और विस्तार करेगी । इस प्रकार पिछले तीस वर्षों में नागर विमानन परिवहन की प्रगति बहुत संतोषप्रद रही ।

बम्बई में एक जर्मन राष्ट्रिक से सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना

2171. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :**

श्री शिवचरण वर्मा : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 6 फरवरी, 1984 को बम्बई में एक जर्मन राष्ट्रिक से 32.15 लाख रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट पकड़े थे,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश देगी,

(घ) क्या संबंधित कर्मचारियों को उनके साहस और कार्यकुशलता के लिये पुरस्कृत किया जायेगा, और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) हवाई आसूचना एकक, सहार हवाई अड्डा, बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दिनांक 4/5 फरवरी, 1984 की रात को विदेशी मार्के के सोने के बिस्कुट पकड़े । इनका कुल वजन 11.66 किलोग्राम था और इनका मूल्य 22.15 लाख रुपये आंका गया था । इन बिस्कुटों को एक जर्मन राष्ट्रिक से बरामद किया गया था जो स्विस एअरफ्लाइट नं० एस० आर० 186 द्वारा ज्यूरिच से आया था। 'वाक-थ्रू चैनल' के रास्ते से उसके जाने के बाद उसे रोका गया था । इस सोने को उसने अपनी जैकेट में छिपाया हुआ था जिसे विशेष रूप से बनाया गया था । यह जैकेट वह पहने हुआ था । उसे दिनांक 6 फरवरी, 1984 को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया ।

अनुवर्ती कार्रवाई में एक सिटी होटल से एक और विदेशी राष्ट्रिक को भी गिरफ्तार किया गया था जिसके पास ईरानी/संयुक्त अरब-अमीरात के पासपोर्ट थे। इसके अलावा, नगर के एक आवासीय परिसर से 4.55 लाख रुपये मूल्य के तराशे हुए तथा पालिश किये हुए हीरे भी पकड़े गये। जाँच-पड़ताल जारी है।

(ग) रोजमर्रा का काम होने की वजह से सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये तस्करी के मामले पूछताछ/जांच-पड़ताल के लिये केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के पास नहीं भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में जांच-पड़ताल काम आमतौर पर क्षेत्राधिकारिक समाहर्ताकार्यों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा निर्धारित किये गए पुरस्कार नियमों के अनुसार इस मामले के गुणावगुण के आधार पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

सामूहिक ऋण-वितरण योजना

2172. **श्री शिव शरण वर्मा** :

श्री जगपाल सिंह : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1984 के जनसत्ता में 'सामूहिक वितरण' (कर्ज) योजना खटाई में शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो राजधानी में सामूहिक ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 25 फरवरी 1984 तक प्रत्येक बैंक ने माह-वार कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस वितरण योजना में कोई मूलभूत कमी है और यदि हां, तो इसे दूर करने और वितरण की गति में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के लिये सितम्बर, 1983 के शुरू से चलाये गये अभियान की समाप्ति के अवसर पर बैंकों द्वारा 4-1-1984 को एक समारोह किया गया था। बताया गया है कि सितम्बर से दिसम्बर, 1983 तक इस अभियान के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और 9 भारतीय वाणिज्यिक अनुसूचित बैंकों द्वारा 40.770 हिताधिकारियों को 16.09 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रदान किए।

(ग) जी, नहीं। बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विशेषकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं के अर्थक्षम धन्धों के वास्ते दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित उपाय

2173. **श्री जी० भूपति :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे यहाँ किन-किन क्षेत्रों से परम्परागत रूप से पर्यटक आते हैं और 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान कितने पर्यटक आए और यह प्रतिशत कितना रहा था,

(ख) इसमें कमी के क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसमें कमी पूरी तरह निम्न कारणों से है (एक) अत्यधिक होटल दरें, (दो) ट्रेवल एजेंसियों द्वारा दरें बढ़ाया जाना और (तीन) देशी क्षेत्र के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय किरारे के निर्धारण का अभाव है, और

(घ) इस प्रवृत्ति को बदलने और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पर्यटक भेजने वाली परम्परागत मार्केटों के नाम और इन देशों से पर्यटक यातायात की संख्या और प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) कुछ देशों के संबंध में पर्यटक आगमनों में कमी उन देशों में मंदी के हालात, लैंडिंग परमिट प्रणाली में परिवर्तन करने आदि के कारणों से हुई है ।

(ग) यह कहना उचित नहीं है कि कमी केवल इन्हीं कारणों से हुई है ।

(घ) भारतीय पर्यटन की संभाव्यता को प्रोजेक्ट करने के लिए विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । भारत सरकार के ये पर्यटक कार्यालय एयर-लाइनों, यात्रा परिचालकों, मीडिया व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखते हैं, भारतीय संध्याओं, सेमिनारों का आयोजन करते हैं, जोरदार प्रचार और विपणन संबंधी कार्य करते हैं ।

विवरण

पर्यटक भेजने वाली परम्परागत मार्केटों के नाम और पर्यटक यातायात की संख्या तथा प्रतिशतता

देश	आगमन			समानुपात (%)		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
			(जनवरी-अक्तूबर)			
यू०के०	116,684	120,772	99,966	13.7	14.0	14.4
यू० एस० ए०	82,052	86,806	72,737	9.6	10.1	10.5
श्रीलंका	75,842	76,143	70,941	8.9	8.9	10.2
फ्रांस	57,272	59,267	42,202	6.7	6.9	6.1
फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी	54,311	49,610	38,657	6.4	5.8	5.6
जापान	29,032	29,103	22,278	3.4	3.4	3.2
इटली	28,503	29,791	21,651	3.3	3.5	3.1
सऊदी अरब	26.024	27,846	21,307	3.0	3.2	3.1
कनाडा	25,358	25,991	20,466	3.0	4.0	3.0
मलेशिया	26,458	26,552	19,649	3.1	3.1	2.8

* नवम्बर और दिसम्बर 1983 के लिए देश-वार आगमन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

महालेखाकार बिहार द्वारा बिहार के सरकारी कर्मचारियों

के भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव

2174. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) (एक) बिहार के महालेखाकार के कार्यालय से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए भविष्य निधि लेखे के अन्तिम बार जारी किए गए अधिक विवरण पत्रों में केवल 1980-81 की अवधि का समय शमिल है;

(दो) इन विवरणों में ऋणों को शामिल न करने और अनेक प्रकार की अनियमितताएँ बहुत अधिक हैं;

(तीन) ऐसे विवरण पत्र जिन में कोई गल्ती नहीं बहुत कम हैं; क्या इन तथ्यों के परिपेक्ष में सरकार इस बात से सहमत है कि बिहार सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का बिहार के महालेखाकार द्वारा रखा गया हिसाब बहुत असन्तोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बिहार में उन भविष्य निधि लेखा-धारकों को जो, आज अपने को दुर्गति में पा रहे हैं, की में स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है और कब तक; और

(ग) इन भविष्य निधि लेखाधारकों के लिए अवंटित उत्पीड़न असुविधा पैदा करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से सरकार का विचार किस प्रकार निपटने का है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. एम. कृष्णा) (क) से (ग) महालेखाकार, बिहार, पटना, के कार्यालय मेंभविष्य निधि लेखाओं को दर्ज करने से सम्बन्धित बकाया काम तथा व्यक्तिगत लेखाओं में विसंगतियां मुख्यत: बिहार में खजाना-कार्यालयों और लोक निर्माण प्रभागों द्वारा लेखाओं को लगातार विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि अनुसूचियों को गलत ढ़ंग से तैयार किए जाने अथवा अनुसूचियों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई हैं खजाना-कार्यालयों तथा लोक निर्माण प्रभागों द्वारा लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से कई बार अनुरोधकिया गया था परन्तु स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है । मई, 1981 में राज्य सरकार ने भविष्य निधि लेखाओं के रख-रखाव और राजपत्रित अधिकारियों को वेतन और भत्तों के प्राधिकरण संबंधी-कार्य महालेखाकार से लेने का प्रस्ताव किया था । चूंकि कार्यों के अन्तरण से 571 व्यक्ति फालतू हो जाते, इसलिए कार्य का अन्तरण किए जाने तक कर्मचारियों की और आगे भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी गई । इसके परिणामस्वरूप, भविष्य निधि लेखाओं से सम्बन्धित कार्य और बकाया में पड़ गया । राज्य सरकार ने अन्तत; अप्रैल, 1982 में यह निर्णय किया कि अगले 5 से 6 वर्षों तक उनके लिए भविष्व निधि के लेखाओं से सम्बन्धित कार्य अपने पास लेना सम्भव नहीं होगा । राज्य सरकार

के इस प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न हुई अनिश्चितता के कारण, भविष्य निधि गुप के कार्य की प्रगति लगभग एक वर्ष के लिए पिछड़ गई।

जहां तक 1980-81 के लेखाओं का सम्बन्ध है, अब तक 3,06,408 विवरणों में से 1, 27,000 विवरण जारी कर दिए गए हैं। लेखाओं के शेष विवरणों को भेजने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। बकाया पड़े काम को निपटाने तथा व्यक्तिगत लेखाओं में विसंगतियों का समाधान करने के लिए आहरण अधिकारियों/खजाना अधिकारियों को जमा की गई राशियों के समर्थन में सह-साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। विभिन्न विभागीय कार्यालयों में मौके पर त्रिसंगतियों का समाधान करने के लिए विचारण दलों का गठन भी किया जा रहा है। हाल में लेखाकरण और हकदारी से सम्बन्धित कार्यों में सुधार करने की दृष्टि से महालेखाकार के कार्यालय का पुनर्गठन भी किया गया है। भविष्य निधि लेखाओं का कार्य करने वाले अधिकारियों को भी निदेश दिए गए हैं कि वे विसंगत वाले मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें।

बेरोजगार मैट्रिकुलेट युवकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने हेतु हिमाचल प्रदेश को आवंटित की गई धनराशि

2172. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 में बेरोजगार मैट्रिकुलेट युवकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करते हेतु हिमाचल प्रदेश को कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा 31 जनवरी, 1984 तक, जिलावार कितने मामलों में ऋण (एक) मंजूर किए गए (दो) वितरित किए गए;

(ग) क्या आवेदन पत्रों की भारी संख्या को देखते हुए (एक) मामलों की संख्या (दो) आवंटित धनराशि में कोई वृद्धि की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के लिए कुल कितनी वृद्धि करने का विचार किया गया हैं, दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक, जिलेवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)(क) से (घ) संभवतः प्रश्न का संकेत शिक्षित बेरोजगार कार्यक्रम का अंग नहीं है। शिक्षितकीऔर है लेकिन यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की योजनाबेरोजगार युवकों के स्व-रोजगार की योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1984 तकहिमाचल प्रदेश में बैंकों द्वारा 2000 हिताधिकारियों का वित्त-पोषण किया जाना है।

राज्यों के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन उद्योग मंत्रालय द्वारा हिताधिकारियों की संख्या के अनुसार राज्यवार लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। ये लक्ष्य आगे

राज्य सरकारों द्वारा जिलों के अनुसार विभाजित कर दिये गये हैं। किसी राज्य/जिले के लिए बैंक राशि राज्य/जिले के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य पर निर्भर करेंगी। 31 जनवरी, 1984 को उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी अंतिम सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में से विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बैंकों को 626.48 लाख रुपये के 3505 आवेदनों की सिफारिश की गयी। इनमें से 21.17 लाख रुपये के 111 आवेदन पत्रों के लिए बैंकों द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। इस सूचना का जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

उद्योग मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि फिलहाल उद्योग मंत्रालय 1983-84 के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों में किसी प्रकार की वृद्धि करने पर विचार नहीं कर रहा है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक ऋण वितरण व्यवस्था

2176. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री रशीद मसूद :

श्री जगपाल सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्रामीण और नगरिय क्षेत्र में बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक ऋण वितरण व्यवस्था से लाभ प्राप्त करने वालो की संख्या कितनी है :

(ख) इसमें कितनी धनराशि अंतर्गत है; और

(ग) ऋण लेने वालों की यथार्थता का पता लगाने और इन ऋणों पर ब्याज की दर निश्चित करने के लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं और उनकी वसूली के तरीके क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) अब 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्त करने वाले कमजोर वर्गों का निर्धारण कर लिया गया है और उन्हें उन प्राथमिकता क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है जिनके लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने ऋण के स्तर को बढ़ाकर मार्च 1985 तक अपने कुल ऋण का 40% करने के लिए कह गया है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत एक ही समय के अन्दर-अन्दर ये कमजोर वर्ग इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों का कम से कम 25% हिस्सा प्राप्त कर लेंगे। सितम्बर 190 के अंत के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों के 179 लाख ऋण खातों के अंतर्गत बकाया राशि 128.18 करोड़ रुपये थी इनमें से कमजोर वर्गों की राशि 99 लाख ऋण खातों के अंतर्गत 2475 करोड़ रुपये थीजो कि कुल का 19.3% बैठती है।

कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के उद्देश्य से बैंक लाभ

प्राप्त करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से बैंक सहायता का वितरण करने के लिए समारोह किये जाते हैं ताकि समाज के कमजोर वर्गों के बीच उन सुविधाओं के रूप में पहले से अधिक जागरुकता पैदा की जा सके जिन्हें वे बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें बैंक की सहायता से स्व-रोजगार के धंधों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके तथा जनता को यह दिखाया जा सके कि इस वर्ग के लिए जो लाभ रखे गये वे वास्तव में उस वर्ग तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस सामूहिक ऋण योजना नहीं कहा जा सकता ।

लाभ प्राप्त करने वालों का पता लगाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत खास-खास एजेंसियां नामित की गई हैं।

ऋण देने कार्यक्रमों के संबंध में बैंक लाभ पाने वालों का पता लगाने और आवेदनों को जुटाने के लिए अपने विकास अथवा क्षेत्रीय कर्मचारियों का उपयोग करते हैं। कभी-कभी किन्हीं विशेष वर्गों के ऋणकर्ताओं के आवेदन जुटाने के लिए बैंक को सामाजिक संगठनों अथवा विशेष एजेंसियों की सेवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। बैंकों को सीधे आवेदकों से अथवा स्थानीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि से आवेदन प्राप्त होते है। इन सभी मामलों से बैंक के कर्मचारी आवेदकों की शिनाख्त, आवेदनों की वास्तविकता और प्रयोजनों की साख के बारे में और बैंकिंग संबंधी अन्य पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए आवेदनों के बारे में अपनी तसल्ली करते है। ब्याज की दरें और वापसी अदायगी के कार्यक्रम बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न योजनाओं के लिए जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार तय किये जाते है।

सामूहिक ऋण देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंकिंग मानदण्डों का उल्लंघन

2177. श्री सुधीर गिरि क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ फार्मों के आधार पर जिन्हें जनवरी, 1984 में अनधिकृत रूप से छपाए जाने का आरोप है, कुछ राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में सामूहिक ऋण जारी करके राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंकिंग मानदण्डों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार बैंक ऋणों को भविष्य में राजनीतिक रूप देने से रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत छोटे ऋणकर्ताओं के ऋण आवेदनों पर विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने तथा उनके मंजूर किए जाने के आधार पर सहायता की राशि के सार्वजनिक वितरण समारोह आयोजित किए गए हैं उनमें से किन्हीं बैंककारीनियमों का उल्लंघन नहीं होता। इन समारोहों में बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों में उन सुविधाओं के बारे में पहले से अधिक जागरुकता पैदा करने, जो वे सरकारी क्षेत्र के

बैंकों से उठा सकते हैं, ऋण सहायता से उत्पादक धन्धे शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरित करने और लोगों को यह दिखाने के लिए कि इन वर्गों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, वे वास्तव में उन तक पहुंच रही हैं, सहायता मिलती है ।

(ख) सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे सार्वजनिक समारोहों में हिस्सा लिए जाने को बैंक ऋणों का राजनीतिकरण नहीं कहा जा सकता ।

एम्पायर बिल्डर टर्नड एजुकेटिड अनएम्पलायड" शीर्षक से समाचार

2178. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1984 के "ब्लिट्ज" साप्ताहिक पत्र में "एम्पायर बिल्डर टर्नड एजुकेटिड अनएम्पलायड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : जी, हां ।

(ख) से (घ) : राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबंधों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती । अलबत्ता, यह बताया, जा सकता है कि बैंक प्रबंधक मामले से अवगत हैं ।

अनुसूचित जातियों को बैंकों से ऋण

2179. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में सदा हीं कोई न कोई बहाना बनाते हैं और इस वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए हमेशा काफी कठिनाइयां और परिहार्य बाधायें उत्पन्न करते हैं;

(ख) क्या दिल्ली राज्य सहकारिता बैंक लि० दरिया गंज, तथा स्टेट बैंक, वाराणसी और यूनियन बैंक, भोपाल ने बिना किसी कारण क्रमशः दिल्ली में अनुसूचित जातियों की एक संस्था सोनकर को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड वाराणसी में एक संस्था शैड्यूल्ड कास्ट अनएम्पलाएड यूथ

आर्गताइजेशन और मध्य प्रदेश में एक संस्था शैड्यूल्ड कास्ट वेल्फेयर आर्गनाइजेशन को ऋण मंजूर करने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे कमजोर वर्गों के ऋणकर्ताओं को और खास तौर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को और तेज करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे शाखाओं द्वारा इस संबध में कियें जा रहे कार्यों की देखभाल करने के लिये प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालय में विशिष्ट अधिकारी नियुक्त करें। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लाभ के लिए ऋण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में त्रुटियों के बारे की गई विशेष शिकायतों के प्राप्त होने पर उपचारात्मक कार्यवाई करने के लिए जांच की जाती है।

(ख) और (ग) इस संबंध में स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

खान-पान संबंधी प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों में दाखिल किये गये पूर्णकालिक छात्र

2180. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक खान-पान (केटरिंग) प्रशिक्षण संस्थान में कितने पूर्णकालिक छात्रों को प्रवेश दिया गया ;

(ख) उनकी संख्या के वर्षवार और राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक छात्र पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) प्रत्येक संस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया;

(ङ) इनकी संख्या के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ; और

(च) इन संस्थानों में से प्रत्येक में विभागीय सदस्यों की संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री : (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) से (च) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

होटल प्रबन्ध, खानपान शिल्प विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार होटल प्रबन्ध संस्थान खानपान एवं

	श्री नगर	बम्बई (जम्मू और काश्मीर)	मद्रस (महाराष्ट्र)	कलकत्ता (तमिलनाडु)	पोषाहार (पश्चिमी बंगाल)	संस्थान, नई (संघ शासित क्षेत्र (दिल्ली)
प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या						
1980-81	—	419	147	199	239	
1981-82	—	452	190	354	236	
1982-83	71	463	197	385	241	
जोड़ :	71	1334	534	938	716	
प्रति व्यक्ति खर्च :						
(रुपये)						
1980-81	—	1179	3572	3915	3559	
1981-82	—	1294	3277	2851	4216	
1982-83	6084·50	1160	4148	2714	4640	
दिया गया अनुदान						
1980-81						
पूंजी :	—	1,39,638	1,21,671	6,12,700	62,46,240	
राजस्व :	—	9,41,600	11,33,000	8,35,000	13,90,000	
1981-82						
पूंजी :	1,90,583	8,97,969	80,800	—	73,410	
राजस्व :	—	16,30,900	11,69,000	9,60,000	16,80,000	
1982-83						
पूंजी :	2,79,460	1,47,000	2,09,153	8,00,000	1,44,000	
राजस्व:	2,00,000	20,00,000	13,86,908	8,80,000	19,50,000	
विभागीय सदस्यों की संख्या :	6	46	28	19	35	

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कुप्रबन्ध

2181. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** क्या : **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कुप्रबन्ध के बारे में 5 अगस्त, 1983 के अन्तर्तांकित प्रश्न संख्या 215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रखी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (खुर्शीद आलम खां) (क) और (ख) :

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

(ग) : इसे यथा शीघ्र सभा पटल रख दिया जाएगा ।

हजारीबाग जिसे में सूर्यकुण्ड का विकास

2182 **श्रीरीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में बरकत्था में जी० टी० रोड पर स्थित अत्यधिक गर्म कुण्ड सूर्य कुण्ड एक मनोहरी दृश्य प्रस्तुत करता है;

(ख) क्या सुर्यकुण्ड के समग्र विकास के लिए तथा वहां पर पर्यटकों के लिए एक होस्टल तथा डाक बंगले का निर्माण करने तथा गन्धक युक्त गर्म जल के द्वारा त्वचा रोग के इलाज के लिए एक प्रयोगशाला के निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय महत्व के इस स्थान के विकास के लिए इस समय कोई योजना तैयार की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खां)

(क) से (ग) : केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों के मिले-जुले संसाधनों से आधारभूत संरचना के अवस्थाबद्ध विकास के लिए बिहार में विभाग द्वारा बिहार राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित तीन यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में हजारीबाग को शामिल किया गया

है । तथापि, इस समय हजारी-बाग जिले में सूर्यकुंड के विकास के लिए कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

लौह अयस्क के निर्यात के कारण घाटा

2183. **श्री टी० आर० शमन्ना क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के निर्यात के कारण 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(ख) क्या सरकार निर्यात के कारण घाटे को रोकने और प्राकृतिक संसाधओं के संरक्षण के लिए कोई नीति बनाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैंकुलाइजरों के निर्माण पर नियंत्रण

2184. **श्री के प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्कोटिक औषधियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग ने लिबिअम, बालिअप" आदि जैसी 33 ट्रैंकुलाइजरों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत में निर्मित होने वाली कौन-कौन सी ट्रैंकुलाइजरों नियंत्रित करने की संभावना हैं; और

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा)(क) संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ओषध-द्रव्य आयोग ने 6से 10 फरवरी 1984 तक वियाना में हुए अपने आठवें विशेष अधिवेशन में, पुन्नः प्रभावी द्रव्यों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसपय, 1971 की चतुर्थ अनुसूची में क्लोरडियाजेपोक्साइड (लिब्रियम) और डायलवैंजेपम सहित 13 बेंजोडयाजेपाउन द्रव्य रखने का निर्णय किया है ।

(ख) से (ग) : आयोग के अधिवेशन में इस मामले पर विचार के समय, भारतीय प्रयिनिधि-मण्डल ने अभिसमय की चतुर्थ अनुसूची में डायजेपम को शामिल करने के पक्ष में मत दिया किन्तु अन्य सभी बेंजोडियाजेपाइन द्रव्यों के संबंध में हुए मतदान में हिम्सा नहीं लिया । इन 33 द्रव्यों में से केवल पांच बेंजोडियाजेपाइन द्रव्यों अर्थात क्लोरडियाजेपोक्साइड, डायजेपम, आक्सजेपम, नाइट्रोजेपम और लराजेपम की निर्मितियों का देश में विपणन किया जा रहा है ।

मन: प्रभावी द्रव्यों संबंधी अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले तथा भारत में विपणन हेतु अनुमोदित मन: प्रभावी द्रव्यों को औषध-द्रव्य तथा प्रसाधन निर्मिति संबंधी नियमों की अनुसूची में शामिल किया गया है और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन इन द्रव्यों के आयात, निर्माण और बिक्री पर कड़ा नियंत्रण है। अभिसमय की चतुर्थ अनुसूची में इन द्रव्यों को शामिल किये जाने के परिणामत:, देश में विपणन किये जाने वाले पांच बेंजोडियाजेपाइन द्रव्यों को, मन: प्रभावी द्रव्यों संबंधी अभिसमय 1971 के उपबंधों के अनुसार यथोचित समय पर औषध-द्रव्य तथा प्रसाधन निर्मित संबंधी नियमों की अनुसूची में शामिल किया जाना होगा।

सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद निजी कम्पनियों में काम करना

2185. **श्री नवल किशोर शर्मा**

श्री सुधीर गिरि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद निजी कम्पनियों और विदेशी फर्मों में रोजगार प्राप्त करने पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या जिन उच्च पदस्थ अधिकारियों ने निजी कम्पनियों में काम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति मांगी थी उनके बारे में विशेष छानबीन करने का प्रस्ताव है :

(ग) क्या सेना के उन वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची तैयार करने का प्रस्ताव है जो पिछले दो वर्षों/दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं;/के

(घ) एसे अधिकारियों के वर्तमान व्यवसाय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों पर निगरानी रगने हेतु की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार थल सेना में कर्नल और इससे उच्च रैंक के अफसरों तथा नौ सेना एवं वायु सेना में इसके समकक्ष अफसरों को अपनी सेवा-निवृत्ति के दो वर्षों के भीतर किसीभी गैर-सरकारी फर्म में नियोजित होने से पहले सरकार से पूर्व-अनुमति लेनी आवश्यक है। उन्हें सेवा-निवृत्ति के बाद फर्मों में नौकरी करने की इजाजत नहीं है जिनका रक्षा मंत्रालय या इसके संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ किसी भी प्रकार का करार हुआ हो। अगर उनके कार्य में सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखने संबंधी अपेक्षा है और उन्हें सेवाओं/सरकार के सेवारत अफसरों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में आवश्यक प्रतिनिधि के

रूप में कार्य करना शामिल है तो उन्हें सेवा-निवृत्ति के बाद भी गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों (1982 और 1983) की अवधि में सेवा-निवृत्ति हुए सभी वरिष्ठ थल सेना अधिकारियों की एक सूची बनाई गई है । ऐसे 236 अफसरों में से 40 अफसरों को गैर-सरकारी फर्मों में रोजगार लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी ।

(ङ) इस विषय पर मौजूदा अन्देश पर्याप्त समझे गए हैं ।

ऋण प्रणाली का सरलीकरण

2186. **श्री विष्णु प्रसाद** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विकास के लिए संस्थागत अभिकरणों से ऋण प्राप्त करने में सीमांत और छोटे किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से औपचारिक विलम्ब दूर करने, और ऋण प्रणाली के सरलीकरण के लिए क्या-क्या परिवर्तन करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी); बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋण प्रस्तावों के संबंध में प्रक्रियाओं और ऋण देने की प्रणाली को पहले से ही काफी अधिक सरल बना दिया गया है । बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है कि शाखा प्रबन्धकों को छोटे ऋण आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिये पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों ।

अन्तर्राष्ट्रीय काजू समुदाय का गठन

2187 **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय काजू समुदाय का गठन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन लस्कर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों को वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बदला जाना

2188. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास उन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों का सबसे अधिक इक्विटी शेयर हैं, कुछ निदेशकों को इन वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बदले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी किये गये सरकारी मार्ग निर्देशों के अनुसार, जो 1 मार्च, 1984 से लागू हो गये हैं, वित्तीय संस्थाओं से उनके द्वारा सहायता-प्राप्त सभी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के निदेशक बोर्डों में अपने-अपने नामित निदेशक नियुक्त करने की अपेक्षा की गयी है। जहां तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों का संबंध है नामित निर्देशकों की नियुक्ति चयनात्मक आधार पर की जानी होती है विशेषकर उन मामलों में जहां निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक स्थितियां विद्यमान हों :—

(1) एकक को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके रुग्ण हो जाने की आशंका है ;

(2) संस्थागत शेयर 26 प्रतिशत से अधिक हो ; और

(3) जब ऋणों/निवेशों के रूप में संस्थाओं की जोखिम 5 एकड़ 5 करोड़ रुपये से अधिक हो।

यद्यपि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे लेकिन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के कुछ निदेशकों के स्थान पर वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रमुख हवाई अड्डों पर वास्तविक समय बताने वाले कम्प्यूटर लगाया जाना

2189. **श्री स्कारिया थॉमस** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर वास्तविक समय बताने वाले कम्प्यूटर लगाने का कोईप्रस्ताव है;

(ख) क्या देश के सभी हवाई अड्डों पर इसका विस्तार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) **से** (ग) : देश में प्रमुख हवाई आड्डों पर ' रियल टाइम कम्प्यूटर" लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्थिति यह है कि इंडियन एयरलाइन्स ने एक रियल टाइम कम्प्यूटर "यूनीवाक 1100/82" प्राप्त कर लिया है जिसे दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। इससे देश के चार प्रस्तुत हवाई अड्डों को

प्रावस्थाबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा । एयर इंडिया बम्बई में एक रियल टाइम कम्प्यूटर "यूनीवाक 1100/62" स्थापित कर रहा हैं ।

चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से उद्योगों पर पड़ा प्रभाव

2190. **श्री बीरेन घोष:**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या ऐसा कोई उद्योग है जो अपने तैयार उत्पाद के लिए उसके आमाब हेतु पूरे तौर पर चर्बी पर निर्भर है,

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ब) चर्बी के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लमाने के बाद ये उद्योग किस प्रकार चल रहे हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के पास इन उद्योगों के लिए कोई वकल्पिक योजना हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री : (श्री बिहार रंजन लास्कर) (क) तथा (ख) : पशु चरबी साबुन ग्रीस, आदि के उत्पादन में प्रयोग की जा सकती है लेकिन ये उद्योग पूर्णता पशु चरबी पर निर्भर नहीं है क्योंकि वे प्रतिस्थापन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं ।

(ग) से (ङ) इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की घरेलू उपतब्यता में वृद्धि करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम को विशिष्ट ओद्योगिक प्रयोग हेतु जनवरी, मार्च 1984 की अवधि के लिए अनुमोदित विशिष्ठियों के अनुसार 12.900 एमटी पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट तथा वनस्पति मूल की स्पिलिट पाम स्टेरिंग फैटी एसिड का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीयों

द्वारा कम शुल्क पर सामान खरीदने का अनुरोध

2191. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीयों ने अनुरोध किया है कि उन्हें भारत से निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामान के विदेशी मुद्रा में भुगतान करके कम शुल्क की दर पर खरीदने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) (क) और (ख) : जी, हां। खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीयों इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि भारत सरकार अनिवासी भारतीयों को बैंकिंग चेनल के जरिये विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान करने पर, भारतीय उत्पादों को प्रचलित निर्यात-मूल्यों पर ही खरीदने तथा भारतीय उत्पादों को सीमाशुल्क के बिना भारत में आयात करने की इजाजत दे। ये अनुरोध स्वीकार्य नहीं पाये गये हैं। तथापि यह उल्लेखनीय है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 20 के अधीन भारतीय मूल के माल का भारत में पुनः आयात किये जाने पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उक्त उपबंधों में निर्धारित शर्तें पूरी होने की दशा में उतना सीमाशुल्क लगता है जो ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क के बराबर हो।

शत प्रतिशत निर्यात करने वाली यूनिटों को और सुविधाएं देना

2192. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली यूनिटों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए और अधिक सुविधाएं देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त यूनिटों को मिल रही अन्य तत्संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन लास्कर) (क) जी हां, सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को और सुविधाएं देने का विनिश्चय किया है।

(ख) तथा (ग) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत अनुमोदित एककों को उपलब्ध की जा रही नई सुविधाएं तथा अन्य विद्यमान सुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों में निहित हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं:—

(1) **नई सुविधाएं**—

22 नवम्बर, 1983 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग खण्ड 1 में प्रकाशित दिनांक 21 नवम्बर, 1983 का संकल्प सं० 1/5/82-ई० पी०; और

(11) **अन्य सुविधाएं**—

31 दिसम्बर, 1980 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 का संकल्प सं० 8 (15)/78-ई० पी०।

जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को आय बैठक बुलाना

2193. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जिन कम्पनियों को ऋण दिए हैं, उनकी आम बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अचानक बैठक बुलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

"हेंक यार्न" की आवश्यकता

2194. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिये हेंक यार्न की कितनी आवश्यकता है;

(ख) इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या ऐसा कोई सांविधिक उपबन्ध है जिसमें मिलों के लिए अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत का "हेंक्स" में उत्पादन करना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में इन उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली निजी मिलों राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और सहकारी कताई मिलों के नाम क्या हैं;

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री : (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिए हथकरघा क्षेत्र की हेंक यार्न की आवश्यकता क्रमश: लगभग 300 और 315 मिलियन किग्रा होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) तथा (ग) : सूती तथा कृत्रिम रेशम वस्त्र उद्योग के सभी एककों पर यह सांविधिक बाध्यता लागू करके, कि वे यार्न की अपनी रिविल डिलीवरियों का 50% हेंक के रूप में उत्पादित करे, हथकरघा सहकारी बुनकर कताई मिलों की स्थापना करके तथा राज्य सरकारों से यह अनुरोध करके कि वे राज्य वस्त्र निगमों तथा सहकारी कताई मिलों से सम्बन्धित मिलों का अपना हेंक यार्न का उत्पादन, सहकारी तथा राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए पुल करे, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपाय किए हैं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन मिलों के नाम जिन्होंने जुलाई 79 से मार्च 1983 अवधि के हेंक यार्न का सांविधिक दायित्व पूरा नहीं किया ।

1. गुजरात स्पिनिंग मिल्स
2. हाटनाईजिंग मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०
3. अहमदाबाद एडवांस मिल्स
4. अहमदाबाद काटन मैन्यू० कं० लि०
5. कैलिको मिल्स
6. आर्योदया स्पिनिंग एंड मैन्यू० कं० लि०
7. आर्योदया स्पिनिंग एंड वीविंग कं० लि०
8. मंजू श्री टेक्सटाइलस
9. बिहारी मिल्स लि०
10. तरून कमर्शियल मिल्स अहमदाबाद
11. श्री बंसीधर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
12. मार्सदन स्पिनिंग एंड वीविग मिल्स
13. सहयोग टेक्सटाइलस
14. श्री महुवा स्पिनिंग मिल्स कं० लि०
15. राजप्रकाश स्पिनिंग मिल्स लि०
16. बम्बई डाईंग एंड मैन्यू० कं० लि० हेमानगर
17. सुकेतु टेक्सटाइलस
18. पी० जी० टेक्सटाइल मिल्स लि०
19. श्री यमुना मिल्स कं० लि०
20. नवज्योति मिल्स लि०
21. श्री त्राजेश टेक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०
22. श्री अमेसिंहजी मिल्स लि०
23. प्रकाश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज
24. राजस्थान जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
25. पोदार रिपनिंग मिल्स
26. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
27. सुंदर्शन टेक्सटाइल मिल्स
28. महाराजा श्री उमेद मिल्स
29. मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स
30. जगतजीत काटन मिल्स
31. जयपुर सिनटेक्स लि०
32. राजस्थान सिनटैक्स लि०
33. जयपुर पोली स्पिन लि०
34. सिद्धा सिनटेक्स लि०
35. आसाम काटन मिल्स लि०
36. डुमरान टेक्सटाइलस लि०
37. बिहार काटन मिल्स लि०
38. दिल्ली काटन एंड जनरल मिल्स लि०
39. ऐंग्लों फ्रैंच टेक्सटाइलस लि०
40. एलसन काटन मिल्स लि०
41. श्री सरस्वति स्पिनिंग मिल्स
42. इस्ट इंडिया सिनटैक्स लि०
43. के० जी० टैक्सटाल्स लि०
44. चिकेतरी मिल्स
45. डोडबल्लापुर स्पिनिंग मिल्स
46. श्री वेल्लिपा टैक्सटाइलस
47. बिन्नी लि०
48. गोपालकृष्णा टेक्टाइलज लि०
49. श्री मीनाक्षी सुन्दरम टेक्टसटाइलस लि०
50. अशोक टेक्सटाइलस लि०
51. राजागोपाल टेक्सटाइल मिल्स
52. त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स
53. तिरूविपति मिल्स प्रा० लि०
54. काठावी काटन मिल्स लि०
55. जी० टी० एन० टेक्सटाइल्स लि०
56. कोट्टायम टैक्सटाइलस लि०
57. केरल स्पिनर्ज लि०
58. प्रभुराम मिल्स लि०
59. सीताराम स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०
60. वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स

61. अरिहेंत स्पिनिंग मिल्स
62. मुरादाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
63. यू० पी० स्टेट स्पिनिंग एंड वीविंग मि०
64. मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
65. हिन्डन रिवर मिल्स
66. ब्रेडबुरी मिल्स लि०
67. मुकेश टेक्सटाइल मिल्स
68. कूरला स्पिनिंग एंड वीविंग मि०
69. जैम मैन्यू कं० लि०
70. कमला मिल्स लि०
71. कोहिनूर मिल्स नं० 2 एंड 3
72. मार्डन मिल्स लि० नं० 2
73. मफ्तलाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग कं० लि० नं० 3
74. श्री निवास मिल्स
75. श्री सीताराम मिल्स लि०
76. टाटा मिल्स लि०
77. राजिन टेक्सटाइल मिल्स
78. निमार टेक्सटाइलस
79. मादसौर टेक्सटाइलस
80. श्री साज्जन मिल्स
81. सेन्टल जेल फैक्टरी कोइमबटूर
82. श्री पदमावति काटन मिल्स राजापालयम
83. श्री रामलिंगा चौडमबिके मिल्स लि०
84. आनन्दकुमार मिल्स लि० कोइमबटूर
85. सरी तामिलनाडु स्पिनिंग मिल्स, त्रिपुर
86. सरीपदमा मिल्स लि०
87. सरी कोठनडारम स्पिनिंग मिल्स
88. राजह मिल्स मदुराई
89. दि कोइमबटूर पाइनियर मिल्स लि०
90. सरी सुसीला मिल्स
91. आशा टेक्सटाइल, कोइमबटूर
92. त्रिपुर टेक्सटाइलस प्रा० लि०
93. दि गोविंद टेक्सटाइलस लि० पकोइमबटूर
94. सरी बालाजी काटन मिल्स
95. थाम्बी मार्डन स्पिनिंग मिल्स
96. श्री स्नेहवाल्ली टेक्सटाइलस मि०
97. हंसावेनी स्पिनर्स, कोइमबटूर
98. सी० पी० जी टेक्टसटाइलस पाल्ला
99. यूनिटी मिल्स प्रा० लि० कोइमबटूर
100. के० एन० एम० टेक्सटाइल्स कोइमबटूर
101. शक्तिगढ़ टेक्सटाइल्स
102. मयूरक्षी काटन मिल्स
103. बसंती काटन मिल्स
104. इंडिया जूट कं० लि०
105. डुंबार मिल्स
106. मोहिनी मिल्स
107. इंडिया जूट कं० लि०
108. दुर्गा काटन स्पिनिंग मिल्स
109. बांगदया काटन मिल्स

आई एल-76 विमानों की खरीद

2195. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई एल-76 विमान खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या और मूल्य कितना है; और

(ग) ये विमान भारतीय वायु सेना को कब तक उपलब्ध करा दिए जाएगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां ।

(ख) यह सूचना लोकहित में प्रकट करना ठीक नहीं होगा ।

(ग) आई एल-76 की 1984-85 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के परिणाम

2196. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश क अर्थशास्त्रियों ने सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण के परिणाम बताए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)

(क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का आशय इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक 21 जनवरी, 1984 के संस्करण में छपे उस मुख समाचार से है जिसमें वित्त मंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ 20 जनवरी, 1984 को हुई बैठक में किए गए विचार-विमर्शों के बारे में रिपोर्ट दी गई है । यह बात-चीत सामान्य प्रकार की थी और इस बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया गया था । बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के परिणामों के बारे में कोई विशेष सलाह नहीं दी गई थी ।

निरीक्षण महानिदेशालय में असैनिक वैज्ञानिक के अधिकारियों को रिहायशी आवास का आबंटन ।

2197. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या निरीक्षण महानिदेशालय संगठन (डी० जी० आई० आर्गनाइजेशन) के स्थायी सेकिण्ड सर्विस आफिसर्स यह दावा करते हैं कि सेना नियमों के अनुसार किसी भी नियमित आर्मी आफिसर्स की तरह वे भी रिहायशी आवास के लिए पात्र हैं;

(ख) क्या मद्रास, बंगलौर, देहू रोड़ तथा अहमदनगर जैसे स्थानों पर आवासीय क्वार्टरों को निरीक्षण महानिदेशालय (डी० जी० आई) की धनराशि से केवल सर्विस आफिसर्स के लिए ही निर्मित किया गया है और क्वार्टरों को असैनिक अधिकारियों को आबंटित नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या उपर्युक्त (ख) में उल्लेख किए गए विभिन्न स्थानों पर स्टेशन पूल से सर्विस आफिसर्स के लिए रिहायशी आवास उपलब्ध हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हां में है तो स्टेशन पूल से डी० जी० आई० सर्विस आफ़िसर्स को मकान आबंटित न करने के क्या कारण है तथा डी० जी० आई० धनराशि से केवल उनके लिए ही अलग मकानों के न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या डी० जी० आई० के सिविलियन सांइटिफिक आफिसर्स से रिहायशी आवास आबंटन में भेदभाव करने के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री के० पी० सिंह देव**) (क) महानिदेशालय निरीक्षण के सेवा अफसरों की रिहायशी आवास के वही पात्रता है जो अन्य सेना अफसरों की है ।

(ख) जी नहीं महानिदेशालय निरीक्षण के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए रिहायशी आवास उनकी सेवा शर्तों के अनुसार निर्मित किया जाता है और सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिशत की मात्रा निर्धारित की हुई है ।

(ग) महानिदेशालय निरीक्षण संगठन में सेना अफसर स्टेशन पूल से रिहायशी आवास के लिए पात्र नहीं है ।

(घ) अपर (ग) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) रक्षा विज्ञान सेवा अधिकारी एसोसिएशन ने सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों को आवास के आबंटन में भेदभाव बरतने के बारे में अभ्यावेदन किया है । उन आभ्यवेदनों की जांच की जानी है और यह पाया गया है कि आवास का आबंटन मौजूदा मानकों के अनुसार किया गया हैं ।

पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात को तेज करने के लिए उठाए गए कदम

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात को तेज करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : पूर्वी क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात के लिए पारादीप पत्तन मुख्य नियम मार्ग है। इस पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नक्ति प्रमुख कदम उठाए गए हैं :—

(1) खनिज धातु व्यापार निगम से उन देशों में लौह अयस्क के निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने के लिये कहा गया है जो पारादीप पत्तन के लिये अपने छोटे जलयान नियोजित करने के इच्छुक हों। खनिज व धातु व्यापार निगम ने दक्षिण कोरिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, रुमानिया तथा जापान को चालू वर्ष के दौरान पारादीप पत्तन से लौह अयस्क उठाने के लिये राजी कर लिया है इस प्रकार 1983-84 के दौरान पारादीप से कुल संभावित निर्यात लगभग एक मिलियन में टन हो गये है। 1984-85 में भी ऐसी संभावना है कि दक्षिण कोरिया 4 टन० जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य 3 लाख मे० टन तथा जापान 5 लाख मे० टन अयस्क लेगा, इस प्रकार 1984-85 के लिए उनके अनुमानित निर्यात लगभग 1.2 मिलियन मे० टन हो जायेगें ।

(2) खनिज व धातु व्यापार निगम पारादीप पत्तन से अयस्क उठाने में अन्तर्गस्त अधिक भाड़े के लिये खरीदारों की कीमतों में छूट देकर प्रतिपूर्ति करने के लिये सहमत है ।

(3) दोनों पत्तनों की लदान क्षमता, अर्थात् पारादीप पर प्रारम्भिक लदान तथा मद्रास पत्तन पर माल उठाने की संभाव्यता तथा आर्थिक क्षमता का खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(4) पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क की लदान सुविधाओं में हाल ही में पर्याप्त लागत पर काफी सुधार आया है ।

(5) रात्रि के समय जलयानों को संचालित करने के लिये रात्रि नौचालन आरम्भ किया गया है ।

(6) उड़ीसा सरकार जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके पत्तन की लदान क्षमता बढ़ाने लिये दलदल की समास्या का निरन्तर उपाय खोजने के लिये पारादीपा पत्तन पर ट्रांससिसपर-कम ड्रेगर स्थापित करने की संभाव्यता का अध्ययन कर रहो है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर रेडियो संचार व्यवस्था का खराब होना

2199. **श्री नारायण चौबे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1984 को कलकत्ता से प्रकाशित "स्टेट्समैन" में "रेडियो एट एयरपोर्ट आउट आफ आर्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : कलकत्ता में प्रतिस्थापित इण्डियन एयरलाइन्स की एच० एफ०/एस० एस० बी० ट्रांस-रिसीवर यूनिट फरवरी, 1984 में कुछ दिनों तक खराब रही । इसकी मरम्मत कर दी गई तथा अब यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ।

पूना छावनी में बहुमंजिली इमारतें

2200. **श्री आर आर भोले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना छावनी में गत 4-5 वर्षों के दौरान कई बहुमंजिली इमारतें बनी हैं जिनमें से अधिकांश इमारतें अनधिकृत हैं और उनके निर्माण से वहां की सड़कें तंग हो गई है ;

(ख) क्या पूना छावनी बोर्ड ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया है कि बहुमंजिली इमारतों में सम्पत्ति न खरीदी जाए ;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितनी इमारतों का अनधिकृत निर्माण हुआ तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) उक्त इमारतों में से कितनी इमारतों का फर्श का क्षेत्रफल अधिक रखने की अनुमति दी गई और यह किन कारणों से दी गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० पी० सिंह देव : (क) से (घ) 1979 से पूना छावनी क्षेत्र में 43 बहुमंजिली इमारतें बन चुकी हैं जिनमें से 12 इमारतें अनधिकृत रूप से निर्मित की गई है । छावनी बोर्ड ने उन अनधिकृत निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है । उन्होंने अक्तूबर, 1983 में जनता को चेतावनी देते हुए समाचार पत्रों में एक आम नोटिस भी जारी किया कि छावनी क्षेत्र में बनाई जा रही कुछ बहुमंजिली इमारतों का निर्माण अधिकृत है और भावी खरीददारों एवं किरायेदारों को सम्पत्ति खरीदते/कब्जा लेते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके कब्जे में जो सम्पत्ति है उसके बारे में छावनी बोर्ड ने वैध मंजूरी दी हुई है ।

2. बहुमंजिली इमारतों की मंजूरी देते समय छावनी बोर्ड योजनाओं में यह अड़चन डालता है कि सड़के चौड़ी बनाई जाएं ।

3. 24-2-1982 तक कोई फ्लोर स्पेस इन्सेक्स विनिमय नहीं था । छावनी बोर्ड ने फ्लोर स्पेस इन्डेक्स के उल्लंघन में कोई योजना स्वीकृत नही की है ।

चावल का निर्यात

2201. **श्री ए० के० बालन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी गैर-सरकारी एजेंसी ने 1983 में चावल का निर्यात किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने चावल का निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) 1982-83 में गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई थी। 1983-84 में गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है। 1983 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत संघ को 10,000 मे० टन और श्रीलंका को 10,000 में० टन० गैर बासमती चावल निर्यात किया। बासमती चावल के निर्यात 6,000 रु० प्रति एम० टी० की न्यूनतम निर्यात कीमत पर खुले सामान्य लाइसेन्स के आधार पर हैं। 1983 में 13,9,640 एम० टी० बासमती चावल का निर्यात किया गया :

बम्बई में बैंकों को ऋण वितरण के निदेश

2202. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में बैंकों को 29 फरवरी, 1984 तक कुछ ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने बैंकों/बैंक को इस प्रकार के निदेश दिए गए हैं और उन्होंने कितने ऋण वितरित किए हैं तथा इन ऋणों के अंतर्गत अधिकतम और न्यूनतम कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह में तेजी लाने और इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में ऐसे हिताधिकारियों के पता लगाने के वास्ते बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की सलाह दी है। उन्हें सार्वजनिक समारोहो का आयोजन करने की भी सलाह दी गई है जिससे समाज के कमजोर वर्गों में उन सुविधाओ के बारे में पहले से अधिक जागरूकता पैदा करने जो बैंकों से उठा सकते हैं, ऐसी सहायता से अपने धन्धे आप शुरू करने के लिए प्रेरित करने में सपाया मिलती है। बम्बई स्थित सभी बैंकों को यही सलाह दी गई थी। बैंकों द्वारा बम्बई में ऐसे किसी अभियान की समाप्ति पर किसी सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। अतः बैंकों द्वारा पता लगाए गए हिताधिकारियों या संवितरित ऋणों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

रक्षा उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना

2203. **श्री रास विहारी बहेरा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रक्षा उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग स्थापित करने की कृपा कोई योजना बनाई है ।

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही दी गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) **से (ग)** : इस सम्बन्ध में कतिपय प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान माउंट आबू के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

2204. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र माउंट आबू के लिए वर्ष 1984-85 के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावित योजनाओं को कब तक कार्यान्वित कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1984-85 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग का माउंट आबू में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए किसी स्कीम को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ान सं० आई० सी० 494 में विमान कर्मचारियों का असहायक आचरण

2205. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 फरवरी 1984 को जयपुर से रवाना होने के पश्चात् उड़ान सं० आई० सी०-494 बीच आकाश में डगमगा गई थी, जिसके परिणामस्वरूप काफी यात्री जख्मी हो गए थे और क्या जख्मी यात्रियों को उनके हाल छोड़ दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो विमान कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के प्रति उदासीनता दर्शाए जाने के क्या कारण थे और विमान कर्मचारियों द्वारा इस तरह का असहायक आचरण किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद खां) : (क) और (ख) : 19·2·1984 को अनुसूचित उड़ान आई० सी-494 का प्रचालन करते हुए इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान 20.55 बजे जयपुर से उड़ान भरी और जयपुर-दिल्ली सैक्टर पर उड़ान के दौरान इसे विक्षुब्ध मौसम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आरम्भिक जांचों से पता चला है कि "सीट बैल्ट बांध लें" का संकेत दिया गया तथा केबिन कार्मिकों ने भी आवश्यक घोषणाएं की जिनमें यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सीट बैल्ट बांध लें। विमान को अत्यधिक तूफानी मौसम का सामना करना पड़ा तथा यह ऊंची तलछट में चला गया जिसके परिणामस्वरूप एक जबरदस्त झटका सा लगा जो लगभग 8 सैकिन्ड रहा। इस झटके के परिणामस्वरूप कुछ यात्री तथा दो केबिन कार्मिक घायल हुए। कप्तान ने केबिन कार्मिकों से तुरन्त अनुरोध किया कि घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया जाये तथा जैसा कि परम्परा है, विमान में घायल यात्रियों को देखने के लिए एक डाक्टर की सेवाओं की मांग की गई। विमान 2125 को दिल्ली विमान क्षेत्र पर सुरक्षित उतरा। दिल्ली विमान क्षेत्र पर ड्यूटी पर उपस्थित विमान क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी ने 4 घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जिन्हें फिर और आगे चिकित्सा इलाज के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा मूलचन्द अस्पताल ले जाया गया। अतः यह कहना सही नहीं है कि घायल यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था तथा कार्मिकों ने उनके प्रति उदासीनता दिखाई थी।

केरल हथकरघा उद्योग में संकट

2206· **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल हथकरघा उद्योग संकट का सामना कर रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्यात पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर आर्थिक स्थिति में उपर्युक्त रूप से सहायता करने के लिए कदम उठायेगी ("बिजनस स्टेण्डर्ड" दिनांक 5 फरवरी, 1984)

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) सरकार के पास केरल हथरघा उद्योग के सामने किसी संकट के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथापि, सरकार ने बुनकरों की दशा को सुधारने तथा हथकरा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन स्कीमों में प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों तथा राज्यीय शीर्ष समितियों को अंश पूंजी सहायता शामिल है। ये स्कीमें केरल सहित सभी राज्यों पर लागू होती है। 1980-81, 81-82 तथा 82-83 के दौरान, शीर्ष समिति को प्रति वर्ष 7·00 लाख रु० की सीमा तक अंश पूंजी सहायता दी गई है जिसके बराबर राशि राज्य सरकारों से भी प्राप्त हुई है। अब हथकरघा कपड़े की बिक्रियों के संवर्धन के लिए एक वर्ष में 60 दिनों की अवधि के लिए सहकारी तथा निगमित क्षेत्रों से हथकरघा उत्पादन की खुदरा बिक्रियों पर 20% की रिबेट दी जाती है इसके अलावा, थोक बिक्रियों पर 15% तक की रिबेट हथकरघा प्राथमिक सहकारी समितियों को दी जाती है। यह रिबेट केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समान रूप में वहन की जाती है। सहकारी क्षेत्र भी प्रबंधीकीय उपदान, करघों के आधुनिकीकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कर रहा है। केरल शीर्ष समिति का बिक्री व्यवसाय बढ़ता रहा है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से देखा जा सकता है।

	(लाख रु० में)
1980-81	673·57
1981-82	796·60
1982-83	865·00

जहां तक बिजलीकरघों की वृद्धि का संबंध है, सरकार की नीति इस प्रकार की वृद्धि आधार वर्ष की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान केवल 5% तक के लिए अनुमति देने की है जिसका अभिप्राय है कि पूरे देश में 25,000 बिजलीकरघे हैं। यह विस्तार भी हथकरघा कर बुनकर सहकारिता क्षेत्र से ही होना है।

करेंसी नोटों का प्रचलन

2207 **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने मूल्य के करेंसी नोट चलन में हैं और उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) देश में इस समय कुल कितने मूल्य के एक तथा दो रुपये के सिक्के चल रहे हैं, और

(ग) सरकार द्वारा छापे जाने वाले प्रस्तावित नये करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 30 अप्रैल 1983 को कुल 18,084 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के नोट परिचालन में थे, यह अद्यतन तारीख है जिसके लिए मूल्यवर्गों के अनुसार ब्यौरा उपलब्ध है। यह ब्यौरा नीचे दिया है :—

बैंक नोटों का मूल्य	47,843 करोड़ रुपए
भारत सरकार के 1/- रुपए के नोटों का मूल्य	205 करोड़ रुपए
	जोड़ : 18048 करोड़ रुपए

(ख) 30 अप्रैल, 1983 को परिचालन में एक रुपए और दो रुपये के सिक्कों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

एक रुपये के सिक्के	167·07 करोड़ रुपये
दो रुपये के सिक्के	2·60 करोड़ रुपये
	जोड़ : 169·67 करोड़ रुपये

(ग) : 1984-85 के दौरान छापे जाने वाले नये नोटों की मात्रा और मूल्यवर्ग के अनुसार ब्यौरा अभी सरकार के विचाराधीन है।

पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा "करेंसी" जब्त किया जाना

2208· **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 8 फरवरी, 1984 को एक युवक से जो कि बैंकाक और हांगकांग जा रहा था, 75,000/- रुपये के बराबर की विभिन्न देशों की "करेंसी" जब्त की थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्णा) : (क) और (ख) पालम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिनांक 8-2-1984 को लुफ्थन्सा फ्लाइट नं० एल० एच०

660 से बैंकाक/सिंगापुर के लिए जानेवाले सात व्यक्तियों से, सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर, कुल 75,560/- रुपये की विविध मूल्य-वर्ग की भारतीय/विदेशी मुद्रा पकड़ी थी। अंतर्ग्रस्त सभी सात व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उसी दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। पकड़ी गई विदेशी मुद्रा को उन्होंने अपने शरीर में/असबाब के अंदर छिपाया हुआ था।

दोहरे कराधान को बचाने के लिए समझौता

2209. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ भारत के दोहरे कराधान को बचाने सम्बन्धी समझौते किए हैं,

(ख) ये समझौते कौन-कौन सी तारीखों को किए गये हैं :,

(ग) इन समझौतों की वित्तीय प्रवृति को देखते हुए क्या इनकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) : जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90, धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 44क और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क में बताया गया है, इन कर-संधियों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। "भारत के कर-करार" पुस्तिका की प्रतियां, जिसमें दिसम्बर, 1982 के अन्त तक सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर-संधियां और कुवैत तथा श्रीलंका के साथ हुई कर-संधियों से संबंधित बाद की सरकारी राजपत्र अधिसूचनाएं निहित हैं, माननीय संसद सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद पुस्तकालय में रख दी गई थीं, जिसका सूचकांक 336·294· एम० 3 है।

विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	कर-संधि का स्वरूप	सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख	भारत के मामले में लागू होने/ प्रभावी होने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	केवल वायुयान संबंधी लाभ	30-9-1975	26-1-1952

1	2	3	4	5
2.	आस्ट्रेलिया	केवल वायुयान संबंधी लाभ	19-11-1983	1-4-1975
3.	आस्ट्रिया	व्यापक	5-4-1965	करनिर्धारण वर्ष 1963-64 से आगे
4.	बेल्जियम	व्यापक	6-6-1975	6-7-1975
5.	बुल्गारिया	केवल जहाजरानी संबंधी लाभ	15-4-1977	3-8-1978
6.	चेकोस्लोवाकिया	केवल जहाजरानी संबंधी लाभ	3-6-1980	19-12-1979
7.	डेनमार्क	व्यापक	9-3-1960	कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से आगे
8.	इथोपिया	केवल वायुयान सम्बन्धी लाभ	4-1-1978	1-7-11966
9.	फिनलैंड	व्यापक	29-12-1961	करनिर्धारण वर्ष 1961-62 से आगे
10.	फ्रांस	व्यापक	18-2-1970	"पूर्ववर्ती वर्ष" 1-1-1970 को अथवा उसके बाद प्रारंभ
11.	फैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी	व्यापक	13-9-1960	करनिर्धारण वर्ष 1958-59 से आगे
12.	जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक	केवल जहाजरानी संबंधी लाभ	27-4-1979	19-7-1979

1	2	3	4	5
13.	ग्रीस	व्यापक	17-3-1967	करनिर्धारण वर्ष 1964-65 से आगे
14.	ईरान	केवल वायुयान संबंधी लाभ	28-5-1973	1-4-1973
15.	इटली	केवल वायुयान संबंधी लाभ	16-4-1975	करनिर्धारण वर्ष 1960-61 से आगे
16.	जापान	व्यापक	13-6-1960	"पूर्ववर्ती वर्ष" 1-1-1960 को अथवा इसके बाद प्रारम्भ
17.	कुवैत	केवल वायुयान संबंधी लाभ	31-3-1983	1-1-1967
18.	लेबनान	केवल वायुयान संबंधी लाभ	28-6-1969	कर निर्धारण वर्ष 1962-63 से आगे
19.	लिबियन अरब जयहिरिया	व्यापक	1-7-1982	29-5-1982 के बाद कर-वर्ष प्रारम्भ
20.	मलयेशिया	व्यापक	1-4-1977	करनिर्धारण वर्ष 1973-74 से आगे
21.	मारिशस	व्यापक	26-12-1983	करनिर्धारण वर्ष 1983-84 से आगे
22.	नार्वे	व्यापक	23-3-1960	करनिर्धारण वर्ष 1959-60 से आगे

1	2	3	4	5
23.	रुमानिया	केवल वायुयान एवं जहाजरानी संबंधी लाभ	20-12-1968	1-1-1966
24.	सिंगापुर	व्यापक	18-1-1982	कर निर्धारण वर्ष 1979-80 से आगे
25.	श्री लंका	व्यापक	19-4-1983	करनिर्धारण वर्ष 1981-82 से आगे
26.	स्विडन	व्यापक	23-1-1959	करनिर्धारण वर्ष 1959-60 से आगे
27.	स्विटजरलैंड	केवल वायुयान संबंधी लाभ	29-8-1958	करनिर्धारण वर्ष 1958-59 से आगे
28.	तंजानिया	व्यापक	16-10-1981	1-1-1982 से आगे लेखावर्ष प्रारम्भ
29.	संयुक्त अरब गणराज्य	व्यापक	30-9-1969	(क) "पूर्ववर्ती वर्ष" वायुयान लाभों के बारे में 1-1-1961 से आगे प्रारम्भ (ख) "पूर्ववर्ती वर्ष" आय के अन्य स्रोतों के बारे में 1-1-1969 से आगे प्रारम्भ
30.	युनाइडेड किंगडम	केवल संपदा शुल्क	2-4-1956	15-10-1953 से आगे

1	2	3	4	5
31.	युनाइटेड किंगडम	व्यापक	23-11-1981	वित्तीय वर्ष 1-4-1982 से आगे प्रारम्भ
32.	संयुक्त राज्य अमेरिका	केवल वायुयान संबंधी लाभ	26-11-1976	कर योग्य वर्ष 1-1-1976 को अथवा उसके बाद प्रारम्भ
33.	सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (रूस)	जहाजरानी संबंधी लाभ केवल	23-12-1976	3-3-1977
34.	जाम्बिया	व्यापक	18-1-1984	करनिर्धारण वर्ष 1979-80 से आगे

कम मूल्य के सिक्कों का चलन बन्द करना

2210. **प्रो० अजित कुमार मेहता ;**

श्री कमल नाथ :

श्री बी० डी० सिंह :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पांच पैसे के सिक्के को छोड़कर उससे कम मूल्य के सभी सिक्कों का चलन बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जब छोटे सिक्कों का चलन बंद होने पर कम से कम मूल्य और लेन-देन पांच पैसे का करना होगा तो इसका उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक पैसे और तीन पैसे के सिक्कों की ढलाई 1973-74 में और दो पैसे के सिक्कों की ढलाई 1979-80 में बंद कर दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक को इन सिक्कों को क्रमशः चलन से वापस लेने का परामर्श दिया गया है और इनमें से अधिकांश सिक्के इस प्रकार वापस ले लिए गये हैं।

(ख) एक पैसे, दो पैसे और तीन पैसे के सिक्कों का उत्पादन बंद किया जाना और उनकी परिचलन से वापसी इन सिक्कों की मांग में कमी के कारण हैं।

पहले से चलन में आ रहे सिक्कों के मूल्यवर्ग के मिश्रण की विभिन्न मूल्य-वर्ग के सिक्कों की मांग और इनकी उपयोगिता, इनके निर्माण की लागत और इनके वितरण पर आने वाले खर्च के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन सिक्कों का धात्विक अंश, धातु की लागत को हिसाब में लेते हुए और सिक्कों में जालसाजी और उनका गलाया जाना अनुत्साहित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

एक पैसे, दो पैसे और 3 पैसे के सिक्कों को क्रमश: परिचलन से वापस लेने के निश्चय को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों आदि को सभी लेन-देन पांच पैसे के निकटतम गुणित तक पूर्णांकित करने के अनुदेश दिए गए हैं। पूर्णांकन ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर, दोनों ओर होता है, जिसके प्रभाव से क्रेता और विक्रेताओं की लाभ-हानि बराबर हो जाती है। इसलिये इससे कीमतों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

सेना मुख्यालय के सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को अस्थायी प्रवेश पत्र जारी किया जाना

2211. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय से सेवा निवृत होने वाले असैनिक कर्मचारियों को अपने निलम्बित दावों का निपटान कराने के लिए सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने में कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उनको तीन से चार महीने के लिये अस्थायी प्रवेश पत्र जारी करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सेवा निवृति संबंधी दावों को बिना हील हुज्जत के निपटाया जाये ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। सेवानिवृत्त सिविलियन कर्मचारियों का रक्षा मुख्यालयों के सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश स्वागत कार्यालय के जरिए विनियमित किया जाता है जहां से उन्हें संबंधित अधिकारी के पास छोड़ दिया जाता है।

(ख) कोई कठिनाई महसूस नहीं की जा रही है। अत: ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दावों को समय रहते ही निपटाए जाने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सदर बाजार, दिल्ली कैंट में बिजली की कमी

2212. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में सदर बाजार, दिल्ली कैंट में बिजली की कमी के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में बार-बार बिजली चले जाने और कमी के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या अनेक लोग घरेलू विद्युत कनेक्शन की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा उन्हें कनेक्शन देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) दिल्ली छावनी में बिजली चले जाने के कारण सरकार को मालूम है। यह कुछ तो वर्तमान प्रणाली में अधिक भार होने के कारण होता है क्योंकि वर्तमान प्रणाली वहाँ के निवासियों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को और अधिक पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए वाणिज्यिक वितरण कार्य को दीर्घकालीन आधार पर दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को हस्तांतरित किए जाने की कार्रवाई चल रही है लेकिन इस बीच में एच टी/एल टी पैनलों को बदलने का काम भी शुरू किया गया है और इससे भी कुछ दिन के लिए बिजली की सप्लाई में बाधा हुई होगी।

(ग) स्थाई कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान प्रणाली पर अत्यधिक भार है और वह दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को हस्तांतरित किए जाने के अधीन है। फिर भी, अस्थाई कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

फेरा कम्पनियों का ब्यौरा

2213. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल 'फेरा' सूची की कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) मूल 'फेरा' सूची की प्रत्येक कंपनी की विदेशी धारक कंपनियों के उनके मूल देश सहित नाम क्या हैं; और

(ग) जिन कंपनियों ने अपनी इक्विटी कम नहीं की है उनके नामों सहित उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी इक्विटी कम कर दी है और उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी कम्पनियो द्वारा 40 से 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर लेरा

2214. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी धारक कम्पनियों के नाम उनके मूल देश तथा प्रत्येक मामले में इक्विटी

की राशि सहित उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके 40 से 50 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर विदेशी निगमित निकायों द्वारा लिये गये हैं; और

(ख) मुख्य कार्यकारियों के नाम सहित ऐसी प्रत्येक कंपनी का व्यापार क्षेत्र और प्रत्येक ऐसी कंपनी के मुख्य व्यापार पते क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें धारित सामान्य शेयरों धारक (होल्डिंग) कंपनी के नाम, उसके मूल देश तथा कारबार के स्वरूप आदि जैसी बातों का ब्यौरा दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यों का ब्यौरा तथा कारबार के प्रधान स्थान का पता प्रत्येक वर्ष कंपनियों के तुलन-पत्रों में नियमित रूप से दिया जाता हैं। यह सब जानकारी कंपनी विधि बोर्ड के प्रादेशिक निदेशकों से भी प्राप्त की जा सकती है।

विवरण

फेरा कंपनियों का विवरण जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत के कम अनिवासी शेयर हैं।

क्रम संख्या	भारतीय कंपनी का नाम	होल्डिंग कंपनी का नाम	होल्डिंग कंपनी का देश	व्यवसाय का स्वरूप	अनिवासी हिताधिकार की प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एस्बेस्ट्स सीमेंट लि० नई दिल्ली (जो अब एवरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली के नाम से विख्यात है)	टर्नर एंड न्यूवाल लि०	यू० के०	विनिर्माण	49·46
2.	बेलिस एंड मॉरकॉम (आई) लि०, कलकत्ता (जो अब ररेपी ई०बेलिस इंडिया लि० है)	बेलिस एण्ड मारकॉन लि०	,,	,,	49.00
3.	डा० बेक एण्ड कं० (इण्डिया) लि०, पुणे	डा० बेक एण्ड कंपनी	पश्चिम जर्मनी	,,	49.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	ब्रेक्स इण्डिया लि०, मद्रास	जोसेफ लुकास इण्डस्ट्रीज लि०	यू० के०	,,	49.00
5.	बुकाऊ, वुल्फ न्यू इंडिया इन्जी० वर्क्स लि०, पुणे	मेस्किनन फेब्रिक बुकाऊ आर०बुल्क, ए० जी०	पश्चिम जर्मनी	,,	49.87
6.	कामिको बिनानी जिंक लि०, बंबई	कामिको लि०	कनाडा	,,	40.02
7.	कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लि०, सिकन्दराबाद	1. शेवरान केमिकल्स कंपनी यू०एस०ए०			
		2. इण्टरनेशनल मिनरल्स एंड केमिकल्स कारपोरेशन यू०ए०सए०		,,	47.00
		3. ई०आई०डी पैरी लि० यू० के०			
8.	डेगर फोर्स्ट टूल्स लि० थाने	1. ओस्वाल्ड फोर्स्ट गर्म	पश्चिमी जर्मनी	,,	48.58
		2. डीटशे गैसलशेफ्ट जुसामतर बिट एम०बी०एच०	पश्चिमी जर्मनी		
9.	ड्रेटॉन ग्रीव्ज लि० बंबई	ड्रेटॉन्स कंट्रोल (इन्जी०) लि०	यू० के०	,,	49.00
10.	गैनन नार्टन मेटल एण्ड डायमंड डाइस लि०, बंबई	वायर ड्राइंग डाइस (मानचेस्टर) लि०	यू० के०	,,	41.68
11.	हीन लेहमन (आई) लि० कलकत्ता	हीन लेहमान ए०जी०	पश्चिमी जर्मनी	,,	49.00
12.	हर्डिलिया केमिकल्स लि० बंबई	1. बी०पी० केमिकल्स इण्टरनेशनल लि०	यू के०	,,	44.49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. हरक्यूलस इन्क	यू०एस०ए०		
13.	इण्डियन गम इण्डस्ट्रीज लि०, बंबई	अरगना ट्रस्ट रजि०	स्विटजरलैंड	,,	49.00
14.	*कैथाल इण्डिया लि० कलकत्ता	बुल्टन कैथाल ए०बी०	स्विडन	,,	49.00
15.	केरला बेलर्स लि० केरल	रीड स्टार फाइबर कट	हालैंड	,,	49.00
16.	एल०एम०वान मोप्स डायमेंड टूल्स इण्डिया लि०, कोन्नूर	एल०एम०वान मोप्स एंड संस लि०	यू० के०	,,	49.00
17.	मेसमीजर एरोमेटिक्स (आई) प्रा०लि०मद्रास	मेसमीजर एरोमेटिक्स वी०वी०	हालैंड	,,	49.00
18.	महिंद्रा सिंटर्ड प्रोडक्ट्स लि०, पुणे	बीरफील्ड लि०	यू० के०	,,	49.00
19.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लि०, मद्रास	एमोको इण्डिया इन्क एंड नेशनल एरानियम कं०	यू०एस०ए० और ईरान	,,	49.00
20.	ओ/ई/एन इण्डिया लि० कोचीन	जी०ए०के० इण्डस्ट्रीज इन्क	यू०एस०ए०	,,	45.00
21.	आर०एच० विंडसर (आई०) लि० बंबई	जी०के०एन० विंडसर लि०	यू० के०	निर्माण	49.00
22.	रीचहोल्ड केमिकल्स (आई०) लि० बंबई	रीचहोल्ड केमिकल्स इंक	यू० एस०ए०	,,	45.00
23.	सेनापति हिटली (आई०) लि० बंगलौर	बी०एस०एण्ड डब्ल्यू०	यू० के०	,,	48.33
24.	*संसार मशीन्स लि० नई दिल्ली	सिंगर सोइंग मशीन कं०	यू०एस०ए०	,,	49.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट, लि० मद्रास	मैसीपरग्यूसन लि०	कनाडा	,,	49.00
@ 26.	यूनी सांक्यो लि० हैदराबाद	सांक्यो कं० लि०	जापान	,,	49.00
27.	विकर्स स्पैरी आफ इण्डिया लि० बंबई	स्पैरी ऐण्ड कारपोरेशन	यू०एस०ए०	,,	44.93
28.	वेस्टर्न थॉमसन (आई०) लि० मद्रास	वेस्टर्न थॉमसन कंट्रोल्स लि०	यू० के०	,,	49.00

टिप्पणी—इस सूची में निम्नलिखित वर्गों की कंपनियां शामिल नहीं हैं—

(i) वे कंपनियां जिन्होंने अपनी गतिविधियां समाप्त कर दी हैं और जो अपना कारबार बन्द करने का काम कर रही हैं ।

(ii) वे कंपनियां जिनके 40% से अधिक अनिवासी हिताधिकार भारतीय मूल राष्ट्रीकता के व्यक्तियों के हाथों में हैं ।

(iii) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित कंपनियां;

*उन कंपनियों की ओर इंगित करता है, जिनको "फेरा" 1973 की धारा 29 (2)-(क) के अन्तर्गत अनिवासी हिताधिकार को कम करके 40 प्रतिशत तक ले आने के निर्देश दिये गये हैं ।

@ 49 प्रतिशत वर्तमान अनिवासी हिताधिकार बनाये रखने के लिये कंपनी के अभिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

सर्वोच्च अधिकारी विहीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2215. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम सर्वोच्च अधिकारी विहीन हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस एम. कृष्णा) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 200 से अधिक उद्यमों में से 13 उद्यम ऐसे हैं, जिनमें फिलहाल पूर्णकालिक कार्यपालक नहीं हैं । सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने इन 13 रिक्तियों में से 10 पदों को भरने के लिए सरकार को सिफारिशें भेज दी हैं ।

सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशों पर सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा अन्तिम रूप से नियुक्ति केवल मन्त्रिमण्डल नियुक्ति समिति की स्वीकृति से ही की जा सकती है। कभी-कभी नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में विलम्ब होता है।

भारतीय जलसीमा का उल्लंघन करने के कारण रोके गए विदेशी जहाजों की संख्या

2216. **श्री नवीन रावणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान मछली पकड़ने अथवा कुछ अन्य अवैध कार्य करने के लिए भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर के नियमों का उल्लंघन करने के कारण भारत ने कितने विदेशी जहाजों को रोका है;

(ख) वे किन-किन देशों से सम्बद्ध हैं,

(ग) इनमें कितने जहाज कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं, और

(घ) भारत सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन कार्य कर रही भारतीय कंपनियों द्वारा किराए पर लिए गए विदेशी पोतों को छोड़कर 1983 के दौरान दो विदेशी पोत रोके गए थे।

(ख) दोनों ताईवान के थे।

(ग) पहले पोत में 25 और दूसरे में 24 थे।

(घ) दोनों मामलों में मुकदमा चलाया गया है। एक मामले में बहुत ही मामूली दण्ड दिया गया है जिसमें पोत के कप्तान (मास्टर) पर 50,000/- रु० का जुर्माना किया गया है। दूसरा मामला अभी न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है।

कूच बिहार और जलपाइगुड़ी को विद्युत से जोड़ना

2217. **श्री पीयूस तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कूच बिहार और जलपाईगुड़ी को विद्युत सेवाओं से जोड़ने का फैसला किया है,

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन के मंत्रालय राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने कूच बिहार के लिए वायुदूत सेवा का विस्तार करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है । जलपाईगुड़ी के लिए एक सेवा का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) नागर विमानन विभाग कुच बिहार के हवाई अड्डे का विकास कर रहा है । इस परियोजना के शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है । वायुदूत की इसके बाद ही कूच बिहार के लिए प्रचालन करने की योजनाएं हैं ।

सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत "ग्रेफ" के सिविलियन कर्मचारियों को दूरवर्ती क्षेत्र भत्ता

2218. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर के पुंछ और राजौरी क्षेत्रों में काम कर रहे रक्षा एस० ई० एस० और रक्षा लेखा विभाग आदि के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागीय कर्मचारियों को दूरवर्ती क्षेत्र भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों और मन्त्रालयों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न भत्तों के अतिरिक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत "ग्रेफ" के सिविलियन कर्मचारियों को इस भत्ते की अदायगी की जा रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) (क) : जी हां, रक्षा कर्मचारियों, सेना इन्जीरियरी सेवा और रक्षा लेखा विभागों के कर्मचारियों समेत जम्मू और कश्मीर के कतिपय सुपरिभाषित क्षेत्रों में तैनात किए गए सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 19 जुलाई, 1983 से विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता मंजूर किया जा रहा है । राजौरी और पुंछ जिले (पुंछ और राजौरी कस्बों को छोड़कर) इन क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । जब वे दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं तो उन्हें विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ते से भिन्न विशेष प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी की जाती है ।

"ग्रेफ" के सिविलियन कर्मचारियों को दूरवर्ती क्षेत्र भत्ता

2219. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन की "सम्पर्क" परियोजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर के

राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रेफ के उन सिविलियन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो दूरवर्ती क्षेत्र भत्ता से प्रभावित है,

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय ने इस क्षेत्र में काम करने वाले ग्रेफ के सिविलयन कर्मचारियों को दूरवर्ती क्षेत्र भत्ते की अदायगी पर कोई रोक लगाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो वित्त मन्त्रालय द्वारा इसकी मंजूरी के समय में ही इसके दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह. देव) (क) जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के करीब 1600 कर्मचारी ।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में सेवारत जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिकों को विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता नहीं दिता जाता है । सीमा सड़क संगठन में निर्धारित क्षेत्रों में विशेष प्रतिपूरक भत्ता दिए जाने की प्रणाली पहले से ही लागू है । फिर भी, विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता की अदायगी के सम्बन्ध में जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिकों पर वित्त मन्त्रालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । वित्त मन्त्रालय के अनुदेश सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों पर तब तक स्वत: लागू नहीं होते जब तक उन्हें सरकारी आदेशों के अधीन विशेष रूप से लागू न किया जाए । फिर भी, विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ते की तुलना में जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिकों के लिए विशेष पूरक भत्ता अधिक लाभप्रद है इसलिए राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में तैनाती किए गए जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिकों पर विशेष प्रतिपूरक भत्ते के प्रावधान लागू करने सम्बन्धी एक मामला विचाराधीन है ।

सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत "ग्रेफ" में गैर सैनिक और सैनिक कर्मियों की सुविधाओं में अन्तर

2220. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत "ग्रेफ" में समान स्थिति में कार्य कर रहे गैर सैनिक और सैनिक कर्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं में अन्तर है,

(ख) तदि हां, तो दोनों प्रकार के कर्मियों को उपलब्ध सुविधाओं में अन्तर का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) सीमा सड़क संगठन में सेना और जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कार्मिक होते हैं जिन पर उनकी संबंधित

सेवा शर्तों और सुविधाएं लागू होती हैं। जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए कई प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

रक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जी. आई. ई. एफ. के वरिष्ठ अधिकारियों का आदर

2221. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अधिनियम के उपबन्दों के प्रयोजन के लिए जी. आर. ई. एफ के सभी रैंक आर्मी रैंक के बराबर हैं,

(ख) यदि हां तो क्या जी. आर. ई. एफ. के सभी रैंक्स जूनियर आर्मी रैंक से सलामी जैसे आदर के हकदार है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रक्षा विभाग के अधिकारियों को जी. आर. ई. एफ. के वरिष्ठ अधिकारियों का आदर करने के लिए क्या निदेश दिए गए हैं, और

(ड.) क्या कर्त्तव्य और देश के प्रति निष्ठा रखने और मनोबल बनाये रखने के लिए सरकार का विचार रक्षा सेवाओं के उधार स्वरूप लिये गये जूनियर रैंक्स द्वारा जी. आर. ई. एफ. के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आदर करने के लिए जी. आर. ई. एफ. के सभी यूनिटों को निर्देश जारी करने का है।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ड·) थल सेना अधिनियम 1950 (जहां तक जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए लागू है) के प्रयोजन के लिए जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स और थल सेना में समकक्ष रैंक 30-4-77 की अधिसूचना के अन्तर्गत यथा संशोधित 20-5-1961 की अधिसूचना से 1001 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तदनुसार जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स के सभी रैंक कनिष्ठ सेवा रैंकों से सलामी जैसे सम्मान के हकदार हैं।

सभी सेना कार्मिकों और अफसरों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उचित सम्मान और आदर देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स में भर्ती होने पर फोर्स के सेन्टर में जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स के सभी कार्मिकों को भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमा सड़क संगठन, जिसमें जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स और सेना कार्मिक दोनों है, को सेवा प्रथा और परम्परा के रूप में कनिष्ठ कार्मिकों से वरिष्ठ कार्मिकों को सम्मान देने, सलाम करने की आशा की जाती है और यह अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में अलग से अनुदेश आवश्यक नहीं समझे गए हैं क्योंकि इसका उल्लंघन करना थल सेना अधिनियम के अन्तर्गत अनुशासन हीनता का कार्य है और दण्डनीय है।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की नौ मिलों के कार्यकरण पर पुनर्विचार हेतु आयोजित की गई बैठक

2222. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** क्या : **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की नौ मिलों के कार्यकरण पर विचार करने हेतु कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और किन मामलों पर पुनर्विचार किया गया तथा और निर्णय लिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत सभी एककों के कार्यचालन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है ।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के लिए वायुदूत सेवा

2223. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) को वायुदूत सेवा के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां वर्तमान हवाई अड्डे को सुधारने और उसका रख-रखाव करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह सेवा कब से शुरू हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) गाजीपुर उन स्टेशनों में से एक है जिनका वायुदूत सेवाओं के लिए विस्तार करने के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमोदन कर दिया गया है । तथापि, सेवा का आरम्भ किया जाना, प्रचलनों की आर्थिक साध्यता तथा अपेक्षित अधारसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ख) फिलहाल गाजीपुर में एक विमान क्षेत्र है जो राज्य सरकार का है । इस विमान क्षेत्र के विकास के प्रश्न पर विचार उस समय किया जाएगा जब वायुदूत गाजीपुर के लिए प्रचालन करने के लिए अपनी ठोस योजनाओं का संकेत दे देगी ।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है ।

गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कलायड वर्क्स गाजीपुर को आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए प्रस्ताव

2224. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कलायड वर्क्स गाजीपुर के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी पूंजी लगाई जाएगी और उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कार्य कब शुरू होगा और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे, से इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह पता चलेगा कि इसमें कुल कितनी पूंजी लगेगी। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे, अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी—

(i) मौजूदा प्रौद्योगिकी का उन्नयन;

(ii) लागत प्रभावी उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए संयंत्रों और मशीनों में यथोचित समझे जाने वाले परिवर्तन करना।

(ग) कार्य शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यह पता चल सकेगा कि परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा।

कालेज आफ मिलट्री इन्जीनियरिंग पुणे में सेना के अधिकारियों के लिये (एम० ई०) इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम लागू किया जाना

2225. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले शैक्षिक सत्र से कालेज आफ मिलट्री इन्जीनियरिंग पुणे में सेना के अधिकारियों के लिए मास्टर आफ इन्जीनियरिंग (एम० ई०) का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार सेना के अधिकारियों को उच्चतर अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए देश के आई० आई० टी० में सेना अधिकारियों के लिए कोटा बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीके० पी० सिंह देव) : (क) मिलिटरी इन्जीनियरिंग कालेज, पुणे में मास्टर आफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रत्येक इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता के लिए 5 वर्ष की अवधि आवश्यक होती है। इसके आधार पर प्रत्येक वर्ष चुने गए अफसरों को देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है। सरकार ने अफसरों को दो वर्ष की अध्ययन छुट्टी लेने की भी अनुमति दी है ताकि वे भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये उपाय पर्याप्त समझे गए है।

सूती कपड़े की उपलब्धता

2226. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूती कपड़े की उपलब्धता के बारे में कोई कार्यवाही की है,

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती कपड़े की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (मीटरों में) का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को इसे उपलब्ध कराने हेतु क्या सुविधाएं दी हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) देश में सूती कपड़े की जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन वर्षों 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान देश में सूती कपड़े का औसत उत्पादन लगभग 7960 मिलियन मीटर प्रतिवर्ष हुआ। गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सूती कपड़ें की अनुमानित प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता निम्नलिखित हैं—

1980—	10.49 मीटर
1981—	9.43 मीटर
1982—	9.94 मीटर

(ग) नियन्त्रित सूती कपड़े का वितरण एन सी सी एफ की मार्फत किया जाता है, जो कि सम्पूर्ण देश में फैली खुदरा दुकानों के तंत्र के जरिए अन्त में उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है। सम्पूर्ण देश में 57561 खुदरा दुकानें हैं, जिसमें से 46438 खुदरा दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में है।

मेढ़कों को पकड़ने और उनके निर्यात पर प्रतिबंध

2227. **श्री रेणुपद दास :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मेंढकों को नष्ट करने से पारिस्थितिक असन्तुलन होता है और इससे विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सहित समुद्र तटीय राज्यों की फसलों पर प्रति-

कूल प्रभाव पड़ता है,

(ख) क्या उनका मन्त्रालय कुछ समय से मेंढकों को पकड़ने और उनकी टांगों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और मेंढकों को अंधाधुंध नष्ट करने को रोकने के लिए मेंढकों को पकड़ने, उनके संसाधन तथा मेढ़कों की टांगों के निर्यातों पर कतिपय प्रतिबंध पहले ही लगा दिये गए हैं ।

वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी, रिजर्व, आस्तियां, ऋण, लाभ/घाटा

2228. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो उनके मंत्रालय के अधीन हैं, और

(ख) 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के अन्त में इनमें से प्रत्येक उपक्रम की (एक) अधिकृत और जारी स्वीकृत पूंजी (दो) रिजर्व (तीन) आस्तियां (चार) वसूल न होने वाला ऋण (पांच) कमाया गया लाभ और इनको हुए घाटे का विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

वाणिज्य विभाग :

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ।
2. भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० ।
3. भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० ।
4. भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० ।
5. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लि० ।
6. भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लि० ।
7. भारतीय चाय व्यापार निगम लि० ।

8. भारतीय काजू निगम लि० ।

9. भारतीय इलायची व्यापार निगम ।

वस्त्र विभाग :

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम
2. भारतीय रुई निगम
3. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम
4. भारतीय पटसन निगम
5. भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लि०
6. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०
7. ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन
8. भारतीय उत्तर पूर्वी हथकरधा तथा हस्तशिल्प विकास निगम लि०

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2229. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण क्या है, और

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम के 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981, 31 मार्च 1982 और 31 मार्च, 1983 तक/को समाप्त हुए वर्ष अथवा 31 दिसम्बर, 1980, 31 दिसम्बर, 1981, 31 दिसम्बर, 1982 31 दिसम्बर, 1983 तक/को समाप्त हुए वर्ष जैसी भी स्थिति हो (एक) प्राधिकृत और जारी स्वीकृत पूंजी (दो) रिजर्व (तीन) परिसम्पत्ति (चार) वसूल न होने वाले ऋण (पाँच) अर्जित लाभ अथवा हानि सम्बन्धी आँकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी/रक्षित धन, आस्तियां. ऋणता, लाभ/हानि

2230. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के क्या नाम हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981, 31 मार्च, 1982 और 31 मार्च, 1983 को/के लिए इन उपक्रमों में से प्रत्येक की (एक) अधिकृत और जारी की गई/अभिदत्त पूंजी (दो) रक्षित धन (तीन) आस्तियां (चार) वसूल न हो सके ऋण (पाँच) अर्जित लाभ अथवा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) निम्नलिखित सरकारी क्षेत्रक उद्यम पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं—

1. एयर इंडिया ।
2. इंडियन एयरलाइन्स ।
3. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ।
4. वायुदूत ।
5. भारत पर्यटन विकास निगम ।
6. भारतीय होटल निगम ।
7. एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल/पर रख दी जाएगी ।

1983 के दौरान पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिये किये गये उपाय

2231. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान देश में पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है,

(ख) ये कहाँ तक सफल हुए हैं,

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 के दौरान पर्यटकों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका,

(घ) यदि हां, तो भारत में पर्यटन के अल्प विकास के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं, और

(ङ) वर्ष 1984 के दौरान पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ): (क) पर्यटन संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है । इस संबंध में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों और उपायों में शामिल हैं पर्यटन आधारिक संरचना का विकास विशेषकर निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों, पर, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था सहित पर्यटक आकर्षणों का विस्तार, समुद्र-तट विहार-स्थलों, वन्य जीव विहार-स्थलों और स्कीइंग, ट्रेकिंग आदि जैसे खेलों का विकास, सांस्कृतिक सुविधाओं पर्यटन को बड़ाने के लिए राष्ट्रीय विरासत के क्षेत्रों का सुधार एवं सरक्षण, और स्थल परिवहन की क्वालिटी और उपलब्धता में सुधार । इस दिशा में कुछ और किए गए प्रवास हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समागमों की मेजबानी, चार्टर यातायात का संवर्धन, सेवाओं और मार्गों दोनों दृष्टियों से वायु-परिवहन सुविधाओं का विस्तार और प्रभावी प्रचार और इस्टिट्यूशनल नेट वर्क के विस्तार के माध्यम से विदेशों में जोरदार संवर्धनात्मक प्रयास ।

(ख) 1982 के दौरान कुल पर्यटक आगमनों की तुलना में 1983 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटक यातायात की मात्रा में 2.9%की वृद्धि दर्ज की गई है ।

(ग) वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते । 1983 के दौरान आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 1304976 थी ।

(घ) भारत में पर्यटन के निम्न विकास के लिए मुख्य कारण थे—पर्यटक भेजने वाली मार्केटों में मन्दी के हालात, पड़ौसी देशों में राजनीतिक अशान्ति और लैंडिंग परमिट सिस्टम में लागू किए गए परिवर्तन ।

(ङ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रारम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं ।

उड़ीसा में अधिक पर्यटक स्थलों का विकास

2232. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में स्थित पर्यटक आकर्षण स्थलों के नाम क्या हैं,

(ख) क्या छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में अधिक पर्यटक स्थलों का विकास करने का कोई कार्यक्रम है,

(ग) इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है, और

(घ) विकास कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पर्यटक सुविधाओं के एकीकृत विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं—

1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क-धौली-रत्नगिरि-ललितगिरि-उदयगिरि-भद्रक-चांदीपुर-खिचिंग-जोशीपुर (सिमलीपाल) और वापस ।

2. भुवनेश्वर-चिलका झील-गोपालपुर समुद्रतट-तप्तापानी-कोरापुट-बोलनगिरि-झरसुगुदा-अंगुल-टिकरपाड़ा-तलचेर-भुवनेश्वर ।

(ख) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों द्वारा यथासमय संयुक्त रूप से उड़ीसा में उपर्युक्त स्थानों का विकास करने के अलावा और अधिक पर्यटक स्थलों का विकास करने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिये स्थायी समिति

2233. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री नवीन रावणी :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात के संवर्द्धन के लिए कोई स्थायी समिति गठित करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में गैर सरकारी क्षेत्र को कोई सुविधाएं दी जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) कृषि निर्यातों के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने तथा बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने वाणिज्य मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एक स्थायी समिति गठित करने का विनिश्चय किया है ।

(ग) तथा (घ) सरकार ने कई ऐसे उपाय निकालने का काम आरम्भ किया है जो कृषि

सम्बन्धी और मूल्यवर्धित कृषि आधारित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होंगे ।

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के लिये नये भवन का निर्माण

2234. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में रक्षा लेखा नियन्त्रक के कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होगा,

(ख) क्या यह भी सच हैं कि कार्यालय 1984 में पुराने भवन से नए भवन में नहीं जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इमारत नवम्बर 1985 तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

रक्षा लेखा विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान

2235. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 1 मार्च, 1984 से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित करने की मंजूरी दे दी है,

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों की तथा महानियन्त्रक रक्षा लेखा, नई दिल्ली के अधीन रक्षा लेखा कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान है, और

(ग) यदि हाँ, तो रक्षा लेखा विभाग के ग्रुप 'सी' के कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतनमान लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को 1 मार्च, 1984 से अलग वेतनमान, से लेखा परीक्षा और लेखा संवर्ग में पुनर्गठित करने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

(ख) और (ग) इन दोनों विभागों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा-शर्तें लागू हैं।

वस्त्र उद्योग में तैयार कपड़े की यथार्थता की जांच करना

2236. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलों में तैयार कपड़े की यथार्थता की जाँच करने के लिए पिछले बारह महीनों में वस्त्र आयुक्त के कर्मचारियों द्वारा वस्त्र उद्योग में तैयार कपड़े के कितने नमूने लिए गए हैं, और

(ख) इस सम्बन्ध में प्रयोगशाला द्वारा किये गए विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सैनिक और असैनिक कर्मियों को दिए जाने वाले विशिष्ट सेवा पदकों और प्रशंसा प्रमाण पत्रों का मानदण्ड

2237. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक और असैनिक कर्मियों को दिए जाने वाले विशिष्ठ सेवा पदकों और प्रशंसा प्रमाण पत्रों के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों/मार्ग दर्शी निदेशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार करने का है कि समर्पित और योग्य कर्मियों को उचित सम्मान से वंचित न रखा जाए ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्तमान प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि पात्र कार्मिकों को जो सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए वे उससे वंचित न रह जाए और इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

विवरण

पुरस्कारों की श्रेणी में विशिष्ठ सेवा मैडल

परम विशिष्ठ सेवा मैडल

यह मैडल अत्यधिक उच्चकोटि की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है ।

अति विशिष्ठ सेवा मैडल

यह मैडल उच्चकोटि की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है ।

विशिष्ठ सेवा मैडल

यह मैडल उच्च श्रेणी की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है ।

पुरस्कारों की श्रेणी में युद्ध सेवा मैडल

सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल

यह मैडल युद्ध/संघर्ष/शत्रुता के दौरान अत्यधिक उच्चकोटि की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है ।

उत्तम युद्ध सेवा मैडल

यह मैडल युद्ध/संघर्ष/शत्रुता के दौरान अत्यधिक उच्च कोटि की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है ।

युद्ध सेवा मंडल

यह बैडल युद्ध/संघर्ष/ शत्रुता के दौरान उच्च श्रेणी की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है ।

प्रशंसा प्रमाण पत्र

ये प्रमाण पत्र सैनिक ओर सिविलियन कार्मिक दोनों को उन असाधारण सेवा के लिये प्रदान किया जाता है जो उच्च पुरस्कारों के मानदंड के क्रम में नहीं आते हैं और ये थलसेनाध्यक्ष जनरल तथा अफसर इन-चार्च और अन्य दोनों सेवाओं में उनके समकक्ष अफसरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं ।

असाधारण सेवा के पुरस्कारों पर पहले सम्बन्धित सेना मुख्यालय द्वारा विचार किया जाता है उसके बाद सेनाध्यक्षों की स्टाफ समिति इस पर विचार करती है और सबसे अन्त में प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले रक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में सेंट्रल आनर एण्ड एवार्डस कमेटी इस पर विचार करती है ।

मैसर्स 'मेकिन्सन एन्ड मेकेन्जी कम्पनी लि० 'और रान दीप शिपिंग कम्पनी लि०, पर छापे

2238· **श्री मौतीभाई आर चौधरी** : क्या **वित्तमंत्री** मैसर्स मेकिन्स एण्ड मेकेन्जी एण्ड कम्एनी लि० और रानादीप शिपिंग कम्पनी पर छापे के बारे में दिनांक 26 अगस्त 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5325 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय-निर्णय की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, त्तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) : दिनाँक 26/8/1983 के अतारांकित प्रश्न दिन-संख्या 5325 के उत्तर में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के संबंध में, मैं. मेकिन्सन

एण्ड मेकेन्जी कम्पनी लि० और इसके निर्देशकों के विरुद्ध न्याय-निर्णय की कार्यवाहियां अब पूरी कीजा चुकी हैं और लगाये गए आरोप न्याय-निर्णय करने वाले अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं।

जहाँ तक मैं० रानादीप शिपिंग एन्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लि० बम्बई का संबंध है अभी तक की गई जांच पड़ताल के आधार पर उन्हें 12-12-1983 की दो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिन पर अभी न्याय-निर्णय किया जाना है आगे जाँच पड़ताल अभी चल रही है

जीवन बीमा निगम में कम्प्यूटीकरण

2239· **श्री भीखाभाई** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में कम्प्यूटीकरण के संबंध में अब तक कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि, हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) जीवन बीमा निगम के विभिन्न कार्यालयों में इस समय कितने और किस प्रकार के कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) आगामी दो तीन वर्षों के दौरान विस्तार की यदि कोई योजना बनाई गई है । तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जीवन बीमा निगम की आन्तरिक समितियों (इन-हाउस कमेटी) और कार्यशील समूहों द्वारा जीवन बीमा निगम की आवश्यकताओं के अनुकूल आँकड़ों का संसाधन करने के उपस्करों के संबंध में समय-समय पर व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि मौजूदा छिद्रित कार्ड (पांच कार्ड) उपस्कर पुराने और अपर्याप्त हो गए हैं और पालिसीधारकों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, इन उपस्करों को एक समय बद्ध-चरण बद्ध कार्यक्रम के जरिये देश में निर्मित सूक्ष्म संसाधकों लघु संगणकों द्वारा बदला जाना चाहिए ।

(ग) अब तक जो मशीनें प्रतिष्ठापित की गई हैं, वे हैं : (i) बंबई डिवीजनल कार्यालय में आई० बी० एम० प्रणाली के स्थान पर एक मुख्य फ्रेम का आई० सी० एल० कम्प्यूटर और (ii) देशभर में 21 डिवीजनल कार्यालयों तथा 40 शाखा कार्यालयों में प्रतिष्ठापित किए गए 66 सूक्ष्म संसाधक/लघु संगणक ।

(घ) शेष डिवीजनल कार्यालयों और कुछ चुने हुए शाखा कार्यालयों में सूक्ष्म संसधकों लघु संगणकों के प्रतिष्ठापन-कार्य के 1985 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

विभिन्न मूल्यों के नोटों की छपाई तथा सिक्कों की ढलाई

2240· **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 तक वर्षवार प्रत्येक कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के नोट छापे गए ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बर्षवार प्रत्येक मूल्य के कितने सिक्के ढाले गए ?

(**वित्तमंत्रालय में उपमंत्री(श्री जनार्दन पुजारी**) :(क)जनवरी, 1980 से जनवरी 1984 तकवर्षवार छापे गए विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या और कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

(कोष्ठकों में दिए गए अंक करोड़ रुपयों में मूल्य प्रकट करते हैं)

	1980	1981	1982	1983	जनवरी, 1984
1/-रुपया	92.12 (92·12)	81·82 (81·92)	43·21 (43·21)	29·56 (29·56)	1.23 (1·23)
2/-रुपए	167·25 (334·50)	184·62 (369·24)	134·08 (268·16)	74·76 (149·52)	13·55 (27·10)
5/-रुपए	84·14 (420·70)	94·66 (473·30)	127·72 (638·60)	108·22 (541·10)	7·78 (38·90)
10/-रुपए	105·64 (1056·40)	84·07 (840·70)	66·64 (666·40)	54·28 (542·80)	7·50 (75·00)
20/-रुपए	23·67 (473·60)	27·67 (553·40)	29·05 (581·00)	13.97 (279·40)	0·84 (16·80)
50/-रुपए	17·40 (870·00)	23·23 (1161·50)	10·33 (516·50)	21·57 (1078·50)	— —
100/-रुपए	26.64 (2664.00)	22·09 (2209·00)	42·94 (4294·00)	30·87 (3087·00)	2·38 (238·00)

(ख) उपर्युक्त अवधि में ढाले गए विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :—

(संख्या करोड़ में)

	1980	1981	1982	1983	जनवरी, 1984
5 पैसे	16·58	17·73	16·56	12·48	0·44
10 पैसे	16-95	15·30	20·12	11·10	1·41
20 पैसे	—	—	0·02	23·18	3·72
25 पैसे	7·94	6·34	5·10	16 06	0·40
50 पैसे	—	0·07	0·98	6·43	0·88
1 रुपया	13·74	13·49	16·66	14·02	1·77
2 रुपया	—	—	1·57	11·33	0·75

भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार

2241. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1984-85 के दौरान नीदरलैंड के साथ व्यापार बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं का व्यापार किया जायगा ,

(ग) द्विपक्षीय, व्यापार विस्तार के लिए नीदरलैंड और भारत दोनों के द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं , और

(घ) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि अन्य देशों के साथ, जिनमें नीदरलैंड शामिल है, आपसी हित के लिए व्यापार बढ़ाया जाए। भारत और नीदरलैंड बहुत सी वस्तुओं का सतत आधार पर व्यापार करते हैं। ऐसी आशा है इन वस्तुओं का व्यापार 1984-85 के दौरान जारी रहेगा ।

(ग) तथा (घ) व्यापार मेलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और उत्पाद संवर्धन बैठकों में भाग लेने का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है और ऐसी आशा है कि ये उपाय 1984-85 के दौरान भी जारी रहेंगे ।

"नेशनल फेडरेशन आफ फील्ड वर्क्स" द्वारा रखी गई मांगें"

"2242· **प्रो0 सैफुरुद्दीन सोज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें नेशनल फेडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया द्वारा रखी गई किन्ही मांगों की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यहमांगकिन कार्य के मानदण्डों में सुधार किए जाएं, कि जांच कर ली गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य के मानदण्डों में सुधार के लिए की गई मागों की जांच कर ली गई है परन्तु यह देखा गया है कि उनमें कोई वजन नहीं है।

अनिवासी भारतीयों के शेयरों के अन्तरण की मनाही के कारण

स्वामित्वहीन शेयरों में वृद्धि

2243· **श्री के0 मालना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई और कंपनियों द्वारा कई अनिवासी भारतीयों को भी शेगरों के अन्तरण से मना किए जाने के कारण स्वामित्वहीन शेयरों में वृद्धि हो रही है ,

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक , और

(ग) क्या ऐसी संभावना है कि इसकी बढ़ती प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कोष की हानि होगी और "प्रमोटरों" को नई नीति अपनाने, धनकर और अन्य करों की बचत होगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : स्टाक एक्सचेंजों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ कम्पनियाँ निवासी भारतीयो को भी शेयरों का अन्तरण करने से इनकार करती रही हैं तथापि अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, किसी एक कम्पनी के लिए उसके द्वारा शेयरों का अन्तरण करने और या शेयरों के अन्तरण को पंजीबद्ध करने से इनकार करने यदि हां, के संबंध में सरकार को जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। घनकर तथा ऐसे अन्य करों का निर्धारण जिनकों स्थित्यानुसार आरोपित किया जाता है, पंजीबद्ध शेयर होल्डरों के पास उपलब्ध परिसम्पदों पर किया जा सकता है ।

भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चीनी का निर्यात

2244· **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समक्ष भारत से चीन के निर्यात का औपचारिक प्रस्ताव रखा था;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1984 में भारत से चीन के आयात पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कितनी मात्रा में चीनी के निर्यात का प्रस्ताव है; और

(घ) 1984 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चीनी के निर्यात के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) तथा (घ) : यूरोपीय आर्थिक समुदाय भारत के लिए चीनी वर्ष 1983-84 के लिए 10,000 मे० टन कोटे पर सहमत हो गया है। चूंकि पुनर्व्यवस्था 1 जुलाई, 1983 से है, अत: उपरोक्त मात्रा का निर्यात 13 जून, 1984 से पूर्व करना होगा।

व्यापार घाटा

2246· **श्री सतीश अग्रवाल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यापार घाटा कितना था;

(ख) 1984-85 और अगले पांच वर्षों में कितना व्यापार घाटा होने का अनुमान है;

(ग) 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान भारत के आयात की बीस प्रमुख मदों का, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत मूल्य और मात्रा सहित ब्यौरा क्या है; और।

(घ) सभी आर० आई० टी० सी० 3 डिटि कोड स्तरों के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्षों के दौरान भारत के आयात (मूल्य और मात्रा) का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान भारत के व्यापार घाटे सम्बन्धी आंकड़े निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	(करोड़ रु०) व्यापार घटा शेष
1978-79	—1084·57

वर्ष	व्यापार घटा शेष
1979-80	—2724·15
1980-81	—5838·45
1981-82	—5801·66
1982-83*	—5525·78

* अद्यतन संशोधित आंकड़े

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह के साथ अनिश्चतताओं के जुड़े रहने की वजह से अगले पांच वर्षो के व्यापार घाटे के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगना संभव नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1979-80 के सम्बन्ध में 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण मदों के वस्तुवार आयात दर्शाए गए हैं

(घ) सभी आर० आई० टी० सी० 3-अंक कोड स्तरों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के भारतीय आयातों के ब्यौरे, डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेस्टिक्सी आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया खण्ड 11 के वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के मार्च के अंकों में दिए गए हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

20 मदों का आयात

क्रम संख्या	वस्तु	इकाई की मात्रा	1979-80 मात्रा	1979-80 मूल्य	1980-81 मात्रा	1980-81 मूल्य	1981-82 मात्रा	1981-82 मूल्य	1982-83 मात्रा	1982-83 मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	खाद्यान्न तथा खाद्यान्न से बनी चीजें			105.82		100.41		347.17		306.49
	क) गेहूं	हजार टन	335	84.31	296	76.79	1328	299.75	1300	292.27
2.	सब्लिष्ट तथा रिजनरेटिड रेशा	हजार टन	83	108.17	69	96.53	116.5	173.18	79.8	124.73
3.	गंधक तथा अनरोस्टिड आयरन पाइप राट्स	हजार टन	926.0	84.51	766.0	86.40	682.0	106.43	549.3	69.33
4.	मैटालिफैरस अयस्क तथा मैटल स्क्रैप	मूल्य		92.42		115.57		202.75		152.22
5.	पैट्रोलियम, पैट्रोलियम तथा संबद्ध सामग्री	मे०टन	20.8	3267.08	23.5	5263.47	2000	5189.26	22.0	5604.96
6.	वनस्पति तेल जमा तथा बसा	हजार टन	721.1	429.83 446.28 (स)	643.0	682.90	1951.9	625.28	495.3	226.27
7.	कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन पदार्थ	मूल्य		323.57		358.20		485.18		387.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	औषधीय तथा भेषजीय पदार्थ	मूल्य		73.94		84.48		84.44		80.55
9.	विनिर्मित उर्वरक	हजार टन	2867.9	371.26	3810.0	652.30	2792.3	509.71	939.7	145.64
10.	कृत्रिम रेजिन प्लास्टिक सामग्री	मूल्य		97.35		121.37		182.17		125.71
11.	रासायनिक सामग्री तथा उत्पाद	मूल्य		61.88		72.11		77.59		73.23
12.	कागज, गत्ता तथा उससे बना माल	हजार टन	349.4	155.26 158.82 (स)	371.0	186.51	412.3	245.38	208.7	147.47
13.	वस्त्र धागा, फैबिक तथा तैयार वस्तुयें	मूल्य		52.64		59.41		96.73		112.59
14.	मोती मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्न	मूल्य		347.37		416.75		397.38		677.43
15.	गैर धात्विक खनिज, निर्मित माल, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न	मूल्य		94.90		138.48		114.20		141.30
16.	लोहा तथा इस्पात	हजार टन	2481.3	834.20	2039.0	852.42	3165.2	1203.54	2758.5	1145.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	अलौह धातु	मूल्य		868.59 (र)		477.42		397.13		279.06
				353.41						
18.	धातु निर्मित माल	मूल्य		75.73		89.45		115.54		136.47
19.	मशीनें	मूल्य		1382.74		1820.75		1980.65		2231.79
	क) बिजली को छोड़कर अन्य मशीनें	मूल्य		828.57		1115.29		1884.32		1338.11
	ख) विजली की मशीनें	मूल्य		215.60		233.53		291.32		248.19
	ग)	मूल्य		338.57		471.93		305.01		600.49
20.	व्यावसाकये, वैज्ञानिक, नियन्त्रक संयंत्र, फोटो-ग्राफिक, ओप्टीकल माल, घड़िया तथा कलाक	मूल्य		155.63		176.05		201.32		189.84

(स)—संशोधित-मात्रा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : डी जी सी आई एस, कलकत्ता।

"लिफ्ट 5% सीलिंग आन० एन० आर० आई० इन्वेस्टमेंट" शीर्षक से समाचार

2247. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** दिनांक 4 फरवरी, 1984 के "इकनामिक टाइम्स" में लिफ्ट 5% सीलिंग आन० एन० आर० आई० इन्वेस्टमेंट शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन मर्चेंट्स एसोसिएशन (यू० के०) द्वारा भेजे गए अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस एसोसिएशन द्वारा भेजे एक अभ्यावेदन की एग प्रति सभा-पटल पर रखी जाए; और

(ख) विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीयों अथवा उनके संगठनों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने जनवरी, 1983 से अनिवासी पूँजीनिवेश से सम्बन्धित नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं तथा यह अभ्यावेदन किस विषय से सम्बन्धित हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अपने अभ्यावेदन के द्वारा, एसोसिएशन ने अनिवासी भारतीयों की शेयर धारिता पर लागू 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में ढील दिए जाने का अनुरोध किया था और कर सम्बन्धी कुछ अतिरिक्त रियायतें भी मांगी थीं। इनसे सहमत होना सम्भव नहीं हो सका है। सुप्रतिष्ठित प्रथा के अनुसार, सरकार को सम्बोधित इस प्रकार के गैर-सरकारी निकायों से प्राप्त पत्रों आदि को सभा-पटल पर नहीं रखा जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन चार संगठनों का ब्यौरा दिया गया है, जिन्होंने वित्त मंत्रालय को पत्र आदि प्रेषित किए थे। व्यक्तियों द्वारा प्रेषित या अन्य मंत्रालयों को प्रेषित ऐसे पत्रों को इकट्ठा करने में जो परिश्रम लगेगा, उससे प्राप्त होने वाला परिणाम परिश्रम की तुलना में कहीं कम होगा।

विवरण

संगठन का नाम	पता	अभ्यावेदन का विषय
(1) इण्डियन मर्चेंट्स एसोसियेशन (यू० के०)	122 माउंट प्लेजेंट वेम्बले, एच० ए० ओ०-आई० यू० जी० इंगलैण्ड	अनिवासी शेयर धारिता पर लागू 5% की अधिकतम सीमा में ढील करों में अतिरिक्त रियायतें।
(2) ओवरसीज इण्डियन जाम्बो एसोसियेशन	37-वेस्टर्न इण्डिया हाउस, सर पी० एम० रोड, चौथी मंजिल, बम्बई-1	व्यक्तियों को कर की अतिरिक्त रियायतें; समुद्रपारीय निगमित निकायों के लिए कर की रियायत; कराधान प्रक्रिया का सरलीकरण।
(3) फाउंडेशन फार	हेलस्ट्राट 53,2547-के०	अनिवासी भारतीयों को मताधिकार

1	2	3	4
	क्रिटिकल च्वाएसेंस फार इण्डिया	ए० दी हेग, दी नीदरलैण्ड	देने की व्यवस्था की जाए और अविनासी भारतीयों के लिए नया कर अधिनियम बनाया जाए।
(4)	गल्फ मलयाली फोरम और उनके आयात की सुविधा को उदार	पोस्ट बाक्स नं. 940, शरजाह, संयुक्त अरब अमीरात।	चुनी हुई श्रेणियों की मदों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्कों से छूट दी जाए अनिवासी भारतीयों को "फेरा निर्गमों में अप्रत्यावर्तन आधार पर निवेश करने की अनुमति दी जाए और उनको जमीन जायदाद में पूंजी लगाने की अनुमति भी दी जाए।

विशेष धारक बांड

2248. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन आर्थिक अपराधियों के पास बहुत अधिक धन लेखाबाह्य है उनके लिए विशेष धारक बांड 1982 एक वरदान साबित हुए हैं और एक समय तो इन बाण्डों को 4200 रुपयों के प्रीमियम पर बेचा जा रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अहित कर प्रयासों और व्यापारियों द्वारा नकद राशि के अपने संसाधनों में सुधार करने हेतु बांडों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उनका विचार किस प्रकार की कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने धारक बांड सममूल्य पर जारी किए थे और ये परिपक्व होने पर 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर सममूल्य पर मोचित किए जाएंगे। मध्यवर्ती अवधि में बांडों का एक धारक से दूसरे धारक को हस्तांतरण, जो केवल सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है, सरकारी खाते में दर्ज नहीं होता। विशेष, बारक बांडों का बम्बई शेयर बाजार में अधिकृत रूप में व्यापार नहीं होता इसलिए दैनिक मूल्य दरों में इनका उल्लेख नहीं होता।

जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों में किया गया पूंजी निवेश

2249. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जीवन बीमा निगम

द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न कंपनियों में लगाई गई "इक्विटी केपिटल" अथवा निवेश की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से किन कंपनियों में यह उनकी अपनी "इक्विटी केपिटल" के 10 प्रतिशत से अधिक है;

(ग) इन कंपनियों के निदेशक बोर्ड में जीवन बीमा निगम के व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा इन कंपनियों के कार्यकलापों विशेषत: उनके अपव्यय पर क्या नियन्त्रण रखा जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है (विवरण I)

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 7888/84]

(ग) एक विववरण संलग्न है (विवरण II)

(घ) जीवन बीमा निगम इन कम्पनियों से सम्बद्ध बाजार रिपोर्टों और इनके लेखों के अध्ययन द्वारा इन पर कार्यचालन संबंधी निगरानी रखता है। नामांकित निर्देशक भी इस कार्य में निगम की सहायता करते हैं जिनके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों में ये शामिल हैं :—

(i) उद्यम के प्रबन्ध का मूल्यांकन करना तथा इसमें सुधार करना ;

(ii) उद्यम की लगातार प्रगति और उसकी उचित लाभकारिता का बारीकी से परिवीक्षण करना ;

(iii) ग्रुप के प्रवर्तकों को अपनी स्थिति का नाजायज लाभ उठाने से रोकना ; और

(iv) उद्यम की खराब स्थिति के बारे में नामांकन करने वाली संस्थाओं को समय से सूचित करना ।

सोने की कीमतों में वृद्धि

2250. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री विजय कुमार यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सोने के मूल्य नए शिखर पर पहुंच गए हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि उल्टे कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसा बेईमान व्यापारियों और व्यापार आयोग द्वारा सोने के रूप में काले धन का निवेश करने के कारण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बम्बई में स्टैण्डर्ड सोने की कीमत 23 फरवरी, 1984 को 1970 रुपये प्रति दस ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, सोने की कीमत में जनवरी 1984 तक कमी दर्ज की गई, और उसके पश्चात् फरवरी, 1984 में थोड़ी सी वृद्धि हुई। सोने की आंतरिक कीमत देश के बाजार में पूर्ति और मांग के प्रभाव से निर्धारित होती है और ये सरकार के विनियमाधीन नहीं है। सोने की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और देश में कीमतों के बीच कोई पारस्परिक संबंध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि देश के बाजार की पूर्ति के लिए सोने के आयात की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सोना आवश्यक वस्तु नहीं है और इसकी कीमत को विनियमित करना जरूरी नहीं समझा जाता।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में बैंक डकैती

2251. **श्री दिगम्बर सिंह**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली में हुई डकैती की छानबीन में कोई प्रगति हुई है जिसमें 6 फरवरी, 1984 की शाम को कुछ सशस्त्र डकैत 67.000 रुपयों की विदेशी मुद्रा सहित 1.92 लाख रुपये लेकर भाग गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या हाल ही में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों के दिन के समय पड़ने वाली डकैतियों में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारी लेनदेन होता है उनमें सशस्त्र पहरेदारों को तैनात करने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ङ) क्या आर० पी० एफ० अथवा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह बैंकिंग सुरक्षा सेवा रखने के बारे में सरकार ने कभी सोचा है ; यदि हां, तो यह मामला कहां है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि पुलिस को जांच जारी है यद्यपि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ग) वर्ष, 1982 और 1983 के दौरान पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में हुई डकैतियों/लूट-पाट के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	बैंक डकैती/लूटपाट के मामलों की संख्या	
	1982	1983
पंजाब	5	25
दिल्ली	2	3
हरियाणा	4	6

(घ) से (च) : अखिल भारतीय बैंक सुरक्षा बल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन इसको व्यवहार्य नहीं पाया गया । फिर भी सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम उनके परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं।

जम्मू और कश्मीर में किश्तवार, पूंछ, राजौरी, कारगिल और लेह के लिये वायुदूत सेवा

2252. **श्री अब्दुल रसीद काबुली** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में किश्तवार, राजौरी, पूंछ, कारगिल और लेह के लिए इनकी सूदूरता, पर्यटन क्षमता और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए वायुदूत सेवाएं शुरू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी व्यवहारियता के संबंध में कोई सर्वेक्षण शुरू किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां । निकट भविष्य में नहीं ।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने किस्तवार, राजौरी, पूंछ तथा कारगिल इत्यादि के लिए प्रचालनों का एक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया था जिससे पता चला कि वर्तमान विमान से इन स्थानों के लिए प्रचालन करना आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं होगा ।

भारत को विश्व बैंक पूंजी-वृद्धि योजना पर आपत्ति

2253. **श्री के० प्रधानी : वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व बैंक पूंजी वृद्धि योजना पर आपत्ति की है और यह कहा है कि यह योजना उक्त बैंक में इसका शेयर कम कर देगी तथा कुल मिलाकर विकासशील राष्ट्रों के हित को नुकसान पहुंचाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विश्व बैंक के अपनी पूंजी में चयनात्मक वृद्धि करने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, भारत सहित विकासशील देशों की मतदान शक्ति का ह्रास हो जाएगा। सरकार विश्व बैंक के प्रबन्धकों तथा अन्य सदस्य देशों के साथ एक ऐसी व्यवस्था करने के लिए विचार विमर्श कर रही है जिससे भारत सहित सभी विकासशील देशों की मतदान शक्ति को, जहां तक सम्भव हो, सुरक्षित बनाए रखा जा सके। इस सम्बन्ध में बातचीत अभी चल रही है।

बिहार के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए कपड़े का निर्यात

2255. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या यह सच है कि नालन्दा जिला सहित बिहार के अनेक जिलों में काफी संख्या में ऐसे बुनकर हैं, जो विद्युत करघों तथा हथकरघों द्वारा आकर्षक डिजाइनों वाले विभिन्न किस्मों के कपड़े तैयार करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में इस प्रकार के कपड़े की भारी मांग है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त उद्योग में लगे हुए बुनकरों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इस कपड़े को निर्यात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार में पर्याप्त संख्या में हथकरघे तथा विद्युत करघे हैं।

(ख) से (घ) हथकरघों तथा विद्युत करघों के कपड़ों के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर हैं। फैब्रिकों के निर्यात के लिए अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

निर्यात बढ़ाने के लिए नीति के निर्यात नीति के अधीन दिये जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाएं

2256. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात नीति के अधीन हाल ही में कुछ और प्रोत्साहनों और सुविधाओं की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां। नए उत्पादों का निर्यात अथवा नए बाजारों को उत्पादों का निर्यात करने के लिए सामान्य दर से 10 प्रतिशत उच्च दर पर आयात प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा हाल ही में की गई । निर्यातकों को दिए गए अन्य प्रोत्साहनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(i) आर. ई. पी. लाइसेंसों के आधार पर तकनीकी डिजाइनों तथा रेखाचित्रों का आयात करने के लिए उच्च सीमा को बढ़ाया गया है।

(ii) घरेलू क्लियरेंस, अनिवार्यता प्रमाण-पत्र तथा अन्य सी. जी. लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बिना आर. ई. पी. लाइसेंसों के आधार पर गैर-रोक लगी मशीनरी का आयात करने के लिए उच्च सीमा को बढ़ा दिया गया है।

(iii) आर. ई. पी. लाईसेंसों के आधार पर भारतीय पोतों में लाए गए माल के आयात के सम्बन्ध में भुगतान किया गया भाग लाइसेंस मूल्य में डेबिट नहीं किया जायेगा बशर्ते कि भुगतान किया गया भाड़ा भारत में गैर-प्रवर्तनीय रुपयों में दिया जाए।

भारतीय पोतों में भारत से निर्यातों के सम्बन्ध में निर्यातकों को प्रश्नाधीन निर्यातों पर सामान्य प्रतिपूर्ति दर से 10 प्रतिशत अधिक दर पर आर. ई. पी. लाईसेंस दिए जाएंगे।

(iv) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित माल की बिक्री की अनुमति वैध जी. सी. ए. लाइसेंसों के आधार पर उत्पादन के 25 प्रतिशत भाग तक दी जा सकती है।

(v) प्राथमिक व्यवहार के लिए पात्र शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को 'हरे कार्डों' का जारी किया जाना ।

(vi) इन्सटेन्ट चाय, वस्त्र मदों, धातु की हस्तशिल्प की वस्तुएं तथा ऊन आदि जैसी कतिपय वस्तुओं पर नकद मुआवजा सहायता बढ़ा दी गई है। हाथ से बुने रेशमी कालीनों, निर्जलीकृत अरण्डी के तेल, आदि जैसी कुछ नई मदों पर भी नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गई है।

(vii) कोचीन, मद्रास, नौएडा तथा फाल्टा में चार नए व्यापार जोन स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

(viii) ऐसे विनिर्माता-निर्यातकों को जो कि अनन्य रूप से निर्यात के लिए उत्पादन

कर रहे है लेकिन शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं है, निर्धारित शर्तों पर लागू आयात व निर्यात नीति के अनुसार अन्तरण द्वारा प्राप्त किए गए बैंध आर. ई. पी. लाइसेंसों के समग्र मूल्य के अन्दर निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक सीमित अनुमेय मदों की सूची (परिशिष्ट 3 व 6) तथा सारणीबद्ध मदों की सूची (परिशिष्ट 8) में उल्लिखित किसी भी मद का आयात करने की अनुमति दी गई है।

निकीताशा गैस स्टोव निर्माताओं द्वारा करों की कथित चोरी

2257. **श्री के० लक्कप्पा** :क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निकीताशा गैस स्टोव उद्योग का निर्माता उद्योग, करोड़ों रुपये के उत्पादन शुल्क और आय-कर की चोरी कर रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान निकीताशा के मालिकों के घरों और व्यापारिक भवनों पर उत्पादन शुल्क और आय कर विभागों ने कितने बार छापे मारे हैं,

(ग) इन छापों के दौरान किस प्रकार के अभियोग जनक दस्तावेज पकड़े गए हैं,और

(घ) निकीताशा गस स्टोव उद्योग के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क)से (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने मैसर्स निकीताशा प्राइवेट लिमिटेड की ओर 198 ; से आगे की अवधि के लिए जारी की गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 9, 344.40 रुपये की माँगों की पुष्टि की है । इसके अतिरिक्त, कम्पनी के विरुद्ध 7, 38, 943.72 रुपये की अपुष्ट मांगे भी जारी की गई हैं तथा मामलों में न्याय-निर्णय होना है । इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए कम्पनी के विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या उस ने और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन तो नहीं किया है लेकिन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने कम्पनी के मालिकों के आवासीय परिसरों अथवा इसके व्यावसायिक परिसरों पर छापा नहीं मारा है । ऊपर यथाउल्लिखित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की माँगों की पुष्टि करने के अलावा कम्पनी पर समुचित अर्थदण्ड भी लगाया गया है ।

जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, मैसर्स निकीताश प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कर अपवंचन का कोई मामला अनिर्णित नहीं पड़ा है और न ही आयकर विभाग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान इस कंपनी के मालिकों के आवासों अथवा इसके व्यवसायिक परिसरों की कोई तलाशी ली है ।

राज्यों को नियंत्रित कपड़े का आवंटन

2258. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की गत तीन वर्षों के दौरान नियन्त्रित कपड़े का आबंटन किस आधार पर किया गया ;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र से आगामी वर्षों में उन्हें नियन्त्रित कपड़े का अधिक आबंटन करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त राज्यों को 1984-85 के दौरान नियन्त्रित कपड़े का कितना आबंटन करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को नियन्त्रित कपड़े का आबंटन मुख्यत: जन संख्या के आधार पर किया गया था।

(ख) से (घ) जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने प्रति व्यक्ति आय तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे लोगों की संख्या के आधार पर उनके आबंटन को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम जर्मनी की फर्म द्वारा एच० डी० डब्ल्यू० 209 मारक पन्डुब्बियों की सप्लाई

2260. **श्री के० मालन्ना**

श्री छीतूभाई गामित :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान-टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत को एच० डी० डब्ल्यू० 209 मारक पनडुब्बियों के बिना ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि पश्चिमी जर्मनी की जिस फर्म को उनकी सप्लाई करनी थी वह अमरीका और पाकिस्तान के दबाव के कारण अपने करार से मुकर गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने इस संबंध में समाचार देखें हैं। समाचार निराधार है और जर्मन जनवादी संघ के मैसर्स एच० डी० डब्ल्यू० से प्रथम पनडुब्बी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई की जाएगी।

नेपाल को बकरे की खाल की तस्करी

2261. **श्रीमती जयंती पटनायक :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में भारत से नेपाल को बकरे की खाल की तस्करों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत से बकरे की खाल की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) (क) से (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भारत से नेपाल को तस्कर-निर्यात के आकर्षण की जिंसों में से बकरे की खाल भी एक जिंस है ।

इस क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए तस्करी-निवारण के समुचित उपाय किए गए हैं। गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए सहयोग हेतु किए जाने वाले करारों के अधीन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय प्रबन्ध भी किए जाते रहते हैं। इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को कर्मचारियों तथा उपकरणों की दृष्टि से पुनः सुदृढ़ बनाया गया है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस मामले में सतर्क बने रहने के आदेश दे दिए गए हैं।

मामले की सतत समीक्षा भी की जाती रहती है और यथापेक्षित समुचित उपाय किए जाते हैं ।

कोणार्क मन्दिर में "ध्वनि एवं प्रकाश" कार्यक्रम

2262. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटकों को कोणार्क मंदिर का इतिहास और महत्व बताने के लिए ध्वनि एवं प्रकाश प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) यह मानते हुए कि ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी की आर्थिक व्यवहार्यता कम है यह

निर्णय लिया गया है कि ध्वनि एवं प्रकाश को माउंट करने की बजाए पर्यटक आकर्षणों पर प्रकाश पुंज व्यवस्था का कार्य प्रारम्भ किया जाए। इसके लिए एक स्कीम तैयार की गई है, जिसे उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है।

लघु क्षेत्र को मूल्य प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत लाना

2263. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे लघु क्षेत्र को सरकारी खरीद के लिए मूल्य प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि इसके कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) वर्तमान हिदायतों के अनुसार, लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों के संबंध में, लघु एककों को, बड़े मध्यम एककों की तुलना में 15 प्रतिशत तक का मूल्य अधिमान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, 404 मदें केवल लघु क्षेत्र से खरीद करने के लिए आरक्षित हैं, 12 मदों की 75 प्रतिशत मात्रा लघु क्षेत्र से खरीद करने के लिए आरक्षित है तथा 25 मदों की 50 प्रतिशत मात्रा लघु क्षेत्र से खरीद करने के लिए आरक्षित है।

रोगियों पर,कर का भार

2264. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1984 के 'दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स में/टैक्स वर्डन आन सिक एलेजड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि सरकार एक रुपये की लागत की दवाई पर 48 पैसे कर लेती है और कैमिस्टों को केवल 2 प्रतिशत लाभ मिलता है,

(ग) क्या कैमिस्टों और ड्रगिस्टों ने इस प्रकार के अधिक करों के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया है,

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) जी, हां।

(ख) दवाइयों पर कराधान के कुल भार को बताना संभव नहीं है क्योंकि वह भिन्न-भिन्न दवाइयों पर भिन्न-भिन्न होता है। कैमिस्टों को, औषध (मूल्य निर्धारण) आदेश 1979 के उपबन्धों के अनुसार व्यापार कमीशन की अनुमति दी जाती है। लेकिन कैमिस्टों द्वारा कमाये जाने वाले वास्तविक लाभों का अब तक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) दवाइयों पर उच्च कराधान के विरुद्ध अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

कुछ कम्पनियों द्वारा निवेशकों को फुसलाने सम्बन्धी कदाचार

2265. **श्री के. प्रधानी :**

श्री दिगम्बर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कम्पनियों और उनके इशुमैनेजर निवेशकों को फुसलाने का यह नया तरीका अपना रहे हैं कि वे मोटे अक्षरों में "180% वापिसी" प्रकाशित करवाते हैं तथा उसके आगे छोटे अक्षरों में "सात वर्षों" में "छमा होता है ;

(ख) क्या धोखा देने वाली इस विधि की सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, जिन्हें हाल में ऋण पत्र, राईट शेयर, धरोहर और बिना धरोहर वाले आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण परिवर्तनीय शेयर अपरिवर्तनीय शेयर तथा अन्य प्रकार के शेयर जारी करके और सार्वजनिक रूप से जारी करने हेतु प्राधिकृत पूंजी के लिए धन उगाहने की अनुमति प्रदान की गई है ; और

(घ) पूंजी निवेश को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए ब्याज की मासिक अथवा दैनिक गणना करने के इस ढंग पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या उपाय किए जाए जा रहें हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) कम्पनियों के नाम तथा पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ऋण पत्र निर्गमों की राशि का ब्यौरा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली विज्ञप्तियों के रूप में नियमित तौर से अखबारों में प्रकाशित किया जाता है पहली जनवरी से 29 फरवरी, 1984 की अवधि के दौरान, उन्नीस कम्पनियों को 104.49 करोड़ रुपए की राशि के ऋणपत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। जहां तक पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ऋण-पत्र जारी करने के लिए कम्पनियों द्वारा अनुपालनीय शर्तों का संबंध है, इनमें पूंजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए ऋणपत्र निर्गमों के प्रबंधकों द्वारा दिए गए विज्ञापनों पर आगे और कोई रोक लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

लघु चाय कम्पनियों के उत्पादन शुल्क में छूट

2266. **श्री के० मालना** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु चाय कम्पनियों को उत्पादन शुल्क में छूट देने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित यदि कोई शर्तें हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने घरेलू बाजार में ब्रुक बांड, लिप्टन और अन्य कम्पनियों द्वारा पैकेट में चाय की बिक्री पर उत्पादन शुल्क कम करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिबंध का ब्यौरा क्या है और विदेशीमुद्रा अर्जन पर इसका प्रभाव क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) निर्यात-व्यापार के आधार पर पैकेट-बन्द चाय पर शुल्क में कमी करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर किया गया था, परन्तु उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

(घ) पैकेट-बन्द चाय के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

फिल्मी सितारों द्वारा कर-विवरणियों को छिपाने तथा धोखेबाजी करने का समाचार

2267. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्मी सितारों तथा फिल्म प्रोड्यूसरों द्वारा कर विवरणियों को छिपाने तथा धोखेबाजी करने के समाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों की जांच की गई है तथा वसूल की गई कर तथा जुर्माने की कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) एक लाख तथा उससे अधिक कर-अपवंचन करने वाले फिल्मी सितारों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उनमें से किसी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा कर-अपवंचन किये जाने के प्रमाण हैं। आयकर विभाग ने 1 अप्रैल, 1980

से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामलों में 231 तलाशियां लीं। इन मामलों में कर-अपवंचन की राशि और उद्ग्रहणीय कर की राशि, अर्थदण्ड, आदि का पता, कर-निर्धारणों को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् ही चल सकेगा।

(घ) तीन वर्षों, अर्थात् 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1983 की अवधि के दौरान, फिल्म उद्योग से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यक्तियों के मामलों में कर-अपवंचन के लिए मुकदमे चलाये गये हैं :

(i) मैसर्स बम्बई पिक्चर सर्किट।

(ii) मैसर्स प्रकाश मेहरा कम्बाइन्स।

(iii) कुमारी रेखा गणेशन।

(iv) श्री राजेश खन्ना।

भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कोटे की सम्पूर्ति का विरोध

2268. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक को सूचित किया है कि वह बैंक के योजना-पत्र के अन्तर्गत शेयर पूंजी का 3.09 प्रतिशत कोटा खरीदने के अपने पूर्वक्रयाधिकार को नहीं छोड़ेगी ;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के संपूर्ति के लिए प्रस्तावित व्यवस्था तथा चयनात्मक पूंजी वृद्धि जिससे भारत के शेयर 3.09 प्वाईंट से घटकर 2.90 प्वाईंट रह जायेंगे अर्थात् 19 प्रतिशत कम हो जायेंगे, का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) विश्व बैंक के प्रबन्ध मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की पूंजी में चयनात्मक आधार पर वृद्धि करने के एक प्रस्ताव को परिचालित किया था, जो लगभग कोटों की आठवीं सामान्य समीक्षा के प्रस्ताव की भांति ही था। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप विकासशील देशों की मतदान शक्ति 42 प्रतिशत से कम होकर 40 प्रतिशत हो सकती है और भारत की मतदान शक्ति में 19 प्वाईंट की कमी हो सकती है। भारत सरकार विश्व बैंक के प्रबन्ध-मण्डल और अन्य सदस्य देशों के साथ सम्पर्क कर रही है ताकि विकासशील देशों की मतदान शक्ति की सुरक्षा की जा सके और विशेष रूप से, यथासम्भव, अपनी मतदान शक्ति की सुरक्षा की जा सके।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण के सम्बन्ध में प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध नहीं किया है।

कैपरो ग्रुप की कम्पनियों द्वारा अनिवासी भारतीय योजना का कथित का उल्लंघन

2269. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैपरो ग्रुप की कम्पनियों की ओर से अगस्त, 1983 तक अनिवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत एस्कोर्टस और डी. सी. एम. में किया गया कुल निवेश 16.22 करोड़ रुपये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन निवेशों में से केवल 12 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में था और 4.22 करोड़ रुपयों का स्वदेश हस्तनीय अनिवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत भारतीय मुद्रा में निवेश किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) मैसर्स एस्कार्टस लि० ने एक रिट याचिका न्यायालय में दायर की है जिसमें अनिवासी भारतीय योजना सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह शक्ति पमस्तात है। न्यायालय ने जिन विषयों पर विचार करना है उनमें से एक विषय कपारो ग्रुप की कम्पनियों द्वारा शेयरों की खरीद और खरीद की वैधता से सम्बधित है। चूंकि यह मामला न्यायनिर्णाधीन है इसलिए इन मुद्दों पर इस स्तर पर कोई विचार प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

स्वर्ण जेबरात निर्यात संपूर्ति योजना को पुनः लागू करना

2270. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1978 में प्रारम्भ की गई तथा बाद में वर्ष 1980 में समाप्त स्वर्ण जेवरात निर्यात संपूर्ति योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा नीति की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्वर्ण आदेश को कब तक संशोधन करने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने पर सरकार का निष्कर्ष पर पहुंची कि विमेषतौर पर आभूषणों के निर्माण में प्रयोग के लिए सोने का आयात करने की वर्तमान प्रक्रिया को और उदार बनाने की आवश्यकता है और इन परिस्थितियों में जो योजना अगस्त,

1978 से जनवरी, 1980 तक चल रही थी, उससे व्यापार की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।

(ग) स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना की रूपरेखा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कलकत्ता हवाई, अड्डे का सुधार

2271. **श्री चित्त बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता हवाई अड्डे का अस्तित्व बचाने के लिए वहां अनेक प्रकार के सुधार की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए गत दस वर्षों के दौरान कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसे कार्यान्वित किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कलकत्ता विमान क्षेत्र का अस्तित्व किसी भी प्रकार संकट में नहीं हैं।

(ख) तथापि, प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पिछले दस वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया :—

(i) 20 विमानों के पार्किंग-स्टैंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एप्रन क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है।

(ii) यात्री सामान तथा डाक को संभालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतस्थ प्रसुविधाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की पृथक-पृथक व्यवस्था करने के लिए एक नई पार्किंग योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है।

(iii) सामान के आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया समाकलित कार्यो परिसर स्थापित किया गया है।

(iv) 200 अतिरिक्त कारों के खड़ा करने की व्यवस्था करने के लिए कार पार्क क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

(v) अन्तस्थ भवन को जाने वाले पहुंच मार्ग को चौड़ा कर दिया गया है।

(vi) व्यस्ततम घंटों में यात्रियों को हैन्डल करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय आगमन कक्ष के "एयर-साइड" के विस्तार का कार्य पूरा कर दिया गया है।

(vii) आग बुझाने वाले 4 टेंडर तथा पानी वाले 2 टैंडर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(viii) सितम्बर, 1982 में एक नया दमकल केन्द्र चालू कर दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सूरत,गुजरात में कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण

2272. **श्री छतू भाई गामित** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1983 तक गुजरात के सूरत जिले में विभिन्न उद्देश्य के लिए कितनी राशि के ऋण दिए गए ;

(ख) इसमें से आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, कृषि मजदूरों, छोटे तथा सीमान्त किसानों को दिए गये ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या है और ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इन वर्गों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैंकों को कोई अनुदेश जारी किये हैं अथवा जारी करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़ों की सूचना प्रणाली से आंकड़े उस प्रकार प्राप्त नहीं होते जैसा कि प्रश्न में मागें गए है । सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में ऋणों के व्यवसाय अनुसार जिलावार आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन "बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स" में एक स्थान पर छापे जाते हैं। सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े जून 1981 से सम्बन्धित है। जून, 1979, जून 1980 और 1981 के संबंध में सूरत जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यवसाय अनुसार बकाया ऋणों के आँकड़ें संलग्न विवरण अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों के अर्थक्षम धन्धों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के प्रयास करने की सलाह दी है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों की एक अवधारणा बनाई गई है जिसमें छोटे और सीमान्तिक किसान, भूमिहीन मजदूर, बटाईदार, शिक्मी किसान, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियां, विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधिकारी, कारीगर और कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग आते हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मार्च 1985 तक उनके कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा इस समूह को मिलना चाहिये। बैंकों से अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों के ऋणकर्ताओं के दिए जाने वाले ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बैंकों को प्रधान कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में विशिष्ट अधिकारी नामित करने के लिए भी कहा गया है। इन कमजोर वर्गों की सहायता के लिए चल रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

और सीमान्तिक किसानों के वास्ते लघु सिंचाई कार्यक्रम जैसी आर्थिक सहायता और ऋण पर आधारित कार्यक्रमों में भी बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अलबत्ता, कार्यान्वयन के सम्बन्ध में त्रुटियों के विषय में जब कभी खास शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन के सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उनकी जाँच की जाती है।

विवरण

सूरत जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों का व्यवसाय वार वितरण

(लाख रुपये)

(के अन्त की स्थिति)

	जून 1979	जून 1980	जून 1981
कुल ऋण जिसमें से	9129.95	10454.44	11881.59
1. कृषि	1362.41	1632.25	1939.19
2. उद्योग जिसमें से	6220.10	7114.85	7842.44
(I) लघु उद्योग	2849.06	2845.43	3263.53
3. परिवहन चालक	194.54	218.29	322.00
4. सेवाएं	160.43	177.25	225.79
5. व्यापार जिसमें से	588.85	667.13	804.73
(I) खुदरा व्यापार	192.70	235.32	333.04
6. व्यैक्तिक ऋण	280.96	319.91	364.11
7. अन्य	322.66	324.56	383.33

विदेशी निवेश के लिए पेशकश

2273. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी सहित कुछ अन्य देशों से भारत में निवेश करने की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में निवेश करने की पेशकश को स्वीकार करने के प्रति विभिन्न देशों ने क्या उत्साह दिखाया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) साधारणत: देश में निवेश विदेशी कंपनियों तथा वाणिज्यिक संगठनों द्वारा किया जाता है न कि सरकारों द्वारा भारत सरकार की नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1973 के परिशिष्ट I में दिए गए उद्योगों तथा निर्यात प्रधान व्यवसायों में विदेशी निवेश की अनुमति हैं। विदेशी पार्टियों से सहयोग के क्षेत्र में तथा भारत में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए काफी रूचि दिखाई है जैसाकि संलग्न विवरण से स्पष्ट होगा, जिसमें पिछले पांच वर्षों के देशवार आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष, 1979 से 1989 तक जारी किए गए विदेशी सहतोग अनुमोदन को दर्शाता हुआ देशवार विवरण।

क्रम सं०	देश का नाम	1979		1980		1981		1982		1983	
		कु०अ०	वि०स०	कु०अ०	वि०स०	कु०अ०	वि०अ०	कु०अ०	वि०अ०	कु०अ०	वि०अ०
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आस्ट्रलिया	2	—	2	—	2	—	3	—	4	1
2.	आस्ठिया	2	—	5	—	8	2	8	—	3	—
3.	बहरीन	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
4.	बेल्जियम	3	—	2	—	1	—	4	1	8	2
5.	बरमूहा	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
6.	ब्राजील	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
7.	बुलगारिया	1	—	1	1	—	—	4	2	1	—
8.	केमन-आइलैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9.	कनाडा	2	—	—	—	2	1	1	—	6	2
10.	चेकास्लोवाकिया	2	—	4	—		—	5	—	2	—
11.	डेनमार्क	2	—	6	1	1	—	4	1	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	जर्मन संघीय गणराज्य	55	5	100	10	74	14	110	19	129	22
13.	फिनलैण्ड	3	—	5	1	2	—	4	—	1	1
14.	फ्रांस	17	1	24	5	23	3	28	6	40	4
15.	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	6	—	4	—	4	—	2	—	10	1
16.	ग्रीस	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1
17.	हांगकांग	1	—	—	2	2	—	1	—	3	1
18.	हंगरी	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—
19.	आयरलैंड	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—
20.	इटली	16	3	25	3	18	1	37	5	30	2
21.	जापान	12	—	34	5	27	4	51	5	58	7
22.	कोरिया (दक्षिणी)	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—
23.	कुवैत	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
24.	लेबानन	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
25.	लक्समबोर्ग	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	मलेशिया	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27.	मैक्सिको	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
28.	नीदरलैण्ड	6	—	8	1	9	2	14	—	13	2
29.	न्यूजीलैण्ड	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
30.	नार्वे	—	—	3	—	—	—	2	—	3	—
31.	पोलैण्ड	1	—	2	—	4	—	4	—	1	—
32.	पुर्तगाल	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
33.	रामानिया	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
34.	सिंगापुर	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—
35.	स्पेन	1	—	2	—	1	1	1	1	2	—
36.	स्वीडन	5	2	10	4	11	—	15	4	15	1
37.	स्विटजरलैण्ड	14	2	38	3	26	4	41	8	47	9
38.	ताइवान	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—
39.	संयुक्त अरब अमीरात	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	यूनाईटेड किंगडम	63	9	110	17	79	9	106	16	119	22
41.	संयुक्त राज्य अमेरिका	48	9	125	19	85	15	110	24	135	32
42.	सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ	2	—	6	—	2	—	2	—	4	—
43.	युगोस्लाविया	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—
44.	अनिवासी भारतीय	1		—	—	1	1	11	11	20	16
	जोड़	267	32	526	73	389	57	590	113	673	129

टिप्पणी : कु०अ०: विदेशी सहयोग के लिए कुछ अनुमोदन
वि०स०: कुल अनुमोदनों में से वित्तीय सहयोग के लिए अनुमोदन

आयकर विभाग द्वारा बड़े व्यापारिक घरानों पर मारे गए छापों के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई

2274. **श्री के० लकप्पा**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन बड़े व्यापारिक घरानों पर आय-कर विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान छापे मारे गए थे तथा उन व्यापारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है तथा उन पर मुकदमें चलाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आय-कर के मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर जल्दी से मुकदमें चलाने के लिए सरकार ने किन्हीं मार्ग निर्देशों को अंतिम रूप दिया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी आयकर आयुक्तों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे तलाशी और अभिग्रहण के सभी मामलों में अभियोजन की दृष्टि से तुरन्त कार्रवा करें ।

कलकत्ता में "इण्डिया ऑन मार्च" प्रदर्शनी में मंडप

2275. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई) के 77 वें सत्र के सम्बन्ध में "इंडिया ऑन मार्च" प्रदर्शनी में मण्डप थे और उनमें से प्रत्येक ने इस प्रदर्शनी के आयोजकों को कितनी धनराशि दी है ; और

(ख) इस धनराशि की अदायगी का तरीका क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कलकत्ता में हुई प्रदर्शनी "इंडिया ऑन मार्च, में वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन केवल दो सरकारी उपक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा) लि०, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि०, कलकत्ता ने मण्डप लगाये थे। उक्त प्रदर्शनी के संयोजकों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीस,ा

लि० कलकत्ता से 12,000 रु० की राशि तथा राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि०, कलकत्ता ने 6,000 रु० की राशि का भुगतान किया।

(ख) दोनों संगठनों ने चैक द्वारा भुगतान किया।

आयकर, उत्पादन शुल्क, निगम कर आदि के रूप में प्राप्त की गई धनराशि

2276. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान आयकर उत्पादन शुल्क, निगम कर, आदि के रूप में विभिन्न राज्यों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा इस धनराशि में से उनके शेयर के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

2277. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस वक्तव्य को देखा है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि पाकिस्तान परमाणु बम की तैयारी में भारत की तुलना में बहुत आगे है

(ख) क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम का विकास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टें देखी हैं, लेकिन इस संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

(ग) सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है तथा पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय करती है।

हवाई अड्डों की कर्मचारी यूनियनों में बहुमत समर्थित यूनियनें

2278. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** :

श्रीमती मधुदंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत हवाई अड्डों पर कार्य कर रही कर्मचारी यूनियनों में बहुमत से समर्थित यूनियन का निश्चय करने के लिए गुप्त मतदान द्वारा मतसंग्रह कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन कर्मचारी यूनियनों को, जिनके आग्रह पर उपरोक्त मतसंग्रह स्थगित किया गया है, गठन हुए उस समय एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विमानपत्तनों पर अभी तक उनकी कोई शाखा यहां नहीं है ; और

(ग) यदि उपरोक्त मतसंग्रह का विचार त्याग दिया गया है तो भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विमानपत्तनों पर कर्मचारी संघों में बहुमत समर्पित संघों का निश्चय करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां : (क) गुप्त मतदान द्वारा जनमत संग्रह करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि चुनाव में भाग ले रही तीन में से दो यूनियनों ने जनमत संग्रह में भाग लेने से मना कर दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस उद्योग में अनुशासन-संहिता के अनुसार सदस्यता की जांच के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

परियोजनाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता

2271. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**
श्री भीम सिंह :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ परियोजनाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंकों से वित्तीय सहायता की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(घ) उनके निर्माण की अवधि निर्धारित क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत सरकार प्रतिवर्ष परियोजनाओं की एक शृंखला तैयार करती है जिसे सहायता के लिए विश्व बैंक समूह के सम्मुख रखा जाता है । उन परियोनाओं की सही संख्या जिनके लिए सहायता ली जा सकती है और ऐसी सहायता की राशि बैंक समूह के कोष की उपलब्धता तथा परियोजना की तैयारी और प्रगति की स्थिति पर निर्भर करती है ।

उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनके सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ विश्व बैंक के राज-

कोषीय वर्ष 1984 (1 जुलाई, 1983 से प्रारम्भ हुए) में अब तक हस्ताक्षर किए गए हैं, निम्न-लिखित हैं :—

(लाख डालर)

परियोजना का नाम	सहायता	
	अ० पु० नि० वि० बैंक	अ० वि० सं०
मध्य प्रदेश शहरी विकास	241	—
उड़ीसा सिंचाई	—	1050
कर्नाटक सामाजिक वनपालन	—	270
तृतीय जनसंख्या परियोजना	—	700
वर्षा-पषित क्षेत्रों में जलविभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	—	310

कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सामूहिक ऋण योजना

2280. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री भीम सिंह :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए हाल ही में एक सामूहिक ऋण वितरण योजना आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत ऋण की वापस अदायगी के लिए कोई शर्तें निर्धारित की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समाज के कमजोर वर्गों में उन सुविधाओं के बारे में पहले से अधिक जागरूकता पैदा करने, जो वे बैंकों से उठा सकते हैं, ऋण सहायता से उत्पादक धन्धे शुरू करने के लिए प्रेरित करने और लोगों को यह दिखाने के लिए कि इन समूहों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वे वास्तव में उन तक पहुंच रही हैं—बैंक समारोहों का आयोजन करते हैं, जहाँ लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बैंक सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन इसे "बड़े पैमाने पर ऋण" नहीं कहा जा सकता।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और उनके अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंकों के प्रयास उनके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसरण में सामान्य प्राथ-

मिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण परिचालनों का हिस्सा है। ये ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत ऋणों की श्रेणियों पर लागू सामान्य नियम और शर्तों के अधीन जिन में वापसी अदायगी सम्बन्धी शर्तें भी शामिल हैं दिए जाते हैं। सामान्यता ऐसे ऋणों की अदायगी का कार्यक्रम बैंकों द्वारा ऋण-कर्ताओं की समयाविधि आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए, तय किया जाता है।

सामान्य बीमा निगम द्वारा नए बीमा ब्रोकरों का विरोध

2281. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम द्वारा अपना व्यापार स्थापित करने के लिए नए बीमा ब्रोकरों पर आपत्ति करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि तीन सुस्थापित ब्रोकरों-अर्थात् सेडविक्स, विल्लिस और बोरिंग्स ने तत्सम्बन्धी कुल भारतीय कारोबार को 30 वर्षों से अपने ही मध्य बांट रखा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इसी कारण से लंदन के बाजार में सामान्य बीमा निगम द्वारा पुन: बीमा के लिए दी जाने वाला लाभांश तत्सम्बन्धी वास्तविक राशि से 300 प्रतिशत अधिक था ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियाँ प्रश्न में उल्लिखित तीन दलालों के अलावा कई अन्य दलालों के माध्यम से विदेशों में अपना पुर्न बीमा कारबार स्थापित कर रही है। साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां अपने पुर्न बीमा कारबार की स्थापना के सम्बन्ध में बीमा करने वाले नए दलालों की नियुक्ति के खिलाफ भी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयोजित प्रमुख कच्चे माल का बिक्री मूल्य

2282. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे मालों के बिक्री मूल्यों को निर्धारित करने में विदेशी मुद्रा की बचत करने तथा भाड़ा लागत घटक को कम करने के लिए आयातों को जहाज तक नि:शुल्क (एफ० ओ० वी०) आधार पर करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप निगम उच्च स्पर्धा के आधार पर उद्योग को आयातित वस्तुओं की सप्लाई करने की स्थिति में होगा ; और

(ग) उक्त निर्णय से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राज्य व्यापार निगम भारतीय पोतों का प्रयोग करके यथासम्भव एफ० ओ० बी० आधार पर माल का आयात कर रहा है और इस विदेशी मुद्रा की बचत कर रहा है। तथापि, भारतीय पोतों के प्रयोग में भाड़ा लागत में कमी की गारन्टी नहीं है क्योंकि भारतीय और विदेशी पोतों की भाड़ा दरें लगभग समान हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम ठीक समय पर बल्क आयातों का प्रबन्ध करके प्रतियोगी कीमतों पर माल का आयात करता है। प्रतियोगी आयातों और साथ ही कम भाड़े के लाभ, यदि कोई हों, उद्योग को दे दिये जाते हैं।

(ग) भारतीय पोत इस्तेमाल करके एफ० ओ० बी० आधार पर खरीदारियां करने, भारतीय जलपोतों का प्रयोग करने पर अधिक जोर देते हुए विदेशी मुद्रा की एक बड़ी मात्रा की बचत की गई है। तथापि, विदेशी मुद्रा की बचत की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

भत्ते वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2283. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक टैलर, ग्रेड-एक, आदि जैसी भत्ते वाले पदों के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त बैंक के बैंकिंग डिविजन ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को आदेश मार्गनिर्देशों के रूप में अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के पत्र के साथ रिजर्व बैंक की आरक्षता नीति भेजी है;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ पटियाला ने भी, जो स्टेट बैंक आफ इंडिया से सहायता पाने वाले बैंकों में से एक है, अपने दिनांक 25 फरवरी, 1983 के परिपत्र संख्या पी ई आर/30 आफ 1983 के अंतर्गत एवार्ड केडर में भत्ते वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर एवार्ड केडर में भत्ते वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसा आरक्षण प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में सरकार के क्या मार्गनिर्देश हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धन वर्गों से जमानत लिये बिना ऋण की मंजूरी

2284. **श्री रतन सिंह राजदा :**

श्री दिगम्बर सिंह :

श्री नारायण चौबे :

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के लोगों को उदारता से ऋण स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों को निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में ऋण वितरण समारोह हुए हैं; यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने समारोह हुए हैं, किसने ये ऋण वितरित किए हैं और कितनी धनराशि वितरित की गई है और यह कितने लोगों को दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक कर्मचारी ऋण लेने वालों की भीड़ के कारण, काम अधिक बढ़ जाने पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिर्जव बैंक ने हाल ही में बैंकों का ध्यान 5-5 हजार रुपये के उन छोटे ऋणों के ऋणकर्ताओं के बारे में अपने निर्देशों की ओर दिलाया है जो उत्पादक प्रयोजनों के लिए चल परिसम्पत्ति की खरीद के लिए दिए जाते हैं और जिनके लिए इस प्रकार निर्मित परि-सम्पत्ति के रहन के अलावा कोई अतिरिक्त जमानत की जरूरत नहीं होती।

(ख) बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओ को, विशेषकर कमजोर वर्गों के ऋणकर्ताओं को वितरित किये जाने वाले ऋणों की गति को तेज करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अभियान चला रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर ऋण वितरण समारोह भी कर रहे हैं। ये समारोह स्थानीय रूप से किए जाते हैं तथा इनके सम्बन्ध में पूरे देश के आधार पर सूचना इकट्ठी करने की कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) और (घ) बैंकों से आवेदनों के उचित मूल्यांकन के बिना ऋण देने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन आवेदनों के निपटारे के मामले में उनसे एक युक्ति-युक्त कार्यकुशलता का मानक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है जो कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए उन्हें सौंपे गए समूचे काम के अनुरूप हैं। प्राय: बैंक कर्मचारी जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार अधिकारी संघों के कुछ प्रतिनिधियों ने बैंकों की ऋण देने की बढ़ती हुई गतिविधियों के बारे कुछ संकोच प्रत्यक्षत: इस आधार पर व्यक्त किये हैं कि तेजी से ऋण देने के परिणामस्वरूप उनकी वसूली में खतरा पैदा हो सकता है जिसके लिए बैंक शाखाओं के अन्य कार्यों की भांति बैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं।

काजू बोर्ड की स्थापना

2285. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं और बाजार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक काजू बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रधान मन्त्री ग्रामीण विकास निधि में किया गया अंशदान

2286. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त विधेयक, 1983 ने आयकर अधिनियम की धारा 35ग ग और 35गगक में आमूल संशोधन करके 'प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास निधि' की स्थापना की है;

(ख) व्यक्तियों और कम्पनियों द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास निधि में कुल कितनी धनराशि दान में दी गई है और 5 लाख रु० तथा उससे अधिक राशि का दान देने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रधान मन्त्री ग्रामीण विकास निधि द्वारा ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक निकायों, व्यक्तियों को कितनी धनराशि दी गई है और 2 लाख रु० अथवा अधिक की धनराशि पाने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक निकायों, कम्पनियों आदि से अनेक अपीलें और निवेदन प्राप्त हुए हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 35ग ग और 35ग ग क का संशोधन करने से ग्रामोत्थान के स्वैच्छिक प्रयासों और गरीबों के लिए धर्मार्थ कार्य पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) वित्त विधेयक, 1983 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्पनियों तथा सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण विकास के ऐसे कार्यक्रमों पर जो विहित प्राधिकारी द्वारा 1 मार्च, 1983 से पूर्व अनुमोदित कर दिए गये थे। किए गए

व्यय के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 35गग के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौती के विस्तार को सीमित करने के लिए एक उपबन्ध अन्तर्निहित था। इस विधेयक में अन्तर्निहित एक अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत कतिपय चालू कार्यक्रमों के लिए दी गयी दान की राशियों के सम्बन्ध में अनुमत कटौती को छोड़कर, एसोसिएशनों और संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने के लिए दी जाने वाली दान की राशियों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की धारा 35गगक के अन्तर्गत अनुमत कटौती को भी बन्द कर दिया गया था। साथ ही यह उपबन्ध बनाया गया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा अधिसूचित ग्रामीण विकास कोष में, इस सम्बन्ध में दिये गये दान कटौती के लिए अर्हक होंगे।

(ख) तथा (ग) उक्त उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने 10-2-1984 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना की और पूर्वोक्त रियायत के प्रयोजनार्थ उक्त कोष को 28-2-1984 को अधिसूचित कर दिया गया है। चूँकि, पूर्वोक्त कोष को अभी हाल ही में स्थापित तथा अधिसूचित किया गया है, इसलिए कोष को दी गयी दान की राशियों तथा कोष द्वारा वितरित राशियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार को प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, वित्त विधेयक, 1983 में कतिपय सरकारी संशोधन पेश करने का फैसला किया गया था। इन संशोधनों में से एक के अन्तर्गत, धारा 35गग के अन्तर्गत अनुमत्य रियायत को जारी रखा गया था, परन्तु यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कर-रियायत केवल उच्च प्राथमिकता वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ही दी जाती है, यह व्यवस्था की गयी कि विहित प्राधिकारी किसी भी कार्यक्रम को तब तक अनुमोदित नहीं करेगा, तब तक कि वह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की श्रेणी अथवा वर्ग के अन्तर्गत नहीं आता। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में कठिनाई दूर करने की दृष्टि से, जहां अनुमोदित कार्यक्रमों को दान 1 मार्च, 1983 से पूर्व दे दिये गये थे, परन्तु संस्था ने विधेयक में विनिर्दिष्ट स्वरूप के निर्माण-कार्य उक्त तारीख से पूर्व प्रारम्भ नहीं किये थे, वहां संगत उपबन्ध को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी कि यह अपेक्षा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जहां दान 1 मार्च, 1983 से पूर्व दिये गये थे।

कपड़ा समिति निरीक्षकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही

2287. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 तथा 420 के अन्तर्गत तथा आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत चौदह

कपड़ा समिति निरीक्षकों के विरुद्ध चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है;

(ख) क्या एडीशनल चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने निरीक्षकों को प्रत्येक को 10,000 रु० की जमानत पर छोड़ दिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार सेवा नियमों के अनुसार जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही चलाई जाती है तब सम्बन्धित कर्मचारी को न्यायालय द्वारा मुकदमें पर निर्णय दिये जाने तक निलम्बनाधीन रखा जाना चाहिए;

(घ) क्या 1, अक्तूबर, 1982 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर में यह बताया गया था कि कपड़ा समिति ने नियमों के अनुसार पहले से ही सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बनाए गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी० आर० डब्ल्यू० 420,4681471 और आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत वस्त्र समिति के 10 निरीक्षकों के विरुद्ध ऐडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में अपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी आर०डब्ल्यू० 420 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत वस्त्र समिति के एक निरीक्षक के विरुद्ध भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट' नई दिल्ली की अदालत में आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की है।

(ख) ऐडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत ने 8 अपराधी निरीक्षकों में से प्रत्येक को 10,000 रु० तथा एक को 5,000 रु० की जमानत पर छोड़ दिया ।

(ग) वस्त्र समिति के कर्मचारी, वस्त्र समिति कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1968 के अन्तर्गत शासित होते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरम्भ की गई : उसके मामले में यदि निलम्बन आवश्यक समझा जाये तो उसके निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी को स्वनिर्णय की शक्ति दी गई है।

(घ) जी हां। तथापि यह बताया जाता है कि अतराँकित प्रश्न संख्या 1291, इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित मामलों से सम्बन्धित नहीं है।

(ङ) वस्त्र समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

"इन्डियन बैंक इन £ 266 मिलियन क्राइसिस" शीर्षक से समाचार

2288. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्री सुभाष चन्द्र यादव :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री गुलशेर अहमद : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1984 के एशियन पोस्ट', लंदन में "इंडियन बैंक इन £ 266 मिलियन क्राइसिस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है, प्रत्येक मामले के अन्तर्गत पार्टियों और बैंकों के नामों और पूंजी का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त मामले की जाँच की है, यदि हां, तो उसकी जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या इस मामले में अधिक राशि के बीजिकों या जाली बिलों के द्वारा धोखाधड़ी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसकी जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरों या किसी अन्य जांच अधिकरण को सौंपा गया है, यदि हां, तो यह कब सौंपा गया है, और यदि इसके कोई निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) संबंधित बैंकों के हितों की रक्षा करने तथा उनकी बकाया धनराशि वसूल करने तथा उनकी बकाया धनराशि वसूली करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किये गये हैं या करने का विचार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने "एशियन पोस्ट" (लंदन) में प्रकाशित समाचार को देखा है। लेकिन, राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

चेकों लिखने आदि के लिए एम० आई० सी० आर० तकनीक लागू करना

2289. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर संस्थान ग्रुप ने चैकों लिखने के लिए 'मेगनेटिक इंक केरेक्टर रिकोग्नीशन तकनीक लागू करने और चैक फार्मों के मानकीकरण आदि के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ, मानकीकृत चैक फार्मों आदि सहित यंत्रीकृत चैक संसाधन के लिए मैगनेटिक इंक कैरेक्टर रैकग्नीशन टैक्नालाजी को स्वीकार करने की सिफारिश की है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

3, रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कृषि बैंकिंग कालिज द्वारा आयोजित "स्माल होल्डर लाईवस्टाक परियोजना सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

2290. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र मंडल सचिवालय, लन्दन के सहयोग से कृषि बैंकिंग कालित द्वारा 1982-83 और 1983-84 में आयोजित 'स्माल होल्डर लाईवस्टाक" परियोजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पदनाम सहित उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्र मंडल सचिवालय लन्दन के सहयोग से कृषि बैंकिंग कालेज, पूणे ने 3 से 22 जनवरी, 1983 तक 'स्माल-होल्डर लाइव-स्टाक परियोजना' नामक केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था। इसमें चार राष्ट्र मण्डल देशों अर्थात् बंगला देश, भारत, मलेशिया और श्रीलंका के 20 व्यक्तियों ने भाग लिया था जिनके नाम, पदनाम आदि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

(ख) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में किसी अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

भाग लेने वाले का नाम	पदनाम, संस्था का नाम आदि
बंगला देश	
1	2
1. श्री शरीफुल इस्लाम	उप-निदेशक पशु धन सेवाएं सपुरा, राजशाही
2. श्री मोहम्मद गुलाम मोस्तफा	उप-निदेशक, पशुधन सेवाएं खलना प्रभाग जैसोर
3. श्री जुउद्दीन अहमद	सहायक निदेशक, पशुधन सेवा निदेशालय ढाका
4. श्री मलिक मोहम्मद शाह नूर	उप-मुख्य मतस्य पालन और पशुधन प्रभाग कृषि मन्त्रालय, ढाका
5. श्री मोहम्मद शाहजहांन मिया	अनुभाग अधिकारी, मतस्य पालन और पशुधन विभाग कृषि मन्त्रालय ढाका
भारत	
6. डा० दासप्पा नारायण	विकास अधिकारी, सुअर पालन विकास अधिकारी बंगलौर
7. श्री बलवंत वासुदेव सोमान	सहायक निदेशक, पशुपालन, भिगार, अहमदनगर जिला

1	2
8. श्री गोपेन्दु भूषेण चौधरी	पशुपालन के उप निदेशक, त्रिपुरा सरकार, अगरतल्ला
9. डा० सी०एन० रामचन्द्रन नायर	आयोजना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय त्रिवेन्द्रम
10. डा० के० रघुनाथन	पशुपालन निदेशालय, पांडिचेरी
11. डा० आर०एस० राणा	संयुक्त निर्देशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़
12. डा० जी०एस० धालीवाल	उप निदेशक, पशुपालन पंजाब, चण्डीगढ़
मलेशिया	
13. श्री तेंकू अब्दुरहमान बिन सुलेमान	पशु-चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा सेवा विभाग केडाह जौहोर
14. श्री शम्मुल बहिर बिन अहमद	पशु-चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सेवा विभाग, केडाह
15. श्री मोहम्मद अंजाम अब्दु अजीज	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सेवा विभाग, जोहौर
16. श्री च्यू हौ कान	प्रभारी अधिकारी, दुग्ध संग्रहण केन्द्र कुलीम

1	2
श्री लंका	
17. डा० ए० शक्तिवाले	उप निदेशक (योजना), कृषि अर्थशास्त्री, ग्रामीण औद्योगिक विकास मन्त्रालय, कोलम्बो
18. श्री पी० तिलकरत्न	सहायक निदेशक (विकास) ग्रामीण विकास मन्त्रालय, कोलम्बो
19. डा० ई. एफ. ए. जालतगो	पशु चिकित्सा अनुसंधान अधिकारी, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पेरदेनिया
20. श्री एस० मणिकवाडिवले	पशु चिकित्सा अधिकारी, काट्गोरटोटा

ऋण प्राधिकार योजना का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

2291. **श्री ईरा अनवारासु :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण प्राधिकार योजना के पुनरीक्षण का कार्य करने वाली समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) समिति द्वारा की-गई सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 नवम्बर, 1983 को बैंकों के नाम संशोधित मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं । ये संशोधित मार्ग-निर्देश । अप्रैल, 1984 से लागू होंगे ।

विवरण

ऋण प्राधिकार योजना के कार्यकारण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति द्वारा की

वही मुख्य सिफारिशें ।

1. एक ऐसी प्रणाली तैयार करना वांछनीय होगा जिसमें योजना की सभी अपेक्षाओं का पालन करने के लिए ऋणकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले और बैंकों की ऋण मूल्यांकन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बढ़ावा मिले । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन सभी मामलों में जहां यह अनुपालन किया जा रहा हो, भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व-प्राधिकार प्राप्त करने के रूप में तरजीह दी जाए ।

2. बैंकों को ऋण प्राधिकार योजना के उन मामलों में ऋण का उपयोग करने में भारतीय रिजर्व बैंक के पूवप्राधिकार के बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करने दिया जाए जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों—

(1) बिक्री, प्रभार्य चालू परि-सम्पत्तियों, अन्य चालू-परि-सम्पत्तियों, चालू देयताओं (बैंक ऋणों से भिन्न) और निवल कार्यशील पूंजी के सम्बन्ध में अनुमानों/पूर्वानुमानों का युक्तिसंगत होना; (2) चालू परि-सम्पत्तियों और चालू देयताओं का भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप वर्गीकरण; (3) छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर 1.33:1 के न्यूनतम चालू अनुपात को बनाये रखना; (4) गत छः महीनों के लिए, भविष्य के आश्वासन सहित ऋणकर्त्ता द्वारा तिमाही परिचालनात्मक विवरणों का तुरन्त प्रस्तुतीकरण; (5) ऋणकर्त्ता द्वारा अपने वार्षिक विवरण तुरन्त प्रस्तुत करने और बैंक द्वारा उन मामलों में भी, उनकी वार्षिक समीक्षा किये जाने का आश्वासन दिया जाना, जिनमें ऋण सुविधा के बढ़ाए जाने की बात भी न हो ।

3. ऐसे विवेक का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत विशिष्ट कार्यपालक द्वारा विधिवत रूप से हस्तांतरित प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत किए जाने के अधीन होना चाहिए कि उसने प्रस्ताव के सबम्न्ध में इस बात की तसल्ली कर ली है कि प्रस्ताव उपर्युक्त सभी अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

4. उपर्युक्त 3 में उल्लिखित प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक में सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और यदि यह पाया गया कि मंजूर की गई उक्त ऋण सीम की कोई जरूरत नहीं तो बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उपराचात्मक कार्रवाई की जाएगी । भारतीय रिजर्व बैंक यह भी परिकल्पना कर सकता है कि जब तक आगे नोटिस नहीं दिया जाए तब तक इन ऋणकर्त्ताओं के ऋण प्रस्ताव पूर्व-प्रधिकार के लिए उसे प्रस्तुत किए जाएं ·

5. इन निर्यात-प्रधान निर्माता एककों के बारे में, जो अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री का कम से कम 75% भाग निर्यात करते हैं, निर्यात प्रस्ताव भारयीय रिजर्व बैंक को पूर्व

संदर्भ किये बिना बैंक स्तर पर निपटाये जाने चाहिएं, बशर्ते कि बैंक निर्यातकों की संबंधी ऋण आवश्यकताओं की युक्तियुक्तता के बारे में संतुष्ट हो और यह प्रस्ताव उपर्युक्त 4 के अन्तर्गत शर्त के अधीन हो।

6. ऋण प्राधिकार योजना के ऐसे अन्य प्रस्तावों की, जो उपर्युक्त सुझाए गए आयामों को पूरा न करते हों, भारतीय रिजर्व बैंक में संवितरण से पूर्व पहले की तरह बराबर जांच की जाती रहेगी।

7. 5 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं के लिए बैंक बिना किसी सीमा के, मांगी गयी अतिरिक्त सीमा के 25% तक, अधिक से अधिक 3 महीनों की अवधि के लिए तदर्थ सीमाओं की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते की बैंक इन सीमाओं की आवश्यकता पर आधारित मानते हों।

8. बैंकों पर अधिक से अधिक विश्वास करने की नीति के अनुरूप, चालू परि-सम्पत्तियों और पूंजीगत गपकरणों की खरीद के लिए प्रत्य-पत्र सुविधाएं पूर्व-प्राधिकार की अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिएं।

9. निदेशन समिति को मौजूदा वस्तु-सूची और प्राप्य मानकों की समीक्षा करने, अतिरिक्त उद्योगों के लिए मानक निर्धारित करने और जहां तक आवश्यक हो औद्योगिक समूहों को अलग-अलग करने का काम तत्काल हाथ में लेना चाहिए।

10. भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा निर्धारित आंकड़ों का तत्काल प्रस्तुतीतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अग्रिमों की देखरेख करने वाला एक कारगार उपाय बनाया जा सके। बैंकों द्वारा इकट्ठे किए जाने वाले आंकड़ों में बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसका उचित रूप से विश्लेषण, सारणीकरण और कम्प्यूटीकरण करने की आवश्यकता है ताकि एक कारगार सांख्यिकी आधार तैयार किया जा सके जो बहुत ही मूल्यवान हो।

11. जिन कारणों से बैंक द्वारा दिए जाने वाले सावधी ऋणों पर प्रतिबंध शुरू किये गए थे और गत वर्षों में बराबर जारी हैं, आज भी वैध हैं और सम्भवत: पहले से भी अधिक, जैसाकि बैंकों में सावधि ऋणों के बढ़ते हुए हिस्से से स्पष्ट होता है इसलिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सावधि ऋणों पर लगे प्रतिबन्ध बराबर जारी रहने चाहिएं।

12. क्वालिटी और निपटान की गति के हित में जहां तक सम्भव हो बैंकों में ऋण प्राधिकार योजना के अग्रिमों को केवल महा नगरीय केन्द्रों में चुनी हुई विशेष शाखाओं में केन्द्रित किया जाए जो आवश्यक विशेषज्ञता से सुसज्जित हों।

13. बैंक में प्रत्येक सोपान पर स्तरों की संख्या को युक्तियुक्त बनाने के लिए समिति दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न सम्बन्ध स्तरों के बीच विचार-विमर्श के लिए

मूल्यांकन अधिकारी/शुरू करने वाले अधिकारी पृष्टभूमि टिप्पणी को परिचालित कर सकता हो और एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाया जा सकता हो ।

14. यद्यपि यह वांछनीय है कि विभिन्न सोपानों और स्तरों पर वाणिज्यिकी बैंकों के ऋण मूल्यांकन विभागों में मिले-जुले व्यवसायी (चार्टर्ड एकाउण्टेंट, इन्जीनियर और वित्तीय विश्लेषक) होने चाहिएं लेकिन सेवाकालीन प्रशिक्षण और कार्मिक क्षमता पर अधिक से अधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

15. भारतीय रिजर्व बैंक में काम का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि ऋण प्राधिकार के मामलों के निपटान में विलम्ब को कम से कम किया जा सके ।

कम्पनियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत किए गए घोटाले

2292. **श्री वी०डी० सिंह : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा करों पर छूट के उद्देश्यों से वैज्ञानिक शोध का काम करवाने अथवा प्रायोजित करने के घोटालों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उन कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन कंपनियों क ने करों की छूट लेकर राजकोष को कितना नुकसान पहुंचाया है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के प्रयोजनों से विहित प्राधिकारी अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय में एक अनुसंधान समीक्षा दल कार्य कर रहा है । यह दल अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा विहित फार्म में प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों के आधार पर इनके कार्यकलापों की समीक्षा करता है । दिल्ली में तलाशियों के दौरान दस्तावेज पकड़े गए हैं जिनसे कुछ अनियमितताओं का पता चला है । इन कंपनियों के नाम निम्नानुसार हैं—

1. ऊषा इण्टरनेशनल लि० ।

2. इण्डस्ट्रियल एण्ड अलाइड सेल्स प्रा० लि० ।

3. मदन मोहन लाल श्रीराम प्रा० लि० ।

4. जनरल सेल्स (प्रा०) लि०।

5. एस्ट्रा कार्यकाल (प्रा०) लि०।

6. मेघदूत (प्रा०) लि०।

7. कर्ण इण्स्ट्रीज।

जांए-पड़ताल पूरी होने के बाद, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

भारत में पर्यटक यातायात में कमी

2293. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में भारत में पर्यटकों की आमद के लक्ष्य को कम करने का निर्णय किया है, यदि हाँ, तो किस सीमा तक और संशोधित लक्ष्य क्या है;

(ख) पर्यटकों की आमद के लक्ष्य को कम करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटक यातायात कम होता जा रहा है जबकि थाइलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया और हांगकांग जैसे पड़ोसी देशों में इस प्रकार के यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा इन देशों में पर्यटक यातायात की वृद्धि सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सरकार ने पर्यटक आगमन के लक्ष्य को 1990 तक 35 लाख से कम करके 25 लाख करने का प्रस्ताव किया है। हाल के वर्षों में पर्यटक भेजने वाली प्रमुख मार्केटों में मन्दी के हालात को और इसके परिणामस्वरूप पर्यटक यातायात की वृद्धि में सामान्य गिरावट को दृष्टि में रखते हुए लक्ष्य में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। निरपेक्ष रूप से यदि आंकड़ों को देखा जाए तो भारत आने वाले पर्यटक यातायात में पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है।

भारत तथा इन देशों में पर्यटक यातायात के वृद्धि सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

(हजारों में)

	1981	1982	%अन्तर	1983	%अन्तर
भारत*क	1279	1288	0.7	1305	1.3
थाइलैंड	2016	2218	10.1	2191	—1.2
सिंगापुर	2829	2957	4.5	2854	—3.5
श्री लंका	371	407	9.8	327	—19.6
मलेशिया	1660	2093	26.1	1321*ख	4.9*घ
हांगकांग	2535	2609	2.9	1735*ग	3.8*घ

क* पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रकों सहित।

ख* जनवरी-जून से संबंधित है।

ग* जनवरी-अगस्त से संबंधित है।

घ* पिछले वर्ष की तत्संबंधी अवधि की तुलना में।

गरीबों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से छोटे ऋण

2294. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों को अपने व्यवसाय अथवा शिल्प को चलाने हेतु अपकरण आदि खरीदकर स्वरोजगार प्राप्त में उनकी सहायता करने के लिए प्रत्येक को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 1,000 रुपये तक के छोटे-छोटे ऋण देने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किन मापदण्डों और मार्गनिर्देशों का पालन किया जायेगा और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस प्रकार की कोई विशेष

योजना या कार्यक्रम सरकार द्वारा नहीं चलाया गया है ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारत द्वारा दिये गये अनुदान का अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन

2295. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों ने भारत द्वारा तीसरे विश्व के गरीब राष्ट्रों को दी गई सहायता का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

फैडरेशन आफ इण्डिया चैम्बर्स आफ कामर्स एँड इण्डस्ट्रीज द्वारा कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए दिए गए सुझाव

2296. **श्री मोहन लाल पटेल**

श्री एन०के० शेजवलकर : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज में देश में कुछ और कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण की आशंका पर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) क्या एफ० आई० सी० आई० ने कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कपड़ा उद्योग के लिए एक नीति घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कपड़ा उद्योग की रक्षा करने में कहां तक सहायक होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रँजन लास्कर) : (क) तथा (ख) फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आश्वासन माँगा गया है कि 13 वस्त्र मिलों का राष्ट्रीयकरण एक सीमित

क्षेत्र था और इस उपाय को अन्य उद्योगों अथवा औद्योगिक उद्यमों पर लागू नहीं किया जायेगा।

(ग) तथा (घ) हाल ही में सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए विभिन्न नीति सम्बन्धी उपायों की घोषणा की है। इसमें से कुछ इस प्रकार से हैं—

(1) आधुनिकीकरण के जरिए निर्यात सामर्थ्य बनाने के उद्देश्य से वस्त्र मशीनरी की कुछ विशिष्ट पदों पर सरकार ने निर्यात दायित्व के अध्यधीन आयात शुल्क घटा दिए हैं।

(2) कतिपय अनुबन्धों के अध्यधीन बुनाई तथा कताई एककों की फाइबर लोचशीलता को बढ़ाने का निश्चय किया है।

(3) वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने आयात तथा निर्यात नीति के अधीन निर्यातों के लिए नकद सहायता की संशोधित दरें तथा अन्य सुविधाएं घोषित की हैं।

(4) यार्न और फैब्रिक का कतिपय किस्मों का शुल्क ढाँचे की समीक्षा की गई है। ये परिवर्तन वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

(5) ऊनी वस्त्रों का कुछ चुनींदा किस्मों पर शुल्क की भी समीक्षा की गई है।

(6) आई० डी० वी० आई० द्वारा संचालित उदार ऋण योजना वस्त्र उद्योग पर लागू होती है और एककों को आधुनिकीकरण के लिए भी सक्षम बनाती है।

तमिलनाडु में चर्म उद्योग की मलचर्म (बैटल) की उपलब्धता

2297. **श्री के राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चर्म उद्योग मलचर्म (बैटल) के एकाधिकार सप्लाईकर्त्ता द्वारा ठगा और शोषित किया जा रहा है, जैसा कि चर्म निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन ने आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को उचित मूल्यों पर मलचर्म (बैटल) उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर : (क) घरेलू मांग का लगभग 75 प्रतिशत भाग अब आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। बैटल निस्पारण की घरेलू कीमत अधिकाँशतः आयातित सामग्री की कीमत द्वारा निर्धारित होता है।

(ख) बैटल निस्सारण के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत हैं।

चाय उद्योग के विकास के लिए त्वरित कार्यक्रम

2298. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय उद्योग के विकास के लिए एक त्वरित कार्यक्रम प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाहि की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के विकास के लिए भारतीय चाय एसोसिएशन से द्रुतगामी कार्यक्रम के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, प्लांटेशन एसोशिएशन्स की परामर्शदात्री समिति, जिसमें कि भारतीय चाय एसोसिएशन एक संघटक है, ने "1984 द्रुतगामी कार्यक्रम तथा बजट" शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें कि निकट भविष्य में चाय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से विकासशील गतिविधियां शूरू करने के सम्बन्ध में बताया गया है ।

ऐसी विकासशील गतिविधियों की योजनाएं चाय की 1984-85 की वार्षिक योजना में शामिल की गई है।

बेगम बाजार. हैदराबाद में एक बैंक का लूटा जाना

2299. **श्री मंगल राम प्रेमी** :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री जयपाल सिंह :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) बेगम बाजार हैदराबाद में 9 फरवरी, 1984 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 21 लाख रुपयों के लूट जाने की घटना के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और कितने डाकू पकड़े गए हैं; और

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में बड़े पैमाने में पड़ रही डकैतियों को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) इन्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उसकी बेगम बाजार (हैदराबाद) शाखा से गाड़ी से नकदी ले जाते समय लूटी गई 21.72 लाख रुपए राशी में से 20.55 लाख रुपये की रकम वसूल कर ली गई और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(ख) राज्य सरकारों से, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूलत: जिम्मेदार है, अनुरोध किया गया है कि वे बैंक डकैती/लूटमार की घटनाओं को रोकने के लिए उचित निरोधक उपाय करे। सरकार ने भी सहकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम उनके परिसरों में सुरक्षात्मक व्यवस्था मजबूत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

कर्मचारियों के आवास ऋण को शामिल न करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन

2300. **श्रीमती प्रमिला दन्डवते :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को भवन निर्माण अथवा मकानों की खरीद के लिए ब्याज की रियायती दरों पर दिए गए ऋण को कर्मचारियों के लिए परिलब्धि के रूप में अदायगी माना जाता है और उस पर कर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं;

(ग) आयकर विभाग की कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करेगी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के सम्बन्धित भाग के इस प्रकार संशोधन करेगी जिससे 18,000 रुपयों की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर कर्मचारीयों को दिए जाने वाले आवास ऋण को शामिल न किया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० कृष्ण): (क) से (ग) किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को दी जाने वाली परिलब्धियों कर्मचारी के कर लगने योग्य वेतन का एक भाग होती हैं। परिलब्धियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी नियोजक द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को जिसका वेतन नकदी में उपलब्ध न कराये गए लाभों अथवा सुविधाओं के मुल्य को छोड़ कर 18,000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक हो, मुफ्त अथवा रियायती दर पर मंजूर किए गए अथवा उपलब्ध कराये गए, किसी लाभ अथवा सुविधा का मूल्य शामिल होता है। भवन-निर्माण अथवा गृह अर्जन के लिए नियोजक द्वारा कर्मचारियों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋणों की मंजूरी परिलब्धि के अन्तर्गत आएगी और उपर्युक्त कर्मचारियों के मामले में वेतन के एक भाग के रुप में कर लगने योग्य होगी। कानून की स्थिति प्रारम्भ से ही इसी प्रकार की रही है। अधिनियम की धारा 17 (2) (iii) (ग) में उल्लिखित 18,000 रु० की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) विभाग की कार्यवाही के खिलाफ विभिन्न उच्च-न्यायालयों में दायर किये गए अभियोगों की संख्या के बारे में तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं है।

कैपरो-ग्रुप की कम्पनियों द्वारा खरीदे गए शेयरों को पंजीकृत करने के लिए एस्कार्टस लिमिटेड पर दबाव

2301. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के नियन्त्रणाधीन पूंजी निवेश करने वाले सरकारी वित्तीय संस्थान कैपरो ग्रुप की कम्पनियों द्वारा खरीद गए शेयरों का पंजीकृत करने के लिए एस्कार्टस लिमिटेड पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) पहले सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों ने कितनी बार ऐसे पंजीकरण के लिए हस्तक्षेप किया है; और

(ग) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की ओर से हस्तक्षेप किया गया है ?

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों को दी गई सुविधाओं की योजना से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की वैधता को चुनौती देने की मांग करते हुए मैसर्स एस्काट्स लि० द्वारा न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका में एक कथन सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा डाले जा रहे दबाव से सम्बन्धित है । चूंकि मामला न्याय निर्माणाधीन है, इसलिए इस मामले पर इस अवस्था में कुछ करना या कहना व्यवहार्य नहीं है ।

विदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग सहित उत्तर बंगाल के जिलों की यात्रा करने की अनुमति न दिया जाना

2302. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों सहित उत्तर बंगाल के कुछ को दार्जिलिंग जिलों कीयात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि इसके कारण पश्चिम बंगाल राज्य विदेशी पर्यटकों से होने वाली महत्वपूर्ण आय से वंचित हो रहा है;

(ग) जबकि भूटान जाने वाले विदेशी पर्यटकों को भूटान के पुटशीलिंग नगर तक पहुंचने के लिए दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी होकर लगभग 150 किलोमीटर रास्ते से जाने की अनुमति दी गई है, तब दार्जिलिंग जिले की यात्रा करने से उन्हें रोकने से क्या प्रयोजन पूरा होता है; और

(घ) क्या उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार दार्जिलिंग आदि

को यात्रा करने पर विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबंध को उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अधीन दार्जिलिंग, कूच बिहार, मालदा, जलपाईगुड़ी और पश्चिमी दिनाजपुर नामक पश्चिमी बंगाल के पांच जिले प्रतिबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। यदि विदेशी पर्यटक प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए एडवांस में परमिट लिए बिना बागडोगरा और वापसी तक वायुमार्ग द्वारा यात्रा करते हैं तो उन्हें 15 दिन तक दार्जिलिंग शहर की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। यदि पर्यटक वायुमार्ग को छोड़कर अन्य किसी साधन से दार्जिलिंग शहर की यात्रा करने के इच्छुक हैं तो वे दार्जिलिंग शहर सात दिन ठहरने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिटों को कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास स्थित विदेशीक्षेत्रीय रजिट्रेशन अधिकारी या इन स्थानों के हवाई- अड्डों परआप्रवासन अधिकारी, पश्चिमी बंगाल सरकार, गृह विभाग या विदेश स्थित किसी भारतीय मिशन से प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में जलढ़पारा अभ्यारण्यकी यात्रा करने के लिए परमिट उदारतापूर्वक दिए जाते हैं।

(ख) से (घ) : विद्यमान प्रणाली के अधीन, भूटान जाने वाले अथवा भूटान से आने वाले विदेशियों को भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों से गुजरने के लिए ट्रांजिट वीजा लेना होता है ऐसे परमिट केवल न्यूनतम आवश्यक अबधि के लिए निर्धारित रास्ते से पारगमन के वास्ते जारी किए जाते हैं।

चूंकि परमिटों के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है, प्रतिबंध लगाना आर्थिक दृष्टि के हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ है।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कताई मिलों की स्थापना के लिए सावधिक वित्त हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से किया गया अनुरोध

2303. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र में दो कताई मिलों की स्थापना की परियोजनाओं के लिए सावधि वित्त प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अभी तक परियोजनाओं का मूल्यांकन करना आरम्भ नहीं किया है; और

(ग) क्या उनका विचार इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निवेश देने का है ताकि वह यथार्थवादी रवैया अपनाए और पश्चिम बंगाल के हथकरघा क्षेत्र को धागे की कमी के कारण हो रही कठिनाइयों को देखते हुए शीघ्रता से कार्य करे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां

(ख) भारयीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने पश्चिम बंगाल सरकार से दो परियोजनाओं के कायन्वियन की प्रगति के बारे में सूसना मागी है ताकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मामले के सम्बन्ध में और कार्रवाहि कर सके । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित विया है कि यह सूचना अभी आनी है और इस के प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर कार्रवाही की जाएगी ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

आयकर संबंधी छापे

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान देश में आयकर प्राधिकारियों ने कितने छापे मारे थे;

(ख) कितने मूल्य की परिसंपत्ति जब्त की गई तथा गुप्त आय की कितनी धनराशि का पता चला ;

(ग) इन छापों के परिणामस्वरूप कितने सफल मुकद्दमें चलाए गए तथा करों की कितनी धनराशि वसूल की गई ; और

(घ) कितने मामलों में अपील की गई तथा कितनी अपील कर प्राधिकारियों के पक्ष में निर्णित हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) : 1981 82 तथा 1982-83 के दौरान ली गई तलाशियों की संख्या और पकड़ी गई प्रथमदृष्ट्या लेखाबाह्य परिसंपत्तियों का मूल्य निम्मानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य
		(करोड़ रुपयों में)
1981-82	4282	30.66
1982-83	4291	27.96

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की

धारा 132 (5) के अन्तर्गत पारित आदेशों में अनुमानित अचोषित आय क्रमश: 45.52 करोड़ रु० तथा 41.71 करोड़ रु० थी।

(ग) तथा (घ) मुकद्दमें सामान्यतः, जांच पूरी हो जाने और करनिर्धारण पूरे कर लिए जाने तथा अपीलों में मान्य ठहराये जाने के पश्चात् चलाये जाते हैं। अतः सफल मुकद्दमों की संख्या वसूल किए गए कर की राशि तथा सफल अपीलों की संख्या का पता, इन सभी मामलों में कार्य-वाहियाँ पूरी कर लिए जाने के पश्चात् ही चल सकेगा।

आयात पात्रता योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा किया गया आयात का मूल्य

2305· **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयात पात्रता योजना के अन्तर्गत 1981-82 और 1982-83 के दौरान कुल कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ख) आयात पात्रता योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी मुख्य वस्तुएं आयात की गई; और

(ग) आयात पात्रता योजना के अंतर्गत सीधे ही कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात किया जाता है और उन्हें देश के भीतर बेचा जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) ऐसा समझा जाता है कि सन्दर्भ आयात प्रतिपूर्ति योजना से है। 1981-82 और 1902-83 में निर्यातों के आधार पर जारी किये गए आर० ई० पी० लाइसेंसों का मूल्य निम्नांकित प्रकार है :—

1981-82	1762.90 करोड़ रु०
1982-83	1963.50 करोड़ रु०

आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर वास्तविक आयात सम्बन्धी जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) जिन मदों का आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत दिया जाता है, वे आयात व निर्यात नीति के परिशिष्ठ-17 में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त तथा अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों पर आर० ई० पी० लाइसैंसों के समग्र मूल्य के भीतर कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य वस्तुओं, अतिरिक्त पुर्जों और पैक करने की सामग्री में किसी भी ऐसी मद का आयात करने का भी लचीलापन उपलब्ध है, जिसकी आवश्यकता विनिर्माता- निर्यातकों को अपने कारखानों

में प्रयोग के लिए हो । विशेष पृष्ठांकनों के अध्यापन पूंजीगत वस्तुओं के आयात करने में उपयोग के लिए आई० ई० पी० लाइसेंस की भी अनुमति दी गई है ।

(ग) आई० डी० पी० लाइसेंस उन्मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय है जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किये गए हों । इसे देखते हुए, देश में आयातकों द्वारा किए गए सीधे आयात तथा की गई बिक्री का अनुपात दर्शाना संभव नहीं हैं ।

पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली "लीजिंग कम्पनियां

2306. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली लीजिंग कम्पनियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पब्लिक इक्विटी इस्यूज जारी करने और अधिकृत पूंजी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके शेयरों के सार्वजनिक निर्णय को मंजूरी दी जाने वाली है;

(घ) सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया का विचार इन कम्पनियों द्वारा करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन को लीज पर लगाने की कार्यवाही पर क्या रोक लगाने का है; और

(ङ) क्या ये कम्पनियां इस धनराशि का कुछ हिस्सा अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक आफ इंडिया में जमा करेंगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) पूंजी निर्गम नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित कम्पनियों के नामों तथा शेयरों और ऋणपत्रों के निर्गमों की राशियों का ब्यौरा ऐसी प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में नियमित आधार पर प्रकाशित किया जाता है, जो कि अखबारों में छपती है । पहली अप्रैल, 1983 से लेकर 29-2-1984 की अवधि के दौरान, ऐसी पैंतीस कम्पनियों को, जिन से उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ लीज का कारबार (पट्टातरण कारबार) करना भी है । 58.89 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी और ऋणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है और पन्द्रह आवेदन पत्र इस समय भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(घ) तथा (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि वह लीज का कारबार करने वाली कम्पनियों के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था किए जाने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को उपयुक्त मार्ग-निर्देश जारी करे । इसके अलावा, लीजिंग कम्पनियों को मिलने वाले बैंक-अग्रिमों को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है । लीज का कारबार करने

वाली कम्पनियों को अपनी धनराशियों के एक अंश को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कराने के लिए बाध्य करने वाला कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

आयकर विभाग, गोरखपुर में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत

2307. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आयकर विभाग, गोरखपुर के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत मिली है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस शिकायत के बारे में कोई जाँच करायी है;

(ग) यदि हाँ, तो कौन से तथ्य सामने आये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : **(श्री एस० एम० कृष्णा)** (क) से (घ) : आयकर विभाग, गोरखपुर में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध कुछ समय पूर्व कुछ आरोप प्राप्त हुए थे, जिनकी जाँच पड़ताल की जा रही है।

पंतनगर (नैनीताल) के लिए वायुदूत सेवा का प्रस्ताव

2308. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से पंतनगर (नैनीताल) के लिए साप्ताहिक वायुदूत सेवा शुरू करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) पंतनगर को कब तक वायुदूत सेवा उपलब्ध करा देने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वायुदूत ने 16 फरवरी, 1984 से दिल्ली और पंतनगर के बीच सप्ताह में दो सेवायें प्रारंभ कर दी हैं।

हवाई अड्डों पर विमानों का देर से चलना और देर से पहुँचना

2309. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के असैनिक हवाई अड्डों से पिछले छः महीनों के दौरान कितने हवाई जहाज समय पर उड़ान नहीं भर सके;

(ख) उनमें से कितने हवाई जहाज अपने गंतव्य स्थानों पर 2 घण्टे से भी देर से पहुंचे; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) पिछले 6 महीनों में देश के विभिन्न सिविल विमान क्षेत्रों से इन्डियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया तथा वायुदूत की समय पर प्रचालित नहीं हुई उड़ानों की संख्या नीचे दी गई है—

	प्रस्थानों की संख्या	देरियों की संख्या
इंडियन एयरलाइन्स	47·219	10,395
एयर इंडिया (देश में विमान क्षेत्रों से)	3,334	266
वायुदूत (उत्तरी और पश्चिमी परिमंडल)	493	38

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत की जो उड़ानें अपने गंतव्य स्थानों पर 2 घंटों से अधिक देरी से पहुंची उनकी संख्या क्रमश: 609 तथा 21 थी। एयर इंडिया ने देश से तथा विदेशी विमान क्षेत्रों से कुल 3152 उड़ानें प्रचालित कीं जिनमें से 144 उड़ानों में 2 घंटे से अधिक की देरी हुई।

(ग) इष्टतम उपयोग के लिए, एक विमान को प्रतिदिन एक से अधिक मार्ग पर प्रचालन करना होता है। आरंभिक उड़ान में देर हो जाने के फलस्वरूप उसके बाद में सभी मार्गों पर होने वाली उड़ानों में भी देर हो जाती है। इंजीनियरी कारणों की वजह से होने वाली देरियों को कम करने के लिए विमानों के अधिक अच्छे रखरखाव पर बल दिया जा रहा है। वाणिज्यिक कारणों से होने वाली देरियों को न होने देने के लिए अधिक प्रभावी नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण होने वाली देरियों को कम करने के लिये उड़ानों के समय का पुनर्निर्धारण किया जाता है।

खण्ड स्तर पर बैंक सलाहकार समितियों का गठन

2310. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने खण्ड स्तर पर बैंक सलाहकार समितियों के गठन का निर्णय किया है, जो बैंकों में की जा रही जालसाजी पर नजर रख सकें;

(ख) यदि हाँ, तो इन सलाहकार समितियों के गठन का स्वरूप और कार्य क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) ये समितियां कब तक गठित कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बैंक कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति के लिए परीक्षा का माध्यम

2311. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती/पदोन्नति के लिए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये और इंडियन बैंकर्स इन्स्टीट्यूट, बम्बई द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है;

(ख) क्या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के ग्राहक, अशिक्षित, अर्ध-शिक्षित होने के कारण, केवल हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ समझ पाते हैं और इसलिए बैंकों के लेनदेन में भारी कठिनाई आती है;

(ग) यदि हाँ, तो भारत सरकार का विचार उक्त परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए हिन्दी को परीक्षा का माध्यम बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और लिपिक संवर्गों की समस्त सीधी भर्ती बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है । इन बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में 4 वस्तुपरक परीक्षायें और एक विवरणात्मक पत्र होता है । वस्तुपरक परीक्षाएँ इस प्रकार की होती हैं कि उनमें किसी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती । इनमें केवल एक अपवाद है जिसमें नामों और अंकों की तुलना करनी होती है । लेकिन विवरणात्मक किस्म के प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाना होता है और इसका उद्देश्य प्रत्याशी की अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है । यद्यपि प्रत्याशियों को विवरणात्मक परीक्षा पास करनी होती है लेकिन उस पत्र के अंक योग्यताक्रम की सूची तैयार करते समय हिसाब में नहीं लिये जाते । लिपिकों की भर्ती के मामले में इण्टरव्यू के समय प्रत्याशियों का स्थानीय भाषा का ज्ञान परखा जाता है ।

जहां तक बैंकों द्वारा ली जाने वाली पदोन्नति परीक्षाओं का सम्बन्ध है, बैंकों को पदोन्नति परीक्षा में हिन्दी के माध्यम के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति देने के लिए कार्रवाई करने के वास्ते परामर्श दिया गया है । इस परामर्श के अनुसरण में कई बैंकों ने अधिकारी तथा लिपिक संवर्गों

में पदोन्नतियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दे दी है जबकि कुछ अन्य बैंकों ने अब तक केवल लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दी है। इस प्रकार कई बैंक अपने स्टाफ को अंग्रेजी और हिन्दी में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन बैंकों में भी जहां विशेष रूप से अधिकारियों के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रशिक्षण दिया जाता है हिन्दी उन्मुख कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग का ज्ञान करवाया जाए।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स ने 1985 से उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रत्याशियों को हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति देने का अस्थायी रूप से फैसला किया है। लिपिक संवर्ग के लिए सीधी भर्ती के प्रयोजन के वास्ते प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक अलग भर्ती क्षेत्र माना जाता है और उस क्षेत्र के अन्दर परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों को उस भर्ती क्षेत्र के अंदर खाली स्थानों पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इण्टरव्यू के समय स्थानीय भाषा के ज्ञान को भी परखा जाता है। इसलिए उन्हें ग्रामीण अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यहां तक अधिकारियों के मामले में भी बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जहां तक संभव हो सके ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारि क्षेत्र की स्थानीय भाषा से भली-भाँति परिचित हों।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार प्रयास के सम्बन्ध में मुख्य पर्यटन कार्यालयों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

2312. **श्री जी० मूपति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों की तुलना में पर्यटकों को भारत में आकर्षित करने का अनुपात क्या है;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा पर्यटक कार्यालयों, प्रचार एजेन्सियों के सर्वोच्च अधिकारियों के कार्यानिष्पादन और प्रचार प्रयासों से पर्यटकों को आकर्षित करने सम्बन्धी कार्य-करण का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ?

(ग) क्या संचार माध्यम विज्ञापन की बारम्बारता और दृश्य दिखाने आदि सहित प्रचार अभियान के लिए मन्त्रालय की स्वीकृति दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं :

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पर्यटन के संदर्भ में परिवर्तन-अनुपात का पता लगाना संभव नहीं है चूंकि परिवर्तनीय निवेशों

(इन्पुट वैरिएबल्स) की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है जिनमें से अधिकांश की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ख) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के कार्य का मूल्यांकन उनके कार्य-प्रचालन, तथा व्यवसाय के साथ संपर्क, समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन में मीडिया कवरेज, उपभोक्ता और विशेष रुचि रखने वाले ग्रुपों और व्यावसायिक अभिकरणों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किये गए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। सामान्य सूचक अर्थात् पर्यटक आमद में वृद्धि पर्यटक यातायात की वृद्धि को प्रभावित करने वाले बहुत से ऐसे उपादानों और परिवर्त्यों के कारण हमेशा लागू नहीं होती जो पर्यटक कार्यालयों के नियन्त्रण से बाहर होते हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग विदेश स्थित कार्यालयों के संवर्धनात्मक कार्यक्रम का जिसमें प्रचार अभियान भी शामिल है, अनुमोदन करता है। मीडिया फ्रिक्वेंसी और दृश्य-उपकरणों के वास्तविक चयन का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्षों पर छोड़ दिया जाता है जिनका निर्धारण मार्केट द्वारा प्रतिपुष्टि (फीड बैक) और हमारे सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर किया जाता है।

होटलों में विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए दरों की मंजूरी

2313. **श्री जी० मूपति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) किन-किन वर्गों और श्रेणियों के होटलों की दरें पर्यटन विभाग द्वारा निश्चित की जाती हैं/मंजूर की जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए क्या नियम अपनाए गए हैं;

(ख) विभिन्न होटलों में विभिन्न प्रकार के आवास की विद्यमान दरें क्या हैं और ये दरें कब निश्चित की गई थीं अथवा मंजूर की गई थीं; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के होटलों द्वारा ट्रेवल एजेंसियों में मार्क अप का इस समय क्या मानदण्ड अनुमोदित कर रखा है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) 1 से 5 स्टार श्रेणी के सभी अनुमोदित होटलों के लिए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा अपनी दरें अनुमोदित कराना अपेक्षित है। पहाड़ी स्थानों पर दरें। अप्रैल से और देश के शेष भागों में दरें। अक्टूबर से लागू होती हैं।

दरें निर्धारित करने के लिए होटल की अवस्थिति, पूंजीगत परिव्यय और ऊपरी खर्च जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, 5 स्टार श्रेणी के लिए दर की उच्चतर सीमा निर्धारित की गई है। कोई भी होटल सिंगल रूम के लिए 800 रु० और डबल रूम के लिए 900 रु० से अधिक चार्ज नहीं कर सकता।

यूरोपीय देशों से ऊनी वस्त्रों के लिये अत्यधिक आर्डर

2314. **श्री कृष्ण चन्द पाण्डे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 जनवरी, 1984 के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित समाचार 'यूरोपीय देशों से भारत को ऊनी वस्त्रों का भारी आर्डर प्राप्त हुआ' सही है और

(ख) यदि हां, तो उन यूरोपीय देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ये आर्डर दिए हैं तथा किस अवधि तक ऊनी कपड़ों का निर्यात प्रारंभ हो जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऊनी वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में वर्ष 1983-84 के दौरान निर्यात संविदाएं निम्नोक्त प्रकार हैं :

(लाख रु० में)

	निटवीयर	शाल	कम्बल	फैब्रिक्स
सोवियत संघ	7700	1100	—	—
चैकोस्लोवाकिया	52	—	—	—
बल्गारिया	21	—	—	—
आस्ट्रिया	1	—	—	—
स्विटजरलैंड	1	—	—	—
स्वीडन	15	—	—	—
सं० रा० अमरीका	3500	—	—	—
यू० ए० ई)			25	1000
)	3500+	2500		
सऊदी अरब)			50	—

(स्रोत: ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद)

टिप्पणी+ यू० ए० ई० तथा सऊदी अरब के लिए ये आंकड़े ऊनी तथा एक्रैलिक निटवीयर के सम्बन्ध में हैं।

2. कुछ मदों के सम्बन्ध में निर्यात वर्ष 1988 के दौरान आरंभ किये जा चुके हैं। अन्य मदों के सम्बन्ध में निर्यात वर्ष 1984 के दौरान शुरू होंगे।

विदेशी विमान सेवाओं द्वारा दिल्ली, कलकत्ता बम्बई और मद्रास में संचालित उड़ानें

2315. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विदेशी विमान सेवा द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से प्रत्येक माह कितनी उड़ानें होती हैं;

(ख) उन देशों के लिए, जिनकी उपरोक्त विमान सेवाएं हैं, एयर इंडिया द्वारा प्रति माह कितनी उड़ानें की जाती हैं; और

(ग) सम्बद्ध देशों में तदनरूप विमान उड़ानें न करने के बदले में इस प्रकार की विमान सेवाओं से कितनी वार्षिक धनराशि वसूल की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विवरण I, II, तथा III में दी गई है।

विवरण-I

29 फरवरी, 1984 को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के लिए प्रति चार सप्ताह के आधार पर प्रत्येक विदेशी एयरलाइन की उड़ानों की संख्या की दर्शाने वाला विवरण।

क्र०सं०	एयरलाइन्स का नाम	भारत के स्थान			
		बम्बई	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास
1	2	3	4	5	6
1.	एयरोफ्लोट	शून्य+64 (तक)*	32	8+8 (तक)*	—
2.	एयर श्रीलंका	32	—	—	40
3.	एयर फ्रांस	24	32	—	—
4.	एयर मारीशस	8	—	—	—

1 2	3	4	5	6
5. अलीतालिया	16	20	—	—
6. अलमैडा	8	—	—	—
7. बंगला देश विमान	16	—	64	—
8. ब्रिटिश एयरवेज	32	40	8	—
9. एरियाना अफगान एयरलाइन्स	—	24	—	—
10. बर्मा एयरवेज	—	—	8	—
11. कैथेपैसिफिक एयरवेज	32	—	—	—
12. चेकोस्लोवाक एयरलाइन्स	16	—	—	—
13. ड्रक एयर	—	—	24	—
14. इजिप्ट एयर	8	—	—	—
15. इथोपियन एयरलाइंस	16	—	—	—
16. गल्फ एयर	208	32	—	—
17. इराकी एयरवेज	8	8	—	—
18. ईरान एयर	16	—	—	—
19. जापान एयरलाइन्स	—	24	—	—
20. केन्या एयरवेज	24	16	—	—
21. के०एल०एम०-रॉयल डच एयरलाइन्स	—	16	—	—
22. कुवैत एयरवेज	40	16	—	—
23. लुपथांसा जर्मन एयरलाइन्स	32	32	—	—
24. मलेशियन एयरलाइन्स	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
25.	पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइन्स	16	32	—	—
26.	पाकिस्तान इंटरनेशनल	32	32	—	—
27.	क्वांटास एयरवेज	24	—	—	—
28.	रॉयल नेपाल एयरलाइन्स	—	72	16	—
29.	सबेना बेल्जियन एयरलाइन्स	12	—	—	—
30.	स्केन्डिनेवियन एयरलाइन्स सिस्टम	—	—	16	—
31.	सिंगापुर एयरलाइन्स	16	—	—	24
32.	स्विस एयर	56	—	—	—
33.	सीरियन अरब एयरलाइन्स	8	8	—	—
34.	सऊदी अरब एयरलाइन्स	64	16	—	—
35.	थाई एयरवेज	—	40	24	—
36.	यमन एयरवेज	8	—	—	—
37.	टी. एम. ए.	8	—	—	—
38.	जाम्बिया एयरवेज	16+72(तक)*	—	—	—
	कुल	796+136(तक)*476		168+8 (तक)*	88

*उड़ान के तकनीकी अवतरण से तात्पर्य, बिना यातायात अधिकारियों के रुकने से है ·

टिप्पणी : दो उड़ानें दोनों दिशाओं में एक सेवा होती है ।

विवरण-II

29 फरवरी, 1984 को प्रति चार सप्ताह के आधार पर एयर इंडिया द्वारा अन्य देशों को प्रचालित उड़ानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	देश	शहर	उड़ानों की संख्या	मालवाही
1	2	3	4	5
1.	अमेरिका	न्यूयार्क	56	8
2.	कनाडा	मांट्रियाल	8	—
3.	इंगलैंड	लंदन	72	8
		(बर्मिघम)	8	—
4.	सोवियत संघ	मास्को	16	—
5.	पश्चिमी जर्मनी	फ्रैंक फर्ट	44	16
6.	इटली	रोम	36	8
7.	फ्रांस	पेरिस	32	4
8.	हालैंड	अमसंटर्डम	8	—
9.	स्विटजरलैंड	जेनेवा	8	—
		(ज्यूरिख)	—	12
10.	बेल्जियम	ब्रुसेल्स	—	8
11.	आस्ट्रेलिया	सिडनी	16	—
		पर्थ	16	—

(भारत से/के लिए वही उड़ान आस्ट्रेलिया के दोनों शहरों के लिए प्रचालन करती है)

12.	मलेशिया	कुआलालमपुर	16	—
13.	सिंगापुर	सिंगापुर	40	—
14.	जापान	टोकियो	24	8
		ओसाका	4	—

(टोकियो के लिये/से होने वाली उड़ानों में से एक उड़ान ओसाका से होकर प्रचालन करती है)

1 2	3	4	5
15. थाईलैंड	बैंकाक	24	4
16. हांगकांग	हांगकांग	24	4
17. केनिया	नैरोबी	32	—
18. जाम्बिया	लूसाका	8	—
19. सैसल्स	माहे	8	—
20. तंजानिया	दार-अस-सलाम	8	—
21. जिम्बाब्वे	हरारे	8	—
22. घाना	अकबरा	16	—
23. नाइजीरिया	लागोस	16	—
24. यमन जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	अदन	8	—
25. इथोपिया	अदिस अबाबा	8	—
26. मारीशस	मारीशस	8	—
27. मिस्र	काहिरा	8	—
28. यमन अरब गणराज्य	संना	8	—
29. बंगलादेश	ढाका	8	—
30. इराक	बगदाद	16	—
31. सऊदी अरब	तेहरान	48	—
	जद्दाह	24	—
32. कुवैत	कुवैत	52	—
33. ओमन	मरकट	56	—
34. कतार	दोहा	32	—
35. बहरीन	बहरीन	24	8

1	2	3	4	5
36.	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई	128	16
		आबू धाबी	100	—
		रास-अल-खामा	16	—
		शारजाह	40	—

टिप्पणी :—दो उड़ानें दोनों दिशाओं में एक सेवा होती है।

विवरण III

एयर इंडिया द्वारा अनुकूल उड़ानों के प्रचालन न किए जाने के एवज में विदेशी विमान कंपनियों से वसूल की गई राशि निम्न प्रकार है :

एयरलाइन्स	वर्ष	प्राप्त किए गए मुआवजे की राशि (अमरीकी डालरों में)
1. चैकोस्लोवाकियन एयरलाइन	1982-83	4,14,631
2. सबीना	जनवरी-दिसम्बर, 1982	4,74,102
3. सीरियन अरब एयरलाइन्स	1982-83	14,94,813
	(इसमें जनवरी-मार्च, 1983 की तिमाही के लिए 4,64,679 अमरीकी डालर भी सम्मिलित हैं जिनकी वसूली की जानी है)	
4. स्केंडिनेवियन एयरलाइन (एस० ए० एस०)	नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982	5,29,154
	(एस० ए० एस० को दिल्ली के लिये अपने प्रचालनों के लिए वाणिज्यिक मुआवजा अदा करना था। अक्तूबर 1982 से एस० ए० एस० ने सप्ताह में अपनी एक	

1	2	3
		उड़ान को दिल्ली से कलकत्ता के लिये स्थानांतरित कर दिया है। एस० ए० एस० अब कलकत्ता के लिए /से सप्ताह में दो सेवाएं प्रचालित करती है। करार के अधीन, कलकत्ता के लिए एस० ए० एस० द्वारा प्रचालन करने के लिये एयर इण्डिया को कोई वाणिज्यिक मुआवजा देय नहीं है)
		योग : 29,12,700

जम्मू और काश्मीर में पर्यटकों की रुचि के स्थानों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2316. **श्री सैफुद्दीन सोज :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटकों की रुचि के नए स्थानों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के स्थानों का विकास करने के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) से (ग) यह ज्ञात हुआ है कि जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार ने राज्य में विकास के लिए पर्यटक अभिरुचि के नए स्थानों का पता लगाने के लिए मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विस को सर्वेक्षण करने को कहा है। सर्वेक्षण अभी पूरा होना है।

काश्मीर में काम कर रहे जीवन बीमा निगम के श्रेणी-दो के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

2317. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों ने कश्मीर घाटी में काम कर रहे श्रेणी-दो के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) क्या इन शर्तों में सेवा की समाप्ति और अन्य कठोर प्रावधान भी सम्मिलित है; और

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा काम के मानदण्ड व्यवहार्य पाये गये हैं अथवा ये कठोर पाये गए हैं और वे उनका प्रतिस्थापन/संशोधन चाहने हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों (जिसमें कश्मीर घाटी में काम कर रहे दूसरी श्रेणी के अधिकारी भी शामिल हैं) के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तें जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए सवारी भत्ता, प्रोत्साहन बोनस और टेलीफोन सुविधाओं आदि जैसे प्रोत्साहन दिये जाएँगे और खराब कार्य-निष्पादन के लिए सवारी भत्ते और वेतनवृद्धियों में कटौती करने, और सेवा समाप्त करने जैसे विप्रोत्साहन दिए जाएँगे। इन नियमों में यह भी व्यवस्था है कि जिस किसी विकास अधिकारी की सेवा समाप्त की जानी होती है उसे प्रशासनिक काम के लिए, तीसरी श्रेणी के पद पर, सेवा समाप्त की जानी होती है उसे प्रशासनिक काम के लिए, तीसरी श्रेणी के पद पर, सेवा में रखा जा सकता है।

(ग) कार्य के मानदंड व्यावहारिक पाये गए हैं। फिर भी, दूसरी श्रेणी के कुछ अधिकारियों ने कार्य के मानदंडों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की हुई है। आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, पटना और पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय द्वारा कार्य मानदंड योजना के निर्णय को न्यायोचित घोषित किया गया है। अन्य उच्च न्यायालयों तथा उच्जतम न्यायालय में यह मामला अभी न्यायालयाधीन है।

बेरोजगार मैट्रीकुलेट युवाओं को ऋण वितरित करने के लिए प्रत्येक बैंक को आवंटित धनराशि

5318. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अंतर्गत प्रत्येक बेरोजगार मैट्रीकुलेट युवक को 25,000 रुपए का ऋण देने के लिए प्रत्येक बैंक को कोई धनराशि आवंटित की है,

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक को राज्यवार कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों की संख्या का भी कोटा है जिन्हें ऋण मंजूर किया जाएगा राज्यवार निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1983 तक ऋणों के वितरण के लिए प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालयमें उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने शिक्षित

बेरोजगार नवयुवकों के लिए एक स्व-रोजगार योजना बनाई है जिसके अधीन शिक्षित बेरोजगारों को 25,000 रुपए तक के ऋण दिए जाने की व्यवस्था है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन नहीं है। चूंकि यह योजना बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋणों पर निर्भर है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हिताधिकारियों को सहायता देने के लिए बैंकों के नाम विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और विदेशी बैंकों के अतिरिक्त सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, को सलाह दी है कि वे अपने अग्रिमों का कम से कम 1 प्रतिशत हिस्सा इस योजना के लिए अलग रख दें। यह राशि 325 करोड़ रुपए बैठती है। लेकिन चूंकि इस योजना में इस वर्ष 2.5 लाख ऋणकर्ताओं को सहायता देने की परिकल्पना की गई है, इसलिए वास्तव में आवश्यकता उपर्युक्त राशि से अधिक की होगी। उस हालात में बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने कुल ऋणों के 1 प्रतिशत से अधिक राशि अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवंटनों के अन्तर्गत समायोजित कर लें। धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित हिताधिकारियों के लक्ष्य के राज्यवार विभाजन पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) लक्ष्यों और बैंकों द्वारा 31 जनवरी, 1984 को मंजूर किए गए आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31 जनवरी, 1984 को राज्यवार लक्ष्यों और नई स्व-रोजगार योजना के अधीन बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदनों का विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	सं० बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र
1.	आंध्र प्रदेश	20000	4279
2.	असम	6700	1007
3.	बिहार	29000	562
4.	गुजरात	11200	485
5.	हरियाणा	5300	475
6.	हिमाचल प्रदेश	2000	111
7.	जम्मू एंड कश्मीर	1800	—
8.	कर्नाटक	12100	2553
9.	केरल	15100	1390
10.	हिमाचल प्रदेश	17500	1309

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	20800	901	
12.	मणिपुर	1000	—	
13.	मेघालय	800	—	
14.	नागालैंड	250	—	
15.	उड़ीसा	8600	300	
16.	पंजाब	6700	1887	
17.	राजस्थान	10000	1845	
18.	सिक्किम	100	—	
19.	तमिलनाडु	17500	2079	
20.	त्रिपुरा	900	—	
21.	उत्तर प्रदेश	36000	1977	
22.	पश्चिम बंगाल	25500	181	
23.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	100	—	
24.	अरूणाचल प्रदेश	200	—	
25.	चण्डीगढ़	500	8	
26.	दादरा एंड नगर हवेली	100	10	
27.	गोवा दमन और दीव	—	—	
28.	मिजोरम	200	—	
29.	पांडिचेरी	450	75	
	सकल जोड़	250000	21434	

x आंकड़े अनन्तिम हैं ।

वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा अपने विभागों. सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को मूल हिन्दी में लिखे गये पत्रों की संख्या

2319. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने राज्यभाषा अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में अलग-अलग देश में 'क' और 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में कुल कितने मूल पत्र भेजे;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्षवार कितने अलग-अलग मूल्य-पत्र हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में थे;

(ग) इन वर्षों में वर्षवार 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उनके मंत्रालय से सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से कितने मूल पत्र उनके मन्त्रालय को मिले हैं; और

(घ) राज्य-वार अलग-अलग उनमें से कितने मूल पत्र हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में थे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) मंत्रालय द्वारा देश के 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को भेजे गए मूल पत्रों के सम्बन्ध में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती । तथापि, क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए मूल पत्रों के आंकड़े केवल अक्तूबर, 1982, जबकि राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र-वार जानकारी मांगने वाला तिमाही प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धी नया प्रोफार्मा लागू किया गया, के बाद की अवधि के लिए ही उपलब्ध हैं और वे निम्नलिखित अनुसार हैं :

	हिन्दी में		अंग्रेजी में	
	अक्तू-दिस. 1982	जन-दिस. 1983	अक्तू-दिस. 1992	जन-दिस. 1983
क्षेत्र 'क'	64	642	3022	15412
क्षेत्र 'ख'	—	369	376	5057
क्षेत्र 'ग'	—	148	868	4810

(ग) तथा (घ) केवल विन्नभि स्रोतों से हिन्दी में प्राप्त मूल पत्रों आदि के आंकड़े ही वर्ष-वार रखे जाते हैं, राज्य-वार नहीं । 1981-82, 1982-83, 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) के दौरान प्राप्त ऐसे पत्रों की सख्या क्रमशः 1245, 1059 तथा 784 रही । इनमें से ऐसे पत्रों को छोड़कर जिनका कोई उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, सभी का उत्तर हिन्दी में दिया गया ।

पूर्ति मन्त्रालय से उसके विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय को हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गये मूल पत्रों की संख्या

2320. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान पृथक-पृथक 'ए' 'बी' और 'सी' क्षेत्रों में आने वाले राज्यों में कार्यरत अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को कुल कितने मूल पत्र भेजे हैं;

(ख) उनमें से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने पत्र मूल रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में पृथक-पृथक लिखे गए;

(ग) उनके मंत्रालय को इन वर्षों के दौरान 'ए' 'बी' और 'सी' क्षेत्रों में आने वाले राज्यों में कार्यरत अपने सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से वर्ष-वार कुल कितने पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) उन मूल पत्रों में से हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्रों की पृथक-पृथक राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) इस विभाग द्वारा वर्ष, 1981-82, 1982-83 में 'ए' 'बी' और 'सी' क्षेत्रों में आने वाले राज्यों में स्थित अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भेजे गए मूल पत्रों के बारे में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इस विभाग द्वारा, इन दो वर्षों में सभी को भेजे गए पत्रों की कुल संख्या निम्नलिखित हैं—

1981-82	1982-83
1325	1459

तथापि, इस विभाग द्वारा, वर्ष, 1983-84 (31 दिसम्बर, 1983 तक) में भेजे गए मूल पत्रों के बारे में आँकड़े क्षेत्रवार निम्नलिखित हैं :—

'ए' क्षेत्र — 681

'बी' क्षेत्र— 698

'सी' क्षेत्र — 575

(ख) (1)

उनमें से हिन्दी में भेजे गए मूल पत्रों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

1981-82	1982-83
595	1017

(क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है)

1983-84 (31 दिसम्बर, 1983 तक)

(क्षेत्र-वार आंकड़े)

'ए' क्षेत्र — 623

'बी' क्षेत्र — 445

'सी' क्षेत्र — 35

(2) उनमें से अंग्रेजी में भेजे गए मूल पत्रों की संख्या निम्मलिखित हैं :—

1981-82	1982-83
780	442

(क्षेत्र-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

1983-84 (31 दिसम्बर, 1983 तक)

(क्षेत्र-वार आंकड़े)

'ए' क्षेत्र — 58

'बी' क्षेत्र— 253

'सी' क्षेत्र— 540

(ग) इस विभाग को 'ए' 'बी' और 'सी' क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि से प्राप्त हुए मूल पत्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्राप्त हुए पत्रों की कुल संख्या निम्नलिखित हैं—

1981-82	1982-83	1983-84 (31 दिसम्बर, 83 तक)
2870	3010	2972

(ख) (1)

उनमें से हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों की संख्या निम्नलिखित हैं—

(क्षेत्रवार आँकड़े उपलब्ध नही हैं)

1981-82	1982-83	1983-84 (31 दिसम्बर, 1983 तक)
810	1028	914

(2) उनमें से अंग्रेजी में प्राप्त हुए पत्रों की संख्या निम्नलिखित हैं—

(क्षेत्रवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

1981-82	1982-83	1983-84 (31 दिसम्बर 1983 तक)
2060	1982	2058

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक शाखा में दी गई अनियमितताएं

2321. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक बोर्ड द्वारा चांदनी चौक बैंक की उक्त शाखा में की गई अनियमितताओं के संबंध में मामला क्रमांक 28 के बारे में 30 अगस्त, 1983 को क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या किये गए निर्णय को यथोचित क्रियान्वित किया जाता है और यदि नहीं, तो

उसके तथा संबंधित व्यक्तियों के दोषी पाये जाने के भी क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त मामले में बैंक को किस प्रकार की हानि हुई ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी चांदनी चौक (दिल्ली) शाखा में 28.50 लाख रुपए की पाई गई अनियमितता की सूचना कार्यपालक समिति को 30.8.1983 को दे दी गई थी। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ब्याज सहित पूरी राशि पार्टी से वसूल कर ली गई है। अलबत्ता, बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ, अनुशासनिक कार्रवाई कर रहा है।

मध्य प्रदेश को रुग्ण और बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

2322. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मध्य प्रदेश की रुग्ण और बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अपने निर्णय की घोषणा कब तक कर देगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सरकार ने मध्य प्रदेश में बन्द या रुग्ण किसी वस्त्र मिल का अधिग्रहण करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

रामलीला मैदान में ऋणों का सामूहिक वितरण

2323. **श्री सुधीर गिरि** :

श्री नीरेन घोष : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जनवरी, 1984 को रामलीला मैदान दिल्ली में कुछ राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में दिल्ली स्थित वाणिज्यिक बैंकों ने लोगों को ऋणों का सामूहिक वितरण किया था;

(ख) वहाँ उपस्थित राजनीतिक नेताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) सामूहिक ऋण समारोह के अवसर पर बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को दी जाने वाली ऋण सहायता की गति को तेज करने के लिए बैंक

देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने वालों का पता लगाने के लिए अभियान चलाते रहे हैं।

कई स्थानों पर वे समारोहों का आयोजन करते हैं, जिनमें लाभ प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से बैंक सहायता दी जाती है। इन समारोहों का आयोजन कमजोर वर्गों में उन सुविधाओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करता है जिन्हें वे बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बैंक ऋण की सहायता से अपने रोजगार के धन्धे स्वयं शुरू करने के लिए प्रेरित करना है।

बैंक इन समारोहों का जनता को यह दिखाने के लिए भी उपयोग करते हैं कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए रखे गये लाभ वास्तव में उन तक पहुंच रहे हैं और सरकार तथा रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन किया जा रहा है। अभियान से सरकार सार्वजनिक समारोहों की किस्म अथवा लाभ प्राप्त करने वालों को बैंक सहायता वितरण करने के लिए व्यक्ति के चयन के बारे में कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। बैंक प्रायः अभियानों/समारोहों के आकार स्थानीय पहल और क्षमता के आधार पर तय करते हैं।

सार्वजनिक समारोहों में बैंक सहायता का वितरण करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, चाहे उनके राजनीतिक सम्बन्ध अथवा व्यवसाय कुछ भी हो अथवा यहां तक कि दर्शकों में से कमजोर वर्गों के सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाता है।

इसी विचार से दिल्ली में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और 9 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने छोटे ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों की गति को तज करने के लिए सितम्बर, 1983 में एक अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान चार महीनों अर्थात् सितम्बर-दिसम्बर 1983 में इन बैंकों ने 40.770 ऋणकर्ताओं को 16 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। अभियान के समाप्ति के अवसर पर इन 31 बैंकों ने 4 जनवरी, 1984 को दिल्ली में एक समारोहों का आयोजन किया जिसमें 31 हिताधिकारियों को सहायता राशि वितरित की गई। समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री ने की थी और श्री राजीव गाँधी संसद सदस्य, मुख्य अतिथि थे। बैंकों द्वारा यह बताया गया है कि सभी स्थानीय संसद सदस्यों, महानगर परिषद पार्षदों/नगर निगम के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। बैंकों के पास उन सभी राजनीतिक नेताओं के बारे में सूचना नहीं है, जिन्होंने समारोह में भाग लिया था।

(ग) 4 जनवरी, 1984 को किए गए सार्वजनिक समारोह के साथ-साथ, दिल्ली में छोटे ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों की गति को तेज करने के समापन के अवसर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सार्वजनिक शिक्षा के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया ताकि छोटे ऋणकर्ताओं को बैंक ऋणों से लाभ उठाने और अपने धन्धे स्वयं शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस प्रदर्शनी में बैंकों द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परिसम्पत्तियों और सहायता प्राप्त हिताधिकारियों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। कुछ हिताधिकारियों ने अपने हुनरों का भी

प्रदर्शन किया। बैंकों ने इस प्रदर्शनी से समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपनी योजनाओं का प्रचार करने का भी लाभ उठाया।

बैंक यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि उन्होंने प्रदर्शनी और समारोह पर अलग-अलग कितनी रकम खर्च की। उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन 31 बैंकों ने इस समारोह तथा प्रदर्शनी में भाग लिया था, स्टालों के किरायों बिजली के खर्च, प्रचार, फर्नीचर के किराए आदि पर सामूहिक रूप से 10.45 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा कुछ बैंकों द्वारा अपने स्टालों की आन्तरिक सजावट, बैनरों, पोस्टरों प्रचार-सामग्री आदि पर भी कुछ धन खर्च किया गया।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा दिए गए ग्रामीण ऋणों तथा औद्योगिक ऋणों के समोयपरि बकाया

2324. **श्री सुधीर गिरि : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अब तक दिए गये ग्रामीण ऋण के समयोपरि बकाया का प्रतिशत क्या है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अब तक दिए गए औद्योगिक ऋणों के समयोपरि बकाया का प्रतिशत क्या है ; और

(ग) दोनों ही मामलों में ऋण की बकाया धनराशि को बसूल करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़ों की सूचना प्रणाली से कृषि के लिए दिए गए प्रत्यक्ष वित्त की बसूली के संबंध में ही सूचना प्राप्त होती है। जून 1981 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कृषि वित्त के संबंध में राष्ट्रीकृत बैंकों का अति देय प्रतिशत लगभग 53 है।

(ख) बैंकों और राज्य सरकारों से वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए कारगर उपाय करने के वास्ते कहा गया है।

कम्बाट एल. सी. ए. प्रोजेक्ट बनाने के लिए सहयोग हेतु यू० के० के साथ ठेका

2325. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 फरवरी, 1984 के "ब्लिटज" में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना की 1990 तक आवश्यकता पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कम्बाट एल० सी० ए० प्रोजेक्ट बनाने के लिए सहयोग हेतु यू० के० के साथ ठेका दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या सहयोग का निर्णय लेने से पहले विश्वस्तर पर टेंडर मांगे गए थे और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षामंत्री श्री आर. (वेंकटरामन) (क) सरकार ने समाचार पत्रों में रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) हल्के लड़ाकू विमान (एल० सी० ए०) के उत्पादन के लिए किसी भी देश के साथ कोई सहयोग समझौता नहीं हो सका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए प्राथमिकता सम्बन्धी सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत शत प्रतिशत मांग का पूरा न किया जाना

2326· **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए प्रथमिकता सम्बन्धी प्रणाली के अन्तर्गत केवल 50 प्रतिशत भाग का उपयोग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और शतप्रतिशत मांग का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री : (श्री बिहार रंजन लास्कर) (क) तथा (ख) : जहाँ तक पटसन माल का सम्बन्ध है, विश्व के प्रमुख बाजारों में अधिमान की सामान्यीकृत प्रणाली में भारत के लिए कोई मात्रा (कोटा,निर्धारित नहीं है। जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय और आस्ट्रेलिया की जी० एस० पी० स्कीमों में पटसन उत्पादों के लिए कोटे के जरिये कोई विशेष आफर नहीं है, संयुक्त राज्य अमरीका की जी० एस० पी० स्कीम में प्रतिबन्धक पहलू सभी लाभ प्राप्तकर्ताओं के संयुक्त राज्य अमरीका में कुल आयातों के सन्दर्भ में एक विशेष उत्पाद के सम्बन्ध में एक लाभ प्राप्तकर्त्ता के बाजार अंश की प्रतिशतता का है। जापान की जी० एस० पी० स्कीम में सभी लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के लिए कोटा निर्धारित है और सामान्यतः यदि एक लाभ प्राप्तकर्त्ता का भाग इस विश्वव्यापी कोटे के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसके निर्यात सामान्य शुल्क के अध्यधीन होंगे। जहां तक पटसन उत्पादों का सम्बन्ध है, 50प्रतिशत के मानदण्ड को लोचशीलता के साथ अपनाया जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी, कोई अलग अलग देश का कोटा नहीं हैं। कनाडा की जी० एस० पी० स्कीम में भी पटसन उत्पादों के लिए कोई कोटा नहीं है।

केरल में परम्परागत शिल्प संस्थान की स्थापना

2327· **श्री ए० के० बानल :**

श्री जी० एम बनातवाला : वाणिज्य मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परम्परागत शिल्प और प्रौद्योगिकी के विकास और

आधुनिकीकरण के लिए अलग संस्थान और पाठ्यक्रम बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या परम्परागत शिल्प जैसे लकड़ी और हाथी की नक्काशी, धातु से ढलाई आदि की लोक प्रिय बनाने के लिए केरल में एक "परम्परागत शिल्प संस्थान" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दो संस्थान अर्थात (1) भदोही (उ०प्र०) में कालीन प्रौद्योगिक की संस्थान (2) जयपुर (राजस्थान में हाथ की छपाई वाले वस्त्रों के लिए राष्ट्रीय शिल्प संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण संगठनों और संस्थानों द्वारा चलाए गए ग्रामीण कार्यक्रम

2328· **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :
श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण संगठनों और संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण कार्यक्रम गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या अनेक संस्थान तथा संगठन बन्द किये जा रहे हैं और कार्यक्रमों को छोड़ा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किन्हीं संगठनों द्वारा चलाये जा रही किसी ग्रामीण कार्यक्रमों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे संगठनों/संस्थाओं के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप उन्हें छोड़ा जा रहा है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सोवियत अन्तरिक्ष विशेषज्ञों की यात्रा

2329· **श्री एन० के० शेजवलकर** : : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विशेषज्ञों के उच्च शक्ति प्राप्त सोवियत प्रतिनिधि मंडल ने हाल में भारत की यात्रा की थी, जैसा कि दिनांक 9 जनवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हाँ तो सोवियत प्रतिनिधि मंडल के नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम और ओहदे क्या-क्या थे उनकी भारतीय विशेषज्ञों के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष रहे तथा उन्होंने कौन-कौन से स्थानों की यात्रा की तथा वे कितने समय तक भारत में रहे;

(ग) क्या सोवियत विशेषज्ञों ने भारत में निर्मित उन उपकरणों में कोई दोष निकाला है, जिन्हें सोवियत संघ भेजा जाना था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो ये उपकरण कब तक सोवियत संघ को सप्लाई कर दिए जाएंगे;

(ङ) इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(च) दिल्ली और हैदराबाद में सोवियत और भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किए गए संयुक्त कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (च) चिकित्सा और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सोवियत विशेषज्ञों के दल ने भावी भारत-सोवियत संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान से सम्बधित अनेक मामलों के बारे में भारतीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के लिए 7 से 12 जनवरी, 1984 तक भारत की यात्रा की । इस यात्रा के दौरान सोवियत विशेषज्ञों ने दिल्ली और हैदराबाद में भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य किया। दोनों पक्षों के इन विशेषज्ञों ने ऐसे कई उपकरणों के बारे में प्रारम्भिक सहमति परीक्षण भी किए जिनका उपयोग अंतरिक्ष में किए जाने वाले चिकित्सा और भौतिक विज्ञान परीक्षण के लिए किया जाएगा। सफल परीक्षणों के बाद ये उपस्कर उपयुक्त पाए जाने के बाद सोवियत रूस भेज दिए गए हैं ।

2. सोवियत विषेषज्ञों के नाम और उनके पदनाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) डा० आई० बी० गोनत्रारोव, चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सा और जैविक समस्या संस्थान, विज्ञान अकादमी, सोवियत रूस ।

(2) श्री ए० डी नोसकिन, विशेषज्ञ चिकित्सा विद्युत उपकरण ।

(3) श्री ए० एम० टौर्चचानि कोव, भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ, विज्ञान अकादमी, सोवियत रूस ।

3. इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि अंतरिक्ष में किए जाने वाले परीक्षणों के लिए अपेक्षित उपकरणों के विनिर्माण और परीक्षण में अनेक वैज्ञानिक स्थापनाओं और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड जैसी विभिन्न एजेंसियों ने कुल कितना व्यय किया है ।

ग्रामीण कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन

2330· **श्री मोती भाई आर चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण शोधिएशनों तथा संस्थाओं द्वारा ग्रामीण कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कोई सम्मेलन बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निष्कर्ष निकले हैं और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या सुझाव दिए गये हैं।

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : यह सवाल पैदा ही नहीं होते।

भारत में औषध नियंत्रण के उपाय

2331 **श्री रेनुपददास** : : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड ने भारत में तेजी से बिगड़ते हुए औषध नियंत्रण उपायों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) नियंत्रण प्रणाली में इस प्रकार की कमियों के विरुद्ध उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने विचार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण आयोग ने वर्ष 1983 की अपनी रिपोर्ट में यह अभिमत व्यक्त किया है कि भारत गैर-कानूनी सप्लाई वाले दो क्षेत्रों अर्थात दक्षिणपूर्व एशिया और मध्यपूर्व तथा समीपवर्तीक्षेत्रों के बीच स्थित है। इस वजह से भारत का इंस्तेमाल हिरोइन तथा कैन्नाविस रेजिन के गैर-कानून व्यापार हेतु मुख्यरूप से एक मार्गस्थ देश के रूप में किया जा रहा है और यह कि इन गतिविधियों से भारत सरकार को काफी चिन्ता हो रही है।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क बने रहते हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ताल-मेल बैठा कर तस्करी-निवारण हेतु उचित उपाय किये जाते हैं। औषध-द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पूरा सहयोग किया जाता है। इस विषय की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।

सभापटल पर रखे गए पत्र

वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1983

12.00

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 जो 10 दिसम्बर 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 956 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7862/84]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ नहीं जा रहा है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। अपनी जगह जाकर खड़े होकर बोलिए।

व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : शान्ति से बोलो तो सबकी बात सुन लेता हूँ। शांति से सुनाना चाहते हैं तो सबकी बात सुन लेता हूं। आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। मैं क्या कर सकता हूँ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी कहना चाहे तो कह ले।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्यों कर रहे हैं ऐसा ? बैठ जाइये। एक-एक करके बात करो तो मैं सुन लूंगा। लेकिन इससे क्या फायदा ? इसका आपको कोई फायदा होगा ? आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ नहीं जा रहा हैं। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लारेंस, आप मुझे एक बात बताइये, इस शोर में क्या आप कोई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सही तरह से सुन पा रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, यदि आप चाहते हैं तो शोच मचा सकते हैं। किन्तु मैं आपकी बात सुन सकता हूं। आपको क्या इससे मिलता है। इस प्रकार शोर मचाने से क्या आपको कुछ मिल रहा है। चिल्लाने से क्या आपको कुछ मिलता है? न तो मैं ठीक से सुन सकता हूं और न आप कोई बात ठीक से कह सकते हैं?

क्या यह सभा में आपमें से किसी के भी योग्य हैं?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके मैं आपकी बात सुन सकता हूं। मैं एक-एक करके आप सभी की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आप सभी की बात सुन लूंगा। यदि कोई प्रासंगिकता हुई, तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा। यदि प्रासंगिक नहीं होगा, तो मैं ऐसा कह दूंगा। यह बहुत साधारण-सी बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बात तो एक ही आदमी की सुन सकता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, कोचिन रिफाइनरी में भयंकर आग लगी है जिसमें दो आदमी मरे हैं। मैंने इस बारे में एडजर्नमेंट मोशन दिया है। इस पर आप तुरन्त बहस करा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है। काफी सारे लोगों ने भी लिख कर दिया है। यदि आप मेरी बात सुनेंगे तो संतुष्ट हो जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपकी बात सुनूंगा। मुझे इस रिफाइनरी वाले मामले को निपटारा तो करने दीजिये उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं आप सुन लीजिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : कम से कम पैट्रोलियम मिनिस्टर से पूछ लेना चाहिए, इतनी गंभीर बात है ।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस रिफाइनरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ नहीं जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि यह मामला मेरे विचाराधीन है । यद्यपि इस पर एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती है । फिर भी, मैं पहले ही इस मामले को मंगलवार के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ ।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : यह बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या चिल्लाने से यह अधिक गंभीर हो जाता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस केवल आज सवेरे 10 बजे के बाद ही आए हैं, अतः मैं सोमवार को इस मामले को नहीं ले सका, अतः स्वाभाविक है कि इस मामले को मंगलवार को ही लिया जाना सम्भव है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहला उपलब्ध अवसर दे दिया गया है ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पश्चिम बंगाल की विधान-सभा में हुई अभूतपूर्व स्थिति के बारे में हम ध्यानाकर्षण के लिए नोटिस दे चुके हैं । पुलिस को बुलाया गया था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है जो मुझे देना ही होगा । मुझे ही निर्णय करना होगा जानकारी मिलने से पहले मैं कैसे कह सकता हूँ ।

प्रो० के० के० तिवारी : पश्चिम बंगाल विधान सभा में संविधान का पूरा उल्लंघन किया

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

गया है। संविधान के अधीन प्रत्येक विधायक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है। यह एक केन्द्रीय विषय है क्योंकि जब कोई व्यक्ति विधान सभा के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है तो वह कुछ संवैधानिक विशेषाधिकारों और विधान सभा में अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का भी लाभ उठाता है। किन्तु संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया गया है। 47 विधायक पुलिस द्वारा पीटे गये हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

आपने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है ?

(**व्यवधान**)

अब सुनिए। बैठ जाइए। मैं कह रहा हूँ कि तन्मयता के साथ आपकी बात सुन चुका हूँ और मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ कि हमें सभा का संचालन कैसे करना चाहिए। मैं राज्य विधान सभा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। मैं केवल विधान-सभा अध्यक्ष से एक रिपोर्ट प्राप्त कर सकता हूं और उसके बाद में पूरी स्थिति जान सकता हूं तथा सभा को बता सकता हूँ इस काम को मैं करूँगा।

(**व्यवधान**)

मैं अभी अपनी बात कह रहा हूँ देखिए देव साहब, असेम्बलियों और पार्लियामैंट इसीलिये बनाये गए कि लट्ठम-लट्ठा बाहर न होने पाए, और यहाँ बातचीत करके काम कर लें। असेम्बलियों में भी अगर लट्ठ चलने लगे तो कहां जायेंगे, क्या करेंगे ? मैं इन्हीं सारी बातों का पता करना चाहता हूं। मैंने यही कहा कि सारी चीजों का जो भी कोई करता है, मैं किसी पार्टी के रैस्पैक्ट में ही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप डैकोरक नहीं रखेंगे, बात नहीं बनेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं नहीं···

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं गृहमन्त्री से वहाँ की विधान-सभा के अध्यक्ष से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहूँगा।

सामुद्रिक उत्पाक निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1982-83 के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गए।

श्री० पी० ए० संगम की ओर से सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 उपधारा (3) के अन्तर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1982-83 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 7866/84)

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1983-84

वित्तमंत्री श्री (प्रणव मुखर्जी) श्रीमन् मैं वर्ष 1983-84 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

11.14½

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें का (सामान्य) 1981-82

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं वर्ष 1981-82 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की माँगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना देश के विभिन्न भागों में किसानों को उर्वरकों की कम सप्लाई होने के समाचार से उत्पन्न स्थिति

श्री एम० एम गोपाल रेड्डी (निजामबाद) मैं कृपि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूँ। कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों में किसानों को उर्वरकों की कम सप्लाई होने के समाचार से उत्पन्न स्थिति और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषिमंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : **महोदय**, प्रत्येक मौसम अर्थात् खरीफ तथा रबी के आरम्भ होने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्रत्येक राज्य के लिए उर्वरकों की आवश्यकता निर्धारित की जाती हैं। यह मूल्यांकन विभिन्न किस्मों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, इसमें प्रयोग की जाने वाली उर्वरकों की मात्रा के आधार किया जाता है तथा इसमें राज्य में पिछली खपत प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

1982-83 में उर्वरकों की खपत का अनुमान 63·88 लाख मीटरी टन लगाया गया है जो पिछले वर्ष की खपत की तुलना में लगभग 5·6 प्रतिशत अधिक बैठती है। तथापि वर्ष 1983-84 के लिए पोषक तत्वों लिए पोषक तत्वों का लक्ष्य 72 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया, जो पिछले वर्ष से 12·6 प्रतिशत अधिक है। आंशिक रूप से प्रतिकूल मौसम तथा उर्वरकों के मूल्यों में भी वृद्धि होने के कारण, जो 1980 तथा 1981 में घोषित करनी पड़ी थी, पूर्व के वर्षों में वृद्धि की दर में मामूली गिरावट आई थी। तदनुसार 1983-84 के दौरान उर्वरकों की खपत बढ़ाने तथा इसकी खपत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 29-6-1983 से सभी उर्वरकों के मूल्यों में करीब 7-1/2 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े यूरिया तथा डी० ए० पी० के पुराने स्टाकों पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने की अनुमति दी गई। 1983-84 के दौरान का मौसम भी भाग्यवश अनुकूल साबित हुआ। पर देखा गया कि जुलाई, 1983 से आगे उर्वरकों की खपत में एकाएक वृद्धि हो गई और पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में काफी वृद्धि रिकार्ड की गई। कुछ राज्यों में यह जुलाई, 1983 में 50 प्रतिशत तक बढ़ गई।

14.16 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

देश में उर्वरकों की मांग को देशी उत्पादन और आयात से पूरा किया जाता है। खरीफ, 1983 की अवधि के दौरान यह मालूम हुआ कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं, जिनमें दक्षिण में कुछ प्रमुख उर्वरक संयन्त्रों में बिजली और जल कमी शामिल है, के कारण उत्पादन में काफी कमी आई। 38 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 11 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ के लक्षित उत्पादन की तुलना में 1983-84 में उत्पादन क्रमशः लगभग 35 लाख मीटरी टन और 10·3 लाख मीजरी टन होने की सम्भावना है। दक्षिणी राज्यों में अच्छी वर्षा होने तथा उर्वरकों के मूल्यों में कमी होने की वजह से इसकी मांग में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण अगस्त-सितम्बर के दौरान आंध्र प्रदेश के कुछ प्रखण्डों में उर्वरकों की अस्थाई कमी होने की सूचना मिली थी। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के भण्डारों में पड़े उर्वरकों के स्टाक को आंध्रप्रदेश को भेजने के लिए तत्काल कदम उठाये गये तथा उत्तरी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के निगम पास पड़े भण्डार में से 93·7 हजार मीटरी टन यूरिया आंध्र-प्रदेश को भेजा गया। आंध्र प्रदेश को देश में उत्पादित उर्वरकों का अतिरिक्त आवंटन किया गया तथा इस प्रकार तेजी से इस कमी को दूर किया गया। इसके बाद स्थिति का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि अगस्त-सितम्बर, 1983 के महीनों के दौरान जिस समय उर्वरकों की कमी होना बताया गया था, वास्तव में उर्वरकों की उपलब्धि वास्तविक खपतसे 40 प्रतिशत अधिक थी। अतः आंध्रप्रदेश के कुछ प्रखण्डों में सम्भवतः राज्य के भीतर मुख्य रूप से वितरण की समस्याओं के कारण कमी आयी होगी।

पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भी उर्वरकों की कमी होने की कुछ सूचना मिली थी। आम तौर पर उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने के अलावा देशी विनिर्माताओं तथा

आयातानित सामग्री के द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति के जरिये इन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाये गये। इन राज्यों के लिए आपूर्ति की स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी गई तथा जनवरी में की गई ससीक्षा में यह पाया गया कि पश्चिमी बंगाल के लिए अक्तूबर दिसम्बर, 1984 की अवधि में उर्वरकों की वास्तविक उपलब्धि 1·35 लाख मीटरी टन पोषक तत्व रही थी, जबकि इसी अवधि के दौरान पोषक तत्वों की मांग 1·05 लाख मीटरी टन थी। इसी प्रकार बिहार के लिए इस अवधि की उपलब्धि लगभग 1·45 लाख मीटरी टन थी, जबकि मांग 1·21 लाख मीटरी टन थी। यह कमी वास्तव में अस्थायी थी और केवल कुछ प्रखण्डों में थी तथा यह कमी मुख्यत: राज्यों के भीतर विवरण संबंधी समस्याओं के कारण आयी थी, न कि समग्र आपूर्ति की किसी प्रकार की अपर्याप्तता के कारण।

देश में 1983-84 की समग्र आपूर्ति के संबंध में स्थिति यह है कि 72 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों के लक्षित खपत स्तर की तुलना में 1983-84 के दौरान देशी उत्पादन, आगे ले जाये गये स्टाक (देशी और आयातित दोनों) और आयात से उर्वरकों की कुल उपलब्धि 82 लाख मीटरी टन से अधिक रही है। मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि उर्वरकों की अधिक और खपत, जिसकी वजह मांग और आपूर्ति की स्थिति पर कुछ दबाब पड़ा, भरपूर कृषि उत्पादन को द्योतक है और इसी वजह से इस वर्ष 1420 लाख मीटरी टन से भी अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन होने की आशा है। यह सम्बर्धन के दृढ़ एवं सुविचारिक प्रयासों, वितरण तन्त्र के विस्तार तथा किसानों को फार्म उत्पादन आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का ही नतीजा है कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों की मांग का जो जोर रहा है उसकी इस इस मंत्रालय में लगातार समीक्षा की गई तथा मांग पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष क्रियाशील है निम्नलिखित गैर-परम्परागत दृष्टिकोण अपनाकर भी उर्वरकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया गया :—

(क) उत्तरी क्षेत्रों में पड़े उर्वरकों के भण्डार को दक्षिणी राज्यों को भेजा जाना;

(ख) उन राज्यों को जहां उर्वरकों की कमी होने की सूचना मिली थी, गैर-पारस्परिक सप्लायरों से उर्वरकों के भण्डार का आवंटन किया जाना; और

(ग) बीच समुद्र में पहुंचे जहाजों को भी ऐसे राज्यों की ओर मोड़ दिया जाना।

यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि इस वर्ष उर्वरकों की खपत में 12 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जबकि 1982-83 के दौरान उर्वरकों की खपत में 5·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खाद्यान्नों के उत्पादन में 11 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होने की आशा है, जबकि 1982-83 के दौरान उत्पादन में 4 प्रतिशत की कमी आई थी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (**निजामाबाद**) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने उर्वरकों के मूल्य में कमी की है और इससे किसानों को 3 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। किसानों ने उर्वरकों के मूल्य में की गई कमी का भरपूर लाभ

उठाया है और उन्होंने अधिक उर्वरक खरीदकर अपनी फसलों में लगाए हैं और उन्होंने देश को इस वर्ष आठ प्रतिशत से भी ऊपर अधिक उत्पादन दिया है।

महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में वितरण व्यवस्था में कुछ खराबी थी। राज्यों के पास उर्वरकों का भंडार उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्होंने अभाव बनाये रखा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है कि वे खपत के उपयुक्त स्थान पर ठीक समय पर उर्वरक वितरण करने में क्यों असफल रहे। आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों की ओर से यह एक गम्भीर चूक है।

महोदय, अब हम सधिकतर अकार्बनिक उर्वरकों आश्रित हैं। जब मैंने 1942 में खेती-बाड़ी आरम्भ की थी तो मैं बहुत कम कार्बनिक उर्वरक प्रयोग करता था और अधिक उपज प्राप्त किया करता था। अब हम अधिक अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और आवश्यक उपज प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, भूमि की उर्वरता दिनों-दिन घटती जा रही हैं, क्योंकि हमने सभी वन नष्ट कर हैं और हम हरी खाद प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हाल ही में प्रधान मंत्री ने वृक्ष काटने पर प्रतिबन्ध लगाया है और हमारे मुख्यमंत्री ने यह कह कर इस योजना की हंसी उड़ानी चाही कि आन्ध्रप्रदेश में वृक्ष काटने के लिए भी उन्हें दिल्ली की अनुमति लेनी पड़ती है। वे महानुभाव यह नहीं समझते कि हम पहले ही काफी वन नष्ट कर चुके हैं। यदि इस पर केन्द्र का नियंत्रण न हो तो मैं समझता हूं कि वे सारे भारत को रेगस्तिान बना देंगे। मोहनजोदड़ो में जो अब पाकिस्तान में है, क्या हुआ है ? राजस्थान भी रेगिस्तान बन गया है और यदि हमारे वनों की सुरक्षा नहीं की जाती तो सारा भारत रेगिस्तान बन जायगा। आन्ध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री को इतना ज्ञान नहीं है। मैं जानता चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री उन्हें इस मुद्दे पर शिक्षित करेंगे। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वह ये सारी बातें कर रहे हैं। मुझे डर है कि वह केन्द्र सरकार को सूचित किए बिना आन्ध्र-प्रदेश में वनों के विनाश की अनुमति दे देंगे और वहां जो थोड़ी सी हरी खाद उपलब्ध है उसे भी नष्ट कर देंगे। महोदय, तेलगू में एक कहावत है :

वनामुन्नाकाडा वर्षामु

वर्षामे कृषाहूनी प्राणामू

इसका अर्थ है कि जहां वन होंगे, वहां वर्षा होगी। किसानों का जीवन है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार की इन भावनाओं से उन्हें अवगत करा देंगे। महोदय, वर्षा का वनों से भी गहरा सम्बन्ध है। यदि वन नहीं रहेंगे तो या तो बहुत भारी वर्षाएं होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी। अब, हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ भी वनों के विनाश से आती है। इससे कई चीजें सम्बन्धित हैं।

एक और खतरा यह है कि भूमि की उर्वरता दिनों-दिन घटती जा रही है । मैं कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव होगा हर वर्ष जब वे अपनी रिपोर्ट ससद में प्रस्तुत करें तो वे भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में उल्लेख करें । महोदय, यह कृषि के लिए भूमि में विस्तार करने का प्रश्न नहीं है अब यह जानना बहुत जरूरी है कि भूमि की उर्वरक कितनी है यह छह इंच है या दस इंच है । उर्वरता में बाढ़ तथा आंधी से प्रतिदिन कमी होती जा रही है । यह देश के लिए खतरा है । उसके अतिरिक्त, पानी का स्तर ऊपर आता जा रहा है । उनके अपने राज्य हरियाणा में 1964 में जल-स्तर भूमि की सतह से 64' नीचे था । अब यह पाँच फुट भी कम हो गया है । इसका अर्थ यह हुआ कि समूचा हरियाणा प्रदेश पानी पर टिका हुआ है । हरियाणा में वे पानी निकाल कर जल-स्तर को घटाने का प्रयास कर रहे हैं । जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने के साथ-साथ हम भूमि की ओर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं । इससे सभी कुछ नष्ट हो जायगा । यदि उपजाऊ भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तो कम उत्पादन होने के कारण देश गरीब हो जायेगा । यदि आप रेलों की ओर ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा बेशक आप एक वर्ष में बहुत मालगाड़ी के डिब्बे बना सकते हैं और कितनी ही रेल लाइनें बिछा सकते हैं । उद्योग के मामले में भी यही बात है । लेकिन, एक बार जब भूमि नष्ट हो जाती है, तो इसको अपने उर्वरता के मूल स्तर पर लाने के लिए 50 से 100 वर्ष लगेंगे ।

मैं माननीय मंत्री से जनना चाहूंगा कि क्या कम्पोस्ट और हरी खाद से भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और अकार्बनिक उर्वरकों के साथ-साथ इन खादों का भी प्रयोग बढ़ाएगें और यदि हां तो इस सम्बन्ध उनके पास कौन सी योजना है तथा क्या भूमि की उर्वरता को बनाए रखेंगे या नहीं । उनसे विस्तृत उत्तर चाहता हूं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमन् किसानों को आधुनिक टैक्नोलोजी उपलब्ध कराना कृषि मंत्रालय की टिम्मेदारी है, लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि एक मुख्य मंत्री को शिक्षित करना मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है ।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को केन्द्रीय सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए । यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है—

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री को उत्तर देने दें । लेकिन सभी मन्त्री के उत्तर में व्यवधान डाल रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आन्ध्र प्रदेश की आवश्यकताओं का राज्य सरकार की सलाह से सही

मूल्यांकन किया गया था। और गत वर्ष की आवश्यकताओं की तुलना में आन्ध्र प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई में लगभग 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। जबकि राज्य की कुल उर्वरक आवश्यकता3.13 लाख टन थी, आवन्टित किए गग अर्वरक तथा राज्य के पास मौजूद पिछले भंडार को मिलाकर उनके पास कुल 4.12 लाख टन उर्वरक उपलब्ध था। उस अवधि विशेष के लिए, जब वह कमी पैदा हुई, यह कुल मूल्यांकित आवश्यकता से कहीं अधिक था। कमी किसी गम्भीर समस्या के कारण नहीं हुई थी। जिसके लिए जांच आवश्यक हो। सम्भवत: राज्य में लाने-लेजाने वाली एजेन्सीयों तथा वितरण एजेन्सियों की तैयारी की कमी के कारण ऐसा हुआ। शायद वे उर्वरकों की खपत में अचानक हुई एकदम वृद्धि का पूर्वानुमान नहीं लगा सके तथा उन्होंने समय पर स्टॉक नहीं उठाये तथा उनके पास किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त भंडार नहीं थे। लेकिन ज्योंही यह बात हमारे ध्यान में लाई गई, स्थिति में तुरंत सुधार किया गया।

आमतौर पर मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ, लेकिन उनके द्वारा उठाये गए जो प्रश्न इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बद्ध नहीं है, मुझे उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो विषय सदन के समक्ष है उसके दो पक्ष हैं—एक पक्ष फर्टीलाइजर के उत्पादन से सम्बन्धित है और दूसरा उसके वितरण से संबंधित है। माननीय मन्त्री जी का फर्टीलाइजर के उत्पादन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है मगर हम उम्मीद करते हैं उत्पादन से सम्बन्धित पक्ष के बारे में जो कुछ भी हम कहेंगे हमारी उन भावनाओं को वे अपने सहयोगी तक अवश्य पहुँचाने की कृपा करेंगे।

जहाँ तक फर्टीलाइजर के वितरण का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं राव साहब ने जिस बेहतरी के साथ और जिस बढ़िया तरीके से उसको टैकिल किया है वह सराहनीय है और यहाँ पर हम जिन प्रश्नों को उठायेंगे उनका भी वे समाधान करेंगे।

इस समय स्थिति यह है कि हमारे जितने भी फर्टीलाइजर के प्लान्ट हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी है, उसका हम केवल 60-65 प्रतिशत का उपयोग कर रहे हैं। सब्सिडी देने के बावजूद भी उत्पादन में, खपत में तो वृद्धि जरूर हुई है, वृद्धि न होने के कारण किसानों को दिक्कतें होती हैं। आजकल किसान फर्टीलाइजर का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो असैसमेंट है, वह पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि आप माननीय कैमिकल और फर्टीलाइजर मन्त्री जी से इसके बारे में बात करें। सारा सदन बहुत हद तक इस बात से संबंधित है। फर्टीलाइजर का उत्पादन बढ़ाकर उसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

1981 में करीब-करीब 21 लाख टन फर्टीलाइजर का आयात हुआ था और 1983-83 में यह आयात घटा, जबकि फर्टीलाइजर के उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, उतनी

वृद्धि नहीं हुई, तो फिर आयात के घटने के क्या कारण हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कमी कई प्रान्तों में दिखाई दे रही है, वह आयात की कमी की वजह से हो ? दूसरे यह कि सब्सिडी देने की वजह से लोग फर्टीलाइजर ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और यह कमी आयात की कमी के कारण नहीं हुई हो ? इस पक्ष को आप देखने की कृपा करें। अन्यथा यह बात समझ में नहीं आती है कि 1980-81 में 170 करोड़ रु० की सब्सिडी थी, जो अब वह बढ़कर 550 करोड़ तक पहुँच गई है। इतनी सब्सिडी देने के बावजूद फर्टीलाइजर का आयात क्यों घट गया ?

माननीय मन्त्री जी समस्या इस समय वितरण से ही सम्बन्धित नहीं है, घटिया वितरण से भी सम्बन्धित है। वितरण में जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, बिहार के अन्दर, जैसी कि अखबारों में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वहाँ पर जिस कोआपरेटिव ओर्गेनाइजेशन को यह काम सौंपा गया था, उस कोआपरेटिव ओर्गेनाइजेशन के ऊपर फर्टीलाइजेशन कारपोरेशन का काफी पैसा बकाया था। फर्टीलाइजर कारपोरेशन ने यह सोचकर कि वे बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं, चूँकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिइम्बर्स करना था, वह नहीं कर पाई है, कहीं इस वजह से तो बिहार में कमी का कारण नहीं रहा ? पश्चिमी बंगाल में कमी कारण जैसा कि आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फर्ज को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कमी है। इसी तरह आन्ध्र के अन्दर भी कमोबेश की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार की बातें हर साल उठती हैं, इसलिए इसका कोई स्थायी निराकरण होना चाहिए। जैसाकि आपने कहा है कि एसैसमेंट लगाया जाता है, तो एसैसमेंट इस आधार पर लगाना चाहिए कि कितने साल कितना खर्च हुआ और इस अनुमान के साथ आने वाले वर्षों के अन्दर कितनी जरूरत और हो सकती है। इस हिसाब से अनुमान लगाकर राज्यों को फर्टीलाइजर दिया जाना चाहिए और एजेंसियों की क्षमता को भी भली-भांति परख लेना चाहिए।

1981 में उत्तर प्रदेश में भी एक शिकायत उठी थी कि फर्टीलाइजर घटिया किस्म का मिल रहा है। हरियाणा में भी इसी प्रकार की शिकायत उठी थी। एक शिकायत यह भी कि आई० एस० आई० स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी फर्टिलाइजर घटिया मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस स्थिति के निवारण के लिए आप क्या कर रहे हैं। जब राज्य सरकार की एजेंसिया घटिया किस्म का फर्टिलाइजर वितरित कर रही हैं, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? एक बात यह कि जब कोई काम सरकार एजेंसी नहीं कर पाती है और प्राइवेट एजेंसियों को सौंपा जाता है, तो बिल्कुल ही घटिया किस्म का फर्टिलाइजर्स उपलब्ध करवाते हैं। उन एजेंसियों के खिलाफ, जो फर्टिलाइजर में मिलावट करती हैं, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मिलावट का जो वर्तमान कानून है, क्या आप फर्टिलाइजर को भी उसके अन्तर्गत लाये हैं ताकि इसमें किये जा रहे मिलावट को रोका जा सके ?

पिछले कुछ वर्षों से जो हमारी फर्टिलाइजर की खपत है वह घटी है। हम जब यह कहते हैं कि हमारा सिंचित रकबा बढ़ा है, तो उस हिसाब से फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं बढ़ा है।

हमारा दावा यह है कि हमारी सिंचित क्षमता बढी है, ड्राई-लैंड-फार्मिंग बढ़ी है, तो उस अनुपात में फर्टिलाइजर का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि इस उपयोग को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

जो हमारा आयातित-फर्टिलाइजर है उसके घटिया होने की शिकायतें मिली हैं। जब बन्दरगाह पर फर्टिलाइजर उतरता है वहां कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे उसकी जांच करा सकें कि क्या यह फर्टिलाइजर उसी किस्म का है जो उसके बारे में बतलाया गया है। इस काम के लिए हमारे पास वहां प्रयोगशाला होनी चाहिए। इसी तरह से जो सघन कृषि क्षेत्र हैं जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, वहां कीट-नाशक तथा खेती सम्बन्धित अन्य चीजों की जाँच के लिए उन चीजों को दूर न भेजना पड़े, इस दृष्टि से क्या आप 'मोबाइल प्रयोगशाला" बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत अच्छे सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल तो यह पूछा है कि हमारा प्रोडक्शन घट रहा है तो हमारा आयात क्यों घट रहा है ? असल बात यह नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन घट रहा हैं ? लेकिन यह सही है कि प्रोडक्शन टारगेट के मुकाबले में घट रहा है, वह पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया है—मैं आपको फिगर्स बतलाता हूँ—1980-81 में टोटल प्रोडक्शन 3·005 लाख टन था, उस के बाद 1981-82 में हमारा इण्डिजीनस प्रोडक्शन 40.93 लाख टन हो गया। इसी हिसाब से हमारा इम्पोर्ट घटा—1980-81 में 27.59 लाख टन इम्पोर्ट हुआ, लेकिन 1981-82 में चूँकि 10 लाख टन से अधिक हमारा इण्डीजिनस प्रोडक्शन बढ़ा, इसलिए हमने 7 लाख टन इम्पोर्ट कम किया। 1982-83 में हमारा प्रोडक्शन 44 लाख टन पर पहुँच गया और इम्पोर्ट घट कर 11.32 लाख टन रह गया, क्योंकि इम्पोर्ट पर जो फारन एक्सचेंज खर्च होता है उसको हम बचाना चाहते थे। इस बार भी फिगर्स मैंने स्टेटमेंट में दी हैं उनके मुताबिक 45 लाख टन प्रोडक्शन का अन्दाजा है, जितना हमने टारगेट रखा था, यह उसके मुताबिक नहीं है। इसलिए हमने इस साल इम्पोर्ट बढ़ा दिया है, 3 लाख टन के करीब पिछले साल की निस्वत इम्पोर्ट बढ़ाया है।

दूसरा सवाल उन्होंने हैवी-सब्सिडी के बारे में पूछा है। मैं मानता हूँ कि हैवी सब्सिडी जो देनी पड़ी है, उसका फायदा किसानों को ज्यादा नहीं पहुँच रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्रीज माईनाइजेशन की तरफ कम ध्यान दे रही हैं। बहुत से प्लान्ट्स ऐसे हैं जहां का वर्किंग इनएफिशिएन्ट है, लेकिन जहां तक नये कारखानों का ताल्लुक है जैसे कोआपरेटिव सेक्टर में इफको है—वह अपनी इस्टाल्ड कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखलाता रहा है। इसको देखते हुए प्राइवेट मैन्यूफैक्चरर्स भी अगर अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं तो कास्ट कम हो सकती है। इसका कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से डाइरेक्ट सम्बन्ध हैं और वे इस पर ध्यान दे रहे हैं। असल वजह यह है कि इण्डस्ट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर प्रोफिट एनस्योर्ड है जो उनका अपना इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रोफिट देना पड़ेगा

ताकि इंडस्ट्रीज चलती रहे। अपनी एफीशियेन्सी बढ़ाने के लिए शायद वे पैसा खर्च नहीं करते हैं ऐसा मेरा अपना विचार है लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान है।

क्वालिटी कन्ट्रोल की तरफ हम बहुत तवज्जह दे रहे हैं। इम्पोर्टेड फर्टीलाइजर्स की बात आपने कही। बाहर से जो फर्टीलाइजर्स खरीदते है, वह एम एम टी सी के द्वारा खरीद करते हैं और कामर्स मिनिस्ट्री फर्टीलाइजर्स खरीद कर इनका बन्दोबस्त करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो अपनी डिमांड बता देती है। बाहर से जो फर्टीलाइजर्स आता है, उसकी क्वालिटी वहां पर ठीक से चैक होती है या नहीं होती है, इसका ध्यान तो हम रखते ही हैं लेकिन इसके अलावा अपने देश में आने के बाद उसकी क्वालीटी चैक हो और फर्टीलाइजर्स कैसा आया है, इसको देखने के लिए आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने तीन लेबोरेटरीज कोस्टल एरियाज के अन्दर सेट-अप करने का फैसला किया है और उन लेबोटरीज में जहां पोर्टस पर इंपोर्ट हो कर फर्टीलाइजर्स उतरेगा, उसको चैक किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को देखा जायेगा। इसके अलावा इन लेबोरेटरीज के अन्दर हम दूसरे फर्टीलाइजर्स के एनेलीसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी तरह से आप ने पेस्टीसाइड्स और इनसेक्टीसाइडस की क्वालिटी का भी जिक्र किया। उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने की हमारी कोशिश है और एसेंशियल कोमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जाए। जो कायदे कानून इसके लिये बने है, हम चाहते हैं कि उनपर अमल हो और जो फर्टीलाइजर्स कन्ट्रोल आर्डर हैं, उसको क्राम्मीहैंसिव तरीके से एमेंड करने की बात हम सोच रहे हैं ताकि जो लूपहोल्स हों, वे बन्द हो जायें और स्टेट गवर्नमेंट सख्ती से इसका पालन करा सकें क्योंकि एन्फार्समेंट इन एक्टों का का स्टेट गवनमेंट्स के हाथों में है सेन्ट्रल गवर्नमेंट तो इस मामले में सिर्फ गाइडेंस ही देती है। अब हमारी कोशिश यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ इस मामले में करे जिसमें क्वालीटी कन्ट्रोल पर निगाह रखी जा सके इस अर निगाह रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की लेबारेटरीज की क्षमता को बढ़ाया जाए और हम अपनी भी लेबोरेटिज कायम करना चाहते हैं। इस में खाली स्टेट गवर्नमेंन्टस की ही जिम्मेवारी न रहे बल्कि हम भी देख सकें और बता सकें कि कहाँ पर क्वालीटि खराब है। जहाँ से फर्टीलाइजर्स के एडलट्रेशन की शिकायत आती हैं, उस को चैक कराने के लिए और पेस्टीसाइड्स के लिए भी हम ने एक टीम बनाई है और अलग-अलग जोन में जाकर जब उसने अपनी आंखों से देखा तो हमारी आंखें खुली। जो नमूने देखे गए, उनमें से बहुत ज्यादा नमूने सब स्टैंडर्ड थे और इस चीज को रोकने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस काम में तेजी लाएं और जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें अच्छी तरह से पैरवी करा कर उनको कामयाब करा कर उनको कामयाब कराके और ज्यादा सैम्पुल्स उठाएं। इन सब बातों की तरफ हमारा ध्यान है।

ग्रोथ आफ फर्टीलाइजर्स की जो बात है, जो टार्गेट्स ही निर्धारित करते रहे हें, वे पूरे पूरे नहीं हो पाएं हैं और उसकी वजह मैंने अपने स्टेटमेंट में बता दी है। सन् 1980-81 में कीमतें

बढ़ानी पड़ गई थी और उसकी वजह से खपत में कमी आ गई। अब खपत में तेजी आई है, जिसकी वजह से इस साल रिकार्ड फसल होने जा रही है और हम पिछले सारे रिकार्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फर्टीलाइजर्स की कीमत कम करने से और कुछ मौसम भी अच्छा रहा, जिसका फायदा किसानों ने उठाया और उसकी वजह से फर्टीलाइजर्स की खपत बढ़ी है और कुछ टेम्पोरेरी शार्टेज भी कहीं-कहीं देखने में आई है, जिसको हमने पूरा किया।

एजेन्टों के ऊपर हम जितनी सख्ती कर सकते है और कड़ी निगाह रख सकते हैं, उसके लिये हम अपनी तरफ से पूरे यत्न कर रहे हैं। मैनुफैक्चर्स अपने एजेंट मुकर्रर करते हैं लेकिन हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा फर्टीलाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कोआपरेटिव्ज के थ्रू हो। बहुत-सी काआपरेटिव्ज अपना हिस्सा ले रही हैं। इस तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है और चार-चार मैनुफैक्चरर्स को भी इसके बारे में कहा है। एजेंट्स के लेविल पर या डिस्ट्रीव्यूशन के लेविल पर जहां पर फारमर्स के लिये सोल एजेंट्स हैं, वहाँ अगर कोई एडलट्रेशन होता है, तो उसकी जिम्मेवारी फेडरेशन को या बड़े डिपो होल्टर को या मैनुफेक्चरर्स को खुद भी उठानी पड़ेगी और उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस तरह से आप देखें कि हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फर्टीलाइजर्स के मामले में इस तरह की बातें न हों।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामावतार शास्त्री बोलेंगे।

**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे कि मैं पहले भी कई अवसरों पर कह चुका हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात, जिसका नाम यहाँ नहीं है, कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जायेगी। यह मंत्री पर है कि वे इसका उत्तर दें या नहीं।

अब श्री रामावतार शास्त्री बोलेंगे।

**(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने सदन के सम्मुख जो वक्तव्य पेश किया है, वह खुशफहमी का द्योतक है। सरकार का कहना है कि इस वर्ष खाद की कमी नहीं रही है जिसके कारण रबी की फसल में वृद्धि में आशातीत सफलता मिलने की संभावना है। मंत्री जी का कहना है कि इस वर्ष उर्वरकों की खपत में 12 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। खाद्यानों के उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया गया है।

मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि यह वास्तविकता के विपरीत हैं। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस वर्ष आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उड़ीसा से यूरिया खादों की कमी की शिकायतें मिली हैं। उन शिकायतों को मैं सही मानता हूँ।...

बिहार के बारे में मुझे खाद की कमी के कारण हुई गेहूँ की फसल की क्षति की जानकारी है। मैंने अपने क्षेत्र पटना का बीमारी की स्थिति में भी दौरा करने के बाद देखा कि, फुलवारी शरीफ, नौबतपुर, बिक्रम, दानापुर, विहटा और जतलान क्षेत्र में वर्षा के बाद यूरिया खाद नही मिलने के कारण गेहूँ के उत्पादन में 25 से 50 प्रतिशत तक हानि होने की सम्भावना है। जिस यूरिया खाद के बोरे का मूल्य साढ़े ग्यारह रुपये है,. उसे किसानों को विवश होकर 140 से 165 रुपये बोरा खरीदना पड़ा सरकारी आदेश के बावजूद प्रति किसान दो बोरा यूरिया देने के बजाय फुलवारी शरीफ के प्र प्रखंड विकास अधिकारी ने शासक दल के विधायक के दबाव में आकर बीस-बीस बोरे खाद की सप्लाई की जिसकी खुलकर चोरबाजारी की गयी।

भागलपुर जिले में भी किसानों को सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिली। किसानों को 150 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति बोरा दाम देकर चोरबाजार में खाद खरीदना पड़ा। अनुमान है कि खाद में कमी के कारण इस जिले में गेहूँ की फसल की 50 से 60 प्रतिशत तक क्षति होगी। कहीं कहीं खाद में नमक मिला कर बेचा गया है। पुराने और खराब खादों को भी अधिक दामों पर बेचा गया।

औरंगाबाद जिले में भी यूरिया खाद के अभाव में गेहूँ की 40 प्रतिशत फसल की क्षति होने का अनुमान है। इस जिले में 150 रुपये प्रति बोरा तक उर्वरक बेचा गया।

बिहार के अन्य जिलों में भी खाद की कमी को लेकर हाहाकर मचा हुआ था और सभी खाद के वितरक विस्कोमान और निजी एजेंसियों की बदइन्तजामी एवं चोरबाजारी की निंदा कर रहे थे।

बिहार में बिस्कोमान की ओर से 60 प्रतिशत और निजी वितरण संस्थाओं की ओर से 40 प्रतिशत यूरिया तथा अन्य खाद बेची जाती है। कहते हैं कि बिस्कोमान ने इस साल कम खाद मंगवाया जिसके कारण उसकी चोरबाजारी में मदद मिली।

बरौनी खाद कारखाने से मिलने वाली खाद नहीं मिली। विदेश से बिहार के लिए जिस खाद का आयात किया गया उसे किसी अन्य राज्य को भेज दिया गया। इसके क्या कारण थे।

क्या यह सच बात है कि सिंदरी से एक रैक यूरिया खाद कानपुर सार्वजनिक वितरण की दूकानों द्वारा बेचने के लिए भेजी गई थी। यदि हां तो क्या यह बात सच है कि सम्पूर्ण खाद को अधिक दाम पर काले बाजार में बेच दिया गया। क्या यह बात सही है कि कालाबाजारी करने वालों के गोदामों पर कानपुर के जिलाधीश ने छापा मारकर जांच कार्रवाई और सम्बन्धित अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश की। यदि हाँ तो क्यों ? क्या यह बात सच है कि खाद की बिक्री करवाने के लिए नियुक्त अधिकारी मुख्य मार्केटिंग अफसर ने चोरबाजारी करने वालों

के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ; यदि हाँ तो क्यों ? क्या यह बात भी सच है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री हरिकेश बहादुर ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री वसंत साठे एवं अन्य अधिकारियों को कानपुर खाद घोटाले के बारे में पत्र लिखा। फिर भी कोई कार्यवाही नही की गई ।

यह बात ठीक है कि 1983 में खादों में कमी करने से खादों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। क्या सरकार इस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए खाद के मूल्यों में कमी करने का विचार रखता है ।

क्या सरकार खाद की बिक्री के लिये दो एजेंसियों के बजाए केवल एक एजेंसी (सहयोग समितियां) ही रखने का विचार रखती है ताकि खादों का चोरबाजारी को रोकने एवं बिक्री को नियन्त्रित करने में मदद मिले ।

क्या सरकार बिहार से बिस्कोमान के प्रबंध कों और चुस्त दुरुस्त करने का विचार रखती है ताकि वह खाद का बंटवारा उचित ढंग से कर सके ।

सरकार ने सन 1982-83 और 1983-84 में राज्यों को खरीफऔर रबी के लिए खाद की जो सप्लाई की है असका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सन 1982-83 और 1983-84 में देश में खाद के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत लम्बे चौड़े सवाल शास्त्री जी ने कर दिये । मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ अरसे के लिए कुछ स्टेट्स में खाद की कमी की शिकायत मिली है। बिहार भी उनमें से एक है । जिन दिनों बिहार में खाद की कमी थी, मैं वहाँ पटना भी गया था और मेरी निगाह में भी ये शिकायतें आई। उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की और खाद सप्लाई करने वाली एजेंसियों से भी बातचीत की और यहां आकर मैंने मिनिस्ट्री को हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा किया जाए और बाहर से जो खाद आ रहा है वह जहाज बिहार के लिए डायवर्ट करें औररैक जल्दी से भेजें। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि वह कमी कुछ अरसे के लिए वहाँ ब्लैक मार्केट खाद का हुआ जो खेद जनक बात है। मैं शास्त्री जी से सहमत हूँ । उसकी रोकथाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ उपाय किए । उसने बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने कुछ कठिनाई बताई। "उस वक्त मुझे चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि अगर इस वक्त ज्यादा सख्त करेंगे तो हो सकता है और छिपा लिया जाए। जितना सप्लाईहो रहा है यह भी न मिले । तो इस तरीके से जितना हो सका, किया ।

एलोकेशन बिहार में भी जो अन्दाजा था पिछले साल की कंजम्शन के अनुसार, उनसे 30-40 प्रतिशत ज्यादा बिहार के लिए किया गया। अवेलेबिलिटी भी वहाँ कम नहीं थी। जो कमी हुई वह वक्त के ऊपर खाद उठाने का था। कुछ एजेंसियों की तरफ से जिसमें बिस्कोमान भी शामिल है जो वहाँ अपेक्स कोआपरेटिव है खाद के वितरण के लिए। बिहार में टोटल रिक्वायरमेंट [illegible] 60 हजार टन की थी ।

पिछले साल की अपेक्षा तीस-चालीस परसेंट ज्यादा थीं जबकि ऐवेलेबल था एक लाख 53 हजार टन। मैं इस बात को मानता हूँ कि जहाँ कमी हो जाती हैं, वहाँ एडलट्रेशन अवश्य होता है। लोग यह नहीं देखते कि क्वालिटी कैसी है? बिहार में भी संभव है, ऐसा हुआ हो?

श्री रामवतार शास्त्री : वहां नमक मिलाया गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : यूरिया में सबसे ज्यादा नमक मिलाने की ही बात होती है। अगर, शास्त्री जी ने थोड़ी-सी स्पेसिफिक बात बता दी होती तो हम जरूर छापा मार लेते। जहाँ तक सिन्दरी की खाद का आपने बताया है·····(**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह मामला आपका नहीं है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का काम है।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिस्ट्रीब्यूशन में कमी देखने का काम मेरा है। इसी पर आज कालिंग अटेंशन मोशन भी है। शास्त्री जी ने सुझाव दिया कि दो की बजाय एक एजेंसी हो, मैं उनका मतलब समझा नहीं ?

श्री रामावतार शास्त्री : कोआपरेटिव के जरिए बेची जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारी कोशिश यही है कि को-आपरेटिव्ज के जरिए ही बेची जाए और हम बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्राइवेट एजेंसियों ने अपने डीलर्स मुकर्रर किए हुए हैं। किस हद तक हम उनको हटा सकते हैं, यह कहना मेरे लिए मुश्किल है? सरकार की नीति मैंने आपको बता दी है। हमारी कोशिश यही है कि प्राइवेट डीलर्स न हों। अगर हों तो ऐसे न हो जो दूसरा धंधा भी करते हों। यूरिया की बोरी के साथ अगर नमक रखा हो तो मिलावट आसान हो जाती है। हमारी कोशिश है कि किसानों के बच्चों को और जो इंटीरियर में एजुकेटेड अन-एम्पलायड हैं, उनको एजेंसी मिले। डीलर के कई मैन्युफैक्चरर्स और एजेन्ट भी होते हैं। उसकी वजह से कुछ दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर पाँच मैन्युफैक्चरर्स हैं, और एक डीलर के पास एजेंसी है तो पाँच अलग-अलग सेल पाइन्ट बन जायेंगे। हमारी शर्त पूरी करने के लिए एक ही डीलर का नाम बताते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। कीमत कम करने का सुझाव भी शास्त्री जी ने दिया है, जिसका अभी मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ।

आप हरेक स्टेट की पोजीशन जानना चाहते हैं तो वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इससे आपको जानकारी हो जायेगी कि कितनी रिक्वायरमेंट थी और कितनी एवेलेबिलिटी थी।

13 (**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए**)

आन्ध्र प्रदेश—माँग 3.13 लाख टन, उपलब्धता—4.21 लाख टन। कर्नाटक—आवश्-

यकता—1.25 लाख टन, उपलब्धता --1.41 लाख टन जो उनकी आवश्यकताओं से अधिक था, केरल के बारे में भी ऐसा ही है—कुल आवश्यकताएं—45,000 टन तथा उपलब्धता—91,000 टन, तमिलनाडु—कुल आवश्यकताएँ—2.98 लाख टन, तथा उपलब्धता --3.51 लाख टन, इसी प्रकार महाराष्ट्र के मामले में, कुल अनुमानित आवश्यकताएँ—1 65 लाख टन तथा उपलब्धता—2.52 लाख टन, जितनी उन्हें आवश्यकता थी, उससे एक लाख टन अधिक।

13.00 राजस्थान 13.00 के मामले में भी यही स्थिति है। अक्तूबर से जनवरी के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	कुल अनुमानित आवश्यकता (टनों में)	उपलब्धता (टनों में)
राजस्थान	1.27 लाख	1.32 लाख
हरियाणा	1.80 ,,	1.97 लाख
पंजाब	5.90 ,,	—

पंजाब में उर्वरकों की बहुत खपत है। इस प्रकार, उपलब्धता लगभग उतनी ही है। पंजाब की कुल आवश्यकताओं से यह केवल 2,000 टन कम थी। लेकिन, पंजाब से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमन, इसी प्रकार मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने आँकड़े भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। हिमाचल प्रदेश के पास अपनी आवश्यकता से लगभग दुगनी उपलब्धता है। दुर्भाग्यवश, असम में उर्वरकों की खपत बहुत कम है। पूरे राज्य में यह केवल 4,000 टन है। असम के लिए उपलब्धता 8,000 टन थी। शास्त्री जी बिहार के आँकड़े जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बिहार के लिए आंकड़े इस प्रकार हैं—

आवश्यकताएं : 1.60 लाख टन

उपलब्धता : 1.83 ,, ,,

इस प्रकार, उपलब्धता आवश्यकताओं के बढ़े हुए अनुमानों से भी कहीं अधिक थी। इस वर्ष अस्थाई कमी पैदा हुई, जिसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं नहीं समझता, मुझे इन सबको पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि माननीय सदस्य ने कुछ राज्यों के बारे में जानना चाहा था। मैंने आंकड़े दे दिए हैं।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य में कई परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। एक स्थान पर जो बात उन्होंने कही है, मैं उसे उद्धृत करता हूं—

"दक्षिणी राज्यों में अच्छी वर्षा होने तथा उर्वरकों के मूल्यों में कमी होने की वजह से इसकी माँग में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण अगस्त-सितम्बर के दौरान आंध्र प्रदेश के कुछ प्रखण्डों में उर्वरकों की अस्थायी कमी होने की सूचना मिली थी। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के भण्डारों में पड़े उर्वरकों के स्टाक को आंध्र प्रदेश के कुछ प्रखण्डों में उर्वरकों की अस्थायी कमी होने की सूचना मिली थी। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के भण्डारों में पड़े उर्वरकों के स्टाक को आंध्र प्रदेश को भेजने के लिए तत्काल क़दम उठाये गए तथा उत्तरी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े भण्डार में से 93.7 हजार मीटरी टन यूरिया आंध्र प्रदेश को भेजा गया।"

बाद में पुनः उन्होंने जो कहा मैं उद्धृत करता हूँ :

"इसके बाद स्थिति का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि अगस्त-सितम्बर, 1983 के महीनों के दौरान जिस समय उर्वरकों की कमी होना बताया गया था, वास्तव में उर्वरकों की उपलब्धि वास्तविक खपत से 40 प्रतिशत अधिक थी। अतः आंध्र प्रदेश के कुछ प्रखंडों में सम्भवतः राज्य के भीतर मुख्य रूप से वितरण की समस्याओं के कारण कमी आयी होगी।"

मंत्री महोदय कहते हैं कि राज्य में वितरण की समस्या के कारण ही यह समस्या पैदा हुई। यदि स्थिति यह है तो अन्य राज्य से उस राज्य विशेष को उर्वरक भेजने के निदेश क्यों दिये गए हैं? उसका अर्थ है कि वितरण की समस्या राज्यों में नहीं हो सकती। यह वितरण की समस्या समूचे देश की है। पैरा 4 में भी उन्होंने परस्पर विरोधी बातें कही है, मैं उद्धृत करता हूँ—

"पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भी उर्वरकों की कमी होने की कुछ सूचना मिली थी। आमतौर पर उर्वरकों की आपूर्ति किये जाने के अलावा देशी विनिर्माताओं तथा आयातित सामग्री के द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति के जरिए इन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाये गये।"

पुनः वह कहते है—

"यह कमी वास्तव में अस्थायी थी और केवल कुछ प्रखण्डों में थी यह कमी मुख्यतः राज्यों के भीतर वितरण संबंधी समस्याओं के कारण आयी थी, न कि समग्र आपूर्ति की किसी प्रकार की अपर्याप्तता के कारण।"

यही कारण है कि मैंने आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि वक्तव्य में कुछ मुद्दे परस्पर विरोधी हैं। वास्तव में समस्या मुख्यतः जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का उर्वरकों की जमाखोरों तथा कालाबाजारी को दूर करने के लिए तुरंत क्या कार्यवाही करने का विचार है। इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री हरिकेश बहादुर ने कालाबाजारी का एक स्पष्ट मामला सदन में प्रस्तुत किया था। सिंदरी फर्टिलाइजरस

से लाये जा रहे यूरिया के भरे हुए रेक को काले बाजार में बेच दिया गया जबकि वह यूरिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेचा जाना था। जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने तुरंत इस आरोप की जाँच की और देखा कि आरोप ठीक था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय उर्वरक निगम में विभाग के मार्किट में प्रमुख को एक पत्र लिखा था कि वह संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा उसे निलम्बित करें एवं आगे जाँच पड़ताल करें। श्री हरिकेश बहादुर ने उर्वरक मंत्री, श्री साठे, राज्यमंत्री श्री रथ तथा भारतीय उर्वरक निगम के सी० एम० डी० का ध्यान इस ओर दिलाया। उनके पत्रों की पावती मिल गई है। लेकिन सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कालाबाजारी का स्पष्ट मामला सामने लाने पर भी सरकार इस मामले में ऐसा व्यवहार कर रही है। मैंने ध्यानाकर्षण सूचना कोष्ठमय म से इस बारे में आपत्ति उठाई थी क्योंकि यह उर्वरक मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। उर्वरक मन्त्री यहां उपस्थित नहीं है। भारतीय खाद्य निगम आदि सभी मामलों पर नियंत्रण खाद्य मंत्री के हाथ में होता है। वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं। बेचारे कृषि मंत्री महोदय उन सब प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं, जो अन्य मंत्रालयों से संबंधित हैं ? किसी अन्य सदस्य को उत्तर देते समय मंत्री महोदय कह रहे थे कि एक डीलर अपनी एजेंसी में कई निर्माताओं के लिए कार्य कर रहा था और वे सब धोखाधड़ी करते हैं। सरकार के पास समस्या का क्या समाधान है ? क्या अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुर्नसंरचना के लिए कदम उठायेगी ?

जहां तक उत्पादन का संबंध है, कुल उर्वरक आवश्यकता कितनी है ? देश में कुल कितना उत्पादन होता है ? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों कितना उत्पादन करती है ? सार्व- आर्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां कितना उत्पादन करती हैं ? जनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापित क्षमता कितनी है ? क्या वे स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रही है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सार्व- जनिक क्षेत्र की इकाइयों को इस तरह से सक्षम और सुदृढ़ किया जायेगा कि स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन करने में समर्थ हो सकें ?

केरल में हमारे पास एफ० ए० सी० टी० के दो महत्त्वपूर्ण संभाग हैं, एक को चीन संभाग और दूसरा उद्योग मंडल संभाग। उर्वरक क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुए महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या एफ० ए० सी० टी० के दोनों संभागों विस्तार के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? इसी प्रकार मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने शहरी मानव-मल को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। क्या मंत्री महोदय कृपया हमें बतायेंगे कि पिछले कई वर्षों में अर्थात इन सभी योजनाओं की अवधि के दौरान उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में कितनी पूँजी लगाई गई ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय वर्तमान पूंजी निवेश से संतुष्ट हैं। यदि वह समझते हैं कि वर्तमान पूंजी निवेश पर्याप्त नहीं है तो उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए उनका कोन-सी कार्यवाही करने का विचार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, दुर्भाग्य से माननीय सदस्य ने उर्वरक विवरण के बारे में

हुए एकमात्र मामले, जिसका उन्होंने उल्लेख दिया है, से मेरे मंत्रालय कुशल संचालन के बारे में भ्रामक धारणा बना ली है।

श्री ए० नीललोहितदसन नाडार : यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं कई मामले उद्धृत कर सकता हूँ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रति वर्ष 72 लाख टन उर्वरक के वितरण के लिए कितने व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है, इस सम्बन्ध में क्वालिटी पर, निगरानी रखनी होती है, प्रत्येक जिले और प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं का उपयुक्त मूल्यांकन करते हुए यह सारी मात्रा किसानों को पहुंचाई जाती है और जहां कहीं कमी होती है वहां इसकी सप्लाई की जाती है, एजेंटों, निर्माताओं और शेष सब पर नजर रखनी होती है। मंत्रालय में दिन रात यह सब कार्य हो रहा है। यह कार्य कम्प्यूटर प्रणाली अथवा अन्य ऐसी किसी प्रणाली द्वारा नहीं किया जाता। इतने बड़े देश में इस तरह का काम सफलतापूर्वक करना आसान बात नहीं है और इस बात को समझना चाहिए। यदि माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझ सकते तो मैं यह नहीं जानता कि इस पर कैसे और प्रकाश डालूं और उन्हें कैसे बताऊँ कि हम क्या काम कर रहे हैं। बात इतना ही नहीं हैं। हम केवल कुछ कम खपत वाले जिलों में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं। यह सब कार्य इस तरह से किया गया है जिसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रशंसा की गई है और परिणाम यह हुआ है कि उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में सूखे और खराब मौसम के बावजूद हम हर वर्ष रिकार्ड तोड़ रहे हैं। वह सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हैं। सहकारी क्षेत्र के बारे में वह भूल गए हैं। मेरे लिए इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के बारे में अलग अलग ब्यौरा देना संभव नहीं है। लेकिन मैंने अनुमानित कुल उत्पादन बता दिया है। यह 1983-85 के दौरान 38 लाख टन के करीब होगा और विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में हमारे कुछ बड़े संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता से अधिक अर्थात 110 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। अतः हर जगह ऐसा नहीं है कि क्षमता का पूरा उपयोग किया गया है। मैं पहले ही उससे अधिक कह चुका हूं जितना कि भावनीय सदस्य इस विषय पर कह सकते थे। मैंने स्वयं कहा है कि उद्योग में हुए पूंजी-निवेश से वांछित वसूली नहीं हो रही है। मैं नहीं जानता कि वह मुझसे इससे अधिक क्या जानना चाहते हैं। यदि वह विस्तार से जानना चाहते हैं तो वह उद्योग मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से यह पूछ सकते हैं कि उनका अगले वर्ष या सातवीं योजना, जो कि बनायी जा रही है, के दौरान रसायन उद्योग में कितना पूंजी निवेश और करने का विचार है।

मैं नहीं समझता कि किसी और बात का उत्तर देने की आवश्यकता है···**(व्यवधान)** हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप और क्या करवाना चाहते हैं···**(व्यवधान)** आप नहीं जानते कि एजेंटों की नियुक्ति कैसे की जाती हैं, मैंने जानकारी दी है। हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि एक ही एजेंट दो-तीन से अधिक निर्माताओं के लिये कार्य कर रहा है।

यदि माननीय सदस्य कुछ और जानना चाहते हैं, मैं उन्हें जानकारी दूंगा ।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 24 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्दर हाल्दर (दुर्गापुर) : हर रोज हम 5-10 मिनट इसी तरह गंवा देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपको यह प्रश्न अपने आपसे पूछना चाहिये । मुझे भी और प्रत्येक माननीय सदस्य को यह प्रश्न अपने आपसे पूछना चाहिए । इस सम्बन्ध में सभी को आत्मविश्लेषण करना होगा । अब 2 बजकर 25 मिनट हुए हैं । हमें 2.15 बजे, 10 मिनट पहले समवेत होना चाहिए था । लेकिन हर सदस्य को अपने आपसे पूछना चाहिए कि क्या वह इस देश की जनता के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा रहा है और क्या चुनाव के समय उन्हें दिये गये आश्वासनों को पूरा कर रहा है । यह आप पर निर्भर है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह की ओर से श्री मल्लिकार्जुन बोलेंगे ।

सभा का का कार्य

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विमानन में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि 12 मार्च, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।
2. 1984-85 के लिये लेखा अनुदान मांगों को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करना ।
3. रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों से संबंधित संकल्प पर चर्चा ।
4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

   (क) 1984-85 के लिये अनुदानों की मांगे (रेलवे) ।

(ख) 1983-84 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे)।

(ग) 1981-82 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे)।

5. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

(क) 1983-84 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)।

(ख) 1981-82 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)।

6. 1984-85 के लिए पांडिचेरी बजट पर सामान्य चर्चा।

7. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

(क) 1984-85 के लिये लेखा अनुदानों की मांगे (पांडिचेरी)।

(ख) 1983-84 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडिचेरी)।

8. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में एशियाटिक सोसायटी विधेयक, 1984 पर विचार तथा पारित करना।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले सप्ताह में नीचे लिखें विषयों को जोड़ा जाए।

फौजी-फौजियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और जो अन्तर करेगा, वह देश को तोड़ने की बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फोजी पैंशनरों के हक में फैसला दिया परन्तु सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लागू कर समान पेंशन नहीं दे रही है। इसरे फौजी पेंशनरों में असन्तोष है, जबकि रक्षा मंत्री ने विश्वास भी दिला दिया था कि अन्तर मिटाया जायगा और फौजी पेंशनरों की मांग पूरी की जायगी।

किसान की फसल शीत लहर व ओलावृष्टि से बिल्कुल तबाह हो गई है और किसानों का जीवन दूभर हो रहा है। किसानों को उनकी फसलों मुआवजा दिया जाय माल नहरी व बारानी व कर्जा हर किसान हर किसान को माफ किया जाए।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित दो विषय जोड़े जा सकते हैं।

1. केरल में कोचीन से लगभग 14 किलोमीटर दूर अम्बाखा मुगल में कोचीन रिफाइनरी में बड़े विस्फोट से ईंधन क्षेत्रों में लगी आग में अनेक व्यक्ति मारे गए और और 14 व्यक्ति घायल हुए। यह बताया गया है कि इस विस्फोट की आवाज 40 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और विस्फोट के प्रभाव से आस-पास की कई इमारतों की छतें हिल

गई और शोध-शाला की कई इमारतें बुरी तरह हिल गई। इसमें 4 कुल करोड़ रुपये नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

2. बम्बई में एयर इंडिया बोइंग 707 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच संबंधी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। इसके निष्कर्ष रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जैसी कि सूचना दी गई है। जांच न्यायालय ने कहा है कि उस दुर्घटनाग्रस्त विमान विमान के कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य निभाने में पूर्णतः उपेक्षा बरती थी, एयर इंडिया प्रशिक्षण झूठे रिकार्डों में जानबूझ कर झूठे फेरबदल करने की आरोपी थी और यान चालकों के लाइसेंस नवीकरण के समय नागरिक उड्डयन के महानिदेशक से जानकारी छिपाने का अपराध किया है और विमान उतरने के कुछ एयर इंडिया ने जानबूझ कर झूठे प्रशिक्षण रिकार्ड प्रस्तुत करने तथा विमान चालक स्थल की उलझी हुई स्थिति पूर्णतः थी। इस मामले पर संसद में वाद विवाद करने की अवश्यकता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली.(श्री नगर) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिली करें।

चूंकि में निर्धारिक पाठ्य पुस्तकों ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों की अधिक वारदातों को देखते हुए इस मामले की पूरी जाँच करने की अवश्यकता है।

हमारी इतिहास की पुस्तिकों में विभिन्न धर्मों, उनके संस्थापकों, धार्मिक उपदेश को विरुद्ध अपमानजनक, गलत, तिरस्कार पूर्ण बातें कही गई हैं आमतौर जिससे हिन्दू, मुस्लमान, ईसाई और अन्य धर्मावलम्बियों धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इससे विभिन्न धर्मों के मानने वालों के मन में एक दूसरे के प्रति शक' गलत भावना और घृणा पैदा होती है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि एक तंत्र का सृजन किया जाये जो निर्धारण पाठ्य पुस्तकों से ऐसी गलत सामग्री की जांच करे और उसे निकाले, जो कि खासकर स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के हमारे युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर फैला रही है जम्मू और कश्मीर ने 'सभ्यता का इतिहास' पर पाबन्दी लगा दी है अन्य राज्यों और केन्द्र को इसमें व अन्य मामलों में इसका अनुसरण करना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर कानून बनाने चाहिए और ऐसी पुस्तकों के लेखन, मुद्रण और प्रकाशन के लिए जिम्मेवार लोगों को सख्त सजा.....**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ अभी कहा है, वह कार्यवाही वृत्तांन्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल प्राधिकृत भाग ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत किया जायेगा।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 12 मार्च से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह की कार्य-सूचि में मेरे निम्नलिखित विषयों को भी सम्मिलित करने की कृपा करें तथा विचार के लिए समय निकालने की कृपा करें।

1. मिलावट या नकली चीजों की विक्री होने की बात कोई नई नहीं हैं। लेकिन चाय जैसी रोजमर्रा के उपयोग की और सभी वर्गों के लोगों के काम आने वाली चीज में मिलावट होने या नकली चाय बिकने की खबर निश्चिय ही चौंकाने वाली है। गत दिनों लखनऊ तथा अलीगढ़ में पूर्ति बिभाग के अधिकारियों द्वारा बीस लाख रुपये की नकली चाय बरामद करने से जाहिर है कि यह काला धंधा देश के विभिन्न भागों में काफी तेजी पर है। नमूनों की जांच में पाया गया है कि चाय के बुरादे में अखरोट व लकड़ी का बुरादा मिला हुआ था। गत वर्षों में चाय की कीमतें काफी बढ़ी हैं, इसलिए मिलावट और नकली चाय की बिक्री की आंशका और भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी धोखाधड़ी ज्यादा हो रही हैं, जहां न तो कोई सैंपल लेने वाला है और न शिकायत को सुनने वाला है।

मेरा अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता को समझाते हुए सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे ताकि आम जनता को लूटने तथा उस स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ से बचाया जा सके।

2. देश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों पर आये दिन अमानुषिक अत्याचारों की घटनायें होती रहती रहती हैं। कहीं उनकी सम्पत्ति और घरों को आग लगाई जाती है तो कहीं उनकी निर्मम हत्यायें की जाती हैं कहीं उनको जिन्दा जलाया जाता है तो कही, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है। कहीं उनकी फसलों को काटा जाता है। आजादी के 37 वर्षों के बाद भी इन लोगों की जान-माल की रक्षा नहीं हो पा रही है और उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : श्रीमन्, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिए निम्नलिखित विषय शामिल करना चाहूंगा :—

1. कि बम्बई हाई में 'गैस फ्रन्ट एडवांसिग' की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि प्राकृतिक गैस तेल आयोग (ओ० एन० जी० सी०) को मजबूरन दो या तीन तेल कुओं को बन्द करना या हमेशा के लिए ही त्यागना पड़ेगा। अगर इन तेल कुओं को जल्द ही बन्द न किया गया तो फैली हुए गैस का नजदीकी कुओं पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

2. कई एक मौकों पर सरकार भारतीय संगठनों के साथ विदेशी सहयोग की मंजूरी देती रही है। यह कदम निश्चय ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर डालेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का समाजवादी विकास रुक जायेगा

इन पर सभा में चर्चा के लिए, इन्हें अगले सप्ताह की कार्य सूची सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी,

द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न-निम्न प्रस्तावों का समावेश करवाना चाहता हूं ।

1. दुर्गम दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र का विकास, सरकार की घोषित नीति रही है लेकिन स्थानीय कठिनायों के कारण अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है सप्तम पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के विकास विशेष तौर पर औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के संदर्भ में इस सदन को विचार करना चाहिए ताकि भावी विकास की रणनीति निर्धारित हो सके ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आई० आर० डी० सी० एवं एन० आर० ई० पी० विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किया जा रहा है परन्तु इस का पूर्ण अपेक्षित लाभ संबन्धित वर्ग को प्राप्त नहीं हों पा रहा है । इस क्रम में भी सदन को विचार करना चाहिए ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं

1. विहार राज्य में नालंदा जिला समेत कई जिलों में लगभग पांच लाख हाथकरघा में पांच लाख बुनकर काम करते हैं । कच्चे माल की सस्ती दर आपूर्ति के अभाव, उनके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार की कमी, आर्थिक एवं टेक्निकल आदि सुविधाओं के न मिलने के कारण उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न है ।

अखिल भारतीय हैन्डलूम फ्रेबिक्स मार्केटिक सोसाइटी द्वारा पर्याप्त मात्रा में उनके मामलों की खरीद, बिहार शरीफ में डिजाइन केन्द्र केन्द्रीय प्रोसेसिंग यूनिट एवं बुनकर सर्विस सेन्टर की स्थापना और नेशनल हैंडलूम डवलपमेंट कारपोरेशन की शाखा खोलना बुनकरों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अत्यावश्यक है ।

प्रो० सैफूद्दीन सोज (बारामूला) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सभा की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में "देश के सभी रेलवे-स्टेशनों में 'शो कक्ष' सुविधा का प्रावधान करने की कृपा करें ताकि काश्मीरी शॉलों की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया जा सके जिससे देश के भीतर इनके बाजार में और वृद्धि हो" प्रस्ताव शामिल किया जाये ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 12.3.83 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के लिए सदन की सरकारी कार्य सूची में मैं निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों के शिक्षकों की हड़ताल

उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों के शिक्षक गत 16 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे वहां उच्च शिक्षा का अध्यापन कार्य ठप्प पड़ गया है । छात्र एवं अभिभावक परेशान हैं । विभिन्न परीक्षायें आसन्न हैं । परिक्षायें समय पर होगीं या नहीं, कोई कुछ नहीं कह

सकता । एक अनिश्चितता वातावरण बन गया है । शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के साथ जो समझौता हुआ था, वर्तमान सरकार उस का सम्मान नहीं कर रही है । दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण यह है कि प्रदेशीक सरकार बातचीत तक करने से हुए कतरा रही है और केन्द्रीय सरकार निरपेक्ष भाव से बैठी हुई है । सरकार को शिक्षकों के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और उन की वाजिब मांगों को मान कर ठहराव की स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए ।

अतएव उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों के शिक्षकों की अनिश्चित कालीन हड़ताल पर सदन में विचार होना चाहिए और उसे समाप्त करने के उपाय निकाले जाने चाहिए ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : भारत सरकार सातवीं योजनावधि के दौरान एक मात्स्यकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है । अभी तक विश्व-विद्यालय के स्थान का निश्चय नहीं किया गया है । मात्स्यकी विश्वविद्यालय के लिए केरल में बिझिजम शहर इसके लिए उपयुक्त स्थान है । विझिजम में मत्स्य-पत्तन के निर्माण का कार्य पहले ही चालू है । विझिजम में एक नाविक अध्ययन संस्थान पहले ही कार्य कर रहा है । विझिजम में बहुत सुंदर समुन्दर-तट है । विझिजम के नजदीक एक कृषि कालेज और वेल्लयानीताल है । इसके अलावा, देश में सबसे अधिक मछुआरे केरल में हैं । कई एक संस्थान जैसे,—केन्द्रीय समुद्रीय मत्स्य अनुसंधान, केन्द्रीय मत्स्य संस्थान, नाविक एवं इंजीनियरिंग परीक्षण संस्थान, केन्द्रीय मत्स्य तकनीकि संस्थान, एकीकृत मत्स्य परियोजना, अन्वेक्षणात्मक मत्स्य परियोजना आदि केरल में स्थित हैं । केरल में तट-दूर मत्स्य पालन के विकास और खारे पानी में मत्स्य पालन की काफी सम्भावनाएं हैं । राज्य सरकार ने भी अजीकोडे में झींगी अंडज उत्पत्तिशाला और मालमपुजा में बीज-फार्म जैसे नए उद्योग खोले गए हैं । राज्य सरकार ने पाँच मछुआ प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं । इन परिस्थितियों में प्रस्तावित मात्स्की-विश्वविद्यालय विझिजम, केरल में ही स्थापित किया जाना चाहिए । इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सुझाव पर आगे कार्यवाही करें ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा अगले सप्ताह के सरकारी कार्य सूची में विभिन्न विषयों को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोधों के लिए धन्यवाद करता हूं । जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति ने फैसला किया है, अगले सप्ताह केवल सरकारी कार्य ही लिया जायेगा । अगर कोई सदस्य चाहता है तो वह अपने विषय को अपने दल के प्रतिनिधि के द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठा सकता है, ताकि पर कार्य-मंत्रणा समिति में विचार किया जा सके ।

1984-85

14.40½

सामान्य बजट सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट पर, सामान्य चर्चा करेंगे । इसके लिए 15 घन्टे का समय निश्चित किया गया है । श्री सुनील मैत्रा चर्चा आरम्भ करेंगे । उनके दल के पास 50 मिनट का समय है ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री का बजट भाषण एक सुन्दर वार्ता थी हालांकि इसमें कई एक स्पष्ट निष्कर्स भी थे । वास्तव में ऐसा लगता है कि सब कुछ सही प्रकार से चल रहा है । लेकिन जब कोई इसकी तह में जाकर देखता है, तो पाता है कि वहाँ बहुत सी असंगतियों खामियाँ हैं । मैं एक-एक करके उन असंगतियो और खामियों के बारे बयान करना चाहूंगा ।

उदाहरण के तौर पर कृषि को ही लें । वित्त मंत्री ने कृषि के बारे में कहा है कि :—

> "कृषि के उत्पादन में कुल मिलाकर पिछले वर्ष की अपेक्षा सम्भवत: 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी माननीय सदस्य सहमत होंगे किइससे हमारी कृषि संबंधी कार्य-नीति के ठीक होने और हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत की प्राप्ति होती है ।"

सर्वप्रथम, मैं मन्त्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं । उन्होंने यह वक्तव्य और दावा इसलिए किया कि इस वर्ष कृषि उत्पादन पिछले सब वर्षों से अधिक, यानि 1420 लाख टन हुआ है । परन्तु यदि हम पिछले 10, 15 अथवा 20 वर्षों के खाद्य-उत्पादन पर ध्यान दें तो देश के सामने की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी । अगर हम देश में कृषि उत्पादन का एक रेखाचित्र खींचे तो देखेंगे कि यह अचानक ऊपर की और बढ़ता है और फिर अचानक उतना ही नीचे की और आता है । अत: जब माननीय मन्त्री यह दावा करते हैं कि सरकार की नीति यह साबित करती है कृषि रणनीति सही है तो जब से 1980 में सत्ता में आये हैं, तब से वास्तविक कृषि उत्पादन की जांच करने की कोशिश करें । 1980 और 1984 का औसत खाद्य उत्पादन 13.329 करोड़ टन था । अगर आप 1974-75 से 1983-1984 के दशक का औसत लें तो पायेंगे कि यह 12.332 करोड़ टन से भी कम है । विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित **विश्व विकास रिपोर्ट, 1983** में भारत में कृषि विकास की जांच करने की चेष्टा की गई थी, और उसमें कहा गया है कि :

> "1960-71 के दशक में हमारे देश में कृषि उत्पादन में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।"

1970-81 के बीच यानि अगले दशक में कृषि उत्पादन में उतनी ही यानि 1.9% की वृद्धि हुई । इसका अर्थ यह हुआ कि 1960 और 1981 के बीच कृषि उत्पादन में वृद्धि 1.9% पर स्थिर रही । क्योंकि इस वर्ष आपने 1420 लाख टन का खाद्यान्न का उत्पादन किया है तो इससे आप यह निष्कर्स नहीं निकाल सकते कि आपकी नीति अगर आपकी कोई नीति है सफल

रही है और यह काफी संतोषजनक है । अगर पिछले 20 वर्षों के दौरान आपको कृषि उत्पादन 1.9 प्रतिशत पर स्थिर रहा तो आपकी नीति का औचित्य क्या है ? और देखिए की उस समय आपकी नीति क्या थी और अब क्या है ? आप अपनी नीति की सफलता की डींग मार रहे हैं ।

साथ ही अगर आप अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखें, तो 1961-70 के दौरान यह 447.56 ग्राम, 1971-80 के दौरान यह कम होकर 442.22 ग्राम हो गई और 1971-80 में और कम होकर यह 437.02 ग्राम रह गई । इसलिए, उपलब्धता में इस कमी के कारण, मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री कैसे यह दावा करते हैं कि वास्तव में उनकी कृषि नीति सफल रही है । वास्तव में यह कोई नीति ही नहीं थी । हर जगह यह कामचलाऊ नीति थी । आपने जब कभी स्थिति के अनुसार कामचलाऊ नीति अपनाई; और आपने किसी न किसी तरह वर्ष-दर-वर्ष स्थिति को संभालने की कोशिश की । अत: कोइ नीति नहीं थी । अगर कोई नीति थी भी तो यह पूरी तरह असफल रही ।

वास्तव में हमारे कृषि उत्पादन और हमारे खाद्य उत्पादन में स्थिरता के कारण क्या हैं ? हम बार-बार सभा में कहते रहे हैं कि कृषि के विकास के लिए बुनियादी बात भूमि सुधार है, जब तक आप भूमि सुधार नहीं करते, तब तक कृषि उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं होगा ।

दूसरे आपका सारा कृषि उत्पादन बाजार-अर्थव्यवस्था के ढ़ाचें में कार्य करता है। प्रोत्साहन क्या है ? अगर आप वास्तव में बाजार-अर्थव्यवस्था को अपनाइये, कृषि उत्पादकों के लिए कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए । उदाहदण के तौर पर 1980-81 और 1984-85 बीच गेहूं के समर्थन मूल्य में 29.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात् यह 117 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 152 रु० प्रति क्विंटल हुई । परन्तु कृषि के लिए आवश्यक आदान के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ? 1980-84 के बीच उर्वरकों के मूल्य में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसी अवधि के दौरान डीजल के मूल्यों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है और बीज के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है । इस तरह, एक और जहां कृषि के लिए आवश्यक आदान के दामों में भारी वृद्धि हुई है, वहीं आपने अधिशेष कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में केवल 29.9 % की ही वृद्धि की है। इससे ऐसा लगता है कि कृषकों को अधिक उत्पादन करने के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तव में बाजार-अर्थव्यवस्था के ढाचें में कार्य करना चाहते हैं तो आपको कृषकों को अधिक प्रोत्साहन देना होगा । और तभी आपके लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना सम्भव हो सकेगा ।

इसके पश्चात् उद्योग के प्रश्न पर आते हुए वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के पृष्ठ 2 पर दावा किया है कि 1979-80 के बाद की चार वर्षों की अवधि में औद्योगिक विकास औसतन 5% से थोड़ा अधिक होगा । उनके अपने उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि छठी पंचवर्षीय याजना के 8 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में पांच प्रतिशत वृद्धि बहुत ही कम है । यदि आप यह दावा करते हैं कि चार वर्षों की अवधि में औसतन पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई

तो यह कोई उपलब्धि नहीं है। मैं इसकी जांच करूंगा कि क्या यह दावा भी सही है। यह दावा भी सही नहीं है। आप यह कैसे हिसाब लगाते हैं कि यह पांच प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

महोदय, मेरे पास पिछले वर्षों 1981-82 और 1982-83 की 'आर्थिक समीक्षा हैं। उनमें आप देखेंगे कि औद्योगिक उत्पादन का हिसाब कैलेण्डर वर्ष के आधार पर लगाया गया है और अचानक इस वर्ष बिना किसी को सूचित किए हिसाब लगाने की पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया। यहां तक कि **आर्थिक समीक्षा** में भी यह नहीं बताया गया कि हिसाब लगाने की पद्धति कैलेण्डर वर्ष में वित्तीय वर्ष में बदल दी गई है। जब मैं आर्थिक समीक्षा का अध्ययन कर रहा था तो यह क्षुब्ध करने वाला लग रहा था।

मैंने कुछ हिसाब लगाया है। यदि हम कैलेण्डर वर्ष के आधार पर पिछले चार वर्षों में हुए विकास का हिसाब लगाएं यो यह 4.6 प्रतिशत बनता है। अतः और यदि आप वित्तीय वर्ष को आधार मानकर हिसाब लगाएं तो यह 5.2 प्रतिशत बनता है, हमें इसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए? क्या केवल इसी आधार पर कि वित्त मंत्री सभा में यह दावा कर सकें कि औद्योगिक उत्पादन की दर पांच प्रतिशत से अधिक हो गई है और आधार वर्ष, कैलेण्डर वर्ष से बदल कर वित्तीय वर्ष कर दिया गया है? इसके बावजूद भी, तथाकथित उपलब्धि को छठी योजना के लिए निर्धारित 8 प्रतिशत लक्ष्य को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। यहां भी वे असफल रहे हैं, परन्तु आधार वर्ष को कैलेण्डर वर्ष में बदल कर वित्तीय वर्ष कर देना, मुझे खेद है कि छल-कपट की राजनीति का और आंकड़ों को तोड़ने-मरोड़ने का एक उदाहरण है ताकि उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जिस पर वित्त मन्त्री पहुंचे हैं और चाहते हैं कि देश उस पर विश्वास करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने वित्तीय वर्ष को आधार मान कर हिसाब लगाया है या कैलेण्डर वर्ष को?

श्री सुनील मैत्रा : जी हां, मैंने हिसाब लगाया है। वह कहें तो सही कि मेरा हिसाब गलत है।

उदाहरण के लिए माननीय उद्योग मन्त्री श्री तिवारी द्वारा जारी किये गये पी० आई० बी० वन के प्रैस रिलीज को देखें। इसमें भी श्री तिवारी ने दावा किया है कि अक्टूबर, 1983 के दौरान पिछले वर्ष के इसी महीने अर्थात् अक्तूबर, 1982 की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशतक की वृद्धि हुई है। यदि आप अक्तूबर, 1982 और अक्तूबर, 1983 के इन आंकड़ों की तुलना करें तो विकास 7 प्रतिशत हुआ है।

मैं आपको और आंकड़े देता हूँ। मैं दिसम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1983 के आंकड़ों को लेता हूँ। औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर घर कर 3.9प्रतिशत रह गई है। आप आंकड़ों से खिलवाड़ क्यों कर रहे है? आंकड़ों की यह धोखेबाजी क्यों? आप पिछले वर्ष की कोई तारीख,

कोई महीना लीजिए और उसके बाद आप अगले वर्ष की वही तारीख या महीना लीजिए और हिसाब लगाइये । आपको जो भी आँकड़े पसद आएँ, उन्हें अपना लीजिए और संसद के समक्ष रख दीजिए और संसद के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से देश के लोगों तक पहुंचा दीजिए और कहिए, 'देखो हमने कितने शानदार ढंग से काम किया है ।' वस्तु स्थिति यह है कि आपका कार्य निष्पादन अत्यन्त घटिया रहा है ।

श्री रामप्यारे पनिका [राबर्ट्सगंज] : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पनिका जी, वित्त मत्री जी उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : यह हमारा औद्योगिक उत्पादन है·····

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे पनिका : अब यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं·····

(व्यवधान)

वित्त मंत्री ने सभा में सही स्थिति रखी है ।

श्री सुनील मैत्रा : मैं मानने वाला नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मानने वाले नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : वित्त मंत्री अपना बचाव करने में पूर्णतया सक्षम हैं । उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपको हमेशा उत्तेजित करेंगे आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तेजित मत होइये ।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय मेरा समय समाप्त हो रहा है और बहुत से मुद्दे बाकी हैं ।

हम अब पुनः विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास प्रतिवेदन, 1983 को लेते हैं ।

यदि आप 1960 से 1980 के बीच 20 वर्षों की अवधि को लें तो 1960 से 1970 के मध्य हमारे देश की औद्योगिक विकास दर 5.4 प्रतिशत थी और 1980-81 के मध्य अर्थात् अगले दशक में विश्व बैंक के अनुसार यह 5.4 प्रतिशत से घट कर 4.40 प्रतिशत रह गई। यह सरकार की एक और उपलब्धि है, जिस पर मेरे विचार में सरकार को गर्व करना चाहिए।

हमारे औद्योगिक उत्पादन के उस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग की स्थिति क्या है जिससे इस देश के आम लोगों का संबंध होता है, अर्थात् उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के उत्पादन की स्थिति क्या है ? यहाँ मैं भारतीय रिजर्व बैंक का अक्तूबर, 1983 का बुलेटिन उद्धृत करता हूँ। मार्च,1983 में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का उत्पादन 170.3 था, अप्रैल में 169.6 था, मई में 156.4 था, जून और जुलाई में 146.5 था। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन का सबंध है, यह अद्यतन आंकड़े हैं। जहां तक इस वर्ष उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का संबंध है, उत्पादन में गिरावट हो रही है और इसका प्रभाव मूल्यों पर पड़ना अवश्यम्भावी है। अत: यह दावा कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है या बढ़ रहा है, ठीक नहीं है। इसका क्या कारण है ? एक कारण मांग में मन्दी है। लोगों की वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति नहीं है। बाजार में मांग की कमी है और इसलिए उत्पादन में भी कमी हो रही है।

यदि आप इकोनोमिक टाइम्स द्वारा 11 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन को ध्यान में रखें तो भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि जून, 1982 में बन्द हुई फैक्ट्रीयों/उद्योगों में से 23 प्रतिशत फैक्ट्रीयां माँग में कमी के कारण बन्द हुई। हम इसे बाजार में मन्दी कहते हैं। अत: हमारे औद्योगिक उत्पादन की विकास गति धीमी होने का एक कारण बाजार में मन्दी होना है।

एक अन्य बात जिस पर इस सभा में चर्चा हुई है और जिस पर मैं विस्तार से बोलने जा रहा हूँ—आयात का उदार बनाया जाना है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बाजार में अपनी वस्तुएं अंधाधुन्ध मात्रा में ला रहे हैं। हमारे उद्योगों के उत्पादन को कम किया जा रहा है और हमारे उद्योगों को बन्द करने के लिए विवश किया जा रहा है।

दूसरी बात एम० आर० टी० पी० और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई रियायत है। इसके परिणामस्वरूप वे लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को खदेड़ रहे हैं।

15.00

यदि आप निजी निगम-क्षेत्र के 100 बड़े-बड़े उद्योगपतियों की कुल परि-सम्पत्तियों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखें तो आप स्थिति की गंभीरता को समझेंगे। "बिजनेस स्टैन्डर्ड" ने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। 100 बड़ें उद्योगपतियों की परिसम्पत्ति 1980-81 में 9150, 99,00,000 रु० थी जो 1981-82 में बढ़कर 11345,45,00,000 हो गई। यह इसका अर्थ हुआ कि एक वर्ष की अवधि में 100 बड़े औद्योगिक संयुक्त उद्यमों की कुल परिसम्पत्ति में 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इससे एक पहलू स्पष्ट होता है कि इन एम० आर० टी० पी०

कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई रियायतों के कारण वे छोटे-छोटे व्यवसायों और लघु उद्योगों को तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों कोबाजार से बाहर खदेड़ रहे हैं। इसके पश्चात्,महोदय, हमारे देश के औद्योगिक पटलपर एक और तस्वीर उभरी है। पूर्णतया या विशुद्ध भारतीय_उद्योगों में जानबूझ कर विदेशी इक्विटी पूंजी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए इस्कोर्टस और डी. सी. एम. के प्रश्न को लीजिए। हाल ही में पिछले वर्ष भारत सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने की नीति बनाई है। अब कैप्रो ग्रुप आफ कम्पनीज उर्फ स्वराजपाल ने डी. सी. एम. और इस्कोर्टस में पूंजी निवेश किया है। आप स्वराजपाल की ग्रुप के प्रो आफ कम्पनीज से प्राप्त होने वाली पूंजी को क्या कहेंगे ? क्या यह भारतीय पूंजी है ? एक व्यक्ति जो इस देश में रहता था विदेश जाता है और वहां जाकर धन के लालच में भारतीय नागरिकता त्याग देता है, क्या आप उसे भारतीय कहेंगे ? आप उन्हें अनिवासी भारतीय कह सकते हैं। परन्तु वे भारतीय नहीं हैं। परन्तु आप उनकी पूंजी को निवेश हेतु आमन्त्रित कर रहे हैं और इस पूंजी को विशुद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी पूंजी के रूप में लगाने के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं। जब इस्कोर्टस ने इसका विरोध किया तो भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप किया। आपने हस्तक्षेप करना उचित समझा। आप देखिये कि कुल कंपनियों का 52 प्रतिशत रुग्ण हो रही है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। इस देश में रुग्ण होने वाली कुल कंपनियों में से भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 52 प्रतिशत कंपनियां प्रबन्ध के कारण रुग्ण हुई हैं। इसमें धन को अन्य कामों पर लगाना, अन्दरूनी लड़ाई, विपणन नीति का अभाव आदि भी सम्मिलित हैं।

जब ये कंपनियां रुग्ण होती हैं सरकार हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कलकत्ता में एक स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स नाक की कंपनी है जिसमें इक्वटी पूंजी का बड़ा हिस्सा भारत सरकार की वित्तीय संस्थाओं का है। मैंने वर्तमान वित्त मन्त्री के सम्भावित वित्त मन्त्री को इस स्टील एंड एलाइड प्रोडक्टस कलकत्ता के बारे में कुछ करने के लिए तीन पत्र लिखे। इस कंपनी को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। एक के बाद एक उद्योग रुग्ण होता जा रहा है और हजारों मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं फिर भी सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझा। परन्तु इस्कोर्टस के मामले में जिसमें कैप्रो ग्रुप आफ कंपनीज की पूंजी अन्तर्ग्रस्त थी, सरकार ने हस्तक्षेप करना आवश्यक व विवेकपूर्ण समझा। क्या आप सरकार के इन दोनों दृष्टिकोणों में मेल कर सकते हैं।

साथ ही, जब हम, विशेष रूप से वामपन्थी मजदूरों की हड़ताल के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में और अन्य बातों के बारे में कुछ कहते हैं तो दूसरी ओर से तत्काल उत्तर मिलता है कि आप लोगों के कारण ये रुग्ण हैं। श्री डागा शायद मेरी बात से सहमत हैं और सिर हिला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वे सम्भवतः वामपंथी है परन्तु बैठे दांयी ओर हैं।

श्री सुनील मैत्रा : क्या मैं आपकी सूचना के लिये एक बात बतादूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार बन्द होने वाले कुल उद्योगों में 2 प्रतिशत उद्योग ऐसे हैं जो श्रमिक अशान्ति के कारण बन्द हुए हैं और 98 प्रतिशत फैक्ट्रियां या उद्योग कुप्रबन्ध अथवा अन्य कारणों से बन्द हुए हैं। तब इसका क्या इलाज है ?

इस देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु आन्तरिक बाजार का विस्तार एक अनिवार्य शर्त है। आन्तरिक बाजार का विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक आप इस देश के 70 प्रतिशत लोगों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं, जो किसान हैं, क्रय शक्ति पैदा नहीं करते हैं। आप किसानों की क्रय शक्ति तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक आप पर्याप्त भूमि सुधार नहीं करते जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। यह आपातकाल में भी था। यह अब भी हैं। परन्तु इसे अब बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों को छोड़कर राज्य सरकारों की वस्तुत: भूमि सुधार में रुचि ही नहीं है। वे कहते हैं कि उनकी भूमिसुधारों में उतनी ही दिलचस्पी है और ये 20 सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित है।

अब यदि वे वास्तव में इस संबंध में गम्भीर हैं तो क्या वे एक बात का बत्तर देने का कष्ट करेंगे ? पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 1981 में दो भूमि सुधार विधेयक पारित किए थे। एक भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल) संशोधन विधेयक, 1981 था। मैं राज्यसभा में 1 मार्च, 1982 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर को उद्धृत करना चाहता हूँ। यह विधेयक केन्द्र को 21 मई, 1981 को प्राप्त हुआ था और वे कहते हैं कि यह केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। तीन वर्षों से अधिक समय से यह विधेयक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। वे भारत के राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए नहीं कह सकते। एक दूसरा विधेयक, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक, 1981 केन्द्र को पहली जुलाई, 1981 को प्राप्त हुआ था। केन्द्र सरकार की नींद अचानक 25 जनवरी, 1984 को खुली ओर उसने पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ पूछताछ की। जहां तक भूमि सुधारों का संबंध है, देश के बाजार के 70 प्रतिशत संभावी क्रेताओं की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है और वे कहते हैं वे भूमि सुधारों के प्रति गम्भीर हैं। इसीलिए, उद्योगों में इस समय मन्दी है।

इसके पश्चात् मुद्रास्फीति के प्रश्न पर आते हुए, मैं यह अवश्य ही यह स्वीकार करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मुद्रास्फीति के बारे में कुछ चिन्ता प्रकट की है। परन्तु इस समय वास्तव में स्थिति क्या है ? उन्होंने इस बात का श्रेय लिया है कि जनता काल में मुद्रास्फीति 21 प्रतिशत थी और इसे अब घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे बाद में और घटाकर 2 प्रतिशत तक लाया गया और अब यह पुन: बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है। क्या आप देश को बता सकते हैं कि जब आपने मुद्रास्फीति 21 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत की तब वास्तव में यह वृद्धि 37 प्रतिशत थी, जब आपने इसे और घटाकर 6% किया तब यह वृद्धि 43 प्रतिशत थी। और जब इसे घटाकर 2 प्रतिशत किया गया तो यह वृद्धि 1978-79 की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक थी और अब यह जो पुन: बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है तो

यह 1978-79 से 5 5 प्रतिशत अधिक है। आप यह कहते हैं कि आपने मुद्रास्फीति की दर 21 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत तक ला दी है तो ऐसा लगता है जैसे मूल्यों में गिरावट आई है। इस देश के लोगों में यही धारणा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में यह 21 प्रतिशत से 16 प्रतिशत अधिक थी, 16 प्रतिशत से 6 प्रतिशत अधिक थी, यह 16 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक थी और अब 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत अधिक है। अतः आप न केवल मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने में असफल रहे हैं अपितु आपके इस दावे के बावजूद कि आपने उपचारी उपाय किये हैं, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है।

उपचारी उपाय ये थे कि नकद आरक्षण अनुपात को तीन चरणों में 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है। अर्थात् आपने वित्त वर्ष के अन्त में योजना में 3 प्रतिशत की कटौती कर दी, आपने गैर-योजना व्यय में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी और आपने लोगों की भर्ती बन्द कर दी। और आज तक आपने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की पाँच किस्तों का भुगतान नहीं किया है।

इन सभी उपायों के बावजूद, आज मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से अधिक हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि रुकने वाली नहीं है। क्या कारण हैं? आपकी कराधान, नीति, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क की नीति के अतिरिक्त, आपकी एकाधिकारियों को मूल्यों में वृद्धि करके अत्यधिक लाभ कमाने की अनुमति देने की नीति के अलावा आपकी घाटे की अर्थव्यवस्था की नीति के अतिरिक्त, सत्ता में आने के बाद हाल ही में आपने आकलित मूल्य में वृद्धि की अपनाई? आकलित मूल्य में वृद्धि किस हद तक हुई है?

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर आपने 1980 और 1983 के मध्य 5,500 करोड़ रुपए के कर लगाए, ये कर उससे अतिरिक्त थे जो लोग पहले से ही दे रहे थे।

रेल किरायों में वृद्धि हुई है। माल भाड़े में निम्नलिखित वृद्धि हुई है :—

1980-81 में 130-91 करोड़ रुपये
1981-82 में 286.22 करोड़ रुपये

1982-83 में 88-85 करोड़ रुपये

1983-84 में 310-00 करोड़ रुपये

इससे कुल वृद्धि 815.98 करोड़ रुपये की हुई है।

यहां तक 1983-84 के बाद भी आप सोचते हैं कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। मूल्यों में इतनी भारी वृद्धि के बाद भी अगर आप यही भाषण देते हैं और यदि आप अपने भाषण में यह जोर देते हैं कि सरकार के लिए मूल्यों पर नियन्त्रण रखना संभव है, तो इस देश में कोई

भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा जो इस पर विश्वास कर ले कि यदि सरकार द्वारा इसी प्रकार व्यवहार करती रही तो वास्तव में मूल्यों को नियन्त्रित किया जा सकता है।

कोयले के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। 1980 में पिट हैड पर एक टन कोयले का मूल्य 101-18 रुपये था। मैं 1980 की इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आप 1980 के बाद ही सत्ता में आए। आपने अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया ? कोयले के मूल्य में 1980 101·18 रुपये से बढ़कर 14-2-81 को 128·02 रुपये 27-5-82 को 145·90 रुपये अर्थात एक ही बार 25% की वृद्धि हुई और 9-1-84 को बढ़कर 183·00 रुपये हो गए आपने धान समर्थन मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि की है साथ ही आपने चावल के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की। यदि 105 क्विंटल धान एक क्विंटल चावल के बराबर है तो यह वृद्धि 15 रुपये होनी चाहिए थी। इसकी बजाए यह वृद्धि 20 रुपये हुई है प्रत्येक बार निर्गम मूल्य में वृद्धि की गई है और यह इसी आधार पर की गई है।

अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मूल्य बढ़ रहे हैं हैं और सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में असमर्थ है।

मैं एक ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण बात पर आता हूं और वास्तव में वित्त मंत्री भी भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में बढ़ा-चढ़ा कर कहने लग जाते हैं।

वित्त मंत्री कहते हैं :

पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने सदन को 1982-83 में भुगतान शेष में हुए सुधार की जानकारी दी थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता रही है कि 1983-84 में इस स्थिति में और भी सुधार सुआ है। व्यापारिक घाटा जो 1981-82 में लगभग 5500 करोड़ रुपये का रह गया और चालू वर्ष में उसके और घट जाने की आशा है। हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकासियों को हिसाब में शामिल करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष में 10 फरवरी तक 662 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।"

यह धारणा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि भुगतान-शेष की स्थिति अत्यन्त सन्तोषजनक है और इसके पश्चात् वित्त मंत्री किसी निष्कर्ष के पर पहुच गए और उस निष्कर्ष आधार पर वित्त मंत्री पहले ही कार्यवाही कर चुके है इसे बाद में लूगा।

ऊपरी तौर से स्थिति बहुत अच्छी प्रतीत होती है। परन्तु क्या वास्तव में ऐसा है ? पिछले चार वर्षों में आपका व्यापारिक घाटा कितना रहा ? 1980-81 में यह 5813 करोड़ रुपये था, 1981-82 में यह 5868 करोड़ रुपये था, और 1982-83 में यह 5457 करोड़ रुपये था और 1983-84 में अनुमान है कि 5000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक होगा परन्तु 1982-83 से कम होगा, ऐसा वित्त मंत्री जी का दावा है।

1982-83 में हमने 43 लाख टन कच्चे तेल का निर्यात किया और 198में-84 में हमने 64 लाख टन का निर्यात् किया। वर्ष 1982-83 में 169 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया गया और 1983-84 में आयात किया गया। परन्तु पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है। 1982-83 में 50.2 लाख टन आयात किये गये और 1983-84 में यह 52 लाख टन आयात किया गया।

कच्चे तेल के उत्पादन में और कच्चे तेल के निर्यात में वृद्धि के कारण आज आप अपनी भुगवान शेष की स्थिति को सम्भाल पा रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं सभा से यह प्रश्न पूछ रहा हूँ और सभा को इस प्रश्न पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार करना चाहिये। पेट्रोलियम का पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता और आज जिस प्रकार से आप पेट्रोलियम का अंधाधुंध निर्यात कर रहे हैं क्या वह वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था के हित में है ? यदि इसका पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता है तो जिस गति से आप कच्चे तेल का निर्यात कर रहे हैं, उससे शीघ्र ही आपका सारा स्टाक समाप्त हो जायेगा। जब सारा विश्व अपने स्टाक को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। अपनी खनिज सम्पदा को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, यह अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है जिसको वे सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भारत की अलग स्थिति है। स्थिति यह है कि हम विदेशी मुद्रा कमाने के लिये अपने कच्चे तेल का अन्धाधुन्ध निर्यात कर रहे हैं ताकि हम इस देश के लोगों को दिखा सकें कि हमारी भुगतान शेष की स्थिति अत्यन्त संतोषजनक है। अक्सर जब यह प्रश्न उठाया जाता है तो यह कहा जाता है कि हम कच्चे तेल का निर्यात इसलिये कर रहे हैं कि हम बम्बई हाई से प्राप्त तेल का शोधन यहां नहीं कर सकते हैं, हमारे पास शोधन शालाएं नहीं हैं। वर्ष 1976-77 में आपने बम्बई हाई में खोज आरम्भ की और इसका निर्यात आरम्भ कर दिया। 1976-77 से आज तक अर्थात 1984 तक अर्थात पिछले सात या आठ वर्षों के दौरान आप ऐसे तेल शौधक कारखाने नहीं लगा सके जिसमें आप बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल का शोधन कर सकें ताकि हमें पेट्रोलियम का आयात न करना पड़े। परन्तु आपने किस हद तक पेट्रोलियम आयात में कमी की है ? 1982-83 की तुलना में 1983-84 में आप पेट्रोलियम आयात में केवल 6 लाख टन की ही कमी कर पाये हैं। अर्थात 1982-83 की तुलना में आपने 6 लाख टन कम आयात किया। अत: इस स्थिति में मेरे विचार में न केवल यह अनुचित है बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिये जिससे भुगतान शेष की सन्तोषजनक स्थिति प्रस्तुत की जा सके, अन्धाधुन्ध कच्चा तेल निर्यात करके वे देश को हानि पहुँचा रहे हैं।

यह भी कहा जा रहा है कि इस वर्ष हमारा निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा और पिछले वर्ष की उससे पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था।

1981-82 में कुल 7,803 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ था और 1982-83 में 8,814 करोड़ रुपये था। उसमें से, 1981-82 में कच्चा पेट्रोलियम 196 करोड़ रुपये का था और 1982-83 में 1152 करोड़ रुपये का था। यदि आप कच्चे तेल के निर्यात को इसमें से निकाल दें अर्थात यदि 8,814 करोड़ में से, जो कि निर्यातित माल एवं वस्तुओं का कुल मूल्य है,

1,152 करोड़ रुपये निकाल दें तो वास्तव में 1981-82 की तुलना में 1982-83 में निर्यात में केवल 0.72% या 1% से अधिक की वृद्धि नहीं हुई। 18% तक की वृद्धि कच्चे तेल के निर्यात से दिखाई गई है। अतः 3% के यह आंकड़े भ्रामक है ? यदि आप वर्ष 1983-84 के बारे में भी समान रूप से देखें और यदि आप अर्थ-व्यवस्था में से कच्चे तेल को निकाल दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि भी लगभग वही रहेगी। इसमें एक प्रतिशत की भी वृद्धि हो सकती हैं या 1.5% की और उससे अधिक नहीं। आप इसे सुखद स्थिति कहते हैं ? जब आप जी-जान से निर्यात करने का प्रयास कर रहे है और समाजवादी राज्यों को छोड़कर विश्वभर में निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इन देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण, उनकी वस्तुओं के बहुत ही ऊँचे दामों के कारण, उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण, तथा उनकी आर्थिक शक्ति के कारण, लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना आपके लिए असंभव है। यदि ऐसी बात है तो आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि आपके भुगतान सन्तुलन की स्थिति अच्छी है। आज जबकि व्यापार सन्तुलन घाटा 5000 करोड़ रुपये के आस-पास है। पेट्रोलियम से आपने 1000 करोड़ रुपये बचाए हैं और फिर आदिवासी भारतीयों की जमाराशियों से आपको नौ मास में 800 करोड़ रुपए मिले और मेरे विचार से पूरे वर्ष में यह जमा राशि 1000 करोड़ से थोड़ा-सा अधिक होगी। परन्तु 13% ब्याज के साथ, आप जब 6 साल पश्चात, उसको वापिस करेंगे तो यह राशि 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाएगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? और स्वयं को इस अनुमति को आधार मानकर कि आपका विदेशी-मुद्रा भंडार बहुत भरपूर है और आपकी भुगतान सन्तुलन स्थिति अनुकूल है, आप इस निष्कर्ष पर पहुँच कर इस सदन में घोषणा कर रहे हैं कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन का शेष एस० डी० आर० ऋण नहीं ले रहे हैं ? यहां यह बात भी थोड़ी-सी सन्देहजनक लगती है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 3-34 बजे तक अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री सुनील मैत्रा : 8 जून, 1983 को वित्त मंत्री महोदय ने **एकोनोमिक टाइम्स** को एक साक्षात्कार दिया था। **एकोनोमिक्स टाइम्स** के संवाददाता ने उनसे पूछा : "क्या आप तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का ऋण ले रहे हैं ?" श्री मुखर्जी अंतरष्ट्रीय मुद्रा कौष का एक दल आया था और हमने उससे विचार-विमर्श किया था। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं तीसरी बार ऋण लेने जा रहा हूँ। ऐसा समाचार आया था कि वित्त मन्त्री महोदय ने एकोनोमिक टाइम्स से यही कहा था कि तीसरी किश्त भी ले ली जाएगी। और फिर 11 जुलाई को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि 1·5 (बिलियन) एस० डी० आर० ऋण लेने को बजाय वे 1.2 बिलियन एस० डी० आर० ऋण लेंगे। और फिर 15 जनवरी, 1984 को प्रधानमंत्री महोदया घोषणा करती हैं कि भारत 1·1 बिलियन एस० डी० आर० ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नहीं लेगा। स्वाभाविकता से यह प्रश्न पैदा होता है कि 8 जून, 1983 और 15 जनवरी 1984 के बीच क्या हुआ था जिससे अन्ततः प्रधानमन्त्री महोदय को यह घोषणा करनी पड़ी कि "मैं 1·1 बिलियन डालर का ऋण लेने जा रही हूं।" वित्त मन्त्री महोदय के पूर्व कथन

के साथ कुछ न कुछ अवश्य घटा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्तीय स्थिति सुधर गई होगी ।

श्री सुनील मैत्रा : वित्त मन्त्री महोदय पहले ही यह कह चुके थे कि इस वर्ष के अन्त में एक बहुत-सी महत्त्वपूर्ण घटना घटने जा रही हैं । क्या इसी महत्वपूर्ण घटना के घटने के कारण ही आपने यह रास्ता ढूंढा था ? वित्त मन्त्री महोदय **दि टाइम्स** को पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दल पहले ही आ चुके हैं । गत वर्ष जून में, वह विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दलों से विचार-विमर्श कर रहे थे और यदि मैं उसका आपस में मिलान करूं तो क्या मेरा यह कहना गलत होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बात-चीत के दौरान वित्तमन्त्री महोदय से यह मांग की थी कि सरकारी आर्थिक सहायता में कटौती की जाए, आयात को अधिकाधिक उदार बनाया जाए और कजदूरों के वेतन से कटौती की जाए ? इन्हीं कारणों से अन्ततः आपको कहना पड़ा कि "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण की 1.1 बिलियन की इस तीसरी किश्त को हम नहीं ले रहे हैं ।" महोदय मेरे संदेह को तब पुष्टि होती है जब मुझे इस घोषणा के बाद वित्त मन्त्री के भाषण को पढ़ने का अवसर मिला कि 'हम 1.1 बिलियन डालर के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को नहीं लेंगे' जिसमें वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि :

> "मैं इस अवसर पर मैं यह आवश्यक समझता हूं कि ई० एफ० एफ० व्यवस्था की सम्पूर्ण अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हमारे सम्बन्धों में जो सद्भावना और परस्पर हमदर्दी रही है उसकी सराहना करूँ ।"

ये सब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की प्रशंसा में कही गई बातें है । यह प्रशंसात्मक भाषा यूं प्रयोग ही में नहीं लाई गई है, क्योंकि जब हम दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री महोदया द्वारा दिए गए भाषण की भाषा को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने उसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर कटु प्रहार किया था कि यह कोष तीसरी दुनियां को निचोड़ रहा है उसकी बांहें मरोड़ रहा है, उसे उत्पीड़न कर रहा है । एक ओर तो वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विरुद्ध गर्जना कर रही थी और दूसरी ओर वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि :

> "तीन वर्ष की अवधि के दौरान जो सुविधाएं हमें दी गई है उन्हें ध्यान में रखते हुए अंतरांष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हमारे सम्बन्ध बड़े ही मधुर रहे हैं ।"

क्या यह सब इसलिए कहा जा रहा है कि आप द्वार खुला रखना चाहते हैं, जिससे कि उस महान घटना के घट जाने के बाद भी, यदि आपके भाग्य में वापिस आकर वहाँ बैठना लिखा है तो आप इन लोगों के पास फिर से जाकर और ऋण के बारे में फिर से बातचीत कर सकें और फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की अगली किश्त की मांग कर सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण समाप्त करना है ।

श्री सुनील मैत्रा : मुझे थोड़ा-सा समय और चाहिए ।

इस बात का निश्चय ही एक और आधार भी है। उन्होंने वास्तव में ऋण न लेने की तत्परता क्यों दिखाई ? आपने कहा था कि भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं 10 फरवरी के, उप-गवर्नर के कथन को उद्धृत करता हूं। यह मार्च का महीना है। पुरिफल से एक महीने पहले निर्यात के बारे में, रिजर्व बैंक ने कलकत्ता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। मैं दिनांक 12 फरवरी, 1984 के **एकोनोमिक टाइम्स** से उद्धृत कर रहा हूं। रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री ए० घोष ने कल यहां कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की पूरी राशि न लेने का निर्णय, इसलिए नहीं लिया गया था कि स्थिति अनुकूल थी, अपितु उन कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिया गया था जिनका कि देश को सामना करना था, क्योंकि भुगतान के दायित्वों को पूरा करने में देश को कठिनाई होगी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर का कथन है। ऐसा इसलिये नहीं किया गया क्योंकि भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी थी और वे ऋण नहीं ले रहे थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने ऋण वापिस करने के समय की गंभीर कठिनाई को ताड़ लिया था। इसीलिए आपने ऋण नहीं लिया।

अतः आप ऐसी तसवीर प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि स्थिति सब प्रकार से बहुत बढ़िया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा यदि आप अभी तुरंत अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकते हैं और यदि आप और अगली बार भी बोलना चाहते हैं और यदि आप अधिक समय लेना चाहते हैं तो आप अगली बार बोल सकते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप अगली बार बोल सकते हैं।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्र (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, वह पहले ही बहुत समय ले चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी तो उनसे यही कह रहा हूं। वह केवल उतना ही समय ले सकते हैं जितना कि उनके दल को मिला है। वह केवल 5 मिनट का और समय ले सकते हैं। अब हम दूसरी मद लेंगे।

विधेयक

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक (धारा 8 का संशोधन, आदि)

अनवार अहमद (हायुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनवर अहमद : मैं **विधेयक** को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(सप्तम अनुसूची का संशोधन आदि)

श्री के० टी० कौसलराम (तिरुनचेंडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० टी० कोसलराम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

मंत्री वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक

(धारा 3 का प्रतिस्थापन)

श्री मूल चंद डागा (पाली) : मैं प्रस्तावित करता हूं कि मन्त्रियों के सम्बन्धों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मन्त्रियों के सम्बलमों और भत्तें से सम्बधित अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 200 और 201 का संशोधन)

श्री चित्र बसु (बारसाट) : मैं प्रस्तावित करता हूं कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक बहुत ही महत्वपुर्ण विधेयक है । इस पर आज ही विचार किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियमानुसार विचार किया जायेगा मुझे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं ।

विदेशी अभिदा (विनिमयन) संशोधन विधेयक (नई धारा 6क का अन्त:स्थापन)

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिदेशी अभिदाय (विनिमय) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"कि विदेशी अभिदाय (विनिमयन) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

हिन्दू धर्म ग्रंथ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण तथा संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री द्वारा 24 फरवरी, 1984 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि हिन्दू धर्म-ग्रेथों तथा अन्य धार्मिक साहित्य में ऐसे शब्दों, वाक्यों, कण्डिकाओं, पद्य-

खण्डों अध्यायों, आदि का, जिनसे भारत के संविधान में अन्तर्विष्ट सिद्धान्तों और संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्विष्ट भारत की जनता के पुनीत संकल्प के विपरीत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, व्यवसाय या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति घृणा, भेदभाव असमानता या अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है या प्रचार होता है, पता लगाने और उनका लोप करने या उनमें संशोधन करने की दृष्टि से हिन्दू धर्मग्रंथों तथा अन्य धार्मिक साहित्य का पुनरीक्षण करने तथा इनसे सम्बन्धित बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सुन्दर सिंह अपना भाषण दे रहे थे। वह पहले ही 11 मिनट ले चुके हैं। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, में पिछले दफा बतला रहा था कि बड़े-बड़े पैगम्बर हुए हैं, देवता हुए हैं, उन्होंने बड़े-बड़े प्रचार किए हैं कि हरिजनों का सुधार होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। इसकी बजह यह है कि जिसका सुधार होना है वह खुद कोशिश करे, तब हो सकता है। बगैर कोशिश किए कुछ नहीं होगा। आप ने कहा कि किताबों में लिखा है कि हरिजनों के साथ छुआछूत करो, भंगी आपके सामने आजाय तो उसका हट जाना चाहिए— ये सब पुरानी बातें हो गई हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सेवपुरा) : बहुत पुरानी बातें हैं लेकिन अब भी ऐसा होता है।

श्री सुन्दर सिंह : अभी भी ऐसा सोता होगा, लेकिन जो निकम्मे एम० एल० ए० या एम० हैं उनके यहां होता होगा। जो अच्छे हैं उनके यहां नहीं हो सकता। हमारे यहां अब ऐसा नहीं हो सकता और अगर कहीं होता तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। जब दूसरे हुकूक के लिए लड़ाई की जाती है तो इसके लिए भी लड़ाई की जाय, फिर कैसे यह चीज हो सकती है।

आप कहते हैं कि इसमें यह लिखा हुआ है और वह लिखा हुआ है और गन्दी बातें लिखी हुई हैं और इनको निकलना चाहिए मेरा कहना यह है कि हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये कि क्या लिखा है। किसी गलत आदमी ने अगर कोई ऐसी बात लिख दी होगी, तो लिखने दो। जो उसकी मर्जी थी, वह उसने लिख दी और वह ऐसा लिखता रहे लेकिन आप यह देखिये कि महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था। उस को आगे पढ़ें। वे क्या कहते हैं आप को बताता हूं। जिन को आप बुरा समझते हैं, उन्होंने 5 मई को, 1921 में यंग इन्डिया में क्या लिखा था, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"यदि हम देश के पांचवे भाग को यानी हरिजनों शाश्वत परतन्त्रता के अधीन रखना चाहते है तथा राष्ट्रीय संस्कृति का कोई भी लाभ उन्हें जानबूझकर देना चाहते हैं तो स्वराज्य एक निरर्थक शब्द रहेगा इस महान पवित्र आन्दोलन में हमें ईश्वर की सहायता मिल रही है किन्तु सृष्टि में सबसे अधिक जो इसके पात्र है, उन्हें हम मानवीयता के अधिकारों से भी वंचित कर रहे हैं। हम जब स्वयं उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं तो इस नाते हम राजसिंहासन के सामने दूसरों के अमानवीय कार्यों से मुक्ति पाने हेतु निवेदन नहीं कर सकते हैं।

यह महात्मा गांधी ने 1921 में कहा था और उस वक्त स्वराज्य नहीं मिला था उन्होंने कहा था कि यह बहुत इन हमूमन है, जो हरिजनों के साथ ऐसा किया जाता है। हरिजन जो, देश का पांचवा हिस्सा है, उनके साथ बदसुलूकी करते हैं, तो इसको हमें मिल कर दूर करना चाहिए। जो गलत लिखा है, उसकी बात को छोड़िये, उसमें कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जो इसके लिए लड़ाई की है, उस तरह की लड़ाई आपको भी करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था;

सदैव प्रसन्न और उल्लास मय रहो और विश्वास मन में रखो कि ईश्वर ने तुम्हें ही अच्छे महान कार्य करने के लिए चुना है और तुम निश्चित रूप से महान कार्य करोगे पवित्र एवं निष्पाप होने के लिए सर्वदा तत्पर रहो और प्रेम के लिये प्रेम करो, निर्धनों, पीड़ितों और पद दलितों को प्यार करो, ईश्वर तुम्हें आशीवाद देगा।" महात्मा गांधी गरीबों के साथ थे और वे लोग उनकी इज्जत करते थे। इसलिए अंग्रेज भी उनसे मुकाबला न कर सके और उनको यहां से भागना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हरिजन हैं, न उनके पास मकान है, न दुकान है, न जमीन है और आसमान और उनके लिए महात्मा गांधी जी को मिसाल ले कर लड़ाई करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिये। यह जो 20 प्वाइंट प्रोग्राम सरकार ने चलाया है, इसको बड़े लोग कहाँ इस मुल्क में चलने देते हैं और अगर नहीं चलने देते तो इसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। आज जामाना बदल गया है। आज किससे मदद आप कह रहे हैं। आज लोग आपस में लड़ रेहे हैं और जमीनों केकब्जे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। महात्मा गांधी जी के पास क्या था ? कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने इन गरीबों के लिए इतना किया और देश के लिए इतना किया। आज आपको लीड लेनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब हिन्दुस्तान का प्रेसीडेंट एक हरिजन होगा, तब मैं समझूंगा कि हरिजनों के लिए कुछ हुआ है। आपको इसके लिए तैयार हो जाना जाहिए। तभी सोसाइटी ठीक हो सकती है।

मैं आपको बताऊं कि जब मैं मिनिस्टर था, तो मैंने अपने अफसरों को कहा था कि आप को चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से आप को काम करना चाहिए और लोग यह न चाहें कि कोई अच्छा हरिजन अफसर लाओ जो हमें राहत दे। तो आपको ऐसा होना चाहिए। आप सोसाइटी से लड़ाई नहीं कर सकते, सोसाइटी का जो ढंग है, उसको नहीं बदल सकते क्योंकि न आपके पास पैसा है और न जमीन है। जो सोसाइटी को कुछ देता है वह लीड करेगा और जो सोसाइटी से लेता है ही विल वी डूम्स, ऐसा मेरा विचार है।

वे मर रहे है। उन्हें बचाना चाहिए। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे ऊंचे न उठें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इन्होंने कहा है कि जब ये मिनिस्टर थे तो इन्होंने यह कहा था कि चोरी करो, लूट करो।

चौधरी सुन्दर सिंह : मैंने यह कहा ही नहीं है।

मैं आपको बताऊं, मैं कैसा आदमी हूं। जब मुझे मिनिस्ट्री मिली थी तो मैं जवाहर लाल

जी के पास गया था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए क्योंकि जिसके पास जमीन होती, है उसके पास लाठी होती है जवाहर लाल जी ने मुझे जमीन दी थी। जमीन होने से लाठी पास में आती है। अगर कोई हमें दो मारेगा तो हम चार को मारेंगे।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें किसी दूसरे का कुसूर नहीं है, यह हमारा कुसूर है। हम मेम्बर बन गये, मिनिस्टर बन गये। कि हमारी 10 करोड़ की आबादी है, वह है। लेकिन महात्मा गांधी ने हमारे बारे में कहा था कि यू आर द लीडर आफ द फ्यूरे। हम 20 करोड़ आदमी बहुत आगे जायेंगे क्योंकि हम सोसायटी को देते बहुत ज्यादा है और सोसाइटी से लेते बहुत कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव आपने पढ़ा होगा, कृपया अपना भाषण उसी विषय तक सीमित रखिए।

चौधरी सुन्दर सिंह : अगर हमें लड़ाई करनी है तो महात्मा गांधी के उसूलों के मुताबिक लड़ाई करो। महात्मा गांधी इन्सानी तौर इतने ऊंचे थे कि उन्होंने अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया।उन्हीं के मुताविक चलकर जो हम पर ज्यादती करता है, उसको परे फेंको। हम आगे आएं और महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते से आगे बढ़ें।

इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है।

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शास्त्री जी का आभारी हूं कि वे पिछड़े वर्ग पर होने वाले अन्याय को मिटाने के लिए एक बिल लाए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस बिल पर बोलते हुए मैं गुजरात की समस्या आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज सारे देश में धार्मिक असमानता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानता बढ़ रही है। फिर गुजरात में अनुसूचित जातियों के ऊपर पिछले सात सालों से एक भारी समस्या आ खड़ी हुई है। वह समस्या यह है कि गुजरात में मोची जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। सारे देश में इस तरह की जाति अनुसूचित जाति में नहीं है।

गुजरात में मोची जाति को ऊंची जाति के बराबर अधिकार मिले हुए हैं। वे पढ़े-लिखे लोग हैं। वे ऊंची जातियों, ब्राह्मणों, राजपूतों की बस्ती में रहते हैं। वे मन्दिर में जा सकते हैं। वे लोग कच्चे चमड़े का काम नहीं करते है। वे मरे हुए पशुओं को नहीं उठाते हैं। वे लोग कच्चे चमड़े को छूते तक नहीं हैं। इस जाति को पिछले सात सालों से अनुसूचित जाति में शामिल करने की वजह से वहां अनुसूचित जातियों पर अन्याय हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मोची जाति के अनुसूचित जाति में आने के बाद ही गुजरात में आरक्षण और जातिवाद के नाम पर वैमनस्य उत्पन्न हुआ। इस जाति को अनुसूचित जाति में से

भारत के संविधान में जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है उसका मैं पिछले साल का उदाहरण देना चाहता हूं। मेडिकल कालेज में 11 सीट अनुसूचित जाति को आरक्षण के लिए मिली थीं। इसमें 9 सीटें मोची जाति को दी गई और बाकी तीस जातियों, बुनकर, चमार, चूड़ों, भंगी, नाड़ियां आदि के लिए दो सीटें मिली। यह अन्याय आज पिछले सात साल स चल रहा है। इस पर सन 1981 में गुजरात की रूलिंग पार्टी और विपक्ष के 26 सदस्यों ने एक आवेदन पत्र प्रधानमंत्री जी को दिया था कि गुजरात में मोची जाति अछूत नहीं है। ये तो बल्कि हरिजनों के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसके बावजूद गुजरात में इसको अछूत मानकर हरिजनों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

1978 में छठी लोकसभा में 27 फरवरी 1978 को सरकार की तरफ से बिल आया था जिसमें गुजरात में मोची जाति को अनुसूचित जाति से निकालने का प्रावधान था। लेकिन छठी लोकसभा भंग होने की वजह से बिल समाप्त हो गया। आज परिस्थिति हमारे लिये बहुत कठिन हे।

गुजरात में सन 1981 में जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला उसमें तीन करोड़ रुपये का गुजरात में नुकसान हुआ। 42 नौजवानों को मारा गया और जातिवाद 1981 में इतना बढ़ गया है कि हरिजनों के साथ दफ्तरों में, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अन्याय हो रहा है इसलिए नीची जाति को मैं हरिजनों से अलग रखने की माँग करता हूं। सारे देश की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन हमारे यहां जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आज भी मेरे संसद सदस्य होने के बावजूद मैं वहां चारपाई पर नहीं बैठ सकता, ये लोग कुएं पर नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते।

पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं लेकिन गुजरात में यह आरक्षण का लाभ मोची जाति उठा रही है। गुजरात के दलितों को न्याय देने के लिए संसद से माँग कर रहा हूं। आज सामाजिक असमानता का कारोबार गुजरात में चल रहा है। आज गुजरात में राजनीतिक स्तर पर, जिला पचायत तहसील और सरकारी नौकरियों में स्तर पर मोची जाति को रिजर्वेशन दिया जाता है। बीस सूत्री कार्यक्रम में मिलने वाले लाभों को भी वे लोग ले रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस जाति को अनुसूचित जाति की लिस्ट में से निकाल कर हम लोगों को न्याय दिलाया जाए।

मैं माननीय सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का आभारी हों जो ये बिल सदन में लाए हैं और आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक हमारे माननीय सांसद श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री इस सदन में लाए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। संविधान बनाने वालों ने बड़ी गहराई से सोच-समझकर हमारे इस संविधान को बनाया था। आर्टिकल 14-15 में लिखा हुआ है : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर

विभेद का प्रतिषेध राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता आर्टिकल 16-17 और 18 में लिखा हुआ है : अस्पृश्यता का अंत, खिताबों का अन्त । इसके बाद कानून पर कानून बने कि इस देश में सभी इन्सानों को बराबर दर्जा दिया जाए । आजादी के 36 वर्षों बाद भी हमारी हालत जात-बिरादरी और छुआछूत के मामले में वही ही है । इन्सान, इन्सान का शोषण कर रहा है । इसमें राजनीति और राजनीतिज्ञों का भी बड़ा हाथ है जो जात-बिरादरी के नाम पर जीतकर आना चाहते हैं और नस देश की सत्ता को हथियाना चाहते हैं । हिन्दू धर्मग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधेयक, 1983 शास्त्री जी लाए हैं, इसमें इनकी मंशा यह है कि जितनी भी इन्सान और इन्सान के बीच में नफरत और छुआछूत फैलाने वाली चीजें हजारों साल पहले चाहे मनु या धर्म के ठेकेदारों ने कही हो, आज इस संविधान के लागू होने के बाद भी इस देश में चल रही हैं । इस सरकार को ऐसा कानून बना चाहिए जिससे सख्ती के साथ प्रतिबन्ध लगाया जा सके । हमारे परमार साहब ने गुजरात आंदोलन की बात कही । आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर 1700-1800 गरीब हरिजनों के घरों में आग लगा दी और उनके हाथ-पैर तोड़ दिए गये । 36 साल की आजादी के बाद भी पिछड़ा हुआ समझकर लाठियां चलायी जाएं और घर खाली करा दिए जाएं तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है ? उसके बावजूद भी आप हिन्दुस्तान को दुनिया के नक्शे पर ऊपर लाना चाहते हैं । इस मुल्क के 15 प्रतिशत लोग सत्ता में हर तरीके से मालिक बने बैठे हैं और बाकी के 85 प्रतिशत को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है । इस देश के दबे-पिसे और शोषित लोग जिस दिन देशद्रोही हो जायेंगे, उस दिन से आपकी जम्हूरीयत नहीं चल सकेगी । उड़ीसा, केरल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल में ऐसे लोग हैं जिनके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं । मैं उड़ीसा गया था । वहाँ मैंने देखा कि हरिजन और आदिवासी खेत में काम करके इस मुल्क को अनाज देते हैं । लेकिन, उन लोगों को तालाबों में जाकर कीड़े-मकोड़े और दूसरी चीजें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है । वहाँ पर मजदूरी के नाम पर ढाई हाथ भरकर धान मिलता है । उन लोगों को 12 घन्टे काम करने पर मजबूर होना पड़ता है ।

इस मुल्क की कल्पना सही माने में करना चाहते हैं तो आदिवासियों हरिजनों को 50% नौकरियों में स्थान देने पड़ेंगे और इसी तरह से जमीन, खेत, कारखाने और दूसरे सामनों में भी देने पड़ेंगे । उनकी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आवश्यक है ।

जो चीजें हमारे धर्म साहित्य में है जैसे शतपथ ब्राह्मण के एक मंत्र के अनुसार शूद्र को सोमरस नहीं पिलाना चाहिये, शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए । पंचविश ब्रह्मण एवं एतरेय ब्राह्मण के अनुसार शूद्र को कोई अधिकार नहीं, वह दूसरों का सेवक है, आपस्तंभधर्म सूत्र के अनुसार शूद्र तथा पतित श्मशान की तरह है, आदि आदि, यह बातें बिल्कुल निरर्थक हैं आज के जमानेमें । ऐसी बातों को पढ़ाया जाना हमारे देश की एकता के विपरीत है । शूद्र स्त्री के साथ व्याभिचार का दंड केवल ग्राम निकाला, ब्राह्मण या द्विजस्वी के साथ व्यभिचार का दंड, प्राण दड ऐसी बातें ईक्वल पनिशमेंट और ईक्वल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत है । इस तरह के धर्म साहित्य को

चलाने वालों को गिरफ्तार करना चाहियें । आज इस मुल्क के अस्तित्व का सवाल है और वह तभी सुरक्षित रह सकता है जब सबको समान अधिकार हों ।

होना यह चाहिये कि जो जहाँ काम करता है वहाँ उसे अधिकार होना चाहिये, जैसे जमीन, खेत, खानें, जिनमें हरिजन आदिवासी अपना खून पसीना बहाते हैं, उन पर अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए । लेकिन आज उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है, कीड़े मकोड़ों की तरह है । उनका जन्म के समय नाम लेने वाला है, और न मरने के समय कोई नाम लेने वाला होता है ।

जो लोग 85 प्रतिशत में चाहे मुसलमान, ईसाई, पिछड़ा वर्ग हो, 52 प्रतिशत चाहे हरिजन अधिवासी हों, 85 प्रतिशत से अधिक आबादी होने पर भी नौकरियों में इनका स्थान केवल 10, 11 परसेंट ही है और जिनकी आबादी कम है उनका स्थान नौकरियों में अधिक है, यह सर्वथा अनुचित है। पिछड़ी बिरादरी के लोगों को कलेक्टर, एस० पी० बन-कर भेजते हैं उत्तरप्रदेश में तो वहाँ के मुख्य मंत्री को देखना पड़ता है कि कितने बेक्वर्ड, शैड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान आई० ए० एस० अफसर हैं । मुसलमानों की तो हरिजनों से भी बदतर स्थिति हो गई है ।

शूद्र की उपस्थिति में वेद न पढ़े जिस धर्म की धार्मिक किताबों में ऐसी बातें लिखी हों और जो ऐसी बातों का मन्दिरों या धर्म स्थानों में प्रचार करते हों उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार इस तरह की बातों का प्रसार और प्रचार करने का या किताबों में लिखने का किसी को अधिकार नहीं है और जिन किताबों में लिखा हुआ है उनको वहां से निकालने का इस बिल में प्रोवीजन होना चाहिए । मैं तो शास्त्री जी से कहूंगा कि वह अपने बिल में इस बात का प्रौवीजन करें ।

16.00

इस आयोग की सिफारिशों के बाद अगर कोई धर्म का ठेकेदार, चाहे पुजारी हो या पंडा हो, चाहे हरिद्वार, इलाहाबाद या जगन्नाथ पुरी का हो, उसके लिए सजा का इसमें प्रोवीजन होना चाहिए । ऐसा आदमी जो हमारी आज़ादी और देश की एकता के लिए इंसान इंसान में नफरत पैदा करता है, उसके लिए सजा का प्रोवीजन होना चाहिए । मैं तो कहना चाहता हूं कि देश की सभ्यता खराब करने वाला, एकता को तोड़ने वाला और देश की संस्कृति में इन्सान-इन्सान को अलग करने वाला उसी तरह देश का गद्दार होना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान में या कहीं और उसे देशद्रोही का दर्ज दिया जाता है । उसे कम-से-कम आजीवन कारावास का दण्ड हो, ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिए । अगर सजा का प्रावधान नहीं करेंगे तो यह पंडे वगैर कुछ काम किए, इन्सान-इन्सान में नफरत पैदा करके, अंधविश्वास पैदा कर के, छुआछूत की भावना फैलाकर जातिवाद को मजबूत कर के जो हराम की खा रहे हैं, मंदिर-मठों में उनकी हराम की कमाई को आप बन्द नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर आप कोई रोक नहीं कर सकते उनकी आमदनी पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, आज वह विलासिता का जीवन बिता रहे हैं ।

मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान हरिद्वार

है। वहां करोड़ों-करोड़ों रुपये की बिल्डिगों में इनके मठ बने हुए हैं, उनके गेट पर जाइए, देशी-विदेशी कुत्ते मिलेंगे। जहां से उनको कुत्ता पसन्द आया वहाँ से ले आए, 10, 20 कुत्ते उनके गेट पर मिलेंगे, फिर राइफल वाला मिलेगा, फिर बन्दूक वाला मिलेगा फिर आप महन्त तक पहुँच सकते हैं। उनसे कोई साधारण आदमी मिल नहीं सकता है। आज देश की प्रधानमन्त्री से मिलने के लिए उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा जितना हरिद्वार के धर्म के ठेकेदारों से मिलने के लिए उठाना पड़ेगा। वहाँ जाइये तो पहले उनका कुत्ता स्वागत करेगा, फिर बन्दूक वाला, फिर उनके बदमाश स्वागत करेंगे और फिर हरिद्वार के गुंडे आपका स्वागत करेंगे, तब जाकर आप उनसे मिल सकते हैं।

धर्म के नाम पर हम इस देश की एकता के लिए एक और आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हरिद्वार, इलाहाबाद, जगन्नाथपुरी आदि जगहों में बैठने वाले ये सब विदेशी जासूस सी० आई० ए० के पैसे पर धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं। सी० आई० ए० के पैसे पर देश में जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं, हिन्दुस्तान में झूटे देवी-देवता खड़े करके इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं और साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह काम ये धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं।

भारत माता का मंदिर, जिसमें प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थीं, हमने विरोध किया था कि उनको भारत-माता के मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, जो मंदिर सी० आई० ए० के पैसे पर बना हो जिसका पुजारी सी० आई० ए० का आदमी हो वहाँ सी० आई० ए० वाले लाखों करोड़ों रुपया लगायें, और इस मुल्क के प्रधान मंत्री उसका स्वागत करें, यह ठीक नहीं। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हम देशी और विदेशी नीति के मामले में प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन अगर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस तरह के मंदिर का उद्घाटन करें तो इससे ज्यादा गलत बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। आज बाल योगेश्वर,

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : जो बिल है उस पर बोलें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप क्यों परेशान हैं ? स्पीकर साहब व्यवस्था देंगे।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : गलत बात है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई माननीय सदस्य बोलता है, उसे दूसरों के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सही बात कड़वी होती है।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अगर यह सही बात है तो आज हिन्दुस्तान में **चौधरी चरण सिंह हैं और उन्होंने नापाक सम्बन्ध वाजपेयी जी से किया है। देश में एक आग फैलाना चाहते हैं। वह देश की सद्भावना को तोड़ना चाहते हैं। इस पार्टी पर रोक लगनी चाहिए। आज दुनिया जानती है कि इन्दिरा जी देश में सद्भाव लाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर रही हैं। आपके इस भाषण से थोड़े ही कुछ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत टिप्पणियां ना की जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी विशेष जाति से सम्बद्ध किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न कीजिए।

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करना नहीं है। अगर श्रीमती इन्दिरा गाँधी इस देश की प्रधान मंत्री नहीं रहेगी, तो वह रोज जा कर मंदिर में बैठी रहे भविष्य में अगर कोई और प्रधानमंत्री होगा और उस समय सी आई ए के द्वारा फीड किए हुए धर्म के ठेकेदारों और मठों के मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। पत्रों के एडिटोरियल में कहा कि मंत्री को भारत माता के मंदिर में नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वह वहाँ गई।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री को इनकी नीतियों और इनके निदेशन पर चलना होगा ?

श्री जगपाल सिंह : जो लोग देश की गवर्मेंट है, उन्हें देश की भावनाओं का खयाल रखना होगा। प्रधानमंत्री देश की मसीहा नहीं हैं। इस बारे में बड़ी गलतफहमी है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी केवल इनकी ही नेता नहीं हैं, वह पूरे सदस की नेता हैं। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में केवल इन्हीं को कहने का अधिकार है ? मुझे कहने का अधिकार नहीं हैं ? वह केवल इन्हीं की प्रधानमन्त्री नहीं हैं, वह मेरी भी प्रधान मंत्री है, इस देश के एक एक नागरिक की प्रधान मंत्री है, इसलिए जितना अधिकार इन्हें उनका समर्थन करने का है, उससे ज्यादा अधिकार मुझे उनकी गलत नीतियों का विरोध करने का है। (**व्यवधान**) यह अधिकार संविधान मैं किया गया है। यह इनके बूते से बाहर की बात है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक तरफ इस मुल्क की सामाजिक स्थिति को खराब किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार के संरक्षण में सी आई ए और साम्राज्यवादी, ताकतों को धर्म स्थानों के माध्यम से देश की धरती पर बुलाया जा रहा है मैं शास्त्री जी से कहूंगा कि वह बड़ा विधेयक ला कर यह प्रावधान भी करें कि सी आई ए, विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा पैसा दे कर इस मुल्कों धर्म-स्थानों को नहीं चलने दिया जाएगा।

माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी, बैठे हुए हैं। वह चाहते हैं कि इस तरह के संकीर्ण दृष्टिकोण को खत्म करना चाहिए। हर देशभक्त और मानवता के प्रेमी का कर्त्तव्य है कि इन बुराइयों का अन्त कर दिया जाए। विष्णु स्मृति के अनुसार यदि शूद्र ऊंचे आसन पर बैठ जाए, तो उसके बटक्स को दाग कर देश से निकाल दिया जाऐ। अगर हिन्दुस्तान के साढ़े 22 करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज इस तरह की किताबों को बर्दाश्त करते हैं, तो यह उनका धैर्य हो सकता है।

मैं समझता हूं कि जिस दिन वह खड़े हो गए उस दिन इन सारे धार्मिक साहित्यों को फूंक देंगे उनकी इस देश के चोराहों पर होलियाँ जला देंगें जिनमें यह लिखा हो कि अगर ऊंचे स्थान पर शूद्र बैठा हो तो डाट कर उसे देश से निकाल दिया जाय। क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्या यह देश की एकता के विरुद्ध नहीं है? ऐसी चीजों को देश की एकता के विरुद्ध मान कर, देश की एकता को तोड़ने वाला मानकर इनको उसमें से निकालना चाहिए।...**व्यवधान**.....

" शूद्र ब्रह्मण को शिक्षा हेतु कुछ बताए तो उसके मुख में गरम तेल भरवा दे।" आप अन्दाजा लगाइए कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह की चीजें बरदास्त हो सकती हैं? सत्ता में बैठने के बाद सही लोग अपने अपने देश की इन चीजों को, संकीर्णतावादी चीजों को निकालकर फैंक देते हैं, लेकिन यह हमारा देश है जिस देश के अन्दर ये चीजें बर्दाश्त होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह जी, यह पुस्तकें बहुत प्राचीन काल से सम्बद्ध हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। किसी के भी साथ इस प्रकार का व्यवहार करने की कानून अनुमति नहीं देगा। यह सब बातें आदिम काल की है। अब कानून है, और कानून यह देखेगा कि किसी भी जाति के साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हमारा संविधान अद्यतन स्मृति है और हम इस संविधान को मानते हैं, किसी अन्य स्मृति को नहीं यह बात मेरे मित्र को समझ लेनी चाहिए किन्तु आप उन्हे बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब बातें प्राचीन काल की हैं।

श्री जगपाल सिंह : मैं माननीय वाजपेयी जी की इस बात को मानता हूं। लेकिन एक तरफ हमारा कोस्टीच्यूशन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम केवल संविधान को मानते हैं, कोई भी जाति, रंग, धर्ममत

और अन्य किसी आधार पर विभेद नहीं कर सकता है ।

श्री जगपाल सिंह : मैं वही सवाल उठा रहा हूं कि आज भी अगर कुछ किताबों के द्वारा उनको कान्टीन्यू रखा जाय तो वह हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन के खिलाफ है, उनको नहीं मानना चाहिए उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए बाइला वाई पार्लियमेंट, बाई लेजिस्लेशन, बाई टू विधान समाज उनको रिजक्ट कर दिया जाना चाहिए । यह कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन के रहते हुए ये चीजें नहीं रहने दी जाएंगी । ऐसी चीजों के खिलाफ सख्ती से कानून बने और आज जो उनको मानते हो, जो उनको पढ़ाते हों क्या वह हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन के अगेनस्ट मान सकते हैं ? ये चीजें कॉंस्टीच्यूशन के अगेनस्ट मानी जानी चाहिए ।

इसी विष्णु स्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण को मंगलकारी, क्षत्रिय को बलशाली, वैश्य को वैभवशाली और शूद्र को निन्दा कारी नाम रखना चाहिए और वह नाम आज भी रखे जाते हैं । बिहार, उड़ीसा या और किसी पिछड़े प्रदेश में जाइऐ, आज भी शेल्ड्यूल्ड कास्ट का आदमी अपने नाम के साथ सिंह नहीं लिख सकता । अगर कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जा कर रख भी लेगा तो वह अपने गांव में जा कर अपने नाम के साथ सिंह नहीं लिख सकता । क्या इस स्मृति का रेफ्लेक्शन आज भी हमारे समाज में नहीं हैं ? आज भी वह सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता हो और आज भी अनचेविलिटी हो, तो यही साबित होता है कि इस तरह की चीजों को चलाने वाले लोगों के खिलाफ हमारी सरकार ने कोई एफेक्टिव कदम नहीं उठाया है और उन कानूनों के इम्पलीमेंट नहीं किया है ।

एक आपस्तम्भ धर्मशास्त्र है जिसमें कहा है कि जैसे कुत्ता है वैसे ही शूद्र है । बताइए— जैसे कुत्ता है वैसे ही शूद्र है ? दोनों को ईक्वल कहा है ।...व्यवधान...पुरानी नहीं है । आज भी कुत्ते से प्यार हो सकता है, इस मुल्क के अन्दर ये जो गोरी गोरी मेम हैं ये कुत्ते को बड़े प्यार से चाटते हुए गाड़ी में बैठा कर जा सकती हैं, लेकिन इंसान के बच्चे से नफरत करती हैं, इंसान के बच्चे को भूख से मरते हुए को रोटी नहीं दे सकती हैं, तो वह कास्टीइजम का, हमारे फ्यूडलिज्म का और अनटेचविलिटी का ही रेफ्लेक्शन है और इसमें हिन्दुस्तान की साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों का हाथ है । हमारी फ्यूडल सो साइटी की जितनी भी इस तरह की चीजें थी उनको वाकायदा योजनाबद्ध तरीके से जिन्दा रखा जा रहा है । हमारी इस मौजूदा राजनैतिक व्यवस्था में उनके मुंह को इसका खून लग चुका है और ये चीजें रहेंगी । इस देश में ऐसे ऐसे लोग जो इन समस्याओं को न जानते हों, हवाई जहाज के चालक हों और रातों रात मुल्क के चालक बन जायं यह तभी हो सकता है जब यहां जातिवाद हो, छूआछूत हो, यहां इंसान इंसान के बीच खाई पड़ी हो ।

यह तब तक ही सम्भव है वरना यह सम्भव नहीं हो सकता है । इसमें कहा गया है । कि किसी शूद्र द्वारा वेद सुन लेने पर उसे कानों में पिघला हुआ सीसा भरवा देना चाहिए । यह चीजें जो है वह अगर समाप्त हो जायें सिर्फ किताबों में ही पड़ी रहें तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन साहित्य के द्वारा इन चीजों को आज भी जिन्दा रखा जा रहा है इस पर हमारा आरोप है । यदि समाज में इस्तेमाल न हो, इन्सान-इन्सान के बीच में यह रोड़ा न बने तो कोई आपत्ति

नही है लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी इन चीजों को मजबूती के साथ जिन्दा रखा जा रहा है। राजरीति में बैठे हुए लोग इन चीजों को और भी ज्यादा जिन्दा रख रहे हैं। इसलिए यहां पर जो विधेयक आया है उसका में पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। इसमें यह भी कहा गया है कि वेदों के शब्द उच्चारण करने पर शुद्र की जिह्वया काट लेनी चाहिए। या सारी चीजें इन किताबों में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, डा० अम्बेदकर ने संविधान बनाते समय गांधी जी से पूछा था कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्थाहै तो क्या आप उसके खिलाफ है तो गांधी जी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था तो हिन्दू रेलिजन की बैंक-बोन है, रीड की हड्डी है। इस पर काफी मत भेद रहा। मैं गांधी जी की कोई आलोचना नही करना चाहता (**व्यवधान**) और मैं गांधी जी को भगवान या देवता भी नही मानता। वे देशभक्त थे और राष्ट्रपिता हैं लेजिन उन्होंने अगर कोई गलत बात कही हो तो उसके लिए मैं क्या कहूं? बहरहाल मैं इस पर कोई कन्ट्रोवर्सी नही बनाना चाहता लेकिन इतना अवश्य करना चाहता हूं कि मनु और इस वर्ण व्यवस्था से पहले इस देश में आर्यन्स और द्रावीडियन्स की कल्चर में एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के देवी देवताओं को पूजेंगे। एक ओर अगर विष्णु की पूजा हुई है तो दूसरी ओर शिवभी पूजे गए हैं। लेकिन हजारों साल के बाद भी आज अंग इस तरह की चीजें जिन्दा हैं तो उसका कारण यह है कि साहित्य में वह जिन्दा रही हैं। इसलिए आज हम चाहते हैं कि इस देश के जो 85 प्रतिशत पिछड़े और दबे हुए लोग हैं वे चाहे फिर किसी भी धर्म के क्यों न हों, उनको उनके सही हक मिलने ही चाहिए। आज यदि देशभक्ति का सही विश्लेषण किया जाए तो आप देखेंगे कि आज हरिजन, आदिवासी या माइनारिटीज में जो सबसे बड़ा बेईमान भी है वह तुलनात्मक दृष्टि से ऊंची सत्ता में धर्म के ठेकेदार बनकर बैठने वाले बड़े से बड़े इमानदार से भी कई गुना अच्छा है क्योंकि वह एक देश भक्त है और इस देश की एकता में विश्वास रखता है। कई हजार वर्ष से दबे होने के बाद भी आज वह पक्का देशभक्त है, देशप्रेमी है और 18-18 घंटे काम करने के बाद भी वह बगावत करने की बात नहीं सोचता है। यदि ये सब चीजें चलती रहीं तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। हम यह नहीं चाहते हैं। लेकिन पेट की आग, पेट की भूख देशभक्त को भी गद्दार बना दिया करती है। अगर आपने यह सब चीजें चलाई।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : कौन चला रहा है?

श्री जगपाल सिंह : आप चला रही रही। आप खुद इसकी हिस्सेदार हैं। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी यहां नहीं हैं। आप जानती हैं, आज जो देश के उच्च पदों पर बैठता है; वह हरिजन के हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसे लोगों को तो संविधान में शपथ लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौन है? अटल कुमार वाजपेयी ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अटल कुमार वाजपेयी नहीं राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको नजदीक से जानता हूं। जिनका आरोप बिल्कुल गलत है। वे खुद छुआछूत नहीं मानती हैं। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, भावनाओं को जानता हूं, उन्होंने हरिजनों और दलितों को ऊपर उठाने का काम इलाहाबाद में किया। बल्कि यहां पर जिस स्तर पर हैं, उस स्तर पर किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा थी, तब भी उन्होंने काफी काम किया था। इसलिए इनका यह आरोप बिल्कुल गलत है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने कभी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी को दावत दी है। उनको कभी अपने हाथ से पानी पिलाया है।

श्री राम प्यारे पनिका : बिल्कुल दिया है। जब वे उत्तर प्रदेश में मन्त्री थी, तब मैंने ही अपने क्षेत्र में उनका कार्यक्रम रखा था। मैं उनको जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनमें किसी भी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं है। यह राजनीतिक भाषण दिया जा रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप समय का ख्याल रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह, आप केवल एक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। किन्तु आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। आप व्यवस्था का विरोध कीजिए। किन्तु बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति का नाम मत लीजिए कि वह भी उस व्यवस्था में शामिल है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे हिन्दू बना था। मैं पैदा हुआ था और उसके बाद मुझे बताया गया कि मैं हिन्दू जाति से सम्बन्ध हूं। इसीलिए किसी धर्म या अन्य किसी बात से सम्बन्ध होने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। अतः किसी व्यक्ति को इसमें न लाइए। यदि आप किसी व्यवस्था का विरोध करते है तो आप इसके लिए अधिकृत हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक है। आप अपनी व्यकस्था का प्रचार कीजिए किन्तु आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : इसीलिए, मुझे उत्तर देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में बुलाया जायेगा। आपका नाम यहां है। किसी के भी विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बहुत समर्थ वक्ता हैं। वह इस बात को जानते हैं।

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीजों को निकालने का तरीका सोचे और एक तरीका माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इशारों-इशारों में बता रहे हैं। हम सभी लोग सामाजिक व्यवस्था में बैठने वाले लोग, राजनीति में बैठने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें, तब

जाकर इस मुल्क की सबसे बड़ी सेवा होगी। इस मुल्क से जिस रोज कास्टीजम खत्म हो जाएगा, जातिवाद चला जाएगा, इस मुल्क में इंसान इंसान से नफरत करना बन्द कर देगा, तो चाइना ने दो साल बाद हमसे आजादी प्राप्त करने के इतनी तरक्की की है, हम आने वाले दस साल में चाइना से ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। लेकिन देश की व्यवस्था में इंसान का पार्टिसिपेसन न हो, मानव शक्ति का सही इस्तेमाल न हो, इसलिए मानव शक्ति के सही इस्तेमाल के लिए, इस मुल्क की समस्याओं को निपटाने के लिए यदि किसी योजना में एक हजार आदमी लगते हैं तो वहां बीस हजार आदमियों को लगाइए, तब जाकर इस देश की गरीबी खत्म होगी। इस देश के लोग बड़ी-बड़ी योजनाओं में इकट्ठे रह कर, इकट्ठे काम करके, इकट्ठे खाकर के, इकट्ठे इस देश की समस्याओं से झूझ करके इस मुल्क की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उस रास्ते पर हमारी सरकार चलना नही चाहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को मौजूदा सरकार मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को लाने में अपने को मजबूर समझता है, क्योंकि हम सभी लोग कहीं न कहीं से उस मशीन के पुर्जे बने हुए हैं। जब तक हम उस मशीन के पुर्जे बने रहेंगे, तब तक उस मशीन को नहीं तोड़ पायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए, आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार ही अपनी तरफ से इस तरह का कोई बिल लाए, ताकि इस देश के लोग बराबर रह कर,...ताकि इस देश के लोग बराबर रहें, समान रहकर एक दूसरे से प्यार और मौहब्बत कर के दूसरे मुल्क के विकास में हाथ बटायें। आबादी हिसाब से जिनका जो हक बनता है, योग्यता के हिसाब से जो हक बनता है, उस हिसाब से अधिकार दिलाने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर इस विधेयक सदन के सामने लाने वाले माननीय सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री भी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है जो इस तरह का विधेयक इस सदन में लेकर आये - इसके लिए मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद और मुबारक बाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया। अब 2 घंटे समाप्त होते हैं। अभी भी बोलने के लिए 3-4 सदस्य बचे हैं। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका है। क्या आप इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय बढ़वाना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्यगण : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कितना समय ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीली भीत) : दो घन्टे बढ़ाये जाएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि यह बहुत गंभीर बिल है, इस पर अनेक सदस्य बोलने वाले हैं, इस लिये दो घन्टे भी कम होंगे, मैं चाहता हूं कि चार घन्टे और दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घन्टे नहीं। पहले एक घंटा बढ़ाते हैं। यदि इसमें भी चर्चा पूरी नहीं हो पायी तब हम देखेंगे। अतः एक घंटा समय बढ़ाया जाता है। श्री पनिका

श्री हरीश कुमार गंगवर : मंत्री जी तो हमारा लंच-आवर भी खा जाते हैं, इसलिए हमको दो घन्टे और दीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि जिस देश की संस्कृति आदर्शवाद पर आधारित हो, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः का आदर्श सर्वोपरि रहा हैं; वहां स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद इस तरह का बिल लाया गया है। यह बात सही है कि भारत अपने उन तमाम ऋषियों, महाऋषियों, सन्तों के प्रति आभारी और गौरवान्वित रहेगा जिन्होंने पुराणों, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रन्थों की रचना की हैं। इन महाऋषियों, ऋषियों और सन्तों के चिन्तन की जो धारा रही है उसी का यह परिणाम है जो इस तरह की विचार धारा जन-मानस के सामने आ सकी है। इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जो मानवता के खिलाफ हो। इसमें यदि कहीं कोई विसंगति या विकृति आई है तो उसके कारण जो हमारे ग्रंथों, उपनिषद या वेद हैं हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते। इन्हीं ग्रन्थों के कारण हमारी संस्कृति का नाम सारी दुनिया में छाया हुआ है। हमारी प्रधान मंत्री जी जब पिछले वर्ष यू० एन० ओ० गई थी, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषता बतलाते हुए कहा था कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, 6 दर्शन हमारे देश की विशेषता रहे हैं। हमारे यहां विचारों की आज से नहीं बल्कि शुरू से ही स्वतन्त्रता रही है और यह उसी का द्योतक है कि हम स्वतन्त्र विचारों के रहे हैं। विभिन्न अवसरों पर हमारे इन ग्रंथों की जो रचना हुई है यह उसी का नतीजा है कि आज हमारी धरती पर वैचारिक स्वतन्त्रता कायम है।

यदि आप हमारे इन छः दर्शनों के बारे में विचार करें तो आप देखेंगे कि कोई ईश्वरवाद को, कोई अनीश्वरवाद को, कोई योग को मानता है, लेकिन इनके अन्दर आपस में कहीं भी टकराहट नहीं है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। आप संत तुलसीदास को ही लें—जिस समय भारतीय संस्कृति कठिनाई में पड़ी हुई थी उस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी रचना से उसको बचाया, इसलिए हम उनकी आलोचना नहीं करते। लेकिन जिस भावना से यह बिल यहां लाया गया है यदि उस भावना के अनुरूप माननीय सदस्य यहां चर्चा करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन हो क्या रहा है—माननीय सदस्य जगपाल सिंह जी चले गये, मैं उनको बतलाना चाहता हूं राजनीति में जातीयता और बिरादरी को कौन लाया ?

चौधरी चरण सिंह, मान्यवर, हमारे लोक दल के नेता है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नाम लिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नाम मत लीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : आदरणीय भूतपूर्व प्रधान मन्त्री का नाम नहीं लेंगे, तो किसका लेंगे। उनका नाम तो जपना चाहिए। अभी जब हमारी प्रधान मंत्री जी के बारे मैं बोला जा रहा था, तब आप नहीं बोले।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आपत्तिजनक है। सभा के एक माननीय सदस्य के उल्लेख

श्री राम प्यारे पनिका : मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में राजनीति में चौधरी चरण सिंह ने किया। ये नेता वही हैं, जिनकी कांस्टीटुयेन्सी में हरिजन वोट नहीं डाल सकता था, यह अटल जी अच्छी तरह से जानते हैं और ये क्या करते हैं कि मुझे बोलने दीजिए। जब श्री जगपाल सिंह बोल रहे थे, तो आप ताली बजा रहे थे। क्या यह हकीकत नहीं है।

(व्यवधान)**

16.32 **श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए**

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : आप असामाजिक बात कर रहे हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं सामाजिक बात कर रहा हूं।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : आप चौधरी चरण सिंह के बारे में यह कह रहे हैं। क्या इन्दिरा गांधी ब्राह्मवादी नहीं है। **(व्यवधान)**

जो वर्तमान मंत्री मंडल है, उसमें कितने ब्राह्मण हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : देश में जो वातावरण खराब किया, वह किसने किया। **(व्यवधान)** यह जो प्रवृति चली, यह कब से चली है। कुछ राज्यों में हिन्दुस्तान के जन मानस को भ्रम में डाल कर ही इन्होंने 1967 में संविद सरकारें चलाई थी। उस समय से यह चीज चली है और आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह को **कहा जाता है हिन्दुस्तान में और दुनिया में।

(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप किस पर बोले।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुर्सी के लालच में उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ दिया और मैं याद दिलाना चाहता हूं, वाजपेयी जी यहां पर बैठे हुए हैं, आर० एस० एस० की दौहरी सदस्यता का बहाना लेकर उसको तोड़ दिया। कुर्सी के लालच में ऐसा किया गया, क्या यह हकीकत नहीं है। **(व्यवधान)**

कार्यवाही-वृत्तांत में समिल्लित नहीं किया गया।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ये बातें रिकार्ड में रहेंगी।

श्री राम प्यारे पनिका : रहेंगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खड़े हुए।

सभापति महोदय : क्या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस सदन में किसी आनरेबिल मेम्बर को **कह कर बुलाया जा सकता है।

श्री राम प्यारे पनिका : लोग कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। जनता में यह आम धारणा है, और यह एक ऐतिहासिक तत्व है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, किसी मेम्बर के विचारों से मतभेद प्रकट करना अलग बात है और यह सदन में होता रहा है लेकिन इस तरह से नाम देना शुरू कर देंगे, तो इससे इस वाद-विवाद की गरिमा नहीं बढ़ेगी।

श्री राम प्यारे पनिका : अभी जब राजीव जी का नाम लिया जा रहा था, तब आप नहीं बोले। हवाई जहाज चलाने वाला कह कर

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन दोनों में फर्क है। हवाई जहाज चलाने वाला कहना कोई बदनामी नहीं है।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तान्त देखूंगा। कार्यवाही-वृत्तान्त में ये शब्द रखना अच्छा नहीं होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि निन्दापूर्ण और आपत्तिपूर्ण है तो कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा और इन शब्दों को वहाँ से निकाल दूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं यह कर रहा था कि स्वतन्त्रता के बाद ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और राजनीतिक झंझावाद इस देश में चला। मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुछ सदस्यों ने अभी कहा था कि कौन प्रधान मन्त्री बनना चाहता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में जितने उधर बैठने वाले हैं, विरोधी दलों के जो नेता हैं, सभी ने अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है चाहे वे कांग्रेस (ज) के नेता हों, चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह हो। श्री सोलंकी को, अपने दामाद को टिकट दिलाया और क्या क्या किया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

यही नहीं श्री * ने *राजनीतिक में लाने और देश का नेतृत्व दिलाने का प्रयास किया। हमारे जो देश के नेता हैं, विरोध पक्ष में बैठने वाले नेता हैं, जिन्होंने शादियां नहीं की हैं, वे अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं।

सभापति महोदय : श्री पनिका, कृपया उन लोगों के नाम यहां मत लीजिए जो अपना बचाव यहां नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई नाम कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं कह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में आज देश है, उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी है देश को सबल नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं।

वाजपेयी जी ने यह ठीक कहा है कि हमारे संविधान को बनाने वाले डा० अम्बेडकर थे। इसलिए ऐसे बिल की जो सोनकर जी लाए हैं, आज देश को कोई जरूरत नहीं है। इस बिल से देश में दुर्भावना पैदा होगी, फिरकापरस्ती पैदा होगी इन चीजों से हमें दूर रहना है। निश्चित तौर पर भारतवर्ष का जो संविधान है उसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जिससे जातिवाद, छूआछूत और साम्प्रदायिकता पर चोट न होती हो। सभी धाराएं इन बुराइयों को समाप्त करने वाली हैं। जब हमारे सामने संविधान है तो हमें कुछ पुरानी चीजों का हवाला देकर ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए।

आप हमारे धर्मग्रंथ उपनिषद् को ले लीजिए, गीता को ले लीजिए। मैंने वेदों को भी पढ़ा है। कहीं उनमें भेदभाव की बात नहीं है। हमारे यहां जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वे अनीश्वरवादी धर्म हैं। उनमें भी कहीं भेदभाव की बात नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहीं भी कोई टकराहट नहीं है। हमारे जो धर्मग्रंथ हैं जिनके प्रति इस देश के करोड़ों लोगोंकी आस्था है, करोड़ों लोगों की भावना है, हमें उनकी आस्था और भावना का निरादर नहीं करना चाहिए और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

मंडल आयोग पर जब चर्चा हो रही थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि वृद्धि किसी की बपौती नहीं है। अगर देश में सन्त तुलसीदास, कबीरदास हुए हैं तो सन्त रविदास भी हुए हैं। हमारे यहां कानून बनाने वाले डा० अम्बेडकर भी हुए हैं। इस प्रकार के उदाहरण देश में विद्यमान हैं, फिर ऐसी बात क्यों हो। हम क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं ?

मान्यवर, हमारे संविधान में समता का मूल अधिकार है। मैं यह मानता हूं कि उस समता के कोई मायने नहीं हैं जब तक सभी को समान अवसर प्राप्त करने के साधन प्राप्त न हों। अगर सबको समान अवसर प्राप्त करने के साधन सुलभ हो जाएं तो फिर देश में रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कम्पीट कर सकें तो उन्हें समान अवसर प्राप्त करने के साधन सुलभ हो गये, ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन अभी यह स्थिति देश में नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि देश को उत्तरोत्तर इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हमारी सरकार दिन-प्रति-दिन शिक्षा में, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार कर रही है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित ही नहीं किया गया।

हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आप इस तरह का बिल लाकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए।

मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं। मैंने वेदों को पढ़ा है। मैंने गीता को भी पढ़ा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है—

सर्व धर्मान् परित्यज्यमा मेकं शरण व्रज।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा शुच:॥

उन्होंने कहा है कि अगर किसी इन्सान को रास्ते न सूझता हो तो मेरी शरण में आओ, भगवान के चरणों में समर्पण करो। जो भगवान को समर्पित होगा, वह कभी निकम्मा नहीं हो सकता। यह हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, यही रामचरित मानस है।

यह सभी जगह है। आज समय की आवश्यकता है कि इन राजनीतिक धन्धों को छोड़कर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। अन्यथा इन बातों का असर पंजाब, आसाम और जम्मू कश्मीर के मामलों पर पड़ सकता है। आप देखिए पंजाब में अकाली दल ने जो आन्दोलन चलाया है उनमें भी इन्हीं संकीर्ण बातों को लिया गया है। संविधान में सिक्खों की सलाह से ही उनको हिन्दू का साक्षी है गया ताकि उनके पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा मिल सके। इतिहास भी इस बात धर्म में रखा कि सिक्ख हिन्दुओं से अलग नहीं हैं।

देश का वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमको काम करना चाहिए। जातियता की, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयता की खिलाफत करनी चाहिए। जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति को छोड़ना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर बनी पार्टियां इस देश में चल नहीं सकती हैं। पिछले चुनावों ने इस बात को साबित कर दिया है और आने वाला समय भी यही बताएगा।

हिन्दू एक संस्कृति है। उसमें छोटेपन की कोई बात नहीं है। हिन्दुस्तान में वही संस्कृति चल सकती है जो सभी इन्सानों के प्रति सद्भाव रखती हो। इसलिए इसको राजनीति से दूर रखकर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज सामाजिक चेतना की जरूरत है। कानून बनाकर काम नहीं हो सकता है। यदि कानून बनाकर धर्म ग्रंथों पर रोक लगाने की बात करेंगे तो इससे कटुता पैदा होगी, झगड़े पैदा होंगे। आज आपस में सहयोग और स्वभाव पैदा करने की आवश्यकता है न कि दुराव। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (इति)

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, अपने दल द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से, मैं माननीय मित्र श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री द्वारा पेश किए गए हिन्दू धर्म ग्रंथ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधयक, 1983, के समर्थन में कुछ शब्द बोलूंगा।

हमारे संविधान में यह प्रतिष्ठापित किया गया है कि सरकार देश में धर्म निरपेक्ष और जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयास करेंगी। हमारा संविधान सभी नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, सुनिश्चित करता है। सरकार को भी यह शक्तियां दी गयी हैं कि वह जातिवाद पर प्रवचन करने वाले, धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के विरुद्ध कार्य करने वाले तथा धर्माधता की गतिविधियों के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड दे। इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी बहुसंख्यक हिन्दुओं के समान ही संविधिक आधार पर समान अधिकार दिए गए हैं इस्लाम, ईसाई, बोद्ध, जैन और सिख धर्म की पुस्तकों में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे उनके अनुयायियों के बीच विरोध पैदा हो तथा उनमें द्वेष पैदा हो।

वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि वेदों और हिन्दुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों में जातिवाद का उल्लेख है। हिन्दू धर्म की सर्वोच्च नीति संहिता मनुस्मृति में कई स्थानों पर यह बताया गया है कि ब्राह्मण शूद्रों की सम्पत्ति को निस्संकोच अपने अधिकार में ले सकता है। रामायण में कहा गया है कि अशिक्षित और अज्ञानी ब्राह्मण पूज्य है किन्तु कोई शूद्र चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो पूज्य नहीं है। मैत्रेयानी संहिता में बताया गया है कि शूद्रों को गाय दुहने की अनुमति नहीं है और वे यज्ञों में भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। पंचविश ब्राह्माण और ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि शूद्र शवदाह भूमि के समान है और वे केवल दूसरों की सेवा करने के लिए हैं। आप मुझसे सहमत होगें कि ऐसे उल्लेख उन लोगों को भड़काते हैं जो ब्राह्मण नहीं है।

तमिलनाडू को इस बात का गौरव प्राप्त है कि वहां तंताई पेरियार ई० वी० रामास्वामी हुए, जोतंताई पेरियार के नाम से लोकप्रिय हैं तथा जो देश में तर्क पूर्ण बुद्धिवाद के प्रवर्तक हैं, और देश के अग्रणी समाज सुधारक हैं उन्होंने ब्राह्मण वाद-जो जातिवाद की आधार शिला है का उन्मूलन करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया। जहां तक सामाजिक पुर्नवीकरण का सम्बन्ध है, एरिगनार अना और डा० कलाईगर करुणानिधि ने इसके लिए संघर्ष जारी रखा और तमिलनाडू को इसमें शिखर पर पहुंचा दिया। अत्याधिक घृणा के कारण ही डा० अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने हिन्दू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। किन्तु तंताई पेरियार अपनी अन्तिम सांस तक हिन्दू बने रहे और एक हिन्दू के रूप में ही मरे। उन्होंने सामाजिक समता के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किया। उन्होंने 'ब्राह्मणीयम्' के उन्मूलन के लिए कार्य किया। अपने देहान्त से पहले ही उन्होंने सामाजिक समता के सपने को साकार किया।

एरिगनार अन्ना तमिलनाडू में डा० मु० क० सरकार के मुख्य मंत्री थे। उनके बाद डा० कलेगनार करुणानिधि आए, उन्होंने सारा जीवन पद्दलितों की सेवा में बिताया। जातिवाद के विरुद्ध उनका धर्म-युद्ध आज भी जारी है।

माननीय सदस्य, जो लोक दल से सम्बन्धित है, यह विधेयक लाए है। वह हिन्दू धर्म ग्रंथ तथा अन्य धार्मिक साहित्य का पुनरीक्षण चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए वह चाहते हैं कि सरकार एक आयोग का गठन करे। मैं पूरे हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि सरकार संविधान

** तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में निहित सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना चाहती है, तो इस विधेयक को कानून बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस विधेयक को जिसमें देश में जातिविहीन समाज की स्थापना का प्रस्ताव है, स्वीकार करने में मन्त्री महोदय को दलगत विचारों तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार के विधेयक से धर्म निरपेक्ष समाज की शीघ्र स्थापना होगी।

इस विधेयक को मैं अपना पूरा समर्थन करता हूं और अपने स्थान पर बैठने से पहले मैं केवल इतना कहूंगा कि मेरे दल द्रविड मुनेत्र कषगम का चिह्न उगता हुआ सूर्य है और मैं चाहता हूं कि वह उगता हुआ सूर्य भारत में जातिविहीन और धर्म निरपेक्ष समाज के ऊपर चमके। इन शब्दों के साथ कि इस विधेयक में द्रमुक का महान उद्देश्य प्रतिबिम्बित होता है, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चन्दपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, हमारे साथी माननीय सोनकर जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें उनकी भावनाओं की मैं पूरा तरह कद्र करता हूं। हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर हमारे देश में एक अरसे से मानव जाति के ऊपर विभिन्न प्रकार के जुल्म और अत्याचार ढाए जा रहे हैं। अफ़सोस की बात यह है कि उन जुल्म और अत्याचारों में आज भी कोई कमी नहीं है। मैं धर्म का न तो पण्डित हूं और न ही मुझे इस बारे में जानकारी है। मैं एक छोटी सी बुद्धि का आदमी हूं। इतना अवश्य जानता हूं कि धर्म, इन्सान-इन्सान में भाई चारा, प्यार मोहब्बत और आपस में मिल-जुलकर रहना ही सिखाते हैं। जिस धर्म में इन्सान-इन्सान के प्रति नफरत, ऊंच नीच का भेदभाव और अमानुषिक अत्याचार हो तो इस बात को मैं धर्म के खिलाफ समझता हूं। ऐसा मानकर चलता हूं कि यह कोई धर्म ही नहीं है। जो धर्म, छुआछूत को बढ़ावा दे और इन्सान-इन्साफ में फर्क करें, वह किस बात का धर्म है? हिन्दू धर्म की कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो इन्सान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करती हैं और इस बात का प्रचार करती हैं कि कर्म से इन्सान बड़ा है। जो आदमी जैसा काम करता है, उसकी जाति उसी प्रकार से बनाई गई थी। ऐसी व्यवस्था मनु जी ने की थी। पठन-पाठन करने वाला ब्राह्मण, लड़ाई में जाने वाला क्षत्रीय, व्यापार करने वाला वैश्य और जो सेवा करता था उसको शुद्र की श्रेणी में रखा गया।

लेकिन इसको तो हजारों साल हो गये। जब यह व्यवस्था बनी थी वही चली आ रही है। जितना भी कोई बुद्धिहीन या बदसूरत आदमी अगर उच्च जाति में वह जन्म लेता है तो पूज्य है। और जो शुद्र के घर में पैदा हो वह जितना ही विद्वान हो और उसकी उचित स्थान और आदर न दिया जाए, यह कहां का न्याय है। आज शुद्रों को फौज में भर्ती नहीं किया जा रहा है, पी० ए० सी० से निकाला जा रहा है यह कह कर कि तुम मार्शल रेस के नहीं हो। तो मतलब यह हुआ कि जो संघर्ष करे वही बहादुर होगा।

आज पैसे से भी आदमी के स्टेटस को आंका जाता है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है। आज शूद्रों में भी बहुत लोग पैसे वाले हैं, इसके बाद भी उनको शूद्र ही समझा जाता है और समाज में उन्हें विशेष स्थान नहीं है। संविधान के अनुसार लिंग, जाति, या धर्म के नाम पर छूआछूत मानना है। इसलिए जिन पुस्तकों में आदमी को छोटा समझा जाता है, जैसे असटचेबिलिटी को औफस

माना गया है, उसी तरह से जो पुस्तकें हैं और छूआछूत को बढ़ा रही हैं उनको बेन करना चाहिए। ऐसा करना सर्वथा संविधान के अनुसार होगा। इसमें राजनीतिक का सवाल नहीं है क्योंकि गम्भीर मामला है।

हम देखते हैं कि सामूहिक रूप से दलितों, आदिवासियों की महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्यायें की जाती हैं। उसकी जड़ में यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जुल्म होता है। कुछ लोगों का रवैया बन गया है धर्म की आड़ में लोगों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमें गंभीरता से बिचार करना चाहिए, और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। किसी नेता को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है। हम देखते हैं कि लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, कुछ फैनेटिक्स को छोड़कर, सभी भाई चारे को मानते हैं। आज शिक्षा के प्रचार से समानता और भाई चारे का प्रचार किया जा रहा है जिससे लोगों की आंखें खुली हैं। ऐसी हालत में आदमी-आदमी के बीच भेदभाव करना या डिस्क्रिमिनेशन करना, या किसी को नीच समझना सर्वथा अनुचित और गलत है। इस बात को हिन्दू धर्म को मामने वाले मानते हैं, कुछ फैनेटिक्स को छोड़कर।

कोई आदमी अगर किसी छोटी कौम में पैदा हो जाता है, इसलिए उसे छोटा नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इस बात के लिए वह तैयार न हों। बहुत सी बातें हिन्दू धर्म की पुस्तकों में गलत लिखी हैं, उनको निकाला जाये तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

विद्वानों और धार्मिक पंडितों का कहना है कि दुनिया भर के लोग हमारे हिन्दू धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं, आज हिन्दू धर्म का प्रचार 7 समुद्र पार विलायतों में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, पश्चिम के बहुत से देशों, तथा पूर्व के जापान, थाईलैन्ड सिंगापुर में भी धर्म का प्रचार हो रहा है, जगह-जगह आर्य समाज के मन्दिर बने हुए हैं लेकिन आज भी जांत-पांत, ऊंच-नीच की जो बातें कही गई हैं अगर वह नहीं होतीं तो मैं समझता हूं कि और अधिक प्रचार हो सकता था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। इतना महत्वपूर्ण विषय यहां चल रहा है और माननीय गृह-मन्त्री कक्ष के बाहर चली गई हैं और यहां हाउस में कोरम भी नहीं हैं। सत्ता पक्ष के लोगों की स्थिति देखिए।

सभापति महोदय : दूसरे मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्री पुजारी और श्री मल्लिकार्जुन बैठे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन कोरम नहीं है। हम कोरम का प्रश्न उठाते हैं।

सभापति महोदय : कोरम बैल बजाई जाये।

अब कोरम हो गया है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर हमारे देश में जातिवाद, ऊंच-नीच, हुआछूत न होती तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश जिन्दगी में कभी गुलाम नहीं हो सकता था। हम करीब 700, 800 साल गुलाम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जातिवाद और ऊंच-नीच है। अगर हिन्दू धर्म-ग्रंथों में यह जातिवाद, ऊंच-नीच, इंसान-इंसान के बीच में फर्क नहीं होता तो बहुत से धर्मों का जन्म ही नहीं होता। बौद्ध, जैन, और सिख धर्म इसलिए इस मुल्क में बने कि इंसान के साथ इंसानियत का बर्ताव नहीं किया गया।

आज तो ऐसी पुस्तकें हैं जहां इंसान से बेहतर कुत्ते-बिल्ली को माना गया है। एक चौके में कुत्ता, बिल्ली जा सकता है लेकिन इंसान का बच्चा नही जा सकता, यह क्या धर्म है।

आप पूरे हिन्दूस्तान में देखिये किसी भी प्रदेश में शहर, में गांव में एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां छूआछूत की बीमारी न हो। यह कहा जाता हैं कि ये छोटे लोगों की बिरादरी के लोग हैं, ये नीची जाति या निम्न वर्ग के लोग हैं और इस आधार पर कहीं उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, कहीं चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता, कहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बरात नहीं निकाल सकते, दूल्हे को घोड़े या रथ पर नहीं बैठने दिया जाता, उनकी स्त्रियां जेवर नहीं पहन सकतीं।

यह भावना कैसे पैदा हुई ? इसकी प्रेरणा धर्म-ग्रंधों से मिली है, जिसकी वजह से इन्सान से इन्सान के बीच फर्क किया जाता है।

भारतीय संविधान कहता है कि धर्म, जाति और सेक्स के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अनटचेबिलिटी आफेंसिस के बारे में एक कानून बनाया हुआ है, जिसके अनुसार मुंह से या प्रैक्टिस में छुआछूत बरतने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद बहुत मे लोग धर्म को कानून से ऊपर मानते हैं और कहते हैं कि ये तो सरकार के बनाए हुए कानून हैं, भगवान् और धर्म की पुस्तकों में ये बातें लिखी हुई हैं। वे सरकार के बनाए हुए कानूनों को नम्बर दो का समझते हैं और उन्हें कोई अहमियत नहीं देते हैं।

मुझे अफसोस है कि बाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में बहुत फर्क है, उनकी हिस्ट्री में फर्क है और दोनों में भिन्न बातें कही गई हैं, फिर भी लोग तुलसीदास की रामायण के अनुयायी हैं। उसमें लिखा है : "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।" इसमें ढोल और अशिक्षित लोगों के साथ शूद्रों, जिन्हें शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासिज के लोग कहा जाता है, और स्त्री जाति को भी अपमानित किया गया है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं करना चाहिए और अगर कोई करेगा, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये दोनों बात साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

एक तरफ भारत का संविधान कहता है कि इन्सान-इन्सान के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा, हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है, हमारे देश में धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के

साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा । दूसरी तरफ हिन्दू धर्म की पुस्तकें खुल्लम-खुल्ला कहती हैं कि शूद्र अपवित्र हैं । अगर भारत आजाद न हुआ होता, अगर यहां गांधी और नेहरू जैसी महान् हस्तियां न हुई होतीं, अगर यहां पर परम-पूज्य बाबा साहब डा० अम्बेडकर जैसी महान हस्ती न होती, जिन्होंने जीवन भर छूआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की हालत इससे भी बदतर होती।

यह ठीक है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा काफी सुविधाएं दी गई हैं । सरकार ने उनके लिए एक दर्जे से लेकर एम० ए० तक फीस माफ की है और उन्हें वजीफा देने की व्यवस्था की है । मैं समझता हूं कि सरकार उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो सुविधाएं दे रही है, वे कम नहीं हैं, बशर्ते कि उनका सदुपयोग किया जाए । उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधार भी रही है ।

छुआछूत वाली बात केवल गांवों के लोग या अनपढ़ लोग ही नहीं मानते, दफतरों के बहुत से लोग हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं—हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं—और कहते हैं कि दफतरों में छुआछूत करती जाती है, सवर्ण लोगों के लिए अलग-अलग ग्लास हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्सों के लिए अलग ग्लास होता है । कहीं पर तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता और जो शिक्षा के मन्दिर हैं जहां पर शिक्षा दी जाती है, जहां शिक्षा पाकर आदमी-आदमी बनता है वहां पर भी एक जमाना था कि जो शैड्यूल्ड कास्ट का बच्चा पढ़ने जाता था तो उसको पानी नहीं पीने दिया जाता था । इस प्रकार की प्रैक्टिस कहीं-कहीं आज भी है । साउथ में मनु जी के विधान के अनुसार क्या था कि अगर शूद्र चल रहा हो तो उसके पीछे झाखर बांध दो ताकि उस पर किसी ऊंची जाति के चलने वाले का पैर न पड़ने पाए । अगर वेद या किसी अच्छी चीज को शूद्र सुने तो उसके कान में सीसा पिघला कर या तेल डाल दिया जाय । शूद्र अगर किसी भगवान का स्पर्श करले तो तेल गरम करके उसका हाथ जला दिया जाय । इस प्रकार की व्यवस्था कई ग्रंथों में है । तो मैं नहीं समझता कि यह किस तरह का धर्म रह गया ।

मैंने अपनी बात जहां से प्रारम्भ किया था, वही कहता हूं, मेरी जैसी छोटी बुद्धि का आदमी धर्म का मतलब जो समझता है वह यही समझता है कि धर्म इन्सान-इन्सान के बीच प्यार मौहब्बत जगाने के लिए, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए, करूणा और मैत्री की भावना पैदा करने के लिए बनाए गए हैं न कि इंसान-इंसान के बीच नफरत और ऊंच नीच की भावना पैदा करने के लिए । शास्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मुझे अफसोस इस बात का है कि यह पास तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सन् 71 से जब से मैं इस लोक सभा में आया हूं तब से देख रहा हूं प्राइवेट मेम्बर्स के रेजोल्यूशन विदड्रा ही हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो भावना छिपी है । उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस बात को मानकर चलता हूं कि अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय तो देश में जाति और धर्म के नाम पर जो इंसान का शोषण होता है, उनको जलाया जाता है, उनका कत्लेआम होता है, उनकी फसलों को लूटा जाता है उनकी सम्पत्ति को उजाड़ा जाता है, शायद इस तरह की घटनाएं न हों ओर हमारे देश में एकता

सरानता और अखण्डता की भावना पैदा हो जिसमें एक दूसरे को भाई-भाई और एक देशवासी समझें और उनके साथ प्यार और मौहब्बत का व्यवहार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री राम प्यारे पणिका जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी बहस के दौरान यह बात कही कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान में सब कुछ दिया हुआ है जो इस बिल के द्वारा अभिप्रेत है। उनका मतलब है कि अस्पृश्यता समाप्त की जायेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, लिंग अथवा धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। सबको समान माना जाएगा और यही नहीं, बल्कि जो पिछड़े लोग हैं या हरिजन हैं उनको कुछ अधिक सुविधाएं भी दी जाएंगी, उनके स्तर को ऊंचा किया जाएगा, यह संविधान में दिया हुआ है और वहीं चूंकि अब नयी मनु-स्मृति हो गया है इसलिए अब इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूं कि उनके समझने में थोड़ी भूल हुई है। मैं राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह विधेयक लाकर कुछ बातों की ओर इस सदन का और पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। आप देखें कि वह क्या कहते हैं ? मेरा विचार है कि कुछ सज्जन जो उस पर बोले हैं उन्होंने इसको ठीक तरीके से शायद पढ़ा नहीं। अगर वह पढ़ते तो यह बात कभी नहीं कहते कि संविधान में ये सब बात दी हुई हैं। शास्त्री जी ने क्या कहा है ? संविधान में जो कुछ लिखा है उसके विपरीत जहां जो कुछ लिखा है उसको हटाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है—'हिन्दू धर्म ग्रंथों तथा अन्य धार्मिक साहित्य में ऐसे शब्दों, वाक्यों, कंडिकाओं, पद्य खंडों, अध्यायों आदि का, जिनसे भारत के संविधान में अन्तर्विष्ट सिद्धान्तों और संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्विष्ट भारत की जनता के पुनीत संकल्प के विपरीत, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, व्यवसाय या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति घृणा, भेदभाव, असमानता या अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है या प्रचार होता है, पता लगाने और उनका लोप करने या उनमें संशोधन करने की दृष्टि से, हिन्दू धर्म ग्रंथों तथा अन्य धार्मिक साहित्य का पुनरीक्षण करने और बस प्रयोजन के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा इससे सम्बन्धित बातों का उपबन्ध करने हेतु यह विधेयक यहां पर लाया गया है।"

इसमें पूरी बात आ गई है। अब किसी तो भी कोई शंका हो तो वह दूर कर ले, वह इसको दोबारा पढ़ ले। इस विधेयक में उन्होंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया है बल्कि काफी सोच समझ कर उन्होंने इसकी धारायें बनाई हैं। उन्होंने इसमें कहा है कि आयोग की स्थापना की जाए जिसका यह कर्त्तव्य होगा कि इन सारी चीजों को देखे और पता लगाए। उन्होंने इस विधेयक की धारा (8) और (9) में यह भी कहा है कि आयोग उन धर्मग्रंथों तथा धार्मिक पाठ पुस्तकों के बारे में जिनमें उसने संशोधन किया है, आम लोगों को उस रीति से, जिसे वह उपयुक्त समझे, जानकारी देगा। आयोग उन धर्म ग्रंथों तथा अन्य धार्मिक पाठों पुस्तकों की जिनका उसने पुनरीक्षण कर लिया है, अद्यतन सूची समय-समय प्रकाशित करेगा। मैं समझता हूं संविधान की भावना के यह बिल्कुल अनुकूल है और यह करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो रहा है और धर्मग्रंथों से इसको लोप करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनकी बात मैं अपने को समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे में यह बात जम नहीं रही है।

आजकल तो विचारों के मामले में प्रचार और प्रसार का विशेष महत्व है। जो चीजें, जो पैराग्राफ, जो लेख, जो श्लोक जनता में भेद-भाव पैदा करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र की भावना को बहुत आगे बढ़ावें उन चीजों का प्रचार-प्रसार यदि जारी रहेगा तो संविधान के अन्तर्गत जिन बातों को हम चाहते हैं वह पूरी नहीं हो सकेंगा। मैं इस बात को तो मानता हूं कि शहरों में यह भावना कुछ कम हुई है, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग पढ़ने भी लगे हैं, लेकिन देश का जो 85 प्रतिशत भाग देहात हैं वहां पर इस भावना में मुश्किल से 5 प्रतिशत की कमी आई है। इसका कारण यह है कि वहां के लोग आज भी ब्राह्मण और पूजारी के वश में हैं। अगर बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी आयेंगे और जैसा वे बयायेंगे वैसा नाम रखा जायेगा। उसके विवाह के समय और मत्यु के बाद भी श्राद्ध में जैसा कि पंडित जी बताते है वैसा ही उनको करना पड़ता है। जब तक ग्रंथों में इस प्रकार की बात रहेंगी तब तक तथा-कथित ब्राह्मण और पुजारी उसका सहारा लेकर मंत्रोच्चारण करके यह सारे कार्यकाण्ड करायेंगे। इस तरीके से सारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र और वैश्य की भावना समाप्त होनी चाहिए। मनुष्य को उसके कर्मो से श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। नीच कर्म करे तो नीच माना जाना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण के घर का हो, चाहे क्षत्रिय घर में जन्म लिया हो और चाहे वैश्य के घर में जन्म लिया हो। लेकिन इसके बजाय ब्राह्मण अभी भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्षत्रिय को दूसरे नम्बर पर माना जाता है और वैश्य को तीसरे नम्बर पर माना जाता है और शुद्र को आज भी सबसे नीचे माना जाता है। आज भी यदि आप श्रीमान् गांवों में जायेंगे तो आप पायेंगे कि शुद्र बेचारा खाट पर नहीं बैठ सकता है। जब दूसरे लोग बैठे हों तो वह खाट पर नहीं बैठता है, जमीन पर बैठता है। शुद्र यदि कोई पढ़ा-लिखा निकल जाए, तो उसी को दूसरों को पहले नमस्ते करनी पड़ती है, पहले उसको कोई नमस्ते नहीं करता है। श्रीमन्, गांवों में तो यही हालत है।

इसीलिए जब हम यहां पर यह बात कहते हैं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिए आप स्थान सुरक्षित कीजिए। आप जो नाप तौल लेकर बैठते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से सम्पन्न है तो उसे नहीं दिया जाना चाहिए, इस स्थान पर मेरा आपसे निवेदन है कि आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति भी अभी समाज में उतना आदर का पात्र नहीं हो पाया है। इसलिए जाति के आधार पर संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पुरानी किताब है, वह किसी पम्पलैट और पोस्टर की तरह से है। जैसे किसी चीज का प्रचार करना हो, पम्पलैट या पोस्टर जैसे छापते हैं, उसी तरह से हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनके अन्दर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र—चार टुकड़े किए हुए हैं। आज भी वे लुप्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह कर्मकांड कराया जा रहा है। असल में हमारी सारी की सारी वर्ण व्यवस्था ही इसी प्रकार की है। यदि यह वर्ण व्यवस्था समाप्त हो तो सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जायें और इस विधेयक को यहां लाने की आवश्यकता न पड़े।

मैं आपको "मनुस्मृति" में से ब्राह्मण को कर्मों को बतलाना चाहता हूं :

अप्यापनमध्ययनं भजनं भोजनं नया

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणनायकल्यत्

पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ कराना, करना, दान देना और लेना इन कर्मों को ब्राह्मण के लिए बनाया गया है ।

एकमेव तु शुद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ।

ब्राह्मण ने ब्राह्मण आदि तीन वर्णों की अनिन्दक रहते हुए सेवा करना शूद्र के लिए प्रधान कर्म बनाया । तीनों वर्ण की जीवन भर सेवा करते रहना, यही उनका कर्म है ।

श्रीमान्, शूद्र दो प्रकार के होते हैं । आम आदमी तो यही समझते हैं कि शूद्र एक ही प्रकार का होता है लेकिन बरेली में एक पंडित जी थे, जो पाधाजी कहलाते थे । मैंने उनसे कहा कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, लेकिन आप मुझे खाट पर बैठाते हैं तो मैं क्या हूं ? उन्होंने बतलाया कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं—एक स्पर्शय और दूसरे अस्पर्शया एक को छू सकते हैं और दूसरे को छू नहीं सकते । मैंने पूछा—मैं किसमें आता हूं ? उन्होंने कहा कि तुम स्पर्शय हो, तुम्हें छू सकते हैं । आप मुझे बतलाइये—क्या इस तरह की संकुचित विचारधारा देश को आगे ले जा सकती है ?

मैं आपको आगे बतलाता हूं—इसमें लिखा है—

उत्तमाँगोभदवाज्ज्येष्ठ ब्राह्मणश्चैव धारणात्

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभु :

ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही सम्पूर्ण सष्टि का स्वामी होता है । ब्राह्मण के मुख से देवता लोग हव्य को तथा पितर लोग कव्य को खाते हैं,

अतः ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा ।

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ।

भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए बढ़ाया गया समय भी समाप्त होता है। मेरे पास सूची में बहुत से ऐसे सदस्यों के नाम हैं, जो विधेयक पर बोलना चाहते हैं। अतः सभा चाहती तो इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य गण : जी हाँ।

सभापति महोदय : ठीक है, जैसा कि सभा चाहती है, इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री हरीश कुमार गंगावार : सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण बिल है। बार-बार ऐसे बिल नहीं आते हैं—मैं जो कुछ कह रहा हूं इसी के बारे में कह रहा हूं, कोई पोलीटिकल बात नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : आपके लिये ही मैंने टाइम एक्सटेण्ड कराया है।

श्री हरीश कुमार गंगावार : मैं आपको आगे बतलाता हूं--

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित जगतीगतम्

श्रेष्टयेनाभिजनेनेदं सर्वं वे बाह्मणोअर्हति।

पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ब्राह्मण का है अर्थात ब्राह्मण उसे अपने धन के समान मानता है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने से यह सब धन ग्रहण करने का अधिकारी होता है।

स्वभेव ब्राह्मणो मुक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च

आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भूंजते हीतरे जनाः।

ब्राह्मण अपना ही खात है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से सब का भोग करते हैं, इसमें यह भी लिखा है कि जो तीन वर्ण हैं वे दान देने के लिये बने हैं, ब्राह्मण दान देने और लेने दोनों के लिये बना है। मुझे तो पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं देता है जो दान देता हो। सब लेने वाले हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आप शादी-ब्याह में इसे बुलाते हैं तो क्या उसे दीजिएगा नहीं, ऐसे ही ब्याह करा लीजिएगा ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : नाम रखने के मामले में सब चौपट कर दिया है। ये कहते हैं कि शूद्र के नाम के साथ दास लगना चाहिए।

इसके बारे में भी इसमें यह कहा गया है:

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्थाद्राज्ञो रक्षासमन्वितम् ।

वैश्वस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥

ब्राह्मण का 'शर्मा' शब्द से युक्त, क्षत्रिय का रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शुद्र का दास शब्द से युक्त उपनाम करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इनका नाम रविदास, मलूका दास रखना चाहिए और अन्त में 'दास' शब्द लगाना चाहिए। यही नहीं, शुद्र जब मर जाता है, तो उसको किधर से निकाला जाए, इसके बारे में भी मनुस्मृति में दिया हुआ है। नगर के दक्षिण द्वार सें उसे निकाला जाए। इसके बारे में भी एक श्लोक इसमें दिया हुआ है, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

दक्षिणेन मृतम् शुद्रं पुरदारेण निर्हरेत ।

पश्चिमोत्तर पूर्वस्तु याथायोगं दिजन्मनः ॥

मरे हुए शुद्र को नगर के दक्षिण द्वार से बाहर निकालें और अन्य द्विजों (वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण) के शव को क्रमशः नगर के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व के द्वार से बाहर निकालें। यहां तक इसमें विधान है कि उसके मरने के बाद दक्षिण की ओर से उसे निकालना चाहिए।

शुद्धि करने के लिए शुद्र को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है :

शुद्राणां मासिकं कार्यं वचनं न्यायवर्तिनाम् ।

वैश्यवच्छांचकल्पतच द्विजोचिछष्टं च भोजनम् ॥

यदि उसकी शुद्धि करनी है, तो कैसे उसे शुद्ध किया जाए। यथाशास्त्र आचरण (द्विज-सेवा) करने वाले शुद्रों को मास पर मुण्डन कराना चाहिये, वैश्य के समान शुद्धि विधान करना चाहिए और ब्राह्मण के उच्छिष्टका भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन का मतलब है मुंह से निकला झूटा भोजन कराना चाहिए और हर महीने मुण्डन कराना चाहिए। उसके बाद जब वह ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ भोजन करेगा, तभी वह पवित्र होगा और तभी उसकी शुद्धि होगी।

इसके बारे में और भी श्लोक दिये हुए हैं लेकिन मैं उनको न पढ़कर केवल उनका अर्थ ही पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

मुख से निकल कर शरीर पर पढ़ने वाली छोटी बूंदें, मुख में पड़ते हुए मूंछ के बाल और दांतों के बीच में अटका हुआ अन्नादि मनुष्य को जूठा नहीं कहते हैं।

बकरी और घोड़ा मुख से, गौ पीछे से, ब्राह्मण चरणों से, स्त्रियां सर्वांग से पवित्र होती हैं अर्थात् बकरी आदि के उक्त अंग पवित्र होते हैं।

आगे एक और श्लोक में यह लिखा है :

(दूसरे को) कुल्ला कराते या पानी पिलाते हुए व्यक्ति के पैरों पर पड़ने वाली बूंदों को भूमि पर पड़े हुए जल के समान मानना चाहिए, उनसे (वह व्यक्ति अशुद्ध होकर) आचमन करने योग्य नही होता अर्थात् वह शुद्ध ही रहता है।

अब यहां पर हमारी बहन जी बैठी हुई है। स्त्रियों के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सारी मनुस्मृति देने से क्या लाभ है, मिसाल के तौर पर दो-चार श्लोक दे दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार , वहीं दे रहा हूं। इसमें लिखा है –

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वा पियोषिता।

न स्वातन्त्रेण कर्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्वपि।

बचपन में जवानी में और बुढ़ापे में स्त्री को अपने घरों में भी अपनी इच्छा से (क्रमश: पिता, पति और पुत्र आदि अभिभावक की सम्मति के बिना मनमाना) कोई भी काम नही करना चाहिए।

स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्र के वश में रहे उनकी आज्ञा तथा सम्मति के अनुसार कार्य करे, स्वतन्त्र कभी न रहे।

समय की कमी की वजह से मैं श्लोक नही पढ़ रहा हूं।

पुरुष तो दूसरी शादी कर सकता है, अगर स्त्री दूसरी शादी कर ले तो औरत नर्क का पात्र होती है।

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

आज इस देश के अन्दर जो व्यवस्था चल रही है वह हमारे संविधान से संचालित है। संविधान ने ऐसी सारी बातों को समाप्त कर दिया है। आज बच्चे जो कि कल युवा होने वाले हैं, इन बातों को नहीं जानते हैं। पुराने जमाने में किसी ने अगर ऐसी बातें लिख दी हो तो आज उनका क्या महत्व है।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाएंट आफ आर्डर नही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन् देखिए स्त्रियों के बारे में इसमें आगे क्या लिखा है—

सदाचार से हीन, परस्त्री में अनुरक्त और विद्या आदि गुणों से हीन भी पति पतिव्रता स्त्रियों को देवता के समान होता है। वह पूज्य होता है। वह चाहे जो कर ले लेकिन स्त्री कुछ न करे।

जो स्त्री वाग्दान से लेकर जीवन पर्यन्त पतिव्रता होती है, वह पति लोक का त्याग नही करती है, अर्थात सर्वदा पतिलोक में निवास करती है, जैसी अरुन्धती है, वैसी ही वह पतिव्रता स्त्री है।

स्त्रियों के लिए पृथक् (पति के बिना) यज्ञ नही है और पति की आज्ञा के बिना व्रत तथा उपवास नहीं है, पति की सेवा से ही स्त्री स्वर्ग-लोक में पूजित होती है।

श्रीमन् यह भी लिखा है कि—

पति के मर जाने पर स्त्री पवित्र, पुष्प, कन्द और फल से शरीर को क्षीण करे। व्यभिचार की भावना से दूसरे पुरुष का नाम भी न ले। बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य पालने वाले अनेकों सहस्र बाह्मण वंशवृद्धि के लिए सन्तानोत्पत्ति को बिना किये ही स्वर्ग गये हैं।

पति के मरने पर ब्रह्मचारिणी रहती हुई पतिव्रता स्त्री पुत्र को बिना पैदा किये ही उन सनकादि ब्रह्मचारियों के समान स्वर्ग को जाती है।

सभापति महोदय : गंगवार साहब मनुस्मुति में यह भी लिखा है कि

न स्त्री स्वातंत्र्ये मरहति।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन् अब मैं फिर शुद्रों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है कि जिस राज्य के लिए विचार शुद्र करता है वह राज्य देखते-देखते कीचड़ में धंस जाता है।

जो राज्य बहुत से शुद्रों और नास्तिकों से व्याप्त हो, ब्राह्मणों से रहित हो, दुर्भिक्ष तथा व्याधियों से पूर्ण हो, वह सम्पूर्ण राज्य भी नष्ट हो जाता है।

और सभापति महोदय इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण से "तुम चोर हो" कहने पर शूद्र को मारा पीटा जाएगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों को कटु वचन करने वाले शूद्र की जीभ काट कर दंडित करना चाहिए। क्योंकि वह नीच से उप्पन्न है। इन जातियों का नाम लेकर कटु वचन कहने वाले शूद्र के 10 उंगली लम्बी लोहे की कील मुंह में डालनी चाहिए। ब्राह्मण देवता

के समान है चाहे वह मूर्ख ही क्यों न हो। मूर्ख और देवता दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। मूर्ख ब्राह्मण का भी निरादर नहीं करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण निंदित कर्मों में प्रवृत्त होता हो, सब प्रकार से ब्राह्मण पूज्य हैं और उत्तम हैं। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका न्याय करने वाला ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य धर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त शूद्र द्वारा किया गया कार्य निष्फल है। (**व्यवधान**)

मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार के धर्मग्रंथों में यह सब बात लिखी रहेगी तो यह संविधान की अवहेलना तो है ही बल्कि इसका सहारा लेकर पंडित और पुरोहित लोग लोगों को गुमराह करेंगे। देहातों में जो सीधेसाधे लोग हैं, 64 प्रतिशत देश के जो अनपढ़ लोग हैं उन सब को मूर्ख बनाने के लिए ये ग्रन्थ काफी हैं। इसलिए इनका प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसी बातें हों उनको डिलीट किया जाना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो भी पुराने एक्ट हैं उनको डिलीट करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं तो इसमें कौन-सी ऐसी बात है कि इनको धर्मग्रंथों में से निकाला नहीं जा सकता। अगर ये रहेंगे तो कुछ चतुर लोग जनता को गुमराह करेंगे। इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, सोनकर जीने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनकी भावना की मैं कद्र करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर हम अपने पिछले इतिहास को देखें तो पता चलता है कि आजादी से पहले मनुस्मृति के माफिक हरिजनों के साथ व्यवहार होता था लेकिन आजादी के बाद जब यहां सरकार बनी तो इस सरकार में जो नेता चुनकर आते हैं वे हरिजनों के मध्य से, मुसलमानों के मध्य से, ईसाइयों के मध्य से, सभी का समर्थन लेकर यहां आते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, वह ग्रंथ खराब है जिसमें हिन्दू समाज और हमारे समाज को बांट दिया गया है। लेकिन संविधान बनने के बाद सब चीजें साफ हो गई हैं। गांव के लोगों में अभी भी वही पुरानी भावना चली आ रही है। मैंने कई जगह देखा है कि हरिजनों को मन्दिरों में जाने नहीं देते। बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा भी जो मदद देना चाहते हैं वह नहीं पहुंच पाती है। पिछड़े हुए लोगों को फायदा तभी पहुंच सकता है जब हम गरीबी को मिटाने के लिए काम करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पुराने जमाने में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए अलग नाई होता था, जो कभी-कभी उन्हें चोट भी पहुंचा देता था और दूसरे लोगों के लिए अलग नाई होता था। धीरे-धीरे ये बातें खत्म हो गई। इस प्रकार की बातें हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती थी। हमारी सरकार यह चाहती है कि जितने भी गरीब हरिजन-आदिवासी हैं, वे सब तरक्की करें। हम उनके जज्बात को भड़काना नही चाहते। हमारी सरकार चाहती है कि हर कौम इस मुल्क में तरक्की करे और आगे बढ़े। गंगवार जी ने मनगढ़न्त बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने लम्बी-लम्बी मूंछों और लम्बी-लम्बी भुजाओं वाले आदमी का वर्णन किया है। इसका मतलब है, वह आदमी भी तो बहुत बड़ा होगा। यह बातें खत्म हो गई है। सरकार की ओर से गरीबों को जो फायदा दिया जाता है, क्या वास्तव में वह पहुंच पाता है। इस देश में चाहे राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, हरिजन हो सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। वे जब

समाज में आते हैं तो जात-बिरादरी बन जाती है। इस लिए, हमारे देश में जो फिरकापरस्ती की बातें पैदा हो रही हैं, उनको मिटाने के लिए हम सबको सोचना चाहिए। हम सब हिन्दुस्तानी हैं, भारत वासी है, हमारी एक ही कौम है, हम में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई फर्क नहीं है, यह हम को सोचना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेशन, नेता और माननीय सदस्य सब इस तरह सोचें और काम कयें तो देश आगे बढ़ सकता है। राज्य भी तब बढ़ सकते है, फलफूल सकते हैं।

मद्रास की बात मैं करता हूं। वहां हरिजन मुसलमान बनाए गए। ईसाई भी वे बने। जब वहां चले गए तो पवित्र हो गए और यहां रहे तो अपवित्र। यह नही होना चाहिये। हिन्दू धर्म बहुत पुराना धर्म है। हिन्दू धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आसमान से टपका है या कोई धरती से। एक तरह से सभी जन्म लेते हैं, सभी धर्मों के लोग जन्म लेते हैं। एक तरह से सभी पलते हैं। पहले आप देखें कि बावड़ी से लोग पानी पीते थे, नल का नही पीते थे क्योंकि नल में चमड़ा लगा होता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। पहले बुजुर्ग लोग अपने साथ बोतल रखते थे और उसका पानी पीते थे लेकिन आज यह चीज नहीं है। सब ने नल का पानी पीना शुरू कर दिया है।

मन्दिरों की बात आप लें। आज हरिजन भी मन्दिर में साउथ में जा सकते हैं। मैं केरल में भी गया। वहां भी जा सकते हैं। हमारे संसद सदस्य हरिद्वार से आते हैं। वहीं की बात मैं करता हूं।

श्री जयपाल सिंह : जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कहा है कि क्योंकि वह पवित्र नही है, इसलिए मैं उनको यहां आने की इजाजत नही दूंगा। वह एक पारसी से ब्याही हुई हैं इसलिए पवित्र हिन्दू नहीं हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : यह आपकी नालेज में होगा, मेरे नालेज में नही है। जहां तक हमारा ताल्लुक है हमें इसका इल्म नहीं है। हरिद्वार पंडितों की नगरी है। हरिद्वार से जो माननीय सदस्य आते हैं यहां एक बात कहते हैं और हरिद्वार में पंडितों के सामने दूसरी। पंडितों के वोट से वह यहां आए हैं। आज यहां वह पंडितों के खिलाफ बोलते हैं और वहां पंडितों के हित में। वहां वह उनको क्यों क्रिटिसाइज नहीं करते हैं।

मैंने हरिद्वार में देखा है कि गोदान जो होता है, सुबह से शाम तक चलीस-चालीस बार एक ही गाय का गोदान कर दिया जाता है। चालीस-चालीस बार एक ही गाय दिन में बिकती है। यहां अपने वोटरों के खिलाफ बात करते हैं। किसी कौम पर किसी बिरादरी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। उस विरादरी ने सारी गड़बड़ कर दी है ऐसी बात करना ठीक नहीं है। हमारे यहां पंडित भी हैं, मौलवी भी हैं। अच्छे-अच्छे विदान भी हैं जो समाज सुधार का काम करते हैं। जिन्होंने ये ग्रन्थ लिखे थे, वे खत्म हो चुके हैं। उन से आप पूछ सकते थे कि उन्होंने यह सब क्यों लिखा। अब हमें नए समाज को जन्म देना है, नया समाज हमको बनाना है। जंगे आजादी से लेकर प्रधान मंत्री पंडित नेहरू, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मागांधी और जो नेता हैं उनकी यहीं इच्छा थी और है कि गरीब लोग ऊपर उठें, बिना भेदभाव सबके हित के काम हों, कौन ऊंचा है और कौन नीचा इसका ध्यान न दिया जाए।

जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है, मैं देख रहा हूं कि एक मंत्राणी जी इस वक्त यहां पर बैठी हुई है। ये तब की बात कर रहे हैं ताड़न के अधिकारी वाली बात? यह मेरी समझ में नही आया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आज से तीन महीने पहले की बात है। यह अखबार की कटिंग है। देश के सब से बड़े शंकराचार्य ने यह लिखा है जो हमारे सामने है जवाब में मैं इसको नोट करूंगा। उसे ऐसा नही कहना चाहिये। पता नहीं शंकराचार्य के नाम से किसी और की बात आप ले आये हो। माननीय रामावतार शास्त्री जी बैठे हुए हैं यह एक दिन बसमें चढ़े कह रहे थे कि हम पंडित हैं लेकिन जब सदन में बोलेंगे तो हरिजनों के हक में बोलेंगे, लेकिन बाहर तो मैं पंडितों की तरह काम करूंगा। आप उसके खिलाफ बोलिये जो गलत काम करता है पंडितों में भी गरीब हो सकते हैं। केवल हरिजनों में ही गरीब नही हैं। इसलिये गरीबों की गरीबी दूर करना हमारा धर्म है।

जहां तक हमारी पार्टी और सरकार का ताल्लुक है, हमारे नेताओं का ताल्लुक है वह छूआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। यह तो आपके हिस्से में आया है इसलिए बार-बार आप ऐसे प्रस्ताव लाते हो, जो कि उचित नही है। आप लोग ही इसको बढ़ा रहे हैं। इसको खत्म करना चाहिए। जब तक खत्म नही करोगे तब तक समाज आगे नही बढ़ सकता। गांधी, जिन्नाह के समय से है। तो यही मानते हैं

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा।

जब तक हमारे अन्दर यह भावना नहीं आती तब तक काम नही चलेगा। जाति बिरादरी की बात नहीं उठानी चाहिए। आज लोग एक दूसरी जाति में शादियां कर रहे हैं। देश में लाखों लोग जाति बिरादरी को तोड़कर, बुरे आदमियों से नाता तोड़ कर, गरीब लोगों के साथ नाता जोड़ रहे हैं।

इसलिए पुरानी बातों को, जिनको दफना दिया गया है, उनको उठाना व्यर्थ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय राजनाथ सोनकर जी से कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, माननीय सदस्य जी राजनाथ सोनकर शास्त्री के हिन्दू धर्मग्रंथ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधेयक, 1983 में निहित भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं।

श्री मनु ने मनुस्मृति की रचना करके समाज को चार वर्णों में विभाजित का सम्पूर्ण समाज की ऊंच-नीच के विचार पर विभाजित कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शुद्र जातियों की विचारधारा के वहीं जनक माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा करके प्राचीन भारतीय समाज को विकृत करने का घृणित प्रयास किया है। श्री शास्त्री ने मनुस्मृति के निम्न उद्धरणों को

उद्धृत कर उनके निकृष्ट एवं समाज को नष्ट करने, व्यक्ति-व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना फैलाने की कुचेष्टा की है।

मनुस्मृति हिन्दू धर्म की एक नीति विषयक अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके कुछ श्लोक मन पर सीधे प्रहार आते हैं। संविधान की प्रत्यक्ष अवहेलना होती है। मनुस्मृति के अनुसार है शुद्र को सलाह, हवन का घी, धर्म शिक्षा न दें और शिक्षा देने वाला व्यक्ति असंबृत नामक नर्क में गिरता है...शुद्र के सम्मुख वेद न पढ़ें.. ब्राह्मण शुद्र की सम्पत्ति नि संकोच ले ले...शुद्र किसी सम्पत्ति का मालिक नहीं होता...शुद्र का एक मात्र धर्म है अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना... शुद्र न्याय न करे वर्ना देश में अकाल पड़ेगा...शुद्र का निन्दा जन्म नामकरण हो...

शुद्र के राज्य में निवास न करें...एक तेली 10 कसाइयों के बराबर, एक कलवार 10 तेलियों के बराबर और एक बहुरूपिया या वैश्या का एक नौकर दस कलवारों के बराबर होता है। लोहार, मल्लाह सोनार के अन्न को न खावे...शुद्र का अन्न ब्रह्म तेज को—सोनरा का अन्न आयु—चमार को अन्न वंश को खा जाता है। उतना पाप बिल्ली, मेंढ़क, चिड़िया, उल्लू और कौआ को मारने में लगता है।...मजदूरी के बदले शुद्र को झूठा अन्न देवे...शुद्र गले में हडिया, कमर में झाड़ बांध कर सड़क पर चलें। आदि-आदि रामायण के अनुसार ज्ञान गुणहीन ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिये और ज्ञान में प्रवीण शुद्र की पूजा नही करनी चाहिए—ढोल गंवार शुद्र पशु और स्त्री सब ताड़न के अधिकारी हैं।

श्री मनु ने समाज को चार वर्णों में विभाजित कर ऊंच-नीच की भावना एवं शोषण की व्यवस्था को चिरस्थायी बना दिया। आज समाज का एक बड़ा हिस्सा एक जहरीली और मानवता विरोधी विचार-धारा से प्रभावित है जिसके विरुद्ध हमें सजग और सचेत विचारात्मक संघर्ष चलाना चाहिए। यह संघर्ष बड़ा ही जटिल और लम्बा होगा। विचारधारा की क्रांति करनी होगी।

मनु की मान्यताओं को जड़ मूल से मिटाने तथा सभी जातियों में अटूट एकता पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज की शोषण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर शोषित-पीड़ितों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। मानव-मानव में समता का भाव भरना होगा। पूंजीवादी शोषण दोहन की व्यवस्था को मिटाकर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। इजारेदारों के शिकंजों को खत्म करना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

हमारा वर्तमान समाज पूंजीवादी समाज है जिस पर थोड़े से इजारेदारों का शिकंजा कायम है, जिसके विरुद्ध निर्मम वर्ग-संघर्ष चलाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही हम धनतंत्र को तोड़कर वास्तव में समतातंत्र को कायम कर सकते हैं।

हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़ी जाति के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगो के लिए आरक्षण

की व्यवस्था रखते हुए यह अ.वश्यक है कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशशाली बनाया जाये ।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पर जोर देकर ठीक ही कहा गया है कि आम जनता और पिछड़ी जाति के लोगों के बीच जमीन का बंटवारा करके ही विकसित जातियों के स्तर पर लाया जा सकता है । इसके लिए भूमिसुधारों को लाग करना होगा, भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवीं सूची में दर्ज करना होगा ।

सम्पूर्ण समाज की समता स्थापित करने के लिए उत्पादन के साधनों को समाज के कब्जे में लाना होगा, इजारेदारी की व्यवस्था का अन्त होगा, धर्मनिरपेक्षता की नीति का व्यापक प्रचार करना होगा विचारात्मक क्रांति करनी होगी वर्ण-व्यवस्था की समाप्ति समाजवादी व्यवस्था से ही सम्भव हो सकती है । समाजवादी व्यवस्था में शोषण-शोषक की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी ।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार वर्तमान शोषण व्यवस्था को कायम रखते हुए वर्ण-व्यवस्था को समाप्त नही कर सकती । इसके लिये समाजवादी क्रांति ही एक मात्र अस्त्र है जिसके द्वारा श्री शास्त्री जी की भावनाओं की पूर्ति हो सकती है ।

दुःख है कि शास्त्री जी और उनका दल मनुस्मृति की घणित भावनाओं को समाप्त कर सभी भारतवासियों को समता के स्तर पर लाने के लिए वर्ग संर्घष में विश्वास नही कर, ऐसे तत्वों से हाथ मिला रहे हैं जो उनकी समतावादी भावना से सहमत नहीं हैं । वर्ण-व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं । धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास नही रखते, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी को मजबूत बनाना चाहते हैं ।

अत: शास्त्री जी और उनके दल से मेरा अनुरोध होगा कि वे वैसे लोगों से अपना दामन छुड़ा कर वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखने और उसे क्रियान्वित करने वाली वामपन्थी और जनतांत्रिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर वर्तमान समाज को बदलने के संघर्ष में शामिल हों ।

सभापति महोदय : यह चर्चा अगले दिन भी जारी रहेगी । सभा अब सोमवार, 12 मार्च 11 बजे म० पू० पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 12 मार्च, 1984/22 फाल्गुन, 1905 (श ५) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।